लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

[खंड 32 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/Contents

अंक 9, गुरुवार, 22 नवम्बर, 1973/1 अग्रहायण, 1895 (शक)

No. 9, Thursday, November 22, 1973/Agrahayana 1, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ
ता० प्र० संख्या		PAGES
S.Q. Nos.		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
161 सरकारी अधिकारियों को आवंटित करने हेतु स्कूटरों का कोटा	Quota of Scooters for Allotment to Government Officers . . .	1
163 भारत में सिन्ध तथा छम्ब से आये शरणार्थी	Refugees from Sind and Chhamb in India	5
165 यूरोप तथा जापान की तुलना में भारत में इस्पात की अधिक-उत्पादन-लागत	High Production Cost of Steel in India as compared to Europe and Japan	10
166 राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले के निर्धारित मूल्य	Prices of Coal Fixed after Nationalisation	12
170 एम० ई० एस० के फालतू कर्मचारी	Surplus Employees in MES . .	15
171 भारतीय सैनिकों को प्रेक्षकों के रूप में इजरायल और मिश्र भेजा जाना	Sending of Indian Troops as Observers to Israel and Egypt . . .	16
173 भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा	Declaration of Bonus for Bhilai Steel Plant Workers . . .	17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
162 इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी, बर्नपुर की प्रतिष्ठा को पुनः बनाने तथा उसे उन्नत करने के लिए परियोजना	Rehabilitation and Improving Image of IISCO, Burnpur . .	19
164 गुजरात खनन विकास निगम द्वारा कोयले के खनन का कार्य शुरू किया जाना	Starting of Coal Mining Operations by Gujarat Mineral Development Corporation	19

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign +marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
167	विद्युत उपक्रमों में मजूरी विवादों संबंधी द्विपक्षीय समिति	Bipartite Committee on Wage Disputes in Electricity Undertakings . .	20
168	बलारिया (राजस्थान) में जिंक अयस्क की नई खान	New Zinc Ore Mine at Balaria, Rajasthan	20
169	उद्योगों पर कोयले की कमी का प्रभाव	Impact of Coal Shortage on Industries	21
172	छोटे इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग की उप-समिति	Sub-Committee of Economic Commission for Asia and Far East to Set up Steel Plants	21
174	'एम्बेसेडर' कारों का उत्पादन	Production of Ambassador Cars .	22
175	भारत और लोकतांत्रिक गणराज्य वियतनाम के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग	Economic and Cultural Co-operation between India and Democratic republic of Vietnam . . .	22
176	इस्पात के उपभोग ढांचे के बारे में वैज्ञानिकों और तकनीकी जानकारों की समिति	Committee of Scientists and Technologists on Consumption Pattern of Steel	23
177	त्रिपुरा में चाय बागानों का बंद होना	Closure of Tea Gardens in Tripura	24
178	बीड़ी और इमारत उद्योग में महिला श्रमिकों का ठेकेदारों द्वारा शोषण	Exploitation of Women Workers in Bidi and Building Industry by Contractors	24
179	बिहार में कटिहार स्थित पुराने जूट मिल में मज़दूरों की हड़ताल	Strike by Workers in Old Jute Mill, Katihar in Bihar . . .	25
180	इस्पात के सरकारी कारखाने	Public Sector Units of Steel .	25

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.			
1603	खेतड़ी तांबा परियोजना के इंजीनियरों को प्रशिक्षण	Training to Engineers of Khetri Copper Project	27
1604	हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की स्नातक इंजीनियरिंग प्रशिक्षु योजना	Graduate Engineering Trainee Scheme of Hindustan Copper Limited .	27
1605	पासपोर्ट के लिए आवेदनपत्रों को हिन्दी में स्वीकार न करने के बारे में शिकायत	Complaint regarding refusal to accept Passport Applications in Hindi .	28
1606	मध्य प्रदेश को उद्योगवार इस्पात का नियतन	Industry-wise Steel Allocation to Madhya Pradesh . . .	29
1607	एल्यूमीनियम की मांग तथा उत्पादन	Demand and Production of Aluminium	29
1608	धनबाद में कुछ संस्थापनों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लाना	Coverage of certain Establishments in Dhanbad under E.P.F. Act, 1952 .	29

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1609	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में स्वागत अधिकारियों के पद बनाना	Creation of Posts of Reception Officers in E.P.F. Organisation . .	30
1610	धनबाद के कुछ कारखानों एवं प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लेना	Coverage of certain Factories and Establishments in Dhanbad under E.P.F. Act, 1952	30
1611	कलकत्ता पत्तन पर गोदी श्रमिक कर्मचारियों द्वारा 'धीरे काम करो' अभियान	Go-slow Agitation by Dock Labour Employees at Calcutta Port . .	31
1612	मौलाना भासानी के इलाज पर व्यय	Expenditure incurred on the Treatment of Maulana Bhashani . . .	31
1613	धनवाद, रांची और जमशेदपुर में निर्माण संबंधी सामग्री बनाने वाले कुछ कारखानों को कर्मचारी भविष्य निधि 1952 के अंतर्गत लाना	Coverage of certain construction material Factories in Dhanbad, Ranchi and Jamshedpur under E.P.F. Act, 1952	32
1614	युक्तियुक्त ईंधन नीति संबंधी निर्णय	Decision regarding Rational Fuel Policy	32
1615	राज्य औद्योगिक विकास निगमों के मुख्य कार्यकारियों की बैठक	Meeting of Chief Executives of State Industrial Development Corporation	32
1616	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध में श्रमिकों का शामिल होना	Workers' Participation in Management of Public Sector Undertakings .	33
1617	शालीमार कंस्ट्रक्शन कम्पनी, कलकत्ता के विरुद्ध जांच	Inquiry against Shalimar Construction Company, Calcutta . .	33
1618	विदेशों में काम कर रहे भारतीय डाक्टर और वैज्ञानिक	Indian Doctors and Scientists working abroad.	34
1619	चिली के सैनिक शासन को मान्यता देना	Recognition to Military Regime in Chile	34
1620	विदेशी विद्यार्थियों के भारत में ग्रीष्मकालीन शिविर (समरकैम्पस) तथा अध्ययन दौरे।	Summer Camps and Study Tours of Foreign students in India . .	35
1621	ब्रिटेन के विशेषज्ञों द्वारा एवरो विमान में परिवर्तनों के संबंध में सुझाव	Changes suggested in Avro Aircraft by U.K. experts	35
1622	बम्बई गोद श्रमिक कालोनी में दो स्टीवेडोर श्रमिकों पर हमले की जांच	Enquiry into asault on two Stevedore Workers at Bombay Dock Workers. Colony	36
1623	पांचवीं योजना में रसायनिक उर्वरकों का आयात	Import of Chemical Fertilizers during Fifth Plan	36
1624	पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा रक्षा सामग्री की सप्लाई	Supply of Defence goods by D.G.S.&D.	37

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1626	ब्राडी एंड कंम्पनी बम्बई द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का जमा न किया जाना	Default in Payment of E.P.F. in Brady and Co., Bombay . . .	38
1627	कम्पनियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारियों के अंशदान की राशि का दुर्विनियोजन	Misappropriation of Employees Contributions to G.P.F. by Companies .	38
1628	वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन में वृद्धि	Increase in Production of Commercial Vehicles	38
1629	मुद्रण उद्योग में काम आने वाली ब्लाक बनाने की सामग्री की कमी	Shortage of Block making Material in Printing Industry . . .	39
1630	उड़ीसा के सुकिन्डा में निकल निक्षेपों का विकास	Development of Nickel Deposits at Sukinda in Orissa . . .	39
1631	रायरानीपुर, उड़ीसा की फरो-वैनडियम परियोजना	Ferro-Vandium Project of Rairanipur, Orissa	40
1632	इंडियन एंड इस्टर्न न्यूज पेपर सोसाइटी द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीसरे मजूरी बोर्ड का विरोध	I.E.N.S. Opposition to Third Wage Board for Working Journalists	40
1633	विजयनगर इस्पात संयंत्र परियोजना	Vijayanagar Steel Plant Project .	41
1634	सरकारी क्षेत्र में "शिप ब्रेकिंग" कारखानों की स्थापना	Setting up of Ship-Breaking Units in Public Sector	41
1635	खरीदों में मूल्यों संबंधी प्राथमिकता	Price Preferences in Government Purchases	42
1637	गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का निर्माण तथा प्रसार कार्यक्रम	Manufacturing Schedule and Expansion Programme of Private Sector Industries	43
1638	पाकिस्तान से स्वदेश लौटे भारतीय युद्धबंदी	Indian P.O.W.S. Repatriated from Pakistan	43
1639	अमरीका के सेक्रेटरी आफ़ स्टेट के साथ वाशिंगटन में बातचीत	Discussions with U.S. Secretary of State at Washington . .	43
1640	भारत और ब्रि के बीच वार्षिक द्विपक्षीय वार्त	Annual Bilateral Talks between India and Britain	44
1641	रक्षा विभाग में कुशल कारीगर	Skilled Tradesmen in Defence Departments	44
1642	रक्षा प्रतिष्ठानों में घातक दुर्घटनायें	Fatal Accidents in Defence Installations	45
1643	रक्षा विभाग के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के बीच वि ता	Disparity in Industrial and Non-Industrial Employees of Defence Department	45

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1644	लाजपतनगर, नई दिल्ली के मकान मालिकों को अतिरिक्त भूमि का कब्जा सौंपने में विलम्ब	Delay in Handing over Possession of Additional Land to House Owners in Lajpat Nagar, New Delhi . .	46
1645	एवरो विमानों का उत्पादन	Production of Avro Planes . .	46
1646	खेतड़ी तांबा परियोजना में उत्पादन	Production in Khetri Copper Project	47
1647	इंडियन कापर कम्पनी घाटशिला का उत्पादन	Production of Indian Copper Company, Ghatsila	47
1648	छोटानागपुर, बिहार में ऐल्यूमिनियम उद्योग	Aluminium Industry in Chotanagpur, Bihar	47
1649	'लेबर ब्यूरो' कार्यालय का शिमला से चंडीगढ़ स्थानान्तरण	Shifting of Labour Bureau from Simla to Chandigarh	48
1650	बोकारो इस्पात संयंत्र में स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति	Appointment of "Sons of the Soil" in Bokaro Steel Plant . . .	48
1651	बड़े औद्योगिक गृहों में कर्मचारियों की सेवाओं के संरक्षण हेतु विधान	Legislation to Safeguard Services of Employees in Large Industrial Houses	48
1652	रोजगार सहायता नियमों का संशोधन	Amendment of Employment Assistance Rules	49
1653	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा लग्जेमबर्ग और श्रीलंका में कारखाने की स्थापना	Setting up of a Unit by H.M.T. in Luxembourg and Sri Lanka .	49
1654	फील्ड मार्शल मानेकशा को उपलब्ध की गई सुविधायें	Facilities Provided to Field Marshal Manekshaw	49
1655	उत्तर प्रदेश तथा बिहार के जाली प्रतिष्ठानों के इस्पात के कोटे की सप्लाई	Supply of Steel Quota to Bogus Establishment in U.P. and Bihar .	50
1656	रक्षा विभाग के कब्जे में फालतू भूमि का होना	Surplus Lands in Possession of Defence Department	50
1657	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा इस्पात के मूल्य में वृद्धि	Increase in Steel Price by Hindustan Steel Ltd.	51
1658	पांचवीं योजना में कागज तैयार करने के लिये संयंत्रों का निर्माण	Manufacture of Plants for Paper Production in Fifth Plan . .	51
1659	पांचवीं योजना में इस्पात उत्पादन का लक्ष्य	Steel Target of Fifth Five Year Plan	52
1660	पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Rourkela Steel Plant during Fifth Five Year Plan .	52
1662	जीवन-निर्वाह मूल्य सूचकांक के मामले में हेर-फेर	Manipulation in Cost of Living Index	52

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1663	श्रम न्यायालयों में अनिर्णित पड़े श्रम-प्रबंध के मामले	Labour management cases pending in Labour Courts . . .	53
1664	दिल्ली के घरेलू श्रमिकों की मांगें	Demands of Domestic Workers of Delhi	54
1665	प्रबंधकों द्वारा अन्यायपूर्ण ढंग से सेवाएं समाप्त किये जाने के विरुद्ध कर्मचारियों की सुरक्षा	Protection of workers against indiscriminate Termination of their services by Managements . . .	55
1666	केरल में नये भारी उद्योग	New Heavy Industries in Kerala	56
1667	सेना में भर्ती होने के मामले में नवयुवकों की अनिच्छा की जांच करने के लिये समिति की नियुक्ति	Appointment of a Committee to investigate about reluctance of youngmen to join services	56
1668	पुलिस के सत्यापन के आधार पर सेवामुक्त किये गये जवान	Jawans dismissed on the basis of Police verifications	57
1669	मोकामा स्थित ब्रिटानियां इंजीनियरिंग कम्पनी का अधिग्रहण	Taking over of Britania Engineering Company, Mokameh . .	57
1670	विहार एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन द्वारा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of tractors by Bihar Agro-Industries Corporation with H.M.T. help	57
1671	मोकामा स्थित ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का बंद होना और श्रमिकों को देय वकाया राशि	Closure of Britania Engineering Company Limited, Mokameh and Workers dues	58
1672	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन	Amendment of Industrial Disputes Act, 1947	58
1673	औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिवों और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को "वर्कमेन" के रूप में घोषित करना	Declaration of medical representatives and University Employees as "Workmen" under Industrial Disputes Act	58
1674	आई०आई० एम० सी० ओ० में उत्पादन	Production in I.I.S.C.O. . .	59
1675	अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सैनिक उपकरणों और पनडुब्बियों की सप्लाई	Military equipment and submarines supplied to Pakistan by U.S.A.	59
1676	पाकिस्तान के साथ 'नर्म' सीमायें रखने का प्रस्ताव	Proposal for soft borders with Pakistan	59
1677	वर्ष 1973-74 में राज्यों के लिए मंजूर किया गया और दिया गया इस्पात का कोटा	Steel quota sanctioned and quantity supplied to States during 1973-74	60

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1678	केरल में छोटा इस्पात संयंत्र	Mini Steel Plant in Kerala	60
1679	केरल के लिए विशेष इस्पात कारखाना	Special Steel Plant for Kerala	60
1680	श्रमिक संकट के कारण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर के उत्पादन को क्षति	Loss of production in H.M.T. Bangalore, due to labour trouble . .	61
1681	कोककर और गैर-कोककर कोयला खानों को सरकारी नियंत्रण में लेने से पूर्व इन खानों के मालिकों के पास श्रमिकों को देय जमा-राशियां	Accummulated dues of workers with erstwhile Employers before take-over of Coking and Non-coking Coal Mines	61
1682	आर्मी आर्डनेंस कोर में असैनिक अधिकारी	Civilian Officers in Army Ordnance Corps	61
1683	आयुध कोर के लिपिक कर्मचारी	Clerical Staff of Ordnance Corps	62
1684	ट्रेलर ट्रकों का उत्पादन	Production of Trailer Trucks	62
1685	एल्यूमिना और तांबे के निर्माण में रूसी तकनीकी सहायता	Russian Technical Assistance in manu-facture of Alumina and Copper .	62
1686	विदेशी स्रोतों से इस्पात का आयात	Import of Steel from foreign sources	63
1687	बोनस का नकद भुगतान	Payment of Bonus in cash	63
1688	सलेम इस्पात कारखाना	Salem Steel Plant	64
1689	राष्ट्रीय मंजूरी नीति संबंधी रिपोर्ट	Report on National Wage Policy .	64
1690	केन्द्रीय श्रमिक संघों द्वारा अपनी सदस्यता के सत्यापन के लिये सूचियां भेजना	Verification of Membership by Central Trade Unions . . .	65
1691	नियोजकों पर भविष्य निधि की बकाया राशि	Arrears of Provident Fund with Employers	65
1693	गुजरात में कोयले की कमी	Shortage of Coal in Gujarat .	67
1694	गुजरात की स्टीम, सौफ्ट और हार्ड कोक की आवश्यकता	Requirement of Gujarat for Steam, Soft and Hard Coal . . .	67
1695	एशिया की सुरक्षा के बारे में सोवियत प्रस्ताव	Soviet Proposal on Asian Security	68
1696	श्री लंका से लौटे विस्थापितों का पुनर्वास	Rehabilitation of Repatriates from Sri Lanka	68
1697	भागने का प्रयास करते हुए मारे गये पाकिस्तानी युद्धबंदी	Pakistani P.O.Ws. killed while attempt-ing to escape. . . .	69

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1698	पूर्वी क्षेत्र में कोयले की सप्लाई की स्थिति	Coal Supply position in Eastern Region	69
1699	केन्टीन स्टोर विभाग (भारत) द्वारा टायलट सामग्री का क्रय	Purchase of Toilet Goods by Canteen Store Department (India) . .	70
1700	इस्पात के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Steel Prices . . .	70
1701	"पासपोर्ट फार हैरेसमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	Press report captioned "Passport for Harassment". . . .	72
1702	स्कूटरों का उत्पादन बढ़ाना	Stepping up production of Scooters	73
1703	जवानों को अधिकारी संवर्ग के लिये प्रशिक्षण	Training to Jawans for Officers Cadre	73
1704	भारत और जर्मन जनवादी गणतंत्र के बीच तकनीकी-आर्थिक समझौता	Techno-Economic Protocol between India and G.D.R. . . .	74
1705	बर्न एंड कम्पनी, हावड़ा का अधिग्रहण	Taking over of Burn and Company, Howrah	74
1706	इम्फाल के मध्य में सैनिक प्रतिष्ठान	Military Establishments in Centre of Imphal	75
1707	खेतड़ी तांबा परियोजना के 'कन्सेन्ट्रेटर प्लांट' का निर्माण	Construction of Concentrator Plant of Khetri Copper Project . .	75
1708	कच्चे लोहे का निर्यात	Export of Pig Iron	75
1709	दुर्गापुर स्थित 'माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन' को समाप्त न करने का निर्णय	Decision not to wind up Mining and Allied Machinery Corporation at Durgapur	76
1710	आर्मी आर्डिनेंस कोर में लोअर डिवीजन क्लर्क	Lower Division Clerks in Army Ordnance Corps . . .	76
1711	आर्डिनेंस कोर में सिविलियन स्टाफ आफीसर	Civilian Staff Officers in Ordnance Corps	77
1712	आर्मी आर्डिनेंस कोर के सेवा निवृत यू०डी०सी०/आफिस सुपरिन्टेन्डेंट	Retired U.D.Cs. Office Superintendents in Army Ordnance Corps . .	77
1713	अरब-इजराइल युद्ध	Arab-Israel War .	78
1714	भारी उद्योगों पर बिजली संकट का प्रभाव	Effect of Power Crisis on Heavy Industries	79
1715	उत्तर प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में खनिज विकास संबंधी गतिविधियां	Minerals Development Activities in Himalayan Region of U.P. . .	79
1716	गोरखपुर लेबर संगठन	Gorakhpur Labour Organisation	79

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1717	'नाइटमेग्रर इन बहरीन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार	Press News captioned 'Nightmare in Bahrain'	80
1718	मजदूर संघों का सदस्य-संख्या का सत्यापन	Verification of Membership of Trade Unions	80
1719	मद्रास स्थित क्षेत्रीय परिपत्र कार्यालय द्वारा जारी किये गये परिपत्र	Passports issued by Regional Passport Office, Madras . . .	81
1720	बंगाल की खाड़ी में संयुक्त राज्य ग्रमेरिका द्वारा कथित जासूसी	Alleged Spying by USA in Bay of Bengal	81
1721	विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र	Visakhapatnam Steel Plant .	82
1722	'कापर कन्सेन्ट्रेट' का पेरू से ग्रायात	Import of Copper Concentrate from Peru	82
1723	मैसर्स ग्रार्थर बट्लर एंड कम्पनी मुजफ्फरपुर का पुनः चालू किया जाना	Re-opening of M/s. Arthur Butler and Company, Muzaffarpur . .	82
1724	रुमानिया के नक्शों में भारतीय क्षेत्र को चीन का हिस्सा दिखाया जाना	Indian territory shown as Chinese in Rumanian Maps . . .	83
1725	गणतंत्र दिवस के लिये टिकटों की बिक्री से ग्राय	Proceeds from issue of Republic Day tickets	83
1726	कोयले, कच्चे लोहे ग्रौर इस्पात का निर्यात	Export of Coal, Pig Iron and Steel	83
1727	हाल ही में पश्चिम एशिया में हुये युद्ध के प्रति सरकार का दृष्टिकोण	Stand of Govt. of India re: latest outbreak of West Asian War . .	83
1728	कोककर ग्रौर गैर-कोककर कोयले का उत्पादन	Prodcution of coking and non-coking coal	84
1729	यात्री वाहनों के उत्पादन ग्रौर क्षमता का विस्तार	Expansion of production and capacity of passenger automobiles . .	84
1730	केन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट (इंडिया) द्वारा टूथ पेस्ट की खरीद	Purchase of tooth paste by Canteen Store Department India . .	85
1731	रक्षा कारखानों में ग्रसैनिक वस्तुग्रों का उत्पादन	Production of civilian goods by defence units	85
1732	कोककारी तथा गैर-कोककारी कोयले का उत्पादन	Production of coking and non-coking coal	86
1733	विदेश मंत्री की ग्रफगानिस्तान यात्रा	Foreign Minister's visit of Afghanistan	87
1734	श्री ब्रैजनेव का भारत का प्रस्तावित दौरा	Proposed visit of Mr. Brezhnev to India	87

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1735	राज्यों को इस्पात के रिजर्व कोटे में से अतिरिक्त मात्रा में इस्पात का आवंटन	Steel allotment of additional quantities of steel to states out of reserve quota	87
1736	पटसन उद्योग समिति के आयोजन का प्रस्ताव	Proposal to convene an Industrial Committee on Jute . .	88
1737	अधिकारियों की भर्ती	Recruitment of Officers .	88
1738	पश्चिम बंगाल के पटसन मजदूरों द्वारा हड़ताल की सूचना	Strike notice by Jute Workers of West Bengal	89
1739	वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 में प्रधान मंत्री के विदेशी दौरे	Foreign tours by Prime Minister during 1971-72 and 1972-73 . .	89
1740	कोककारी तथा गैर-कोककारी कोयला खानों के मालिकों को मुआवजे का भुगतान	Payment of compensation to owners of coking and non-coking coal mines	90
1741	कोककारी कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को हुई लाभ-हानि	Profit earned or loss suffered by Bharat Coking Coal Ltd. after nationalisation of coking coal . .	90
1742	शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु योजना	Plans for providing employment to educated and uneducated unemployed	90
1743	आयुद्ध कारखानों में बने सामान का निर्यात	Export of Ordnance Factories Production	90
1744	रूस द्वारा कन्टीन्यूअस स्टील कास्टिंग मशीनों की सप्लाई	Supply of continuous Steel Casting Machines by U.S.S.R. . .	91
1745	कच्चे लोहे के उत्पादन पर कुप्रभाव	Set back to production of Pig Iron	91
1746	विदेशों द्वारा 'नेट' लड़ाकू विमान को पसंद किया जाना	Gnat fighter-plane liked by Foreign countries	92
1747	अहमदाबाद टैक्सटाइल एसोसिएशन और मिल औनर्स एसोसिएशन के बीच द्विपक्षीय समझौता	Bipartite Agreement between Ahmedabad Textiles Association and Mill Owners Association	92
1748	"आई० एन० एस० गज" का उतारा जाना	Commissioning of "I.N.S. Gaj".	92
1749	अम्बेसेडर कारों के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Ambassador Cars .	93
1750	लापता भारतीय जवान	Missing Indian Jawans	93
1751	विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने की प्रगति	Progress made by Visakhapatnam Steel Plant	94

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1752	विभिन्न देशों द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई	Supply of Arms to Pakistan by various countries	94
1753	देश में नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्रों के खोलने का प्रस्ताव	Proposal to open Naval Training Centres in the country . .	95
1754	गोरखपुर के निकट भारतीय वायु सेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना	I.A.F. Plane crash near Gorakhpur	95
1755	औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की कमी के कारण जन-दिवसों की हानि	Man-days lost due to Power Shortage in Industrial Sector . . .	95
1756	तांबे की मांग, उत्पादन और आयात	Demand, Production and Import of Copper	95
1757	कारों की कीमतों में वृद्धि	Increase in Prices of Cars . .	96
1758	विशाखापत्तनम और विजय नगर इस्पात परियोजना के बारे में परामर्श-दाताओं का प्रतिवेदन	Reports of Consultants re: Visakhapatnam and Vijayanagar Steel Projects	96
1759	भिलाई इस्पात के कारखाने के मजदूरों द्वारा हड़ताल की धमकी	Strike threat by workers of Bhilai Steel Plant	97
1760	ब्रैथवेट एंड कम्पनी को हुई हानि	Losses suffered by Braithwaite and Company	97
1761	काम न आने वाले केबल	Unserviceable cables . .	98
1762	कोलार सोना खानों में खनन कार्यों का विविधीकरण	Diversification of Mining activities in Kolar Gold Fields . . .	99
1763	केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के छंटनी किये गये कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध करने संबंधी योजना	Scheme to provide employment to retrenched Class IV Employees of Central Government . . .	99
1764	भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये सर्वेक्षण	Survey for Rehabilitation of ex-Servicemen	99
1765	अपंग सैनिकों तथा उनके आश्रितों के लिए रोजगार	Employment to Disabled Soldiers and their dependents . . .	100
1766	धार्मिक तथा परमार्थ संस्थाओं के स्वामित्व वाली शिक्षा संस्थाओं, चाय बागानों के कर्मचारियों पर कर्मचारी भविष्य निधि को लागू करना	Benefit of E.P.F. covering to Employees of Educational Institutions and Tea Estates owned by Religious and Charitable Institutions . .	101
1767	नई दिल्ली के रक्षा विभाग का नैशनल स्टेडियम सिनेमा	National Stadium Cinema of Defence Department at New Delhi .	101
1768	बालासोर रक्षा प्रतिष्ठान में भूख हड़ताल	Hunger strike at Balasore Defence Installation	102

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1769	राउरकेला इस्पात कारखाने में बोनस के मामले को लेकर श्रमिक अशान्ति	Labour trouble in Rourkela Steel Plant on Bonus Issue . . .	102
1770	अल्पावधि सेवा कमीशन	Short Service Commission	102
1771	ट्रैक्टरों के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Tractors	103
1773	पूर्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी	Temporary Employees of Department of Supply	104
1774	इस्पात और खान मंत्रालय के कर्मचारियों को अदा किया गया समयोपरि भत्ता	O.T. Allowance paid to Employees of Ministry of Steel and Mines .	104
1775	संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास में भारतीय और विदेशी राष्ट्रिक	Indian and Foreign Nationals in Indian Embassy in U.S.A. . . .	105
1776	इस्पात और खान मंत्रालय में अस्थायी कर्मचारी	Temporary employees in Ministry of Steel and Mines . . .	105
1777	यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भारतीय दूतावासों पर होने वाले खर्च में कमी करना	Cut in Expenditure on Indian Embassies in Europe, Africa and Asia . .	106
1778	युद्ध बंदियों को वापस भेजने में 'स्वयं-क्रियाशीलता के सिद्धांत' का उल्लंघन करने के बारे में भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी आरोप	Pak Allegation against India regarding Violations of 'Principle of Spontaneity' in sending back P.O.Ws. .	106
1779	पाकिस्तान अधिकृत छम्ब क्षेत्र से आने वाले शरणार्थियों की शिकायतें	Grievances of Refugees from Pak Occupied Chhamb Area .	107
1780	नारियल जटा से बनी वस्तुओं की खरीद	Purchase of Coir Items	108
1781	नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों को प्रशासन द्वारा सताया जाना	Victimisation of Coir Board Staff by Administration . . .	108
1782	इस्पात के उत्पादन में लघु इस्पात संयंत्रों का योगदान	Contribution of Mini-Steel Plants in production of steel . .	108
1783	वर्ष 1972 के लिए 8.33 प्रतिशत बोनस का अदायगी	Payment of 8.33 per cent Bonus for 1972	109
1784	कोयले की कम सप्लाई	Short Supply of Coal . .	109
1785	राष्ट्रसंघ महासभा के 28वें वार्षिक अधिवेशन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल	Indian delegation to 28th Annual Session of U.N. General Assembly .	110

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1786	फील्ड मार्शल मानेकशा को विशेष भत्तों का भुगतान	Payment of Special Allowances to Field Marshal Manekshaw .	111
1787	अधिक माल ढोने वाले ट्रकों का निर्माण करने के लिये जबलपुर वेहिकल्स फैक्टरी को सरकार द्वारा नियंत्रण में लेना	Taking over of Jabalpur vehicles factory to manufacture Heavy Duty Trucks	111
1788	गोरखपुर पुलिस द्वारा भारतीय वायु-सेना के कर्मचारी की गिरफ्तारी	Arrest of I.A.F. Personnel by Gorakh-pur Police	111
1789	कोयले की राज्यवार मांग और सप्लाई	State-wise demand and supply of Coal	112
1790	पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते का उल्लंघन	Violations of Simla Agreement by Pakistan	113
1791	स्कूटरों की कमी	Shortage of Scooters . . .	113
1792	लेह स्थित कृषि अनुसंधान एकक	Agricultural Research Unit at Leh .	114
1793	कारों, जीपों, स्कूटरों तथा मोटर साइकिलों का उत्पादन	Production of Cars, Jeeps, Scooters and Motor Cycles . .	115
1794	स्वदेशी प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण	Development of indigenous missile weapons	116
1795	बर्मा से स्वदेश लौटने वालों के लिए आंध्र प्रदेश में पुनर्वास की योजनायें	Rehabilitation Schemes for Burma Re-patriates in Andhra Pradesh .	116
1796	आन्ध्र प्रदेश, कडप्पा में एस्बेस्टोस उद्योग समूह	Asbestos complex in Cuddapah, Andhra Pradesh	119
1797	विशाखापत्तनम में ग्रैफाइट, बॉक्साइट तथा वोलफ्रामाइट की जांच	Investigation of Graphite, Bauxite and Wolframite in Visakhapatnam	119
1798	आन्ध्र प्रदेश में हीरे की संभावनायें	Prospects of Diamond in Andhra Pradesh	119
1799	त्रिपुरा में सीमेंट तथा सी०आई० चादरों की कमी	Shortage of Cement and C. I. Sheet in Tripura	120
1800	भारत रक्षा नियमों के अंतर्गत निषिद्ध हड़तालें	Strikes prohibited under D.I.R.	120
1801	अल्प वेतन पाने वाले सरकारी कर्म-चारियों को उचित कीमत पर उप-भोक्ता वस्तुओं की सप्लाई	Supply of consumer commodities to low paid Government Employees at Fair Price	121
1802	कारों के आयात पर रोक	Ban on import of Cars .	121
सभा पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table . .	122
भारतीय रेल (दूसरा संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित		Indian Railways (Second Amendment) Bill—Introduced . . .	126

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सदस्यों द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण (श्री अटल बिहारी वाजपेयी)	Personal Explanation by Members (Shri Atal Bihari Vajpayee) . .	127
मंत्री द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण (श्री डी० पी० धर)	Personal Explanation by Minister (Shri D.P. Dhar) . . .	127
मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव–अस्वीकृत	Motion of No-Confidence in the Council of Ministers—Negatived	128
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajit Yadav . .	128
श्री एस० ए० शमीम	Shri S.A. Shamim . . .	130
श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	131
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan .	133
श्री यशवंत राव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	136
डा० कर्णीसिंह	Dr. Karni Singh .	138
श्री अनन्त प्रसाद शर्मा	Shri A.P. Sharma .	140
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra . .	141
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram . .	144
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel . .	145
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H.K.L. Bhagat . .	147
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	148
श्रीमती माया राय	Shrimati Maya Ray . .	149
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi . .	151
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu .	155

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडु, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बांसरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनम्बी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एंगती, श्री बीरेनु (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरेना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन् (कासरगोड)
कतामुनु, श्री एम० (नागापट्टिनम्)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्णसिंह, डा० (उधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम्, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायर, श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढरपुर)
कांबले, श्री टी० डी० (लातूर)
काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नाशिक)
काहनडोल, श्री जैड० एम० (मालेगाव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)

कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैण्ड)
कोलाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कौपा, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन्, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन्, श्री एम० के० (पोन्नानि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नन्दुरबार)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव (बड़ौदा)
गायत्री देवी श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरौना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनोराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरीधर (कोरापुट)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोयेन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा बीरबासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्री यशवंतराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चावला, श्री अमरनाथ (दिल्ली सदर)
चिक्कलिंगय्या, श्री० के० (मांड्या)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (निल्लपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिब (बराहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (हौशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइनुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहानपुर)
जूल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एम० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जायनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झंझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तिरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूलचन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नांदेड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री के० एन० (बेतिया)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणी, श्री सी० टी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री रणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच विहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बलूर)
देव, श्री शंकर नारायण सिंह (वांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)

देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूमिया, श्री अनंत प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (केथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फुलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एम० टी० (भीर)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढंडुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (वलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री रामूभाई (दादरा तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पलोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पस्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय (राजनंद गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दोली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० बी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एम० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पार्णिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्रनगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्णन (मावलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एम० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढवाल)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द्र, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली, बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एम० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मुकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हमेन्द्र सिंह (भीरवाड़ा)
बड़े, श्री आर० पी० (खारगोन)
बरूआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)

बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बहुगुणा, श्री हेमवतीनन्दन (इलाहाबाद)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अलमोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकारलाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह, कोटा श्री (झालावाड़)
ब्रह्मनन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतन लाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ भंवर, श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन, श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीनराव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री मानसिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तयार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोंड्डा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री कमल मिश्र (केसरिया)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)
महाता, श्री देवेन्द्र नाथ (पुरूलिया)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिपी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री० के० डी० (डुमरियागन्ज)
मायावन, श्री वी० (चिदाम्बरम)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री एल० एन० (दरभंगा)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगुसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनतम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुर्मू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेनन, श्री वी० के० कृष्ण (त्रिवेन्द्रम)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)

मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पोलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (देवरकपुर)
मोहम्मद खुदा बख्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसुफ श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्र जीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानवेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेंद्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर सिंह, श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादूर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उमद सिंह (रायगढ़)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राधाकृष्णन्, श्री एम० (कुड्डलूर)
रामकंवर, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
रामदेव सिंह, श्री (महराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सुहोदराबाई (सागर)
राव, श्री मती वी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)
राव, श्रीनागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाडा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री डा० वी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोडंडा रानी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिन्हा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० वायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी श्री वी० एन० (निरायलगूड़ा)
रोहतगी, श्रीमति सुशीला (बिल्लौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)

लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर, बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी भाई, श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (कैरीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफल हक श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री रामसिंह भाई (इंदौर)
वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुट्टूकोटै)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुबय्या, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शंकर दयाल सिंह (चतरा)
शफकत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (वक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज़ खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय. श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुंझनू)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलौर)
शेर सिंह प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चंन्द्र (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्कादीव मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलिभाना, श्री (मिजोरम)
सांधी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री बसन्त (अकोला)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री एम० सी० (तामलुक)
सामिनाथन्, श्री पी० ए० (गोवीचे टिट्टपलयम)
साल्व, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आवला)

साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपूर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिन्हा, श्री० आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्यन्द्र नारायण (औरगांबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपूर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावेलु, श्री (मयुरम)
सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (कोजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, श्री स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजाबूर)
सोलंकी, श्री सोमचंद (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंदर)
स्वमीनाथन, श्री आर० वी० (मदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिल)

ह

हसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तया, श्री के० (बंगलोर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरी सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एम० ढिल्लों

ऊपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री के० एन० तिवारी

नरेन्द्र कुमार साल्वे

श्रीमती शीला कौल

डा० सेरदीश राय

श्री इरा सेझियान

महा सचिव

श्री शयामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री	श्री मती इन्दिरा गांधी
कृषि मंत्री	श्री फखरुद्दीन अली अहमद
वित्त मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
रक्षा मंत्री	श्री जगजीवन राम
विदेश मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री देवकान्त बरुआ
योजना मंत्री	श्री डी० पी० धर
गृह मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
रेल मंत्री	श्री ललित नारायण मिश्र
भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री	श्री टी० ए० पाई
संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामैया
संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
निर्माण और आवास मंत्री	श्री भोला पासवान शास्त्री
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नौवहन और परिवार मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री नीतिराज सिंह चौधरी
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मोहन धारिया
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी
संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरुल हसन
सिंचाई और विद्युत मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पंत
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० बी० राना
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	प्रो० शेर सिंह
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

उप-मंत्री

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री कोंडाजी बासप्पा
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुबोध हंसदा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० किस्कु
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वैंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बालगोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 22 नवम्बर, 1973/1 अग्रहायण, 1895 (शक)

Thursday, November 22, 1973/Agrahayana 1, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर चार मिनट पर समवेत हुई

The lok Sabha met at Four minutes past Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी अधिकारियों को आवंटित करने हेतु स्कूटरों का कोटा

*161. **डा० गोविन्द दास रिछारिया :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटरों के आवंटन के लिए केन्द्रीय सरकार की प्रतीक्षा सूचियों में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के लिये कितना कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) अब तक किस पंजीकरण संख्या और किस तारीख तक स्कूटर आवंटित कर दिये गये हैं और 31 अक्तूबर, 1973 को अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्रों की संख्या क्या थी ;

(ग) क्या वर्तमान कोटे में पिछले कई वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है; और

(घ) क्या सरकार का विचार कोटे में वृद्धि करने का है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ग) जी, नहीं। यह बढ़ा दिया गया है। इसमें अंतिम वृद्धि 1-4-1973 से की गई थी।

(घ) जी, नहीं। आगे और अधिक वृद्धि अपेक्षित नहीं है।

विवरण

श्रेणीवार नियत किया गया प्रति तिमाही कोटा		31-10-1973 तक किस अंतिम तिथि तक स्कूटर दिये गये	31-10-73 तक किस पंजीकरण सं० तक स्कूटर दिये गये	31-10-73 तक अनिर्णीत आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5
बजाज 150 स्कूटर				
श्रेणी	**प्रति तिमाही कोटा**			
निम्नलिखित मूल वेतन पाने वाले अधिकारी				
1. (900 रुपये और उससे अधिक) . .	180	15-2-1971	357/71	
2. (500 से 899 रु० तक इक्जीक्यूटिव) .	200	13-1-1971	21/71	
3. (510 से 899 रु० तक नान-इक्जीक्यूटिव)	550	28-2-1970	1588/70	
4. (300 रु० से 499 रु० तक, मंहगाई वेतन सहित-इक्जीक्यूटिव)	400	30-4-1969	2766/69	
5. (300 रु० और इससे अधिक, इसमें मंहगाई वेतन शामिल है संयुक्त सचिव और उससे उच्च अधिकारियों के निजी सहायक)	80	1-1-1972	4/72	
6. (चिकित्सक) .	80	10-1-1972	38/72	
7. (350 रु० से 499 रु० तक, इसमें मंहगाई वेतन शामिल है नान-इक्जीक्यूटिव) .	860	1-3-1969	6060/69	
लम्ब्रेटा स्कूटर				
1. (900 रुपये और इससे अधिक)	100	25-2-1972	231/72	
2. (500 से 899 रु० तक इक्जीक्यूटिव) . .	90	1972 अध्यतन सूची	343/72	
3. (500 से 899 रु० तक नान-इक्जीक्यूटिव) .	350	28-2-1972	1367/72	

1	2	3	4	5
4. (300 से 499 रु० तक, इसमें महंगाई वेतन शामिल है)	230	8-2-1972	187/72	1,04,668
5. (300 रु० और इससे अधिक इसमें मंहगाई वेतन शामिल है— संयुक्त सचिव और उससे उच्च अधिकारियों के सहायकों के लिये)	15	1972 अध्यतन सूची	21/72	
6 (चिकित्सक) . .	25	1972 अध्यतन सूची	77/72	
7. (350 रु० से 499 रु० तक इसमें मंहगाई वेतन शामिल है– नान-इक्जीक्यूटिव) .	500	1-4-1970	2267/70	

Dr. Govind Das Richhariya : Whether Government propose to increase the quota of the categories in which more applications are pending?

The other point is this that whether you would consider to increase the scooter quota of employees belonging to low and middle income groups, as scooter is one of the means of transport for them.

Shri Dalbir Singh : At present there is no proposal to increase the quota, because its production is not sufficient to increase its quota for future.

So for as its availability is concerned, in the present circumstances, it would take some time, as the production is limited.

Dr. Govind Das Richhariya : Whether you propose to consider the proposal for increasing the quota for the categories of which more applications are pending?

Shri Dalbir Singh : No, Sir.

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : कुल अनिर्णीत आवेदन पत्रों की संख्या लगभग 1.04 लाख है। पहले ही केन्द्रीय सरकार तथा विशेष कोटा आदि के लिये 45 प्रतिशत निर्मित स्कूटरों के कोटे को रख दिया गया है। जब तक उत्पादन नहीं बढ़ जाता, तब तक जनता को उसके कोटे के हिस्से से वंचित करना अनुचित होगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether it is a fact that there is shortage of scooters in our country in comparison to its demand. Keeping in view this factor whether the Government propose to consider the proposal of setting any new industry in any sector, so as to meet its demand fully?

What policy has been adopted by Govt. to make available the scooters to the employees in a shorter period as compared to the time consumed in supplying the scooters at present.

श्री टी० ए० पाई : इस समय उत्पादन क्षमता 54,000 प्रति वर्ष की है। किन्तु तीन कारखानों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिये कहा गया है। ए० पी० आई० और बजाज के मामले में यह वृद्धि

24 से 48 हज़ार हो जायेगी तथा एस्कोर्टस के मामले में यह वृद्धि 6 से 24 हजार हो जायेगी। 4,73,000 स्कूटर प्रति वर्ष बनाने के लिए क्षमता स्थापित करने के लिये गैर सरकारी फर्मों तथा राज्य औद्योगिक विकास निगमों को आशय पत्र प्रदान किये गये हैं। इस के अतिरिक्त सरकार लखनऊ में लम्ब्रेटा स्कूटरों के निर्माण के लिये भी एक परियोजना स्थापित कर रही है जिसकी निर्माण क्षमता एक लाख की होगी और हमें आशा है कि 1973-74 के अन्त तक एक लाख स्कूटरों का उत्पादन होने लगेगा। हमने राज्य विकास निगम को भी हमारे साथ सहयोग करने के लिये प्रोत्साहित किया है, ताकि उसी अवधि के दौरान हम अन्य एक लाख स्कूटरों का उत्पादन करने में समर्थ हो जायें। हमें आशा है कि पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक कुल उत्पादन बढ़ कर 4 लाख स्कूटरों का होने लगेगा। मुझे आशा है कि इससे मांग की पूर्त्ति हो जायेगी। किन्तु यदि इस बीच पेट्रोल की कमी बढ़ जाये और लोग कारों की बजाय स्कूटरों का उपयोग अधिक करने लग जायें, तो मुझे भय है कि मांग और भी बढ़ सकती है।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या मैं यह जान सकता हूं कि देश भर में राज्य सरकार और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों और चिकित्सकों को स्कूटरों का आवंटन करने के संबंध में सरकार किस नीति का पालन कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका पहले ही उत्तर दिया जा चुका है। इस बात का उल्लेख विवरण में भी किया गया है।

श्री टी० ए० पाई : प्रति वर्ष राज्य सरकार का कोटा बजाज स्कूटर लिमिटेड के 1800 स्कूटरों तथा लम्ब्रेटे के 26,00 स्कूटरों का है। जहां तक चिकित्सकों तथा नर्सों का संबंध है, जिन्होंने देश की सेवा में बहुत शीघ्र जाना होता है, जैसा कि मैंने कहा है कि इस के अतिरिक्त 5 प्रतिशत का विशेष कोटा दिया गया है।

Shri Ramavatar Shastri : Whether it is a fact that many people have been purchasing scooters in the black-market by paying between Rs. 800/- to Rs. 1000/- in addition to the price fixed by the Government, if so, what steps have been taken by Govt. to check it.

श्री टी० ए० पाई : थोड़े से ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां लोगों ने अपने स्कूटरों को अवैध रूप से बेच दिया हो। किन्तु मुझे ऐसी आशा नहीं है कि इसकी प्रतिशतता बहुत ही अधिक हो, क्योंकि इसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता और इसे आवंटन पाने वाले व्यक्ति के नाम पर रखा जाना होता है। यदि कुछ ऐसे उदाहरणों अथवा किन्हीं मामलों को हमारे ध्यान में लाया जाये, तो हम उनकी जांच करेंगे।

श्री वसंत साठे : श्रीमान जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में स्कूटरों का निर्माण करने वाले कारखाने में कब से उत्पादन होने लगेगा और इसकी क्षमता क्या है ?

श्री टी० ए० पाई : आशा है कि अगस्त 1974 में उत्पादन होने लगेगा और इसकी क्षमता एक लाख स्कूटरों के निर्माण करने की है।

श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके ध्यान में ऐसे मामले आये हैं जहां कारखाने अपनी स्थापित लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक स्कूटरों का उत्पादन कर रहे हैं ? यदि हां, तो कितना अधिक उत्पादन किया जा रहा है ?

श्री टी० ए० पाई : उन्हें अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से 25 प्रतिशत अधिक उत्पादन करने की अनुमति होती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किन्तु वे अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से काफ़ी अधिक स्कूटरों का उत्पादन कर रहे हैं।

श्री टी० ए० पाई : मेरी जानकारी में इस बात को नहीं लाया गया है कि वे अपनी क्षमता से काफ़ी अधिक स्कूटरों का उत्पादन कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य मेरी जानकारी में इसे लायेंगे, तो मैं इसकी जांच कराऊंगा।

भारत में सिंध तथा छम्ब से आये शरणार्थी

*163. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सिंध तथा छम्ब से आये 1,00,000 शरणार्थियों के बारे में अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) शिमला समझौते के पश्चात् पत्र व्यवहार होने पर पाकिस्तान ने भारत को यह सूचना दी थी कि दिसम्बर, 1971 के युद्ध के उपरान्त सिन्ध के विस्थापित पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को वह वापस लेने के लिए तैयार है।

छम्ब क्षेत्र के विस्थापित लोगों का मामला भिन्न है। वे भारतीय राष्ट्रिक हैं जो नियंत्रण रेखा के सीमांकित होने के बाद विस्थापित हो गए हैं क्योंकि इस सीमांकन के बाद छम्ब का क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में चला गया है।

श्री बनमाली पटनायक : कितने शरणार्थी अब तक सिन्ध वापिस जा चुके हैं और कितने शरणार्थी अभी तक भारत में हैं? क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या उन में कुछ शरणार्थियों ने पाकिस्तान वापिस जाने से भी इंकार कर दिया है? यदि हां, तो इसके प्रति भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उनके पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : प्रथम अगस्त 1973 को सिन्ध से आये राजस्थान में लगभग 51,359 शरणार्थी तथा गुजरात में लगभग 9,582 शरणार्थी थे। राजस्थान से 8,044 शरणार्थी पाकिस्तान वापिस चले गये हैं। गुजरात से लगभग 2,800 शरणार्थी वापिस जा चुके हैं। यह संख्या बहुत कम है किन्तु तथ्य यह है कि उन्होंने धीरे-धीरे वापिस जाना शुरू कर दिया है। एक समाचार के अनुसार पाकिस्तान के हालात सामान्य होते जा रहे हैं। जब तक लोगों के मन में विश्वास न पैदा हो जाये, तब तक वे पाकिस्तान वापिस जाने के लिये तैयार नहीं हो रहे हैं।

श्री बनमाली पटनायक : छम्ब क्षेत्र से विस्थापित हुये शरणार्थियों के बारे में क्या स्थिति है और सरकार ने उन का पुनर्वास करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : लगभग 18,000 व्यक्ति छम्ब क्षेत्र से विस्थापित हुये हैं और अब जम्मू तथा काश्मीर में उनके पुनर्वास के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, it is very sad that the Hon'ble minister is granting here a certificate to Pakistan, whereas he has got no knowledge about the conditions prevailing in Pakistan. Whether the Hon'ble minister is aware of the fact that the people, who have gone back to Pakistan have said that they went back because they were treated in India like animals and they knew fully that there was risk of their being converted. Letters have also been received from them in which it has been stated that they have committed a mistake by going back to Pakistan and they have advised other refugees that they should not try to go back to Pakistan?

Shri Surendra Pal Singh : Mr. Speaker, Sir, It is very sad that the Hon'ble member has said that the refugees arenot being treated well in India. It is totally wrong. We are treating them well . . . .

Shri Atal Bihari Vajpayee : I had seen myself. Whether you have gone there, those people are dying from cold.

Mr. Speaker : Why are you so much excited? You can ask in a low voice.

Shri Surendra Pal Singh : They are being treated well. Facilities are given to them and food, cloth and some allowance etc. are being provided to them. It is wrong to say that they are being forced to go back to Pakistan. As I have already said that these people are going back in small groups. It shows that such conditions are being created, so that they may go back. I know that they are not going back in large numbers, as still Pakistan has to do so much, but we hope that Pakistan is fully responsible to take them back and it will have to create such conditions so that their refugees are able to go back.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I had asked whether the Hon'ble minister was aware that the religion of those persons, who had gone back to Pakistan, is being converted and they have sent such kinds of reports to the displaced persons, residing in India.

Shri Surendra Pal Singh : We have not received any such report. I want to tell the Hon'ble member that the refugees had been going back to Pakistan in very small groups. If anything like this had happened, those people would have come back and other people would not have gone there.

Shri Nathu Ram Mirdha : Mr. Speaker, Sir, Shri Vajpayee has stressed upon this that whether Hon'ble minister has gone there? I know everything about the refugees in Pakistan. Whatever he has told is not correct. This is also wrong that injustice is being done to them. His only question is that whether there is any proposal to rehabilitate those persons permanently here who do not want to go back? This is his burning question. It is wrong that injustice is being done to them and their religion is being converted. So I want to know that the people who are still in Barmer, Jalaur and Pali areas and do not want to go there . . . .

Shri Atal Bihar Vajpayee : What is the reason that they don't want to go back?

Shri Nathu Ram Mirdha : They thought it better to remain here, so they don't want to go back to Pakistan, whether you want them to be rehabilitated here....

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि इस ढंग से प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिये। उन्हें एक सीधा प्रश्न पूछना चाहिये । उन्हें स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिये जोकि शायद हमारी सरकार की नीति नहीं है। मेरे विचार में इसे कार्यवाही का भाग नहीं बनाया जायेगा।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : कौन से भाग को ?

Mr. Speaker : That part for which you are giving explanation.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : यदि कोई व्यक्ति सरकार की वर्तमान नीति से सहमत न हो तो उसके कथन को कार्यवाही के भाग के रूप में नहीं लिया जायेगा।

Mr. Speaker : How will citizenship, nationality etc. go on record ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, why will this not go on record?

श्री जगन्नाथ राव जोशी : सरकार की नीति के साथ हमारा व्यापक मतभेद हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिये । उन्हें ही नहीं बोलते रहना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, whether it is unparliamentary? Is whatever Shri Nathu Ram Mirdha said, unparliamentary?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, यह असंसदीय नहीं है ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Then on what basis you are saying that it will not go on record?

Mr. Speaker : No, some things like citizenship etc.

Shri Madhu Limaye : Then, Sir . . . .

(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : यदि इसे कार्यवाही का भाग बना दिया जाये, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को किसी अन्य कारण से बता रहा हूं कि इसे कार्यवाही का हिस्सा न बनाया जाये। यदि माननीय सदस्य ऐसा नहीं सोचते हैं, किन्तु इसे कार्यवाही का भाग बनाना उचित समझते हैं, तो इसे कार्यवाही का भाग समझा जाये। मैं उसके लिये तैयार नहीं हूं । अब श्री मिर्धा को सीधा प्रश्न पूछना चाहिये।

Shri Nathu Ram Mirdha : Whether any proposal is under the consideration of the Government to grant Indian citizenship to those refugees, who have not gone back to Pakistan?

Shri Surendra Pal Singh : This question does not arise.

Shri Madhu Limaye : Why ?

Shri Surendra Pal Singh : Because Pakistan has taken responsibility for taking them back and she has also promised to create such conditions so that these people may be able to go back. The representatives of Pakistan came here thrice or four times and they had talks with the refugees here. We are trying to persuade them to go back. As a result thereof, some refugees, have already gone back to Pakistan and they have not come back to India again. We hope that Pakistan would create conditions for their return to that country as they are their citizens and they have to go back.

श्री हरि किशोर सिंह : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या शिमला सम्मेलन के बाद भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हुए विभिन्न सम्मेलनों में सिन्ध और छम्ब से आए शरणार्थियों की इस समस्या को उठाया गया था और उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैं समझता हूं कि मैं इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूं । पाकिस्तानी प्रतिनिधियों से हमें जब भी भेंट करने का मौका मिला, उन सभी अवसरों पर इस प्रश्न को उठाया गया था और जैसा कि मैंने पहले बताया, पाकिस्तान ने हमें यह आश्वासन दिया है कि यह उनकी जिम्मेदारी है और वे उनके नागरिक हैं और वे पाकिस्तान में वापस ले लिए जायेंगे।

श्री हरि किशोर सिंह : इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

Shri Madhu Limaye : He has stated in a part of his answer that the persons displaced from Chhamb are Indian citizens and we would bear their responsibility. But he has not stated as to what measures have so far been taken for their rehabilitation?

So far as Pakistani nationals displaced from Sind are concerned, I would like to know as to how could it be believed that these persons would be taken back, when they are not prepared to take back the people from Bangladesh....

An honourable member : They at least say to take them back.

Shri Madhu Limaye : They might say so many things, but it is a fact that they are not prepared to take back even people in Bangladesh who are willing to go to Pakistan. If they do not take them back and the people do not want to go back, would you send them back forcibly and whether there is any such scheme? If they are not to be sent back forcibly, what measures are proposed to be taken for their rehabilitation.

Shri Surendra Pal Singh : So far as refugees from Sind are concerned, if there was a question of sending them forcibly, they could have been sent long ago. It is a humane question. It is not possible. But efforts are being made....

Shri Madhu Limaye : Every thing is possible.

Shri Surendra Pal Singh : For you also it is possible to say any thing.

Shri Madhu Limaye : If compelled, I would tell what they can do.

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह सलाह देना चाहूंगा कि जब आपने सवाल पूछा है, तो शान्तिपूर्वक उत्तर को सुनें । मगर आप रोजाना ही ऐसा करते हैं । यह ठीक नहीं है । वह उत्तर देने जा रहे हैं । परन्तु बीच में अनेक बार खड़े होकर आप टोकाटाकी करते हैं । आपके भाषण के बीच वे टोकाटाकी नहीं करते। आप क्यों उनके भाषण के बीच व्यवधान उपस्थित करते हैं ?

Shri Madhu Limaye : Do they not interrupt me? You kindly see the records. The record would prove that they do not allow me to speak even a single sentence. uninterrup tedly.

अध्यक्ष महोदय : क्या इसीलिए आप भी यह सब कर रहे हैं? आपको सुनने का धैर्य रखना चाहिए । मैं आपको देख रहा हूं कि पिछले तीन चार दिनों से आप ऐसा कर रहे हैं ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Yesterday you were not here. These people harassed me very much.

श्री बसन्त साठे : प्रत्येक प्रश्न पर वह सरकार के विरुद्ध आरोप लगाते हैं । यह किस प्रकार का सवाल है? आपने कहा कुछ भी कर सकते हैं। यह तो आरोप हुआ कोई सवाल तो नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : जब अन्तर्बाधाएं शुरू हुई थीं, तो प्रारम्भ में ही मैंने सदन से अपील की थी। वे मेरे सुझाव से सहमत भी थे । मुझे आशा है कि आप फिर इसे शुरू नहीं करेंगे।

Shri Madhu Limaye : The proper reply should be furnished to the questions.

अध्यक्ष महोदय : आपमें दूसरों को सुनने का धैर्य होना चाहिए। आपको मौका दिया गया था। सारा दिन—रोज ऐसा करके जाते हैं। रात को आठ बजे जाते हैं। रात को फिर रिफिलिंग हो जाता है।

Shri Surendra Pal Singh : It is not our intention to send them back forcibly. As they are Pakistani nationals, we are trying to create such conditions after negotiations

with Pakistan under which these people could go back respectfully and they could have guarantee of their security. If that is done, they would go of their own accord. They would not be sent back forcibly. This is a humane problem. We have full sympathy with them. We are doing everything possible for them.

So far as refugees from Chhamb are concerned, I have already said in my reply that their issue is a separate question. They are our citizens. They do not belong to any other country. We have to bear their full responsibility and we have to rehabilitate them and look after them. I have said that this is being done and the Ministry of Rehabilitation is busy doing that. I do not have much of the details. I can only say that plans for their rehabilitation have been formulated and they are being implemented and their requirements are being met.

Shri Madhu Limaye : Has he replied my question? Did you reprimand him?

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे रोजाना इस प्रकार सलाह मत दीजिये।

Shri Madhu Limaye : When he is replying, I do not interrupt him. But when he gives a wrong answer, I would certainly interrupt. You kindly reprimand him.

अध्यक्ष महोदय : अगर आप उत्तरों से सन्तुष्ट नहीं हैं तो उसके लिए प्रक्रियाएं हैं। मगर इसका यह तरीका नहीं है।

Shri Madhu Limaye : It does not happen in any other House.

अध्यक्ष महोदय : अगर सदस्य उत्तरों से सन्तुष्ट नहीं है और यह महसूस करते हैं कि उत्तर गलत हैं, तो उसके लिए प्रक्रिया है । वे इस प्रकार चिल्ला नहीं सकते।

Shri M. Ram Gopal Reddy : Even after 25 years of experience, if the honourable Minister thinks that the Hindus would be secure after they go back to Pakistan, it is innocence. When lacs of Kabulis and Iranis are here and are sucking our blood, can you not rehabilitate a handful of Hindus.

Shri Surendra Pal Singh : I have already replied that. It is not the policy of the Government to compel them to go back to Pakistan. But it is the responsibility of Pakistan. We are trying to create such conditions so that they may go back. But till they are in India, we are looking after them.

Shri Jagannath Rao Joshi : Mr. Speaker, Sir ....

Mr. Speaker : Shri Vajpayee has already spoken.

Shri Jagannath Rao Joshi : I am waiting for quite some time.

Mr. Speaker : You do not sit down, when you get up.

Shri Jagannath Rao Joshi : It is your responsibility to rehabilitate the displaced persons from Chhamb. They were displaced in 1971 and now it is 1973. Two years have already passed. Is it not a fact that they had obstructed the military convoy and had expressed their resentment? I would like to know as to what concrete steps have been taken by the State Government to rehabilitate them and how much interest have you taken in this work and have you visited them?

Shri Surendra Pal Singh : I do not have details with me. But we have taken keen interest in it. We are bearing all the expenses. The schemes have been drawn up. The difficulty is that he is asking for the details which I do not have with me. The Ministry of Rehabilitation is rehabilitating them. If you want the details, I would get the details and furnish them.

Shri Jagannath Rao Joshi : I would like to know whether they had stopped the military convoy and expressed their resentment or not? The question relates specifically to the refugees from Chhamb and Sind. He must come prepared.

Shri Surendra Pal Singh : I do not understand what is the objection of the honourable Member. I have furnished the figures regarding refugees. I have also explained as to what steps are being taken for their rehabilitation. We are bearing all their expenditure. The State Government and the Union Rehabilitation Ministry have formulated certain Plans and these are being implemented. Now they want the details, which I do not have with me at present. These could be furnished later on.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : प्रश्न निश्चित रूप से छम्ब और सिन्ध से संबंधित है । उन्हें उत्तर के लिए तैयार होकर आना चाहिए।

श्री था किसतिनन : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय के उत्तर को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि विस्थापित व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने के बारे में सरकार की क्या नीति है, भले ही वे पाकिस्तान, बर्मा अथवा श्रीलंका से आये हों।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपने को वर्तमान प्रश्न तक ही सीमित रखें। इस प्रश्न के दायरे को व्यापक मत बनाइए । यह प्रश्न छम्ब और सिन्ध के बारे में है। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, मन्त्री महोदय पहले ही नीतियों को स्पष्ट कर चुके हैं। श्रीलंका और बर्मा पूर्णतया: अलग हैं। वे अलग हैं और इस प्रश्न के दायरे से बाहर हैं।

यूरोप तथा जापान की तुलना में भारत में इस्पात की अधिक-उत्पादन लागत

*165. **श्री एम० सुदर्शनम् :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप के देशों तथा जापान की तुलना में भारत में इस्पात की प्रति मीटरी टन उत्पादन लागत सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस लागत को कम करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रश्न की जांच करने हेतु विशेषज्ञ समिति गठित करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : इस प्रश्न के द्वारा मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता था कि क्या हमारे देश में इस्पात की कीमत अन्य देशों की इस्पात की कीमत के बराबर है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : अन्य देशों में इस्पात की उत्पादन-लागत इस अर्थ में आसानी से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हरेक देश और हरेक संयन्त्र में इसकी उत्पादन-लागत में फर्क होगा। मगर यह तथ्य है कि भारत इस्पात का उत्पादन काफी सस्ती लागत कीमत पर कर सकता

था, क्योंकि यहां लौह अयस्क और कोककारी कोयला उपलब्ध है, जबकि अन्य देशों को किसी न किसी चीज का आयात करना पड़ता है । हमारी पूंजी लागत काफी अधिक है । सरकारी क्षेत्र के कारखाने होने के कारण, इन कारखानों को सामाजिक मूल ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है जैसे अधिक संख्या में आवास उपलब्ध करना, आदि । इसके परिणामस्वरूप पूंजी लागत काफी अधिक हो जाती है । उत्पादन लागत कारखाने की क्षमता के अधिकतम उपयोग से भी संबंधित होती है और अफसोस की बात है कि कुछ संयंत्रों में क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जाता और इसलिए अन्य देशों के उन कारखानों के साथ उत्पादन लागत की तुलना नहीं की जा सकती, जहां पूरी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : अगर काफी मात्रा में कोयला और लौह अयस्क उपलब्ध हैं, तो फिर क्या परेशानी है? वे क्षमता का कम उपयोग क्यों कर रहे हैं?

श्री टी० ए० पाई : भिलाई में 85 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा है । मुझे उम्मीद है कि बोकारो में उत्पादन शुरू होने पर वहां क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जायगा । रूरकेला में 65 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है । दुर्गापुर में इस साल सुधार दिखाई दे रहा है और 51 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा है व इनमें से कुछ संयंत्रों में, अनेक वर्षों में क्षमताओं में परिवर्तन हो चुका है और अब यह सम्भव नहीं है कि जिस किस्म के कच्चे माल की सप्लाई उन्हें की जाने की योजना थी, उस किस्म का कच्चा माल उन्हें सप्लाई किया जाय । इसलिए उपकरणों के उपयोग में सन्तुलन रखना भी आवश्यक हो जाता है जिससे संयंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । इन सभी समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है । इस समय तात्कालिक समस्या निश्चित रूप से यह है कि पर्याप्त मात्रा में कोककारी कोयले और बिजली की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाये ताकि वर्तमान उत्पादन को कायम रखा जा सके।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या यह सच नहीं है कि भारत के इस्पात उद्योग के कर्मचारियों को विश्वभर में सबसे कम वेतन मिलता है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में से यह सवाल कहां उठता है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : उत्पादन लागत कम होने का कारण कम वेतन हैं . . . (**व्यवधान**)

श्री टी० ए० पाई : मेरे विचार में अन्य देशों की कीमतें, भारत की वेतन की सामेक्षिक कीमतों की तुलना में काफी अधिक हैं । अपने इस्पात संयंत्रों को श्रम-प्रधान बनाने की दृष्टि से हम अपने इस्पात संयंत्रों में सामेक्षिक रूप से अधिक संख्या में लोगों को तैनात कर रहे हैं । इसलिए वेतन अथवा उत्पादन-लागत की तुलना करना सम्भव नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : अगर भारत में इस्पात की उत्पादन-लागत उसी प्रकार से बढ़ती रही, जिस प्रकार से इस समय बढ़ रही है, तो क्या इंजीनियरी सामान के निर्माण की उत्पादन-लागत में भी वृद्धि नहीं हो जायगी, जिससे भारत सरकार को निर्यात किये जाने वाले सामान पर राज सहायता देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और क्या इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भारी नुक्सान नहीं होगा ?

श्री टी० ए० पाई : आयातित इस्पात की लागत, हमारे यहां का सीमा शुल्क वगैरह सब मिलाकर लगभग 4000 रु० प्रति टन पड़ेगी जो हमारे यहां के नये इस्पात संयंत्र में प्रति टन क्षमता के बनाये जाने पर होने वाले पूंजीगत, लागत व्यय से कुछ ही अधिक होगी । इसलिए, अगर सारे संसार में इस्पात

की कीमत में वृद्धि हो रहीं है, तो यह अपरिहार्य है कि हमारे देश में भी इसमें वृद्धि होगी। अगर इंजीनियरी सामान के निर्यात पर राजसहायता दी ही जानी है, तो मुझे उम्मीद है कि राजसहायता की राशि में काफी कमी होगी, क्योंकि अन्य देशों में भी इस्पात की कीमत में वृद्धि हो जायगी।

श्री दामोदर पाण्डे : मंत्री महोदय ने कहा है कि हमारे इस्पात संयंत्रों की उत्पादन-लागत काफी वाजिब है और केवल कम उत्पादन की वजह से ही लागत में वृद्धि हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उपलब्ध क्षमता की तुलना में इस्पात संयंत्रों में किन बाधाओं के कारण कम उत्पादन हो रहा है, जबकि उच्च-स्तर का लौह अयस्क, कोककारी कोयला और लाइम स्टोन जैसा सभी प्रकार का कच्चा माल उपलब्ध है और सभी इस्पात संयंत्र कच्चे माल के उपलब्ध होने के स्थानों के निकट ही स्थापित हैं ?

श्री टी० ए० पाई : एक अन्य बात भी है और वह है अन्य देशों की तुलना में जहां इस्पात संयंत्रों का निर्माण काफी तेजी से हो जाता है, हमारे यहां इस्पात संयंत्रों के निर्माण में काफी समय लगना। इससे भी पूंजीगत लागत व्यय में कमी आती है। पिछले अनुभव से लाभ उठाते हुए, जहां तक नये कारखाने के निर्माण का प्रश्न है, हम इस प्रकार की कार्यवाहीं करना चाहेंगे। हमारे किसी भी इस्पात संयंत्र पर पूंजीगत लागत 2000 करोड़ रुपये से कम नहीं आई है जबकि जापान में यह लागत व्यय 1500 करोड़ रुपये से भी कम रहा है। यह सच है कि हमारे पास कोककारी कोयला है, परन्तु मैं इस बारे में मैं पूर्णतः आश्वस्त नहीं हूं कि यह सबसे बढ़िया किस्म का है। क्योंकि जापान में 2000 टन मीटर धमन भट्टी से उन्हें 5,000 टन कच्चा लोहा मिल जाता है जबकि हमें सिर्फ 3000 टन कच्चा लोहा ही मिल पाता है और कुछ मामलों में तो यह केवल 1500 टन ही होता है। हमें अपने यहां के लौह अयस्क और कोयले की मदद से अधिकतम उत्पादन करने के लिए काफी तकनीकी सुधार करने पड़ेंगे और काफी अनुसंधान कार्य करना होगा।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : सरकार ने इस बात का खडंन किया है कि यूरोप अथवा जापान की तुलना में भारत में इस्पात की उत्पादन-लागत अधिक है। सरकार इस बात में किस प्रकार संगति बिठायेगी कि जापान इस देश से लौह अयस्क का आयात करता है, रेल का किराया और जहाज का भाड़ा देता है, समुद्र में 6,000 या 7,000 मील लौह अयस्क को ढोकर ले जाता है और विश्व की मण्डियों में फिर भी हमें पछाड़ देता है ?

श्री टी० ए० पाई : जापान इस्पात के मामले में ही ऐसा करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि कपड़ों के मामले में भी वह हमसे आगे है, क्योंकि वहां इन समस्याओं का समाधान करने के लिए काफी मात्रा में विज्ञान और प्रोद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। उनकी पहुंच श्रेष्ठतम लौह अयस्क, श्रेष्ठतम किस्म के कोयला और सर्वश्रेष्ठ नौवहन सुविधा तक है जिसकी वजह से वे अपने उत्पादों का सस्ती लागत पर उत्पादन कर सकते हैं।

Prices of Coal fixed after Nationalisation

*166. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether immediately after the nationalisation of the Coal Mines the Joint Action Committee of Coal Industry announced the prices of various categories of coal;

(b) if so, the prices of various categories of coal;

(c) whether these prices were accepted by Government consumers like Railways and power generating units; and

(d) if so, the date from which they started making payment according to these rates?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व विभिन्न प्रकार के कोयले के गर्त्त–मुख मूल्य संबंध विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। राष्ट्रीयकरण के बाद भी वही मूल्य लिए जाते रहे हैं।

(ग) रेलवे तथा अनेक बिजली बोर्डों द्वारा दत्त मूल्य राष्ट्रीयकरण के समय विद्यमान करारों की शर्तों के अनुसार तय किए गए है।

(घ) कोयला खान प्राधिकरण द्वारा सभी उपभोक्ताओं के बिल अधिसूचित मूल्य पर बनाए जाते हैं और प्रचलित समझौते में विहित समायोजन के अनुसार उनसे उन्हीं दरों पर भुगतान करने के लिए कहा जाता है। उसे अधिकतर मामलों में अधिसूचित मूल्य पर ही भुगतान मिलता रहा है तथा पुराने समझौते के अनुमोदन के साथ जहां–कहीं जरूरी होगा आवश्यक समायोजन कर लिया जाएगा।

1 दिसम्बर, 1972 से लागू कोयला मूल्य

बंगाल–बिहार कोयला क्षेत्र

कोयला ग्रेड	स्टीम	कोयला पूर्ण
	रु०	रु०
बढ़िया––क	48.00	47.00
बढ़िया––ख	45.00	42.00
ग्रेड–– I	42.00	39.00
ग्रेड–– II	38.00	35.00
ग्रेड––IIIक	35.89	32.62
ग्रेड––IIIख	34.74	31.45
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में स्थित बहिवर्ती कोयला क्षेत्र		
बढ़िया	46.50	44.50
ग्रेड–I	44.25	41.25
ग्रेड––II	42.25	39.25
ग्रेड–III	41.25	38.25

Shri Phool Chand Verma : The prices of various categories of coal have definitely been increased after nationalisation. May I know the reasons for increasing the prices?

श्री सुबोध हंसदा : यह सच है कि हमारे पास विभिन्न किस्मों का कोयला है। जैसाकि मैंने अपने उत्तर में बताया है, मुहानों पर मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई ह। परन्तु दुर्भाग्य से देश के शेष भागों में कोयले का मूल्य बढ़ गया है क्योंकि कुछ बेशर्म व्यापारियों ने देश में कोयले की सप्लाई में कमी का अनुचित लाभ उठाया है। मूल्य वृद्धि का एक कारण यह भी है।

Shri Phool Chand Verma : The hon'ble Minister has admitted that some traders have taken advantage of non-availability of coal. There is large scale bungling in distribution of coal in Delhi. The traders are selling coal in black-market and the common man is not in a position to get coal. May I know the steps taken to remedy the situation so that the common man may be able to get coal at reasonable price?

श्री सुबोध हंसदा : हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वे अपने राज्यों में विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर कोयले के भण्डार बनायें । कोयला खनन प्राधिकार कोयला भण्डारों को कोयला सप्लाई करेगा और राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है कि वे वहां से सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से कोयले का वितरण सुनिश्चित करें।

Shri Phool Chand Verma: May I know the steps taken to streamline the distribution system and action to be taken against the traders who are standing in the way of implementation of his plans?

श्री सुबोध हंसदा : इस विषय पर राज्य सरकारों को विचार करना चाहिये।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने कुछ समय पूर्व कहा था कि विद्युत्त उत्पादन एककों को कुछ ठेकों के अधीन कोयला बेचा जाता है । अब बिहार बिजली बोर्ड और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के बीच 31 मार्च को ठेका समाप्त हो गया था। ठेके में 27 रुपये प्रति टन के हिसाब से कोयला बेचने की व्यवस्था थी। परन्तु, नवम्बर के महीने में भी राष्ट्रीय कोयला विकास निगम बरौनी को 27 रुपये प्रति टन की दर से कोयला सप्लाई कर रहा है। उस ठेके का नवीकरण नही किया गया। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने उसको गिरिडीह में कुछ कोयला क्षेत्र न खोलने का बहाना बनाया है ताकि रोजगार क्षमता तुरन्त बढ़ सके।

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि बन्द खान खोली जा सकती हैं और उनमें अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। यदि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने इस बात के बावजूद बिजली बोर्डों को कोयले के मूल्य में वृद्धि नहीं की कि ठेका समाप्त हो गया था, तो इसका कारण यह है कि अभी मूल्य बढ़ाने का विचार नहीं है । माननीय सदस्य ने बन्द कोयला खानों के बारे में जो अन्य बातें कहीं हैं, उन पर अलग से विचार किया जायेगा क्योंकि हम कोयले का उत्पादन बढ़ाने के बारे में चिन्तित हैं ।

श्री जगन्नाथ राव : वर्ष 1970-71 और 1971-72 से 3 रुपये प्रति टन के हिसाब से कोयले के मूल्य में वृद्धि की जा रही है । एक बार रेल मंत्री ने बताया था कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को, जोकि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, घाटा हो रहा है और इसी लिये मूल्य में वृद्धि की गई है। क्या सरकार कोयले के मूल्य में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को घाटा होने के कारण ही वृद्धि न करने पर विचार करेगी ?

श्री टी० ए० पाई : मेरे विचार में प्रत्येक व्यक्ति इस बात पर सहमत होगा कि यदि किसी एकक विशेष की उत्पादन-लागत मूल्य से पूरी नहीं होती और हम से कहा जाता है कि हम किसी अन्य को बेचें ताकि हम लाभ अर्जित कर सके तो इसके लिए किसी न किसी स्रोत से सहायता देनी होगी और चाहे यह दो सरकारी उपक्रमों का मामला हो, उन दोनों को कुशलता से काम करना होगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know the details of the unscrupulous traders who have increased the prices of coking coal and the action taken against them?

श्री सुबोध हंसदा : राज्य सरकारों के पास उनकी सूची है, हमारे पास नहीं।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know the number of such traders in Delhi?

Mr. Speaker : When he has given reply with regard to states, how can you ask the question about Delhi ?

एम० ई० एस० के फालतू कर्मचारी

*170. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा बजट में कटौती होने के कारण सारे देश में हजारों एम० ई० एस० कर्मचारियों को फालतू घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एम० ई० एस० के कार्य-भार में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या आल इन्डिया डिफेंस एम्पलाईज फेडरेशन ने रक्षा मंत्रालय के साथ इस मामले पर बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर रक्षा मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां, श्रीमन् । अब तक लगभग 1300 दैनिक कर्मचारियों को फालतू घोषित किया जा चुका है । एम० ई० एस० के श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के फालतू घोषित किये जाने वाले कर्मचारियों का संख्या लगभग 8000 है ।

(ख) जी नही श्रीमन् । स्रोतों पर दबाव के कारण रक्षा बजट में हुई भारी कमी के कारण कार्य-भार में वस्तुतः कमी हुई है ।

(ग) जी हां, श्रीमन् ।

(घ) वित्तीय अभाव के कारण निर्माण कार्यक्रम में हुई कमी के कारण कर्मचारियों को फालतू घोषित करना पड़ा है। तथापि छटनी किये गए कर्मचारियों को भविष्य में कार्य-भार में वृद्धि होने पर पुनः नियुक्त किये जाने की सम्भावनाओं पर क्या सम्भव रूप से विचार किये जाने का प्रस्ताव है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे पता चला है कि एम० ई० एस० के छटनी किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या 11,000 है और यह ऐसे समय पर की जा रही है जब रक्षा मंत्री ने जालन्धर में हाल ही में स्पष्ट घोषणा की है कि रक्षा बजट में कोई कटौती नहीं की जायेगी । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कर्मचारी संगठन ने सरकार और रक्षा मंत्री से अनुरोध किया है कि फरवरी, 1974 तक छटनी न की जाये और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री जे० बी० पटनायक : फेडरेशन ने इस संबंध में सरकार को अभ्यावेदन भेजा है । जहां तक सरकार की नीति का संबंध है, हम कर्मचारियों की छटनी के पक्ष में नहीं है (**व्यवधान**) अब तक केवल 1300 कर्मचारियों की छटनी की गई है और वे सभी नैमित्तिक कर्मचारी हैं । वर्तमान सूची के अनुसार लगभग 8000 कर्मचारी निकाले जाने थे परन्तु हम प्रयत्न कर रहे हैं कि यथासम्भव उनकी छटनी न की जाये । परन्तु मैं इस संबंध में कोई पक्का आश्वासन नहीं दे सकता । परन्तु जहां तक स्थायी कर्मचारियों का संबंध है, उनमें से किसी की भी छटनी नहीं की जा रही ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या उनको पता है कि जो काम वे कर्मचारी कर रहे थे वे उनको नुकसान पहुंचा कर ठेकेदारों को दिये गये हैं और उनकी छटनी का यह भी एक कारण है । यदि हां, तो क्या इस मामले पर फिर से विचार किया जायेगा और तब तक कोई छटनी नहीं की जायेगी ?

श्री जे० बी० पटनायक : ठेका ऐजेंसियों को कोई काम नहीं दिया जा रहा है । तथ्य यह है कि ठेका ऐजेंसियों से कारवाये जाने वाले काम को कम किया जा रहा हैं ताकि और छटनी न करनी पड़े। कुछ कर्मचारियों की छटनी करने, का सरकार को बहुत अफसोस है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : किसी एक अधिकारी की भी छटनी नहीं की गई । केवल 11,000 कर्मचारियों की छटनी की जा रही है । अधिकारियों की छटनी क्यों नहीं की जाती ?

श्री जे० बी० पटनायक : मैंने पहले ही बता दिया है कि श्रेणी 3 या 4 के किसी भी स्थाई कर्मचारी की छटनी नहीं की जा रहीं है । केवल नैमित्तिक कर्मचारियों की छटनी की गई है ।

श्री एस एम० बनर्जी : 89 दिन की सेवा के बाद 90वें दिन उनकी सेवा में तकनीकी रूप से व्यवधान होता है और उन्हें फिर नियुक्त किया जाता है । इस प्रकार अधिकांश कर्मचारियों ने 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है । वे नैमित्तिक कर्मचारी नहीं है । मंत्री महोदय को इस बारे में पूछताछ करनी चाहिये । इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

श्री जे० बी० पटनायक : मैंने कहा है कि हम अस्थाई या स्थाई कर्मचारियों की और छटनी करने के पक्ष में नहीं हैं । सरकार चाहती है कि बजट में कटौती न हो और छटनी न हो ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : रक्षा विभाग में विशेषकर रक्षा उद्योगों में नैमित्तिक कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न एम० ई० एस० के बारे में है ।

श्री जे० बी० पटनायक : एम० ई० एस० में कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग एक लाख है और अब तक छटनी किये गये कर्मचारियों की संख्या केवल 1300 है ।

Sending of Indian Troops as Observers to Israel and Egypt

*171. **Shri Ishwar† Chaudhuri :**
Shri C. K. Jaffer Sharief :

Will the Minister of **External Affairs be** pleased to state :

(a) whether India has also sent her troops as Observers to Israel and Egypt; and

(b) if so, who will bear the expenditure during their stay there?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Ishwar Chaudhuri : United Nations Organisation has sent military observers of various countries to observe cease fire and peace in West Asia and I want to know whether India has also been included in that list; if not, the reasons therefor?

Shri Surendra Pal Singh : I have already replied. Therefore the question of their inclusion does not arise.

Shri Atal Behari Vajpayee : May I know the reason?

Mr. Speaker : When some one will ask us to send, only then we can do so.

Shri Atal Behari Vajpayee : Sir, this is very serious. Why have been left out? We claim that we shall always contribute towards maintenance of supplies. Whether our foreign policy is successful (*Interruptions*).

Shri Ishwar Chaudhury : Whether it is a fact that both Egypt and Israel have refused to accept our army personnel or there is any other reason?

Mr. speaker : I am sorry. It is not relevant question.

भिलाई ईस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा

*173. **श्री नरेन्द्रकुमार सांघी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस भुगतान अधिनियम 1965 की धारा 22 का उल्लंघन करते हुए सरकार ने भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के लिए बोनस देने की घोषणा करने के बारे में एक पक्षीय निर्णय किया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है और चालू वर्ष के शेष छह महीनों के दौरान 22.5 लाख टन पिंड की दर से उत्पादन करने के अपने वचन को वापिस ले लिया है;

(ग) क्या गत वर्ष, जबकि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत बोनस दिया गया था, रांची के मुख्यालय, कलकत्ता स्थित विक्रय कार्यालय और डिजाइन अनुभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को 20 प्रतिशत बोनस दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो एक ही संस्थापना में ऐसी विसंगति के होने के क्या कारण हैं और वर्तमान मामले को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, नहीं। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 जिसका समय समय पर संशोधन किया गया है के उपबन्धों के अनुसार भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा वर्ष 1972-73 के लिए वेतन का 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस देने की घोषणा की गई थी।

(ख) फिर भी, कारखाने की प्रतिनिधि यूनियन ने 20 प्रतिशत बोनस की मांग की थी और 15 नवम्बर 1973 से आम हड़ताल करने का नोटिस दिया था। प्रबन्धकों ने 1972-73 के लिए 8.33 प्रतिशत से अधिक बोनस देने की मांग नहीं मानी, क्योंकि बोनस भुगतान अधिनियम के अधीन और कुछ देय नहीं था। काफी लम्बे समय तक बातचीत चलती रहने के पश्चात् यूनियन ने यह बात स्वीकार कर ली कि केवल 8.33 प्रतिशत बोनस ही देय होगा और इस बारे में यूनियन द्वारा उठाये गये बोनस संबंधी विवाद पर समझौता हो गया । भिलाई में कर्मचारियों को 1972-73 के लिए इस बोनस का भुगतान कर दिया गया है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि यूनियन के बाद में विचार विमर्श के समय में भिलाई में चालू वित्त वर्ष अर्थात् 1973-74 की अवधि में उच्च स्तर पर उत्पादन करने के लिए अधिक भुगतान की मांग उठाई थी। इस मामले पर उत्पादन से संबंधित भुगतान के बारे में एक समझौता हो गया है ।

अपने आन्दोलन के दौरान यूनियन ने प्रबन्धकों को लिखा था कि चूंकि केवल 8.33 प्रतिशत बोनस की ही घोषणा की गई है, अतः वह चालू वर्ष के शेष 6 महीनों के दौरान 22.5 लाख टन पिण्ड की वार्षिक दर से उत्पादन करने के अपने वचन को वापिस ले रही है ।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कम्पनी की केन्द्रीय इकाइयों के, जैसे रांची के मुख्यालय कलकत्ता में स्थित केन्द्रीय विक्रय कार्यालय और रांची के केन्द्रीय इंजीनियरी रूपांकन ब्यूरों, कर्मचारियों को भी इस्पात संयंत्रों के कर्मचारियों की तरह वर्ष 1971-72 के लिए 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस की अदायगी की गई है। फिर भी, केन्द्रीय इकाइयों के कर्मचारियों को उनके वेतन के 11.67 प्रतिशत के बराबर पेशगी राशि की अदायगी की गई है जिसका निपटारा आपसी बातचीत द्वारा अथवा न्याय निर्णय द्वारा जैसा भी मामला हो, तय किया जायेगा। यह मामला अब अधिनिर्णय के लिए भेजा जा रही है।

परिचालन के बारे में वर्ष 1972-73 के प्रकाशित, लेखे के अनुसार जो लेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित है 8.33 प्रतिशत से अधिक बोनस के अदायगी की पात्रता नहीं बनती है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी: क्या सरकार ने कुछ व्यक्तियों को वह आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है जिस में केन्द्रीय विक्रय कार्यालय को 20 प्रतिशत बोनस देने की बात कही गई थी जबकि कारखाना श्रमिकों को केवल 8.33 प्रतिशत बोनस दिया गया था?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई): हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के निदेशक बोर्ड ने मुख्य कार्यालय में अपने कर्मचारियों को वर्ष 1971-72 के लिए कुल मिलाकर 20 प्रतिशत बोनस देने की मंजूरी दी थी। बाद में उन्होंने इस बात पर विचार किया कि उन्होंने जो हिसाब लगाया था वही ठीक नहीं था और जिस प्रकार हिसाब-किताब रखा जाना चाहिये था वैसे नहीं रखा गया। इसलिए उन्होंने यह सोचा कि जब वास्तव में इस्पात बनाने वालों को इतना बोनस नहीं मिल रहा, क्योंकि कुछ एकक हानि उठा रहे हैं, केवल मुख्य कार्यालय के कर्मचारियों को इतना बोनस देना उचित नहीं।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी: मैंने पूछा था कि उपरोक्त निर्णय करने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है?

श्री टी० ए० पाई: अभी न्याय निर्णय किया जाना है। जहां तक ज़िम्मेदारी की बात है, यह बोर्ड का निर्णय है, किसी एक व्यक्ति को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी: क्या सरकार भिलाई इस्पात संयंत्र के श्रमिकों को जो राउरकेला इस्पात संयंत्र से काफ़ी अधिक उत्पादन करते हैं, कोई प्रोत्साहन बोनस देने के बारे में निर्णय करेगी?

श्री टी० ए० पाई: मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भिलाई संयंत्र के श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच बोनस के बारे में जो समझौता हुआ था उसमें बोनस पर विचार किया गया था और वह 8.33 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। यह प्रोत्साहन बोनस का पुनरीक्षण ही था। राउरकेला में भी इस प्रकार की बातचीत चल रही है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के सभी एककों में से भिलाई एकक ने लाभ अर्जित किया था और इसी लिए भिलाई के श्रमिकों ने 20 प्रतिशत बोनस देने की मांग की थी? क्या हड़ताल का कोई नोटिस दिया गया था? यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री टी० ए० पाई: माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि श्रमिकों के साथ बातचीत करके इस मामले का निपटान हो गया था और वह इस बात पर सहमत थे कि चाहे किसी एक वर्ष में कुछ

लाभ अर्जित किया भी गया हो तो भी बोनस सूत्र के अनुसार 8.33 प्रतिशत से अधिक बोनस नहीं दिया जा सकता। परन्तु बाद में जो बातचीत होती रही उसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों के साथ एक करार हुआ था जिसमें वे इस बात पर सहमत थे कि अधिक उत्पादन के लिए उनको प्रोत्साहन बोनस दिया जाना चाहिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर की प्रतिष्ठा को पुनः बनाने तथा उसे उन्नत करने के लिए परियोजना

*162. **श्री पी० गंगा देव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी बर्नपुर को पुनः बनाने तथा उसे उन्नत करने के लिए 60 करोड़ रुपये की परियोजना को क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्रियान्वयन से कोई अच्छा परिणाम निकला है; और

(ग) पार्श्व संयंत्र को इस्पात पिंडो की अधिष्ठापित क्षमता कब तक प्राप्त की जायेगी?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) "इस्को" की संयंत्र प्रतिस्थापन योजना पर ख़र्च का वर्तमान अनुमान 43 करोड़ रुपये है। यह योजना 1975–76 तक पूरी हो जाएगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1975-76 तक ऐसा होने की सम्भावना है।

गुजरात खनन विकास निगम द्वारा कोयले के खनन का कार्य शुरु किया जाना

*164. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की एक कम्पनी गुजरात खनन विकास निगम ने कोयला खनन कार्यों को आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या खाखराथल में कोयला भंडारों के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और सितम्बर, 1970 में सरकार को पेश की गइ थी, परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण है?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) गुजरात सरकार ने मैसर्स गुजरात खनिज विकास निगम को कोयले के लिए खनन पट्टे का अनुदान करने के लिए खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 5(2) के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी है। उक्त निगम का पट्टे के लिए आवेदन पत्र निर्धारित पद्धति के अनुसार, गुजरात राज्य सरकार को संबोधित किया गया है।

(ख) गुजरात सरकार का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है। तथापि, राज्य सरकार ने यह सूचना दी है कि खाखराथल कोयला निक्षेपों के लिए राज्य सरकार के भूविज्ञान और खनन निदेशालय ने प्रारम्भिक साध्यता रिपोर्ट तैयार की थी और उसे मार्च, 1971 में राज्य सरकार को प्रस्तुत किया था। मैसर्स गुजरात खनिज विकास निगम को कोयले के लिए खनन पट्टे का अनुदान करने का प्रस्ताव उक्त रिपोर्ट पर आधारित है।

विद्युत उपक्रमों में मजूरी संबंधी विवादों सम्बन्धी द्विपक्षीय समिति

*167. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत् उपक्रम में मजूरी सम्बन्धी विवाद हल करने के लिए एक द्विपक्षीय समिति बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने अब तक क्या प्रगति की है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) विद्युत् कर्मचारियों के अनुषंगी लाभों, अनुलाभों, सेवा की अन्य शर्तों और मजूरी दरों की पुनरीक्षा के लिए मजदूर संघों और राज्य बिद्युत् बोर्डों और अन्य नियोजकों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के संचालन के लिए मार्ग-दर्शक निर्देश तैयार करने और इस प्रकार की समझौता-वार्ताओं के लिए न्याय सभा के बारे में सलाह देने के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसमें विद्युत् उपक्रमों के प्रतिनिधि और मजदूर संघों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ख) इस समिति की 18 और 19 सितम्बर, 1973 को बैठक हुई और 30 नवम्बर, 1973 को उसकी फिर बैठक होने वाली है

बलारिया (राजस्थान) में जिंक अयस्क की नई खान

*168. **श्री श्रीकिशन मोदी** :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या उदयपुर स्थित देवरी जिंक स्मैल्टर के 18000 मीटरी टन प्रति वर्ष से 41000 मीटरी टन तक विस्तार होने के साथ ही बलारिया जिंक अयस्क की नई खान में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : देवरी स्थित जस्ता प्रद्रावक की जस्ता सान्द्र की अधिकांश जरूरतों की पूर्ति के लिए, जिसका वर्तमान 18,000 टन की क्षमता से 45,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता तक विस्तार किया जा रहा है, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा ज्वार (राजस्थान) क्षेत्र में बलारिया में एक नई खान खोली जा रही है। बलारिया खान को, जिससे लगभग 2,000 टन अयस्क का प्रतिदिन उत्पादन होगा, 1976 के अन्त तक चालू किया जाना है और वह 1978–79 तक अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर लेगी, उस समय तक जस्ता प्रद्रावक को भी पूरी बढ़ी हुई क्षमता पर उत्पादन होने की आशा है।

उद्योगों पर कोयले की कमी का प्रभाव

*169. **श्री एम० एस० शिस्वामी :**
डा० कर्णी सिंह :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है जैसा कि दिनांक 26 अक्तूबर, 1973 के स्टेट्समैन में 'कोल शारटेज हिट्स इन्डस्ट्रीज़' शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) क्या कोयले की कमी से उद्योगों को काफी क्षति पहुंची है; और

(ग) उचित समय पर उद्योगों को कोयले की पर्याप्त मात्रा सप्लाई करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) सरकार ने उक्त प्रैस रिपोर्ट को देखा है और वह कोयला उद्योग की समस्याओं को सुलझाने के लिए पहले से ही प्रभावी कदम उठा रही है।

(ख) कोयले की अपर्याप्त पूर्ति का कुछ उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है।

(ग) कोयला उत्पादक इकाइयों द्वारा कोयले का उत्पादन बढ़ाने और रेलवे द्वारा विभिन्न उद्योगों को यथा-संभव अधिक से अधिक कोयला पहुंचाने के समन्वित उपाय किये जा रहे हैं।

छोटे इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए एशिया और सुदूरपूर्व के लिए आर्थिक आयोग की उप-समिति

*172. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया और सुदूरपूर्व के लिए आर्थिक आयोग की उप-समिति ने इस क्षेत्र के उन विकासशील देशों में जिनमें अपेक्षित पूंजी और कच्चा माल उपलब्ध नहीं है; छोटे इस्पात संयंत्र स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उप-समिति ने, जिसकी बैठक 21 अगस्त 1973 को नई दिल्ली में हुई थी, इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त योजना के अन्तर्गत भारत को लाभ होगा ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) एशिया और सुदूरपूर्व के लिए आर्थिक आयोग की धातु और इंजीनियरी उप-समिति ने जिसकी बैठक अगस्त, 1973 में नई दिल्ली में हुई थी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस क्षेत्र के उन देशों में जिनमें देशीय बाजार अपेक्षाकृत छोटा है तथा जहां कच्चे माल उपलब्ध नहीं हैं और जहां बिजली की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है वहां विद्युत् आर्क भट्टियों में मैलटिंग स्टाक के रूप में स्क्रैप/स्पंज लोहे का प्रयोग करके इस्पात का उत्पादन करने के लिए सक्षम स्थानीय इस्पात उद्योग स्थापित करने के लिए छोटे इस्पात कारखाने स्थापित करना अच्छा रहेगा।

(ग) यह काम क्षेत्र विशेष के सदस्य देशों का है कि वे इस्पात उद्योग के विकास के लिए स्थानीय स्थितियों को देखते हुए अपने मार्गदर्शी सिद्धांत बनाएं।

Production of Ambassador Cars

*174. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) the production of Ambassador Cars during the period from 1st September, 1972 to 30th September, 1973; and

(b) the prescribed procedure for booking orders for cars ?

The Minister of Heavy Industry and Steel and Mines (Shri T. A. Pai) : (a) 27,585 Nos.

(b) A person desirous of purchasing a motor car shall apply to the dealer of the area in which he is a resident in the prescribed form and shall furnished a Post Office Saving Bank pass book evidencing that he has opened a security deposit for a sum of not less than Rs. 4,000/- and pledged it to the dealer concerned.

भारत और लोकतांत्रिक गणराज्य वियतनाम के बीच आर्थिक एंव सांस्कृति सहयोग

*175. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **विदेश** मंत्री भारत और लोकतान्त्रिक गणराज्य वियतनाम के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग के बारे में दिनांक 2 अगस्त, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 176 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकतांत्रिक गणराज्य वियतनाम के प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या इस बारे में कोई ठोस कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) वियतनाम जनवादी गणराज्य के प्रधान मंत्री ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध विकसित करने की इच्छा व्यक्त की थी और हमने भी ऐसी ही इच्छा व्यक्त की थी।

(ख) जी हां।

(ग) कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में सहायता के लिए वियतनाम जनवादी गणराज्य की सरकार ने जो अनुरोध किया था, उसके जवाब में पशुपालन डेरी तकनीक पशु चिकित्सा विज्ञान, फ़सल और चारा के क्षेत्र से भारतीय विशेषज्ञों के पांच सदस्यों के एक दल ने हाल ही में उत्तर वियतनाम की तीन सप्ताह की यात्रा की थी। इस दल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच कृषि और पशुपालन के सम्बन्ध में सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाना था और यह सिफ़ारिश करना था कि किस सीमा तक सहायता अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष अगस्त से वियतनाम जनवादी गणराज्य के पन्द्रह शिक्षार्थी जवाहर लाल विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार ने छात्रवृत्तियां दी हैं।

इस्पात के उपभोग ढांचे के बारे में वैज्ञानिकों और तकनीकी जानकारों की समिति

*176. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**

श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के उपयोग ढांचे का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों और तकनीकी जानकारों की एक समिति नियुक्त की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम तथा उनके निर्देश-पद क्या हैं और उसने क्या सिफारिशें की हैं?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) : हाल ही में एक समिति का गठन किया गया है जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं :--

1. श्री एम० श्रीनिवासन, निदेशक, अनुसंधान, विकास और मानक संस्थान, लखनऊ।	अध्यक्ष
2. श्री हरीभूषण, मुख्य तकनीकी सलाहकार, इस्पात विभाग।	सदस्य
3. श्री वी० एस० कृष्णामाचार, उपमहानिदेशक, भारतीय मानक संस्था।	,,
4. श्री डी० एस० देसाई, निदेशक, मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी, (प्रा०) लि० कलकत्ता।	,,
5. श्री जे० मुकन्द, मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय रूपांकन संगठन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय	,,

6. श्री बी० वी० राव, सलाहकार, पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग, निर्माण और आवास मंत्रालय	सदस्य
7. श्री एस० आर०, प्रमानिक, मुख्य धातु विद सलाहकार, 'मेकन' रांची।	,,
8. श्री समरपुगांवन, सहायक महा-अधीक्षक, भिलाई इस्पात कारखाना भिलाई।	,,
9. श्री कालीचरण, निदेशक, सिविल इंजीनियरिंग रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय।	सदस्य सचिव

2. समिति देश में इस्पात की खपत की मितव्ययिता लाने के बारे में सिफ़ारिशें करेगी।

त्रिपुरा में चाय बागानों का बन्द होना

*177. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में बहुत से चाय बागान बन्द हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने चाय-बागान बन्द हुए तथा उनके नाम क्या हैं; और

(ग) इसके फलस्वरूप कितने श्रमिक बे-रोज़गार हो गये हैं और उन्हें उनकी बकया राशि का भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) यह मामला राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है तथापि, सूचित किया गया है कि त्रिपुरा राज्य में 49 चाय बागानों में से छः बागान बन्द हो गये हैं। उनके नाम हैं—जगन्नाथपुर, लीलागढ़, सोनामुखी, देवास्था, नत्तिनछेर्रा और हरीशनगर।

(ग) प्रभावित हुए श्रमिकों की संख्या 355 बताई गई है। बकाया देय राशियों की वसूली के लिए टी इस्टेट के प्रबन्धकों के खिलाफ़ मजूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत पहले ही बारह मामले चलाये गये हैं। अन्य मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए त्रिपुरा की राज्य सरकार विचार कर रही है।

बीड़ी और इमारत उद्योग में महिला श्रमिकों का ठेकेदारों द्वारा शोषण

*178. **श्री बसंत साठे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ठेका-श्रम व्यवस्था के अधीन बीड़ी और इमारत उद्योग में महिला श्रमिकों का शोषण बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इन श्रमिकों को पूरा और समय पर मजूरी का भुगतान तथा अन्य लाभ सुनिश्चित करने के लिए, जो अन्य उद्योगों में सीधे श्रमिकों को मिलते हैं, क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन उद्योगों में महिला श्रमिकों के बढ़ते हुए शोषण को रोकने के लिए और निकट भविष्य में उनके रहन-सहन और काम की शर्तों में सुधार सुनिश्चित करने के लिए क्या कानूनी तथा अन्य उपाय करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) बीड़ी और इमारत उद्योगों में ठेका श्रम प्रणाली के अन्तर्गत महिला श्रमिकों के वर्धित शोषण के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948, ठेकेदारों के अधीन अथवा सीधे नियोजित, दोनों ही प्रकार के अनुसूचित रोज़गारों में, लगे कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होता है। किसी भी प्रकार के तम्बाकू (बीड़ी बनाने सहित) के निर्माण सम्बन्धी रोज़गारों को अधिनियम की अनुसूची के खण्ड में पहले ही शामिल किया गया है। इसी प्रकार, इमारत संक्रियाओं और इमारत अनुरक्षण सम्बन्धी रोज़गार भी अधिनियम के अन्तर्गत आ जाते हैं। बीड़ी श्रमिकों और इमारत उद्योग के रोज़गार के अधिकांश भाग के बारे में, न्यूनतम मजूरियों के निर्धारण/संशोधन तथा प्रवर्तन के लिए राज्य क्षेत्र में समुचित सरकार, राज्य सरकार है, जिन्होंने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजूरियों को अधिसूचित किया है। केन्द्रीय सरकार ने भी इमारत उद्योग के सम्बन्ध में 25 अप्रैल, 1973 को न्यूनतम मजूरियों को संशोधित किया है।

(ग) आशा है कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम, जो कि बीड़ी तथा इमारत उद्योगों पर लागू होता है और ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियम, महिला श्रमिकों के शोषण, यदि कहीं हों, को हटाने और उन्हें कुछ ऐसी सुविधाएं, जो अन्य उद्योगों में सीधे नियोजित श्रमिकों को प्राप्त हैं, उपलब्ध कराने में सहायक होंगे। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने भी आदर्श नियमों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा उसके ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा स्वच्छता व उनके सुरक्षण के लिए व्यापक उपबन्धों की व्यवस्था की है।

Strike by Workers in old Jute Mill, Katihar in Bihar

*179. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether about one thousand workers of the Old Jute Mill in Katihar in Bihar State have gone on strike in support of their long-standing demands;

(b) Whether instead of acceding to their legitimate demands the mill-owners and management have declared a lock-out in the mill;

(c) whether Government propose to take any steps to give justice to the workers; and

(d) if so, the action being taken by Government in this regard?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy): (a) to (d) The matter falls essentially in the State sphere.

इस्पात के सरकारी कारखाने

*180. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस्पात के सरकारी कारखानों में लाभ की स्थिति पैदा करने अथवा कम से कम घाटे को पूरा करने के लिए क्या विशेष उपाय किये गये हैं?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : 31 मार्च, 1973 तक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को 610.85 करोड़ रुपये की पूंजी पर, मूल्यह्रास के रूप में 614.03 करोड़ रुपये और 245.09 करोड़ रुपये के सावधिक ऋणों पर ब्याज की पूर्ण व्यवस्था करने के पश्चात् कुल घाटा 250.88 करोड़ रुपये हुआ था। इस्पात कारखाने को हुआ घाटा नीचे दिया गया है :—

भिलाई इस्पात कारखाना . .		13.288 करोड़ रुपये
राउरकेला इस्पात कारखाना .		27.697 करोड़ रुपये
दुर्गापुर इस्पात कारखाना		157.188 करोड़ रुपये
मिश्र इस्पात कारखाना		36.222 करोड़ रुपये
	कुल	234.395 करोड़ रुपये
बोकारो इस्पात कारखाना . .		5.45 करोड़ रुपये

ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखने से यह पता चलेगा कि सब से अधिक घाटा दुर्गापुर इस्पात कारखाने और मिश्र इस्पात कारखाने को हुआ है। जहां तक बोकारो का सम्बन्ध है यह कारखाना अभी निर्माणवस्था में है और अभी इसने केवल कच्चा लोहा बनाना आरम्भ किया है। इसलिए बोकारो के बारे में ऊपर जो आंकड़े दिए गए हैं वे केवल अन्तरिम आंकड़े हैं।

सरकार इन आवश्यकताओं के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं (क) सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखानों में यथासम्भव उच्चत्तम उत्पादन स्तर प्राप्त किया जाए ताकि राष्ट्रीय विकास तथा देश में इस्तेमाल के लिए अधिक मात्रा में इस्पात उपलब्ध हो सके (ख) इस्पात कारखानों का परिचालन कुशलपूर्वक ढंग से किया जाए ताकि कम से कम घाटा हो और ऐसे कारखानों में जहां ऐसा करना व्यवहारिक हो लाभ कमाया जाए।

घाटे को कम से कम करने अथवा लाभ कमाने के लिए किए गए कुछ बड़े-बड़े उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) कोककर कोयले तथा बिजली की सप्लाई के लिए बेहतर तालमेल पैदा करना। चालू वर्ष में इस्पात का अधिकाधिक उत्पादन करने में दो बड़ी बाधाएं, कोककर कोयले और बिजली की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई न हो सकना रही है। निकट भविष्य में हर संभव उपाय से कोककर कोयले और बिजली तथा रेल परिवहन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जिससे इस्पात कारखाने अधिकाधिक उत्पादन कर सकें।

(2) परिचालन के बहुत से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिचालन लागत को कम करना और इस प्रकार प्रतिटन इस्पात उत्पादन पर लाभ की मात्रा में वृद्धि करना। इस के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) कोक का कम मात्रा में इस्तेमाल,

(ii) स्टीम/ईंधन की खपत में कमी,

(iii) संयंत्र का बेहतर उपयोग,

(iv) कुछ क्षेत्रों में पूंजी-निवेश जिनमें अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था करने से,
(क) उत्पादन में वृद्धि होगी,

(ख) परिचालन अधिक कुशलपूर्वक ढंग से हो सकेगा,

(ग) अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक उच्च मूल्यों की मदों का उत्पादन हो सकेगा।

(3) मालिक-मजदूर सम्बन्धों में सुधार जिससे कारखानों में अधिक उत्पादिता लाई जाए तथा मजदूरों की भागीदारी में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए।

(4) मूल्यों की समीक्षा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य कुशलता के मापदण्डों को बनाए रखते हुए कारखाने की आय में वृद्धि हो सके ताकि कारखाने उत्पादन लागत की पूर्ति के पश्चात् लाभ कमा सकें।

चालू वित्त वर्ष के 7 महीनों में इस्पात कारखानों के उत्पादन पर बिजली के संकट से, जिसका झरिया कोयला क्षेत्र पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है और उसके कारण सभी कोककर कोयला खानों और कोयला शोधनशालाओं के कार्यकरण पर प्रभाव पड़ा और इस प्रकार सभी इस्पात कारखानों को कोककर कोयला कम मात्रा में उपलब्ध हुआ। इसके अलावा बिजली के संकट का दुर्गापुर, टाटा आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड के जमशेदपुर स्थित कारखाने तथा कई महीनों तक राउरकेला इस्पात कारखाने के उत्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार बिजली की सप्लाई में कमी के कारण दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने के उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

Training to Engineers of Khetri Copper Project

1603. **Shri Shiv Kumar Shasrti** : Will the Minister of **Steel & Mines** be pleased to state :

(a) whether Canada has agreed to impart training in copper mining to engineers working in the Khetri Copper Project in Rajasthan;

(b) whether cooperation in the matter of supply of machinery would also be received in addition to technical know-how for mining work ; and

(c) if so, the salient features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel & Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) to (c) An Agreement was signed between the Government of India and the Canadian International Development Agency (CIDA), Canda in September, 1973 under which CIDA agreed to provide services of eight operators and one supervisor for imparting training in the field of mining at Khetri Copper Project. The training programme is meant for the miners and operators and not for the Engineers. The Agreement, which is valid initially for a period of six months, envisages training in trackless decline sinking, drivages, raising ring drilling and maintenance of mining equipment. The training programme was started from 8th October, 1973. The present agreement does not envisage cooperation in the matter of supply of machinery.

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को स्नातक इंजीनियरिंग प्रशिक्षु योजना

1604. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने 18 मई, 1973 के 'स्टेट्समैन' में एक विज्ञापन के माध्यम से धातु विज्ञान तथा मैकेनिकल/इलैक्ट्रिकल/कैमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र के स्नातक इंजीनियरों से स्नातक इंजीनियरिंग प्रशिक्षु योजना में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं;

(ख) विज्ञापन के उत्तर में अपेक्षित अर्हताओं को पूरा करने वाले आवेदन-पत्रों की संख्या क्या है तथा कितने आवेदन पत्रों का अन्तिम रूप से चयन किया गया; और

(ग) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाने और उनका चयन करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया तथा क्या चयन बिना किसी परीक्षा अथवा साक्षात्कार के किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) विज्ञापन के आधार पर आवेदकों की संख्या, 2.493 थी। अन्तिम रूप से 43 आवेदकों का चयन किया गया।

(ग) यांत्रिक और वैद्युत् इंजीनियरी के लिए स्नातक प्रशिक्षणार्थियों के मामले में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को जिसने सीधी प्रथम श्रेणी हासिल की हो और बैचलर ऑफ़ इलैक्ट्रिकल के अंतिम वर्ष में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा संचालित योग्यता-परीक्षण और ग्रुप टास्क के लिए बुलाया गया जिन्होंने सभी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी तथा बी० ई० (फाइनल) में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों की, योग्यता परीक्षा व ग्रुप-स्टाक के लिए बुलाया गया जिन्होंने बी० ई० (फाइनल) में द्वितीय श्रेणी हासिल की थी, योग्यता-परीक्षण और ग्रुप-स्टाक में सफ़ल उम्मीदवारों को अंतिम-साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और साक्षात्कार के आधार पर अंतिम रूप से चयन किया गया।

धातु विज्ञान और रसायन-इंजीनियरी के लिए स्नातक प्रशिक्षार्थियों के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के केवल पात्र उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और साक्षात्कार के आधार पर अंतिम रूप से चयन किया गया।

कोई भी चयन, बिना परीक्षण या साक्षात्कार के नहीं किया गया।

पासपोर्ट के लिए आवेदन पत्रों को हिन्दी में स्वीकार न करने के बारे में शिकायत

1605. श्री मधु लिमये : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को यह शिकायत प्राप्त हुई है कि यद्यपि पासपोर्ट दो भाषाओं में लिखा जाता है फिर भी पासपोर्ट अधिकारी उसके लिये हिन्दी में आवेदनपत्रों को स्वीकार नहीं करते हैं जिसे संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि वे यह कह कर आमतौर पर व्यक्तियों को पत्र-व्यवहार तथा आवेदन-पत्रों में हिन्दी के प्रयोग को निरुत्साहित करते हैं कि यदि हिन्दी भाषा का प्रयोग किया गया तो आवेदन-पत्रों पर विचार करने और उनके पत्रों का उत्तर देने में विलम्ब होगा; और

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में स्पष्ट अनुदेश जारी करेगी ताकि केन्द्र की भाषा का प्रयोग करने वाले नागरिकों को परेशानी न हो ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार को इस आशय की शिकायत मिली है।

(ख) पूछताछ करने पर यह पता लगा है कि पासपोर्ट अधिकारी ने आवेदन-पत्र स्वीकार करने से इनकार नहीं किया था बल्कि यह सुझाव मात्र दिया था कि अपना नाम और दूसरी मुख्य-मुख्य बातें अंग्रेज़ी में भी लिख दें ताकि पासपोर्ट तथा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जैसे दूसरे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों में वर्तनी आदि का अन्तर न हो।

(ग) पहले ही से इस बात के स्पष्ट निर्देश हैं कि अंग्रेज़ी या हिन्दी में भरे गये आवेदन-पत्र स्वीकार किए जायें।

मध्य प्रदेश को उद्योगवार इस्पात का नियतन

1606. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 तथा वर्ष 1972-73 के दौरान मध्य प्रदेश को (उद्योगवार) इस्पात का कितना कोटा दिया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में कोटे में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) वर्तमान वितरण प्रणाली के अधीन कोटे देने और राज्यवार आवंटन करने की व्यवस्था नहीं है। मुख्य इस्पात कारखानों से इस्पात की सप्लाई का विनियमन इस्पात प्राथमिकता समिति करती है, जो प्रति तिमाही इस्पात की उपलब्धि, जिस काम के लिए इस्पात की मांग की गई हो, उसके अन्ततः उपयोग तथा स्पर्धी मांगों को ध्यान में रखती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

ऐल्यूमीनियम की मांग तथा उत्पादन

1607. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कोयले की मांग तथा उत्पादन की क्या स्थिति है; और

(ख) देश की ऐल्यूमीनियम की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) 1973-74 के दौरान ऐल्यूमोनियम की घरेलू माँग 230,000 टन आँकी गई है जबकि इस समय देश में ऐल्यूमिनियम उत्पादन के लिए वार्षिक स्थापित क्षमता 195,170 टन है। किन्तु विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई बिजली कटौतियों के कारण चालू वर्ष में एलूमीनियम का उत्पादन केवल लगभग 150,000 टन होने की आशा है। ऐलूमोनियम उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलने पर ही ऐल्यूमीनियम की पूर्ति में सुधार होगा।

ऐल्यूमिनियम की बढ़ती हुई मांग की दीर्घकालीन आधार पर पूर्ति की दृष्टि से चौथी/पाँचवीं योजना के दौरान लगभग 235,000 टन प्रतिवर्ष (सरकारी क्षेत्र में 150,000 टन की वार्षिक क्षमता सहित) उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता अनुज्ञप्त की गई है। पांचवीं योजना के दौरान ऐल्यूमिनियम में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाने की आशा है।

धनबाद में कुछ संस्थापनों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाना

1608. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमदिहा इंजीनियरिंग एण्ड फाऊंडरी वर्क्स, डाकघर--महुदा, धनबाद, मेसर्स दामोदर प्रसाद बैजनाथ गुप्ता, डाकघर--झरिया, धनबाद, ग्रीनव्यू सर्किल स्टेशन, कुटचेरी रोड, धनबाद, केन्दनदीह पैट्रोल सप्लाई कम्पनी, करकेन्ड, धनबाद के कारखाने तथा संस्थापनों और धनबाद रेलवे स्टेशन के निकट सहदेवा सर्विस स्टेशन को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाया गया है;

(ख) क्या अधिकारियों ने अब तक कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो किस तिथि को तथा उनके विशेष प्रतिवेदन क्या हैं; और

(ग) क्या उपरोक्त संस्थापनों को और निरीक्षणालय तथा दोमोद कार्यालय के अधिकारियों द्वारा रखा जाने वाला इनफेन्ट एण्ड मार्जिनल रजिस्टरों में दर्ज किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में स्वागत अधिकारियों के पद बनाना

1609. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रायः सभी क्षेत्रों के लिए स्वागत अधिकारी का एक पद बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों को कौन-से कर्त्तव्य और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं अथवा सौंपी जायेंगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनके पद को बदल कर जन सम्पर्क अधिकारी करने का है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) जी हां।

(ख) स्वागत् अधिकारी को सौंपे गए कार्य ये हैं:—

(i) निधि और परिवार पैंशन स्कीमों के उन लाभानुभोगियों की ओर ध्यान देना जो अपने दावों के निपटारे के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों के पास आते हैं।

(ii) क्षेत्रीय कार्यालयों में लाभानुभोगियों, नियोजकों, उनके संगठनों या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त हुई सभी शिकायतों को निपटाना और यह सुनिश्चित करना कि उन कारणों को दूर किया जाता है, जिनसे ये शिकायतें पैदा होती हैं।

(ग) जी नहीं।

धनबाद के कुछ कारखानों एंव प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लेना

1610. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स राम नारायण अग्रवाल, डाकघर झरिया, धनबाद, बिहार आयल एजेन्सी, डाकघर झरिया, धनबाद, मैकेनिकल एण्ड इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा० लिमिटेड, लाल बाजार, धनबाद और मैसर्स ओरिएंट प्लास्टिक एण्ड केमिकल्स वर्क्स, प्रधान खूंटा, धनबाद के कारखानों/प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत रखा गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस बारे में पहले कोई सर्वेक्षण किया गया था और यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या प्रादेशिक कार्यालय के इन्फैन्ट एण्ड मार्जिनल रजिस्टरों में प्रविष्टियां दर्ज की गई हैं और क्या पहले कोई प्रवर्तन एवं अनुवर्ती कार्य किया गया था और यदि हां, तो कितनी बार?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

कलकत्ता पत्तन पर गोदी श्रमिक कर्मचारियों द्वारा 'धीरे काम करो' अभियान

1611. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदी श्रमिक कर्मचारियों द्वारा हाल ही में 'धीरे काम करो' अभियान आरम्भ किये जाने के परिणामस्वरूप गेहूं और उर्वरक ला रहे अनेक जहाज कलकत्ता पत्तन पर रुके पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों द्वारा अभियान आरम्भ किये जाने के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई; और

(ग) कर्मचारियों ने किन कारणों से अभियान आरम्भ किया और सरकार ने यदि इस संबंध में कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) 12-9-1973 से 27-9-1973 तक आंशिक हड़ताल और 'धीरे काम करो' के परिणामस्वरूप, 59 जहाजों पर असर पड़ा; इनमें चार खाद्य सामग्री वाले और दो खाद वाले जहाज़ शामिल थे।

(ख) सरकार द्वारा उठाई गई वित्तीय हानियों की सीमा का निश्चित रूप से अनुमान लगाना कठिन है। तथापि, 540 जहाज़-दिवसों की हानि हुई।

(ग) 1972-73 के लिए 8⅓ से अधिक दर पर बोनस की अदायगी की मांग के समर्थन में आंदोलन चलाया गया था। सराधन और सीधी बातचीत द्वारा भी बाद-विषय को निपटाने के प्रयास किए गए थे परन्तु सफलता नहीं मिली । चूंकि कलकत्ता पत्तन में आपात् स्थिति की घोषणा का वांछित प्रभाव नहीं हुआ, इसलिए विवाद न्याय-निर्णय के लिए निर्देशित कर दिया गया और साथ ही 24-9-73 को हड़ताल प्रतिषिद्ध कर दी गई । उसके पश्चात् पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के स्तर पर विचार-विमर्श जारी रखे गए और पक्षकारों के बीच एक समझौता हो गया जिसके परिणामस्वरूप 28-9-73 से हड़ताल समाप्त कर दी गई। समझौते में, न्याय-निर्णयन पंचाट के मिलने तक, 37 दिनों की औसत आय की दर से वर्ष 1972-73 के लिए बोनस के तदर्थ भुगतान की व्यवस्था है।

Expenditure Incurred on the Treatment of Maulana Bhashani

1612. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the approximate expenditure incurred by the Government of India on the treatment of Maulana Bhashani, Leader of the National Awami Party when he took shelter in India at the time of Bangladesh Liberation movement?

The Minister of state in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): Rs. 47,650.00.

धनबाद रांची और जमशेदपुर में निर्माण संबंधी सामग्री बनाने वाले कुछ कारखानों को कर्मचारी भविष्य निधि, 1952 के अन्तर्गत लाना

1613. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव**: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धनबाद, रांची और जमशेदपुर में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत एक बड़ी संख्या में कारखानों/संस्थापनों को कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत नहीं लाया गया है;

(ख) क्या टीलटंड, डाकखाना चंदौर, धनबाद स्थित कटरा सीरमिक एण्ड रिफरेंक्टरी (प्राइवेट) लिमिटेड, मलकेरा रेलवे स्टेशन, डाकखाना कटरागढ़, धनबाद के निकट कुमारजरी फायरब्रिक्स वर्क्स और एसोसिएटेड ट्रेडर्स एण्ड कन्सट्रक्शन कम्पनी, जिन की शाखाएं कलकत्ता, कटरागढ़, रांची में है तथा गिरिडीह जिले के डुमरी में कारखाना है, का सर्वेक्षण किया गया है ताकि उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाया जा सके और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उपरोक्त कारखानों/संस्थानों को इन्फेन्ट तथा मार्जिनल रजिस्टरों के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

युक्तियुक्त ईंधन नीति सम्बन्धी निर्णय

1614. **श्री डी० के० पंडा**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने युक्तियुक्त ईंधन नीति संबंधी निर्णय अभी तक नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) और (ख) ईंधन नीति समिति की रिपोर्ट के भाग I में उल्लिखित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने ईंधन के विभिन उपलब्ध स्रोतों के विकास के लिए योजनाएं बनाई हैं और उन्हें पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

राज्य औद्योगिक विकास निगमों के मुख्य कार्यकारियों की बैठक

1615. **श्री प्रभुदास पटेल**:
श्री प्रसन्न भाई मैहता:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य औद्योगिक विकास निगमों के प्रमुख कार्यकारियों की 1 सितम्बर, 1973 को नई दिल्ली में हुई बैठक में केन्द्र सरकार को लाल फीताशाही के कारण राज्यों को बड़ी परियोजनाओं में होने वाले विलम्ब के बारे में बताया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात राज्य के प्रतिनिधियों ने अनेक ऐसे उदाहरण बताये थे जहां वह विलम्ब का कारण नहीं बता सके थे;

(ग) इस संबंध में गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) उन को सरकार ने किस सीमा तक स्वीकार किया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्री की राज्य औद्योगिक विकास निगमों के मुख्य कार्यकारियों के साथ 1 सितम्बर, 1973 को हुई बैठक में कुछ मुख्य कार्यकारियों को अपनी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में हो रही कुछ कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए उन्होंने विलम्ब के कुछ मामलों का उल्लेख किया जो इन परियोजनाओं के संबंध में कार्यवाही करने में हुआ।

गुजरात राज्य औद्योगिक तथा निवेश निगम के प्रतिनिधि ने कुछ आवेदन पत्रों का हवाला दिया जो उस समय अंतिम निर्णय हेतु अनिर्णीत पड़े हुए थे। चूंकि ये आवेदन पत्र उन उद्योगों के बारे में थे जो कि दूसरे मंत्रालयों के अधिकार क्षेत्र में हैं, इसीलिए प्रतिनिधि से कहा गया था कि उन्होंने जो बात कही है वह संबंधित मंत्रालयों की जानकारी में लाई जायेगी। यह काम पहले ही कर दिया गया है और आशा है कि संबंधित मंत्रालय उपयुक्त कार्यवाही करेंगे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों का शामिल होना

1616. श्री सी० जनार्दनन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध में श्रमिकों को शामिल करने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं जहां पर प्रबन्ध में कर्मचारी भी शामिल हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ख) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के प्रबंधमण्डल में परख के आधार पर, श्रमिकों के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के लिए एक योजना आरंभ करने का निर्णय किया है। प्रथमतः हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी में एक श्रमिक-निदेशक नियुक्त किया है। चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्धमण्डलों में भी श्रमिक-निदेशक नियुक्त किए गए हैं।

शालीमार कंस्ट्रक्शन कम्पनी, कलकत्ता के विरुद्ध जांच

1617. श्री एम० सुदर्शनम् : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज शालीमार कन्सट्रक्शन कम्पनी कलकत्ता नाम की एक फर्म के विरुद्ध कोई जांच की गई है ;

(ख) क्या कुछ फिल्मी अभिनेता इस फर्म में अन्तर्ग्रस्त अथवा इस से संबद्ध है; और

(ग) यदि हां, तो इस में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा जांच का क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(ग) यह मामला कलकत्ता के प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहा है । इस मामले में अन्तर्ग्रस्त फर्म से संबंधित व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित हैं :—

(1) श्री डी० एम० पाल

(2) श्री एस० एम० पाल

(3) श्री एस० बी० गोप

(4) श्री ए० के० गुह

(5) श्री के० बोस

(6) श्री सोमनाथ दास

(7) श्री के० के० राय और अन्य ।

Indian Doctors and Scientists Working Abroad

1618. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Scientists and Doctors of Indian origin working in various foreign countries; and

(b) the number of those, among them, who have accepted the citizenship of various foreign countries and have settled there during the last three years?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b) Government are not in a position to collect information on the total number of Scientists and Doctors of Indian origin working in all foreign countries, as such statistical details are not easily available with the foreign Governments from whom they have to be collected. However, a statement furnished in fulfilling an Assurance while answering Lok Sabha Unstarred Question No. 3230 on 28th June, 1971 which gives figures in respect of the period 1968—1970, is placed on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. L. T. 5768/73]. The figures for the last three years would approximate to those furnished earlier.

चिली के सैनिक शासन को मान्यता देना

1619. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सैनिक शासन की उस सरकार को मान्यता दे दी है जो चिली में लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए राष्ट्रपति की हत्या करके तथा लोकतांत्रिक संस्थानों को नष्ट करके रक्त क्रांति के माध्यम से सत्तारूढ़ हुई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किस आधार पर यह निर्णय किया है ; और

(ग) जब चिली सरकार के बारे में संकल्प पर चर्चा हो रही थी, तो संयुक्त राष्ट्र में हमारे प्रतिनिधि ने क्या रुख अपनाया था ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत सरकार ने चिली के नए शासन को औपचारिक मान्यता प्रदान नहीं की है। सान्तिआगों स्थित हमारा राजदूतावास तथा नई दिल्ली स्थित चिली राजदूतावास अब भी तात्थिक आधार पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) सितम्बर, 1973 में चिली में जो घटनाएं घटीं वह निश्चय ही चिली के लोगों का आन्तरिक मामला था।

(ग) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में क्यूबा की इस शिकायत पर विचार-विमर्श हुआ था कि चिली की नई सरकार ने सान्तिआगों स्थित क्यूबा के दूतावास पर आक्रमण किया है। इस विषय पर हमारे प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि उत्तेजना चाहे वास्तविक हो अथवा काल्पनिक लेकिन हमारी राय में वियना अभिसमय तथा विभिन्न राष्ट्रों के बीच के राजनयिक आचरण की मान्य प्रथा एवं मानदंड के अनुसार किसी भी शासन के सशस्त्र सैनिकों को किसी भी राजनयिक मिशन के खिलाफ हिंसात्मक कदम उठाने का कोई अधिकार नहीं है।

विदेशी विद्यार्थियों के भारत में ग्रीष्मकालीन शिविर (समर कैम्पस) तथा अध्ययन दौरे

1620. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से भारत में अध्ययन के लिए आने वाले विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्म शिविरों और अध्ययन दौरों का प्रबंध किया गया है और यदि हां, तो 1971 और 1972 में क्रमशः उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) ग्रीष्म शिविर और अध्ययन दौरों की व्यवस्था करने की कसौटी क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। वित्तीय वर्ष 1971-72 और 1972-73 में इन यात्राओं और शिविरों पर क्रमशः रु० 95,391.71 और रु० 1,01,884.16 खर्च हुए जिसमें क्रमशः रु० 26,253 और रु० 35,655 विद्यार्थियों से शुल्क के रूप में लिए गए थे। शेष राशि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुई थी।

(ख) यदि कसौटी से अभिप्राय, इन शिविरों के आयोजन का उद्देश्य जानना है तो वे निम्नलिखित है :—

(1) विदेशी विद्यार्थियों के लिए उद्देश्य-पूर्ण छुट्टी की व्यवस्था करना;
(2) उन्हें हमारे देश के विभिन्न ऐतिहासिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक स्थल दिखाना;
(3) उन्हें विकास परियोजनाएं दिखाना तथा अपनी योजनाओं तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति से अवगत कराना; और
(4) विदेशी विद्यार्थियों और हमारे विद्यार्थियों एवं अन्य लोगों के बीच सदभाव और आपसी समझ-बूझ बढ़ाना।

भाग लेने वालों का चयन ग्रीष्मकालीन शिविरों/अध्ययन दलों की घोषणा के बाद 'पहले-आओ पहले-पाओ' के आधार पर किया जाता है।

ब्रिटेन के विशेषज्ञों द्वारा एवरो विमान में परिवर्तनों के संबंध में सुझाव

1621. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने एवरो विमान में कुछ परिवर्तन करने के संबंध में सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके सुझावों को सरकार ने किस सीमा तक स्वीकार किया है; और

(ग) ब्रिटेन के विशेषज्ञों द्वारा दिये गये अन्य सुझाव क्या हैं?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) विमान के वर्तमान उत्पादन के संबंध में कानपुर में जो समस्याएं अनुभव की जा रही हैं उन पर काबू पाने के लिए हाकर सिड्डले एविएशन लिमिटेड तथा रोलस रायस लिमिटेड के ब्रिटिश विशेषज्ञों के साथ कतिपय समाधानों पर विचार विमर्श किया गया है। इन समाधानों पर अभी विचार किया जा रहा है और अभी तक इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में जिन का जिकर किया गया है उन के अतिरिक्त विशेषज्ञों ने कोई और सुझाव नहीं दिए हैं।

बम्बई गोदी श्रमिक कालोनी में दो स्टीवेडोर श्रमिकों पर हमले की जांच

1622. **श्री ई० आर० कृष्णन :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई गोदी श्रमिक कालोनी में क्वार्टस इंस्पेक्टर द्वारा दो स्टीवेडोर श्रमिकों पर कथित शारीरिक हमला बम्बई पत्तन में ग्यारह दिन से चल रही हड़ताल का कारण था;

(ख) क्या उक्त घटना की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) दो पंजीकृत नौभरक श्रमिकों को बम्बई गोदी श्रम बोर्ड की गोवान्दी आवास बस्ती के एक क्वार्टर निरीक्षक और एक सफाई कर्मचारी पर उनके द्वारा की गई मार-पीट के मामले की जांच होने तक निलंबित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप बोर्ड के गोदी श्रमिकों ने 11 अक्टूबर, 1973 की रात की पारी से बुकिंग स्वीकार नहीं की बावजूद इसके कि परिवहन और गोदी श्रमिक यूनियन बम्बई द्वारा काम के इस अनधिकृत रोध के विरुद्ध अपील की । उसके बाद बम्बई पत्तन-न्यास कर्मचारी यूनियन, ने उनका मामला उठाया और बम्बई गोदी श्रम बोर्ड के उपाध्यक्ष के पास 22 मांगों का एक मांग-पत्र भेजा। तथापि अखिल भारतीय पत्तन और गोदी श्रमिक महासंघ की सलाह पर श्रमिक 25-10-1973 से सामान्य ड्यूटी पर आ गए।

2. बम्बई गोदी श्रम बोर्ड के श्रम अधिकारी ने इन दो संबंधित श्रमिकों के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच पूर्ण कर ली है और बम्बई गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) योजना, 1956 के उपबन्धों के अनुसार मामले की रिपोर्ट उपाध्यक्ष के पास भेज दी है। योजना में विहित अनुशासन संबंधी प्रक्रिया के अनुसार उपाध्यक्ष द्वारा आगे कार्यवाही की जा रही है।

पांचवीं योजना में रसायनिक उर्वरकों का आयात

1923. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं योजना अवधि में कितने, किस मूल्य पर तथा किन-किन देशों से रसायनिक उर्वरकों का आयात किया जायेगा?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : पांचवीं योजना अवधि में आयात किए जाने वाले उर्वरकों के अनुमानित आंकड़ों का एक विवरण संलग्न है । लागत तथा देशों के बारे में जहां से उर्वरकों का आयात किया जायेगा ठेकों के निष्पादन होने पर जानकारी प्राप्त होगी।

विवरण

पांचवीं योजना में उर्वरकों की खपत, उत्पादन तथा आयात

(लाख टनों में)

वर्ष	खपत			स्वदेशी उत्पादन			आयात		
	एन	पी	के	एन	पी	के	एन	पी	के
1974-75	29.6	8.60	5.70	16.10	4.30	—	13.5	4.30	5.70
1975-76	34.0	10.35	6.50	22.38	7.58	—	11.62	2.77	6.50
1976-77	39.1	12.40	7.50	28.12	8.84	—	10.98	3.56	7.50
1977-78	45.0	14.95	8.60	37.22	10.73	—	7.78	4.22	8.60
1978-79	52.0	18.00	10.00	47.19	13.05	—	4.81	4.95	10.00

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा रक्षा सामग्री की सप्लाई

1624. **श्री मधु लिमये** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय ने भारी मात्रा में गैर-सरकारी क्षेत्र की रक्षा संबंधी वस्तुओं की रक्षा मंत्रालय को सप्लाई की;

(ख) क्या यह मंत्रालय पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय का मुख्य ग्राहक है;

(ग) क्या गैर-सरकारी सप्लायरों के लाभ की सीमा पर कोई उपयुक्त नियंत्रण नहीं है;

(घ) क्या प्रतिस्पर्धा के अभाव में रक्षा ठेकों पर फर्मों/ठेकेदारों ने 60 प्रतिशत तक लाभ कमाया है;

(ङ) क्या रक्षा ठेकों के लिये टेंडर देने वाली पार्टियों के बीच सांठगांठ के मामले प्रकाश में आये हैं; और

(च) यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखे बिना कि ये टेंडर प्रतिस्पर्धात्मक हैं अथवा नहीं क्या रक्षा ठेकों पर गैर-सरकारी फर्मों द्वारा लिये गये लाभ के बारे में उच्चस्तरीय जांच के लिये आदेश दिये जायेंगे ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा खरीद अधिकांशतः प्रतिस्पर्धात्मक टेंडरों के आधार पर की जाती है जिसके लिए सभी क्षेत्र के उद्योग क्षमता की उपलब्धता के अनुसार प्रतियोगिता के पात्र होते हैं । फिर भी वास्तविक व्यवहार में अधिकांश सप्लाई गैर-सरकारी क्षेत्र से ही उपलब्ध होती है।

(ख) रक्षा मंत्रालय पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के मुख्य मांगकर्त्ताओं में से है।

(ग) खरीद पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा टेंडर प्रणाली के आधार पर की जाती है। जहां तक सम्भव होता है केवल न्यूनतम तकनीकी स्वीकार्य प्रस्ताव मंजूर किए जाते हैं। पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, मूल्य के औचित्य के बारे में, पहले दिए गए खरीद मूल्य, मांगकर्त्ता की अनुमानित दरों तथा उनके पास अन्य उपलब्ध जानकारी से मिलान करके, स्वयं की सन्तुष्टि कर लेता है।

(घ) जैसा कि ऊपर बताया गया है, खरीद अधिकांशतः प्रतिस्पर्धात्मक टेंडरों के आधार पर की जाती है। परन्तु ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि क्या किसी फर्म ने असाधारण रूप से ऊंचा लाभ कमाया है।

(ङ) प्रायः गुटबन्दी होती रहती है तथा ऐसी गुटबन्दी तोड़ने के लिए हमेशा प्रयास किये जाते हैं।

(च) यह आवश्यक नहीं समझा गया कि ऐसी जांच के आदेश दिए जाएं।

बाडी एण्ड कम्पनी, बम्बई द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का जमा न किया जाना

1626. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाडी एण्ड कम्पनी बम्बई के कर्मचारियों की भविष्य निधि में देय राशि को उचित रूप से जमा नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो नियोक्ताओं का कर्मचारी भविष्य निधि में कितना भाग है तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा की मेज़ पर रख दी जाएगी।

कम्पनियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारियों के अंशदान की राशि का दुर्विनियोजन

1627. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी कम्पनियों ने कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारियों के अंशदानों का दुर्विनियोग किया है;

(ख) इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) किन कम्पनियों के विरुद्ध अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है तथा इसके क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी।

वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन में वृद्धि

1628. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय पांचवीं योजना अवधि में वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या योजना आयोग ने इस संबंध में रक्षा मंत्रालय के भारी वाहन कारखाने की अपयुक्त पड़ी क्षमता उपयोग में लाने के लिये उनके मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने कुछ विद्यमान संयंत्रों को अपनी क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन संयंत्रों को विस्तार की अनुमति दी गयी है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) असैनिक उपयोग हेतु वाणिज्यिक गाड़ियों के निर्माण के लिये जबलपुर स्थित गाड़ी कारखाने में सुविधायें देने के लिये, जैसा कि भारी उद्योग मंत्रालय ने प्रस्ताव किया है, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में उचित व्यवस्था करने के लिये योजना आयोग सहमत हो गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाने पर ही इस विषय में अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) मैं० अशोक लेलैंड लि०, मैं० टेल्को और मैं० बजाज टैम्पो लि० के संयंत्रों को विस्तार की अनुमति दे दी गई है।

मुद्रण उद्योग में काम आने वाली ब्लॉक बनाने की सामग्री की कमी

1629. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अक्टूबर, 1973 के "पेट्रियट" में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक विदेशी एकाधिकारी गृह, जो मुद्रण के ब्लाकों के लिए अपेक्षित जस्ते के विशेष प्रकार के शीट बनाता है, अपने विदेश स्थित मुख्यालय से मूल्य बढ़ाने के आदेशों की प्रतीक्षा में अपना स्टाक दबाये बैठा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारण उक्त सामग्री की अत्यन्त कमी हो गई है जिससे मुद्रण उद्योग को बहुत हानि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) जस्ता चादरों की अनुपलब्धि के बारे में किसी से कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) तथापि, उत्पादक कम्पनी से छानबीन कर ली गई है कि अब सामान्य व्यापार स्रोतों से माल बाजार में आने लगा है।

उड़ीसा के सुकिन्दा में निकल निक्षेपों का विकास

1630. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सुकिन्दा में निकल निक्षेपों के विकास के लिये सार्वजनिक क्षेत्र में एक निगम स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना से प्रति वर्ष 4800 मीटरी टन निकल पाउडर तथा 200 मीटर टन कोबाल्ट पाउडर के उत्पादन करने का विचार है;

(ग) क्या इस परियोजना से उप-उत्पाद के रूप में अमोनिया सल्फेट उर्वरक का उत्पादन हो सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग समूह के पूरा होने के लिये क्या समय निर्धारित किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) जी, हां ।

(घ) परियोजना के 1978 तक पूरा हो जाने की आशा है ।

रायरानीपुर, उड़ीसा की फेरो-वैनडियम परियोजना

1631. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 करोड़ रुपये की लागत से उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरानीपुर में स्थापित की जाने वाली फेरो-वैनेडियम परियोजना को पांचवी योजना में सम्मिलित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी संभावित समय सारिणी तथा कार्यक्रम क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम (उड़ीसा सरकार का एक उपक्रम) को उड़ीसा में रायरंगपुर के समीप प्रतिवर्ष 480 टन फेरो-वैनेडियम के उत्पादनार्थ फेरी वैनेडियम का एक कारखाना लगाने के लिए आशय-पत्र दिया गया है । पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस प्रायोजना के लिए धन की व्यवस्था करने और केन्द्रीय सरकार द्वारा इसमें भाग लेने के प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) पांचवी योजनावधी में इस प्रायोजना का कार्य आरम्भ होने की संभावना है ।

इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज़ पेपर सोसाइटी द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीसरे मजूरी बोर्ड का विरोध

1632. **श्री एम० सुदर्शनम** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज पेपर सोसायटी ने श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीसरे मजूरी बोर्ड की नियुक्ति का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूज पेपर सोसाइटी द्वारा इसके क्या कारण बताये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) ये कारण मुख्यत: इस प्रकार हैं :—

(1) लगभग प्रत्येक छोटे समाचार-पत्र ने बयान किया है कि वह नये मजूरी बोर्ड की स्थापना के पक्ष में नहीं है । कुल 262 समाचार पत्रों में से आई० ई० एन० एस० की नामावली में 188 छोटे और मध्यम समाचार पत्र हैं । ये नये मजूरी बोर्ड को बनाने के स्पष्टत: विरुद्ध हैं ।

(2) इंडियन लैंग्वेजेज़ न्यूजपेपर ऐसोसिएशन, जो भारतीय भाषाओं के प्रकाशनों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, इस नियुक्ति के विरुद्ध इन कारणों से है, अर्थात् (क) श्रमजीवी पत्रकारों को फिटमेंट और उन मजूरी-दरों का लाभ प्राप्त हैं जिनकी सिफारिशें श्रमजीवी पत्रकारों के पहले और दूसरे मजूरी बोर्डों ने की है; (ख) वेतन-मानों और महंगाई भत्ते

को अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा गया है, और इसलिए, जब वह बढ़ जाता है तो महंगाई भत्ते की प्रमात्रा में वृद्धि हो जाती है। श्रमजीवी पत्रकारों को मूल्यों में वृद्धि के विरुद्ध अच्छा संरक्षण प्राप्त है;

(ग) यद्यपि उत्पादन की लागत और कर्मचारियों के सम्बन्ध में नियोजकों के कानूनी दायित्व प्रत्येक वर्ष बढ़ रहे हैं, तो भी नियोजकों को कोई राहत नहीं दी जाती; (घ) ऐसे मामलों में जिनमें कुछ एक समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों ने विज्ञापन की दरों की ढांचे और फुटकर बिक्री मूल्य के फलस्वरूप भारी लाभ प्राप्त किए हैं। लाभ को बोनस के रूप में बांटने के लिए नियोजक और कर्मचारियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत की जाए।

(3) जैसा कि गैर-पत्रकारों ने स्पष्ट रूप से ब्यान किया है कि वे मजूरी बोर्ड नहीं चाहते हैं, समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के 75 प्रतिशत श्रमिक दिलचस्पी नहीं रखते। यदि पत्रकारों के लिए मजूरी बोर्ड बनाया जाये और गैरपत्रकार कोई मजूरी बोर्ड नहीं चाहते तो सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेशात्मक सिद्धान्त-वाक्य को कि उद्योग की क्षमता को सदा दृष्टि में रखा जाना चाहिए, ध्यान में रखते हुए उन कुल नए बोझों के बारे में राय बनाना सम्भव नहीं होगा जो समाचार पत्र प्रतिष्ठान पर पड़ जायेंगे।

(4) मजूरी बोर्ड केवल ऐसे उद्योगों के सम्बन्ध में स्थापित किए जाते हैं जो विनियमित नहीं हैं जिनमें अनुशासन नहीं है और जो वास्तविक अस्त-व्यस्त अवस्था में हैं। समाचार-पत्र, उद्योग के मामले में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कि प्रत्येक आकस्मिकता के लिए उपबन्ध विद्यमान है।

(5) समाचार-पत्रों को कुछ अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है, जैसे आयात किए गए अखबारी कागज़ पर अतिरिक्त शुल्क, छपाई की मशीनों पर सीमा-शुल्क में वृद्धि और आयात किए गए अखबारी कागज़ के मूल्य में प्रत्याशित भारी वृद्धि।

विजय नगर इस्पात संयंत्र परियोजना

1633. श्री सी० के० जाफरशरीफ:
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी:

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मैसूर की हास्पेट स्थित विजयनगर इस्पात संयंत्र परियोजना की जल सप्लाई योजना के लिए 53 लाख रुपये की राशि तथा चूने का पत्थर और डोलोमाइट सप्लाई करने सम्बन्धी अन्वेषणात्मक कार्य के लिये 25 लाख रुपये की राशि आवंटित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) जी, नहीं।
(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र में "शिप ब्रेकिंग" कारखानों की स्थापना

1634. डा० कर्णी सिंह : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में कुछ "शिप ब्रेकिंग" कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उनके उद्देश्य तथा आर्थिक उपयोगिता क्या हैं; और

(ग) क्या भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ 'शिप ब्रेकिंग' कारखाने पहले ही से विद्यमान हैं और यदि हां, तो कौन कौन से ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हसंदा) : (क) से (ग) चालू वर्ष के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति में "केवल पुराने तोड़े जाने वाले जहाजों के रूप में पुनर्बेलन योग्य स्क्रैप" के आयात की व्यवस्था है । ऐसे जहाजों का आयात मेटल स्क्रैप टेडे कारपोरेशन लि० के माध्यम से किया जाता है । यद्यपि जहाज तोड़ने का काम पुर्नगठित मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन के कार्यों में शामिल हैं, तथापि अब तक इस कारपोरेशन ने यह काम स्वयं नहीं किया है ।

जहाज तोड़ने से स्क्रैप निकलता है । इस प्रकार प्राप्त होने वाला स्क्रैप पुनर्बेलन योग्य रद्दी लोहा होता है । कुछ मात्रा में पिघलाया जा सकने वाला स्क्रैप तथा अलोह स्क्रैप भी निकलता है । इस समय इस क्षेत्र में सुव्यवस्थित ढंग से यह कार्य नहीं हो रहा है । फिर भी कुछ पार्टियां जो अधिकतर बम्बई में हैं या तो स्वयं अथवा आगे ठेके देकर जहाज तोड़ने का काम करती हैं । ऐसी कुछ पार्टियों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

(1) मेसर्स विश्वनाथ रूपा एण्ड कं०, बम्बई ।

(2) मेसर्स खानभाई युसुफभाई, बम्बई/कलकत्ता ।

(3) मेसर्स स्टील कारपोरेशन आफ बाम्बे, बम्बई ।

(4) मेसर्स आबिद एण्ड कम्पनी, बम्बई ।

(5) मेसर्स एन० साराभाई एण्ड संस, बम्बई ।

(6) मेसर्स इंडियन मैटल ट्रेडर्स, बम्बई ।

सरकारी खरीदों में मूल्यों सम्बन्धी प्राथमिकता

1635. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री मूल चन्द डागा :

क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सरकारी खरीदों में सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों की तुलना में लघु क्षेत्र के औद्योगिक कारखानों को मूल्य सम्बन्धी प्राथमिकता देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक रियायतें दी जायेंगी तथा कब से ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां ।

(ख) जहां लघु यूनिट तथा सरकारी क्षेत्रीय उद्यम एक ही माल के लिए प्रतियोगिता में भाव भेजते हैं, वहां लघु क्षेत्र के औद्योगिक यूनिटों को सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के मुकाबले में 5 प्रतिशत तक का मूल्य अधिमान दिया जाता है बशर्ते कि समग्र मूल्य अधिमान 15 प्रतिशत के क्रम में हो जो गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े पैमाने के यूनिटों के मुकाबले लघु क्षेत्र के औद्योगिक यूनिटों को स्वीकार्य हों । यह 15 मार्च, 1973 से प्रभावी है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का निर्माण तथा प्रसार कार्यक्रम

1637. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगो से कहा है कि वे आगामी पांच वर्षों के लिये अपने निर्माण तथा प्रसार कार्यक्रम की अग्रिम रूपरेखा प्रस्तुत करें ;

(ख) यदि हां, तो यह रूपरेखा अब तक कितने उद्योगों ने प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) केन्द्रीय मंत्रालय की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) अब तक पन्द्रह ने ।

(ग) संबोधित किए गए बाकी एककों में से उचित संख्या से जैसे ही उत्तर प्राप्त होंगे, वैसे ही प्रत्येक उद्योग की पार्टियों को बातचीत के लिए बुलाने का विचार है । बातचीत के दौरान उनकी योजनाओं की प्रारम्भिक बाह्यरूप रेखा और अपेक्षित न्यूनतम निवेश को निर्धारित किया जा सकता है ताकि उत्पादन-तालिका के पूर्ण समन्वय से इन निवेशों को उपलब्ध कराने के लिए एक समय-सीमा तैयार की जा सके, इसके साथ ही पांचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं की तुलना में उत्पादन में अन्तर, यदि कोई हो, तो उन अन्तरों को पूरा करने के लिए आगे कदम उठाने के लिए उत्पादन में अन्तर का पहले से ही पता लगाया जायेगा ।

Indian P. O. Ws. Repatriated from Pakistan

1638. **Shri Phool Chand Verma :**
Shri Chandulal Chandrakar :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total number of Indian P.O.Ws. repatriated to India from Pakistan;

(b) whether the Pakistan Government maltreated the Indian P.O.Ws., during the period of cease-fire ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) 635 Indian Prisoners of War were repatriated from Pakistan.

(b) and (c) Some Indian personnel repatriated from Pakistan complained of ill-treatment while they were in custody. A protest was accordingly lodged through the Committee of International Red Cross, whose final reply in the matter is still awaited.

अमरीका के सेक्रेटरी आफ़ स्टेट के साथ वाशिंगटन में बातचीत

1639. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन में 3 अक्तूबर, 1973 को उनकी अमरीका के सेक्रेटरी आफ स्टेट के साथ कोई बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर बात-चीत हुई;

(ग) क्या भारत-पाकिस्तान शस्त्रास्त्र समानता पर भी बातचीत हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत-अमरीका सम्बन्धों पर तथा पारस्परिक हितों के कुछ अन्य विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था ।

(ग) और (घ) इस बातचीत के दौरान भारत के साथ शस्त्र समता के बारे में प्रधान मंत्री भुट्टो के वक्तव्य का उल्लेख हुआ था । संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि दोनों देशों की सामरिक एवं सुरक्षात्मक समस्याओं में बहुत अधिक अन्तर है तथा दोनों की तुलना नहीं की जा सकती ।

भारत और ब्रिटेन के बीच वार्षिक द्विपक्षीय वार्ता

1640. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :**
श्री मोहम्मद शरीफ़ :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व की गतिविधियों और विपक्षीय संबंधों का पुनर्विलोकन करने के बारे में भारत और ब्रिटेन के बीच कोई वार्षिक द्विपक्षीय वार्ता हुई थी अथवा होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच सरकारी स्तर पर वार्षिक द्विपक्षीय वार्ता लंदन में 20 नवम्बर, 1973 को आरम्भ हुई और वह 22 नवम्बर, 1973 को समाप्त होगी । आशा की जाती है कि इस वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, द्विपक्षीय राजनीतिक तथा आर्थिक मामलों और आपसी हित के अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी ।

रक्षा विभाग में कुशल कारीगर

1641. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा विभाग के कुशल कारीगरों को एक क्लर्क से कम मजूरी दी जाती रही है (इस समय कारीगर का वेतनमान 110-3-131-4-143-4-155 रुपये है जबकि लोअर डिवीजन क्लर्क का वेतन मान 110-3-131-4-143-द०रो०-4-180 रुपये है);

(ख) यदि हां, तो कुशल कारीगर और एक क्लर्क के बीच यह असमानता अभी तक क्यों रखी जा रही है जबकि संयुक्त सलाहकार मशीनरी की योजना के अधीन मध्यस्थता पंचाट के परिणामस्वरूप केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कुशल कारीगर के वेतनमान क्लर्क के समान कर लिये गये हैं; और

(ग) क्या तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने से पूर्व इस पंचाट को रक्षा विभाग में लागू किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) रक्षा स्थापनाओं में विभिन्न कोटियों के ट्रेडसमैन 100-3-130 रुपये से 150-5-180 रुपये तक के वेतनमानों में हैं। वास्तव में इन स्थापनाओं में इस समय कुशल ट्रेड्समैन की कुछ ही कोटियां ऐसी हैं जिनका वेतनमान निम्न श्रेणी लिपिक के वेतनमान, अर्थात् 110-3-131-4-155-द०रो०-4-175-5-180, के बराबर है; अन्य कोटियों का वेतनमान का तो क्लर्कों के वेतनमान से कम है या अधिक ।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुशल ट्रेड्समैन के सम्बन्ध में जो पंच-फैसला दिया गया है वह रक्षा स्थापनाओं के कुशल ट्रेड्समैन पर लागू नहीं होता ।

(ग) ऐसा करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सभी सिविल मंत्रालयों के विभिन्न कारखानों के कुशल ट्रेड्समैन के संशोधित वेतनमान सरकार द्वारा 13-11-1973 को जारी किये गये आदेशों में अधिसूचित कर दिये गये हैं और इस मंत्रालय के कारखानों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी ऐसे आदेश शीघ्र ही जारी किये जाने वाले हैं । सिविल मंत्रालयो के सम्बन्ध में 13-11-1973 को जारी किये गये आदेशों के अनुसार कुशल ट्रेड्समैन और निम्न श्रेणी लिपिकों के बीच केवल वहीं समानता रखी गयी है जहां कुशल ट्रेड्समैन पहले भी निम्न श्रेणी लिपिकों के समान वेतनमान में थे और इस मंत्रालय के कारखानों में काम कर रहे कुशल ट्रेड्समैन के बारे में कोई भिन्न मानदण्ड नहीं रखा जा सकता ।

रक्षा प्रतिष्ठानों में घातक दुर्घटनाएं

1642. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 तथा 1973 के दौरान सुरक्षा प्रतिष्ठानों में कितनी घातक दुर्घटनाएं हुईं ;

(ख) कितने मामलों में मुआवजे की अदायगी कर्मकार क्षतिपूर्ती अधिनियम, 1923 के खंड 4(क) की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित समय के भीतर की गई; और

(ग) यदि मालिक ने निर्धारित समय के भीतर अदायगी नहीं की, तो इसके क्या कारण हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

रक्षा विभाग के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के बीच विषमता

1643. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छुट्टियों और राजपत्रित छुट्टियों के मामले में रक्षा विभाग के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के बीच अब तक भी विषमता है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) जी हां श्रीमन् । औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के बीच अन्तर सरकार के सभी विभागों में विद्यमान है और वेतन आयोग की सम्बन्धित सिफारिशों के प्रकाश में इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

लाजपतनगर, नई दिल्ली के मकान मालिकों को अतिरिक्त भूमि का कब्जा सौंपने में विलम्ब

1644. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970 तथा इसके बाद सरकार ने लाजपतनगर नई दिल्ली के मकानों के साथ 50 वर्ग गज़ भूमि के अतिरिक्त टुकड़ों का नियतन किया था और क्या इन के मूल्य के रूप में तभी अलाटियों से राशि प्राप्त करली गयी थी;

(ख) क्या सरकारी नियतन, तथा सरकार द्वारा राशि वसूल कर लिये जाने के बावजूद अनेक मामलों में असली और कानूनी कब्जा नहीं दिया गया है जबकि कुछ मामलों में ऐसा बहुत पहले ही कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस भेद भाव के तथ्य जिन अलाटियों ने अदायगी कर दी है उन्ह ज़मीन का कब्जा सौंपने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इन अलाटियों को किस तिथि तक भूमि का कब्जा दिये जाने की सम्भावना है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जो० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) जी, हां । लाजपतनगर/विनोबापुरी, नई दिल्ली में पूरी लागत केवल 6 मामलों में प्राप्त हुई थी । 3 मामलों में पट्टे के पूरक दस्तावेज जारी कर दिए गए थे, परन्तु शेष 3 मामलों में पट्टे के दस्तावेज जारी नहीं किए जा सके क्योंकि मई, 1972 तक कागजातों के निष्पादन की औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई थीं, जब कि विस्तृत क्षेत्रों के (अर्थात् मूल क्षेत्र के 25 प्रतिशत से अधिक) भूमि के अतिरिक्त पट्टियों के रूप में हस्तान्तरण के सम्बन्ध में निर्णय की समीक्षा की गई थी । फिर भी, इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय शीघ्र ले लिया जाएगा ।

ऐसा पाया गया है कि ये अधिकांश पट्टियां आस पास की सम्मत्तियों के एलाटियों/हस्तान्तरित व्यक्तियों के वास्तविक कब्जे में हैं ।

एवरो विमानों का उत्पादन

1645. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एवरो का उत्पादन फिर से बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) एवरो विमानों का उत्पादन बंद नहीं किया गया है । तथापि, हाल ही में निर्मित एच०एस०-748 विमान में कतिपय तकनीकी कठिनाइयों की जांच-पड़ताल हो रही है अत: विमान ग्राहकों को अभी तक नहीं दिए गये हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Production in Khetri Copper Project

1646. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the Copper Project in Khetri, Rajasthan has started production; and

(b) if so, the production per month at present and the annual production target?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a) No Sir. The production of Copper Metal at Khetri Copper Project has not yet started. The Smelter is expected to be commissioned in 1974.

(b) Does not arise.

Production of Indian Copper Company, Ghatsila

1647. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state the month-wise production of the Indian Copper Company, Ghatsila from January, 1973 to September, 1973.

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): The month-wise production of copper of Indian Copper Complex, Ghatsila from January, 1973 to September, 1973 is given below:—

Month	Production (in metric tonnes)
January	1126
February	980
March	1101
April	808
May	802
June	705
July	1004
August	1251
September	652

छोटानागपुर बिहार में एल्यूमिनियम उद्योग

1648. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार का बिचार विहार के छोटानागपुर क्षेत्र में एलयूमिनियम उद्योग की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) बिहार के रांची-पलामू जिलों के पूर्ण-स्वामित्व वाले क्षेत्र में बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित एलुमिनियम उद्योग स्थापित करने के बारे में बिहार सरकार को राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा तैयार की गई साध्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई है । साध्यता रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

'लेबर ब्यूरो' कार्यालय का शिमला से चण्डीगढ़ स्थानान्तरण

1649. **श्री बसन्त साठे :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'लेबर ब्यूरो' कार्यालय को शिमला से चण्डीगढ़ स्थानान्तरित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) श्रम ब्यूरो का एक भाग पहले ही अगस्त, 1971 में शिमला से चण्डीगढ़ स्थानान्तरित किया जा चुका है । श्रम ब्यूरो के शेष भाग के लिए स्थान की व्यवस्था चण्डीगढ़ में करने के लिए जगह संबंधी आवश्यकताओं की जांच की जा रही है ।

बोकारो इस्पात संयंत्र में स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति

1650. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबन्धक मंडल स्थानीय लोगों की नियुक्ति को कोई प्राथमिकता नहीं दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) बोकारो स्टील लिमिटेड, सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई भर्ती की नीति का पालन कर रही है । इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की भी व्यवस्था है कि अकुशल कामगारों, कुशल कामगारों, लिपिकों, तथा अन्य गैर-तकनीकी पदों, जिनके वेतनमान अपेक्षाकृत कम हैं को भर्ती के मामले में प्रायोजना के लिए अर्जित की गई भूमि से विस्थापित हुए व्यक्तियों अथवा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों कों प्राथमिकता दी जाए । इन श्रेणियों के लिए भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालयों की मार्फत की जाती है । जहां तक उच्च पदों का सम्बन्ध है इन पदों के लिए व्यक्ति अखिल भारतीय आधार पर गुणावगुण तथा अर्हताओं के अनुसार चुने जाते हैं ।

बड़े औद्योगिक गृहों में कर्मचारियों की सेवाओं के संरक्षण हेतु विधान

1651. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसा कानून बनाने का है जिसके अन्तर्गत बड़े औद्योगिक गृहों को अपने कर्मचारियों की सेवाओं को संरक्षण देने को कहा जायेगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) सरकार का विचार औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में एक व्यापक विधेयक लाने का है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रोजगार सहायता नियमों का संशोधन

1652. **श्री नरेन्द्र सिंह:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोजगार सहायता नियमों में संशोधन करने संबंधी कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिनके अन्तर्गत नौकरी के इच्छुकों को उनकी इच्छा के अनुकूल एक अथवा अधिक रोजगार दफ्तरों में नाम लिखाने की अनुमति दी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है; और

(ग) संबंधित नियमों में संशोधन कब तक किया जाना है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रस्तावित संशोधन की, जिससे उम्मीदवार एक या अधिक रोज़गार कार्यालयों में अपने नाम पंजीकृत करा सकेंगे, पेचीदगियों पर अभी राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा लग्जमबर्ग और श्रीलंका में कारखाने की स्थापना

1653. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने लग्जमबर्ग में एक कारखाना लगाने का निर्णय किया है और यदि हां, तो कारखाने के कृत्य क्या होंगे;

(ख) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स श्री लंका में ऐसे ही कारखाने की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसने मशीन टूल्स उद्योग की स्थापना करने में इसकी परामर्शदात्री सेवाएं मांगी है और वर्तमान तकनीकी सहयोग करार में संशोधन करने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने अपनी मशीनों को परिसज्जित करने के लिये लग्जम्बर्ग में एक लघु 'बेस शाप' स्थापित करने का निश्चय किया है। प्रस्तावित बेस की स्थापना करने का मुख्य प्रयोजन यूरोप में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के मशीनी औजारों की निर्यात-बिक्री को बढ़ाना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

फील्ड मार्शल मानेकशा को उपलब्ध की गई सुविधाएं:

1654. **श्री रणबहादुर सिंह:**
श्री जगन्नाथ मिश्र:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फील्ड मार्शल मानेकशा को कुछ ऐसी सुविधाओं से वंचित किया गया है जो उन्हें अपने पद के अनुसार मिलनी चाहिये थीं;

(ख) यदि हां, तो भारत के फील्ड मार्शल को किस प्रकार की सुविधायें मिलनी चाहिए; और

(ग) फील्ड मार्शल को इस समय किस प्रकार की सुविधायें दान की गयी हैं?

रक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) और (ग) जनरल एस० एच० एफ० जे० मानेकशा को 1 जनवरी, 1973 को फील्ड मार्शल बनाया गया था। उक्त तारीख से उन्हें 4000 रुपए मासिक के अपने वेतन के अलावा 500 रुपए प्रति मास का अतिरिक्त वेतन दिया गया। यह अतिरिक्त वेतन उन्हें न केवल 14 जनवरी, 1973 तक थल सेनाध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल तक, बल्कि 15-1-1973 से 14-7-1973 तक छः महीने की अपनी छुट्टी के दौरान भी मिलता रहा। 15 जुलाई 1973 से फील्ड मार्शल को थल सेनाध्यक्ष के रूप में 1200 रुपये मासिक की अपनी सामान्य पेन्शन के अलावा 400 रुपए प्रति मास माह और मंजूर किये गये। 1600 रुपये मासिक की इस कुल रकम को विशेष वेतन माना गया। 28-2-1973 को जारी किये गये सरकारी आदेशों में यह कहा गया था कि फील्ड मार्शल को और कोई भत्ते अथवा परिलब्धियां नहीं मिलेंगी। साथ ही यह भी कहा गया था कि वह आजीवन सक्रिया सूची में रहेंगे।

फील्ड मार्शल मानेकशा को उपर्युक्त आदेशों के अनुसार वेतन और भत्ते स्वीकार किये गये हैं।

Supply of Steel Quota to Bogus Establishment in U. P. and Bihar

1655. **Shri Ran Bahadur Singh :**
Shri Vikram Mahajan :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have received reports that about 30 percent establishments in Uttar Pradesh and Bihar which get steel quota regularly have no existence and are bogus;

(b) whether they have also seen reports that 10 lakhs tonnes of steel worth Rs. 150 crores is lying in the stores of about 150 Projects throughout the country while work on the other several projects in the country have come to a standstill for want of steel; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) (a) : No, Sir.

(b) Presumably the reference is to the News Item which had appeared in the Nav Bharat Times on 12-9-73. What is stated in the press report is not correct.

(c) The situation has been kept under constrant watch to prevent any large accumulation of inventories with the consumers.

रक्षा विभाग के कब्जे में फालतू भूमि का होना

1656. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा विभाग के कब्जे में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों तथा दिल्ली तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों में फालतू भूमि है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लोक लेखा समिति द्वारा अपने 26 वें प्रतिवेदन में दिये गये इस सुझाव को स्वीकार करने का है कि जिस भूमि की सरकार को निकट भविष्य में किन्हीं विशिष्ट परियोजनाओं के लिये आवश्यकता नहीं है उसका यथाशीघ्र निपटान किया जाये; और

(ग) जैसे कि लोक लेखा समिति ने सुझाव दिया है कि क्या सरकार इस प्रश्न की जांच करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति करेगी ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब राज्यों में रक्षा विभाग के कब्जे में कतिपय फालतू भूमि है । राजस्थान राज्य तथा दिल्ली और चण्डीगढ़ के संघ शासित क्षेत्रों में कोई फालतू भूमि नहीं है।

(ख) सरकार ने लोक लेखा समिति के सुझाव को मान लिया है।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रश्न भी एक ऐसी समिति को भजा गया था।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा इस्पात के मूल्य में वृद्धि

1657. **श्री ए० पी० शर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्तुस्तान स्टील लिमिटेड ने 15 अक्टूबर, से 30 अक्टूबर, 1973 तक के एक पक्ष के भीतर दो बार इस्पात के मूल्य में भारी वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हसंदा) : (क) और (ख) विक्रय लोहे तथा इस्पात की मदों के मूल्य संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा समय-समय पर घोषित किए जाते हैं। संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा 15-10-73 को की गई घोषणा के अनुसार प्लेटों, संरचनात्मकों तथा रेलवे सामग्री जैसी श्रेणियों के मूल्यों में परिवर्तन नहीं किए गए हैं जबकि अन्य श्रेणियां के मूल्यों में विभिन्न दरों से वृद्धि की गई है । मूल्यों में वृद्धि मुख्यत: उत्पादन लागत बढ़ाने के कारण तथा कुछ प्रकार के इस्पात की खपत को कम करने की आवश्यकता तया अर्थ व्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों को इस्पात की आपूर्ति सुनिश्चत करने के कारण करनी पड़ी है।

(ग) जी, हां।

पाँचवीं योजना में कागज तैयार करने के लिए संयंत्रों का निर्माण

1658. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में देश के मशीनरी निर्माताओं को कागज बनाने वाले समूचे संयंत्र प्रदान करने की क्षमता पर भारी संदेह है;

(ख) यदि हां, तो देश में बड़े आकार के संयंत्रों को तैयार करने की वर्तमान क्षमता क्या है; और

(ग) पांचवीं योजना के अन्त में इसकी कितनी आवश्यकता होगी ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) देशी मशीन निर्माता प्रतिदिन 200 मी० टन तक संयंत्रों का उत्पादन कर सकते हैं।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 6,00,000 मी० टन कागज की कमी होने का अनुमान है । यह देशी मशीनों द्वारा पूरा किया जा सकता है ।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में इस्पात उत्पादन का लक्ष्य

1659. **श्री अर्जुन सेठी : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 175 लाख टन इस्पात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : पांचवीं योजनावधि में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की इस्पात उत्पादन क्षमता को 89 लाख टन पिण्ड के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर वर्ष 1978-79 तक 151.5 लाख टन पिण्ड करने का विचार है। भिलाई इस्पात कारखाने की 25 लाख टन पिण्ड की वर्तमान निर्धारित क्षमता का 40 लाख टन पिण्ड तक विस्तार करने तथा वर्ष 1978-79 में बोकारो इस्पात कारखाने की क्षमता को 47.5 लाख टन पिण्ड करने से 62.5 लाख टन पिण्ड की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होने की सम्भावना है।

इसके अलावा पांचवीं योजना अवधि की समाप्ति तक विद्युत भट्टियों से लगभग 10 लाख टन साधारण इस्पात पिण्ड/बिलेट का उत्पादन होने की सम्भावना है।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार

1660. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राउरकेला इस्पात कारखाने का विस्तार करने का विचार नहीं है।

तथापि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष प्लेटों के वर्तमान कारखाने का विस्तार करने तथा ठंडी बेलित दानेदार सिलिकन इस्पात की चादरों तथा सर्पिल संधानित पाइपों के लिए राउरकेला में उत्पादन सुविधाएं लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

जीवन-निर्वाह मूल्य सूचकांक के मामले में हेर-फेर

1662. **श्री के० एम० मधुकर :**
श्री डी० के० पंडा :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि जो जीवन-निर्वाह मूल्य सूचकांक तैयार किया गया है उसमें हेर-फर किया गया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 11 अक्तूबर, 1973 के "पैट्रियट" में "बिग बोम्बे रैली अगेंन्स्ट इन्डेक्स फ्रांड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के बारे में बम्बई से संबंधित कोई शिकायत, इस मंत्रालय को, जिसमें श्रम ब्यूरो जो कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के संकलन से संबंध रखता है, शामिल है, प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) ऐसा समाचार दिनांक 11-10-73 के पैट्रियट में छपा है।

(ग) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा समरूप और वैज्ञानिक आधार पर संकलित किये जाते हैं और इनके संकलन में कोई त्रुटि नहीं है।

श्रम न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े श्रम-प्रबन्धक के मामले

1663. **श्री के० एम० मधुकर :**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समूचे देश में श्रम न्यायालय में श्रमिकों तथा प्रबन्धकों संबंधी विवाद के अनेक मामले अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या श्रमिक न्यायालयों की वर्तमान प्रणाली से संतुष्ट नहीं है और वे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए मूलभूत परिवर्तनों की मांग कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किए गए सात स्थायी अधिकरण एवं श्रम न्यायालयों के पास औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के अधीन लंबित पड़े मामलों की संख्या इस प्रकार हैं:—

अधिकरण का नाम	लंबित पड़े मामलों की संख्या
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय	
संख्या 1, धनबाद	18 अक्तूबर, 1973 के अन्त तक की स्थिति।
संख्या 2, धनवाद	48
संख्या 3, धनबाद	40 सितम्बर, 1973 के अन्त तक की स्थिति।
संख्या 1, बम्बई	19
संख्या 2, बम्बई . . .	25 अक्तूबर, 1973 के अन्त तक की स्थिति।
कलकत्ता . .	26 सितम्बर, 1973 के अन्त तक की स्थिति।
जबलपुर . .	24 अक्तूबर, 1973 के अन्त तक की स्थिति।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में सरकार औद्योगिक संबंधों के बारे में एक विस्तृत विधान शीघ्र ही पेश करने का विचार रखती है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्तमान विवाद-निपटान-तंत्र में सुधार लाएगा।

दिल्ली के घरेलू श्रमिकों की मांगें

1664. **श्री के० एम० मधुकर :**
श्रीमती सवित्री श्याम :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को घरेलू श्रमिकों की मांगों के बारे में "घरेलू कर्मचारी एसोसिएशन, दिल्ली (रजिस्टर्ड)" के अध्यक्ष से दिनांक 24 अक्तूबर, 1973 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली के घरेलू श्रमिकों की मांग विवरण (संलग्न) में दी गई हैं।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने घरेलू श्रमिकों की मांगों की छान-बीन की है और मांगों पर निम्नलिखित कार्यवाही की है :—

(1) मांग संख्या 4, 5, 13 और 14 जो अलग मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति तथा पुलिस विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित हैं, दिल्ली के उप आयुक्त और दिल्ली पुलिस के महानिरीक्षक के पास उनके विचार जानने के लिए भेज दी गई हैं।

(2) घरेलू श्रमिकों को सांविधिक सुरक्षण देने और उनकी सेवा की दशाओं में सुधार करने के लिए उपाय और साधन ढूंढ निकालने के प्रश्नों पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने समय-समय पर विचार किया है । तथापि मुख्य रूप से, इस प्रकार के किसी कानून को प्रवर्तन में लाने की कठिनाई और ऐसा कानून बनाने के परिणामस्वरूप घरेलू श्रमिकों को बड़े पैमाने पर छंटनी हो जाने की संभावना के कारण इस प्रयोजन के लिए कोई सांविधिक उपबन्ध करना संभव नहीं पाया गया।

(3) दिल्ली प्रशासन ने सूचना भेजी है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे श्रमिक कल्याण केन्द्रों का इस्तेमाल करने में घरेलू श्रमिकों को नहीं रोका जाता है । लेकिन घरेलू श्रमिकों के लिए अलग से कल्याण केन्द्र खोलने के लिए अथवा रात्रि कक्षायें खोलने के लिए कोई विशेष सुविधायें घरेलू श्रमिकों को नहीं दी जा सकतीं और वे वर्तमान सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

विवरण

'मांग-पत्र' (चार्टर्ड आफ डिमान्डस)

1. बेकार कर्मचारी तथा बाहर से आने वाले बेकार व्यक्ति को नौकरी तलाश करने तक के लिए रहने का स्थान व प्रशासन की ओर से अन्य सुविधा सहायता।
2. कर्मचारी को नियुक्त करने का कानून बनाया जाय, तभी कर्मचारी पर चोरी करने की धारा लागू हो।
3. कोठियों में बने सर्वेण्ट क्वाटरों को मालिकों द्वारा किराए में लगाने से रोका जाये । कोठी म बना सर्वेण्ट क्वार्टर उसी कर्मचारी को अर्जित हो, जो उस कोठी में सेवारत हो।

4. मालिकों द्वारा कर्मचारियों के प्रति अमानवीय व शोषण दुर्व्यवहारों की सामन्ती परम्परा समाप्त हो। प्रचलित धारणाओं का आधारभूत परिवर्तन हो।

5. कर्मचारियों व मालिकों के आपसी उलझनों के समाधान हेतु सरकार की ओर से एक अलग मजिस्ट्रेट की नियुति हो।

6. दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका, दिल्ली प्रशासन, डी० डा० ए० एवं भारत सरकार से एसोसियेशन को मान्यता दिलायी जाये ।

7. हर एक मालिक अपने यहां कर्मचारी रखने से पहले एसोसियेशन से दिए गए आइडेण्टी कार्ड कर्मचारी से मांगें एवं उन पर तनख्वाह देने पर हस्ताक्षर करें ।

8. कम-से-कम तनख्वाह 100 रुपये दिया जाए।

9. आठ घण्टे से ज्यादा की ड्यूटी न ली जाये।

10. सालाना एक मास की तनख्वाह समेत छुट्टी दी जाये।

11. छुट्टी देते समय एक वर्ष के हिसाब से कम-से-कम आधे महीने की तनख्वाह दी जाये।

12. बीमारी के समय तनख्वाह के साथ छुट्टी दी जाये एवं दवाई तथा इलाज की व्यवस्था की जाये।

13. झगड़े या मनमुटाव के समय एसोसिएशन की राय ली जाये।

14. कर्मचारी के बारे में मालिक की फरीयाद पर कोई कार्यवाही करने से पहले पुलिस पहले एसोसियेशन से राय ले।

15. सरकार वेल्फेयर, सेण्टर, रात्रि स्कूल वगैरह की सुविधा प्रदान करें।

16. गर्मी, सर्दी एवं वर्षा के समय में समयानुसार कपड़े एवं अन्य सुविधा प्रदान की जाय।

17. बाहर गांव से बुलाकर रखे कर्मचारी को नौकरी से हटाते समय आने जाने का पूरा-पूरा किराया दिया जाये।

18. पार्लियामेंट द्वारा उन घरेलू कर्मचारियों के लिए बिल-एक्ट पास किया जाये ।

19. एसोसिएशन एवं ब्रांचों के लिए संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा दफ्तर की व्यवस्था प्रदान की जाये।

प्रबन्धकों द्वारा अन्यायपूर्ण ढंग से सेवाएं समाप्त किये जाने के विरुद्ध कर्मचारियों की सुरक्षा

1665. श्री के० एम० मधुकर :
श्रीमती सावित्री श्याम् :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मजदूर संघों, महासंघों तथा एसोसिएशनों ने सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि अनेक मामलों में प्रबन्धक अपने कर्मचारियों की सेवाओं को अपनी इच्छानुसार समाप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या कमचारियों को न्याय के लिये श्रमिक अदालतों में जाना पड़ता है लेकिन आर्थिक, स्थिति तथा उक्त श्रमिक अदालतों की लम्बी प्रक्रिया तथा उनमें लगने वाले समय के कारण कर्मचारी तथा श्रमिक इन अदालतों में अपने मुकदमों को ठीक से लड़ने में असमर्थ रहते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या प्रबन्धकों द्वारा ऐसे मामलों में कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सारा व्यय अदा करने के संबंध में निकट भविष्य में सरकार का संसद में कोई विधेयक लाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :(क) से (घ) श्रमिकों को विवेकशून्य सेवा समाप्ति के विरुद्ध सुरक्षण देने की व्यवस्था विभिन्न श्रम कानूनों और विशेषतः औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत की गई है। कर्मचारियों की यूनियनें जब कभी यह महसूस करती हैं कि कर्मचारियों की सेवा समाप्ति में नियोजकों की कार्यवाही नाजायज और न्यायविरुद्ध है, तो उनके द्वारा विवाद उठाये जाते हैं । ऐसे मामले श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों को भी भेजे जाते हैं । इस प्रकार प्रक्रिया पर कभी-कभी व्यय भी होता है और इससे विवादों के निपटारे में विलम्ब हो जाता है । सरकार एक व्यापक औद्योगिक संबंध कानून बनाने पर विचार कर रही है ताकि उसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विवादों के शीघ्र निपटारे की व्यवस्था हो और यथाशीघ्र संसद् के समक्ष एक विधेयक लाया जायेगा।

केरल में नये भारी उद्योग

1666. **श्री ए० के० गोपालन :**
श्री वयालार रवि :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों में केरल में कौन-कौन से नये भारी उद्योग स्थापित किये जायगे; और

(ख) उनकी मोटी रूपरेखा क्या है और उसमें कितने पूंजी निवेश का प्रस्ताव है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आगामी पांच वर्षों में केरल में किसी भी नये भारी उद्योग की स्थापना करने का न तो कोई प्रस्ताव प्राप्त ही हुआ है और न चर्चा का विषय ही रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सेना में भर्ती होने के मामले में नवयुवकों की अनिच्छा की जांच करने के लिए समिति की नियुक्ति

1667. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि सेना में भर्ती होने के मामले में नवयुवकों की अनिच्छा की जांच करने के लिये लेफ्टिनेंट जनरल एस० पी० पी० थोरट की अध्यक्षता में महाराष्ट्र सरकार ने एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां तो यह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ; और

(ग) क्या सरकार अखिल भारतीय स्तर पर ऐसी ही समिति नियुक्ति करने पर विचार कर रही है जैसी महाराष्ट्र में है और यदि हां, तो कब ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन्।

(ख) समिति ने अपनी नियुक्ति से तीन महीने के भीतर, अर्थात्, 11 अक्तूबर, 1973 तक अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को दे देनी थी । यह रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गयी है, अतः

महाराष्ट्र सरकार समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने का समय और देने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(ग) जी नहीं, श्रीमन्।

पुलिस के सत्यापन के आधार पर सेवामुक्त किये गये जवान

1668. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुलिस सत्यापन रिपोर्टों के आकार पर गत तीन वर्षों में कितने जवानों को सेना की सेवा से मुक्त किया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों में बिना कारण बताये सेना से कितने जवानों को सेवा मुक्त किया गया ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) (क) : 363।

(ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

Taking over of Britania Engineering Company, Mokameh

1669. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Hari Kishore Singh :

Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether Government had taken a decision some months ago in regard to taking over and commissioning of Britania Engineering Company Limited, situated at Mokameh, Bihar;

(b) if so, the reasons for delay in taking over the company ; and

(c) the time by which Government propose to commission it?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a)Yes, Sir.

(b) & (c) As the Company is in liquidation, steps are being taken to obtain the permission of the High Court Calcutta, so that the takeover of this Company could be effected.

Manufacture of tractors by Bihar Agro-Industries Corporation with H.M.T.; help

1670. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether Government have permitted the Bihar Agro-Industries Corporation to set up a tractor manufacturing factory in Bihar with the help of H.M.T.;

(b) whether the selection of site for the proposed factory has been made; and

(c) if so, the name of the place and when the construction work on the proposed factory is expected to start?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) The factory is proposed to be set up at Fatwah. Possession of land at Fatwah is expected to be taken over shortly and construction work will start thereafter.

Closure of Britania Engineering Company Limited, Mokameh and Workers Dues

1671. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether the Britania Engineering Company Limited, Mokameh, District Patna, is closed since 26th March, 1973;

(b) if so, whether the salaries of the employees from December, 1972 to March, 1973 are outstanding against the company;

(c) whether arrears of bonus pertaining to the years 1971-72 and 1972-73 are also outstanding against the company;

(d) whether arrears of gratuity etc. are also outstanding against the company; and

(e) if so, the total arrears of workers outstanding against the company and the action taken or proposed to be taken by Government for payment thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (e) The matter falls essentially in the State sphere.

Amendment of Industrial Disputes Act, 1947

1672. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Government have been considering amendments of Industrial Disputes Act, 1947; and

(b) If so, the reasons for delay in bringing up the amending Bill?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) Yes, Sir.

(b) The details of the amending Bill are being worked out by Government.

Declaration of medical representatives and university employees as "Workmen" under Industrial Disputes Act

1673. **Shri Ramavatar Shastri** :
Shri Saroj Mukherjee :

Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Medical Representatives working in the drug manufacturing industry in the country and the employees working in the Universities have been demanding for years together that they be declared 'workmen' by making amendment in the Industrial Disputes Act;

(b) whether memoranda have also been sent to him by their Unions in this regard; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) Yes, sir.

(c) The question of covering, among others, medical representatives and university employees under the term 'workman' under the Industrial Disputes Act, 1947 is already under Government's consideration.

आई० आई० एस० सी० ओ० में उत्पादन

1674. श्री एस० एन० मिश्र :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी नियंत्रण में लिये जाने के बाद से आई० आई० एस० सी० ओ० का उत्पादन कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस कम्पनी की त्रुटियों को दूर करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जी नहीं। अधिग्रहण के बाद से उत्पादन में सुधार हुआ है यद्यपि हाल में अक्तूबर-दिसम्बर, 1972 की अवधि में प्राप्त किए गए उत्पादन स्तर की तुलना में कुछ कमी आई है। यह कमी स्टील मैल्टिंग शाप में क्रेनों तथा ग्राउन्ड चार्जरों की स्थिति अच्छी न होने तथा धमन भट्टी स० 3 में भट्टी के अचानक फट जाने के कारण हुई है।

(ग) जी, हां। संयत्र तथा मशीनरी के प्रतिस्थापन के लिए एक योजना बनाई गई है और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। संगठनात्मक ढांचे में भी उत्तरोत्तर आवश्यक परिवर्तन किए जा रहे हैं।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सैनिक उपकरणों और पनडुब्बियों की सप्लाई

1675. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने 1971 में भारत-पाक संघर्ष में हुई क्षति को पूरा करने के उद्देश्य से अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई किये गये नये सैनिक उपकरणों और पनडुब्बियों के बारे में अनुमान लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान के मुकाबले के लिए कोई व्यवस्था की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन्।

(ख) जिन गतिविधियों का हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है उन सभी पर अपनी रक्षा योजनाओं का पुनरीक्षण करते समय विचार किया जाता है।

पाकिस्तान के साथ 'नर्म सीमाएं' रखने का प्रस्ताव

1676. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को 'नर्म' बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1973-74 में राज्यों के लिए मंजूर किया गया और दिया गया इस्पात का कोटा

1677. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973-74 के लिए विभिन्न राज्यों का इस्पात का कितना कोटा मंजूर किया गया तथा कितनी मात्रा उन्हें सप्लाई की गई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हसंदा) : वर्तमान वितरण नीति के अन्तर्गत कोटा देने तथा राज्यवार आवंटन करने की व्यवस्था नहीं है । मुख्य इस्पात कारखानों से इस्पात की सप्लाई का विनियमन इस्पात प्राथमिकता समिति करती है, जो इस्पात की उपलब्धि, उसके अन्ततः उपयोग तथा स्पर्धी मांगों को ध्यान में रखती है ।

केरल में छोटा इस्पात संयंत्र

1678. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में सरकारी क्षेत्र में एक छोटा इस्पात संयत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या उचित प्रस्ताव के बारे में इस बीच कोई निर्णय किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हसंदा) : (क) से (ग) मेसर्स स्टील कम्पलेक्स लि०, फिरोक को प्रतिवर्ष 50,000 टन साधारण, मध्यम, कार्बन तथा स्प्रिंग इस्पात के बिलेट के उत्पादनार्थ एक विद्युत भट्टी समूह की स्थापना के लिए मार्च, 1972 में औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था। पहली इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस 26 अगस्त, 1973 को चालू की गई थी और दूसरी भट्टी इस वर्ष के अन्त तक चालू की जाने की सम्भावना है ।

इस प्रायोजना को छोड़कर, जो संयुक्त क्षेत्र में होगी और जिसमें केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० भी भागीदार होगी, केरल में सरकारी क्षेत्र में दूसरा कोई लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने का अन्य कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

केरल के लिए विशेष इस्पात कारखाना

1679. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में विशेष इस्पात कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी विस्तृत रुपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हसंदा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्रमिक संकट के कारण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर के उत्पादन को क्षति

1680. श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को गत वर्ष उसके बंगलौर स्थित कारखाने में दीर्घकाल तक श्रमिक संकट बने रहने के कारण उत्पादन में भारी क्षति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी क्षति हुई और सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दीर्घकाल तक श्रमिक संकट बने रहने के कारण वर्ष 1972-73 की अवधि में एच० एम० टी० I और II बंगलौर को लगभग 321 लाख रुपये की शुद्ध उत्पादन हानि हुई ।

संतोषजनक स्तर पर औद्योगिक सम्बंध बनाये रखने, और अंतर-यूनियन प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पादन की हानि का पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रयास किये जा रहे है ।

कोककर और गैर-कोककर कोयला खानों को सरकारी नियंत्रण में लेने से पूर्व इन खानों के मालिकों के पास श्रमिकों को देय जमा राशियां

1681. श्री रोबिन सेन : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोककर और गैर-कोककर कोयला खानों को अपने नियंत्रण में लेते समय, भूतपूर्व नियोजकों के पास श्रमिकों को देय राशियां भारी मात्रा में जमा थीं ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न मदों के अन्तर्गत श्रमिकों को देय कुल कितनी राशि जमा थी और कोयला खान प्राधिकारियों और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा ये राशियां वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सरकार को इस बारे में जानकारी है ।

(ख) ठीक-ठीक जानकारी तभी उपलब्ध होगी जब कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 23 और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 20 के अधीन भुगतान आयुक्त के पास दावे दायर किए जाएंगें।

आर्मी आर्डनेंस कोर में असैनिक अधिकारी

1682. श्री शशि भूषण :
श्री सतपाल कपूर :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1961-62 में आर्मी आर्डिनेंस कोर में भण्डारों से सम्बद्ध तकनीकी लिपिक कार्य करने वाले कार्यालयों में नियुक्ति के लिये सैनिक अधिकारियों के बदले असैनिक अधिकारियों को लिपिक पदाली में से पदोन्नति दे कर लगाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो लिपिक पदाली में से पदोन्नति-प्राप्त इन अधिकारियों को उक्त कार्यालयों में असैनिक अधिकारियों के मंजूरशुदा पदों पर नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां श्रीमान। अस्थायी आधार पर कुछ पदोन्नतियां की गई थी।

(ख) चूंकि भण्डार और लिपिक पक्षों को अलग संवर्गों में संगठित कर दिया गया है, अतः कर्मचारी केवल अपनी लाइन में ही पदोन्नति के अवसर पा सकते है और उन्हें एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता।

आयुद्ध कोर के लिपिक कर्मचारी

1683. **श्री शशि भूषण :**

श्री सतपाल कपूर

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक आयुध कोर में विभिन्न स्टैटीक/फील्ड आर्डनेंस और एमूनिशन डिपुओं में विभिन्न श्रेणियों में काम कर रहे ऐसे लिपिक कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें कार्मिक कार्यालयों के लिये अधिकार प्राप्त है और उन्हें राजपत्रित पदों पर पदोन्नति के लिये क्या क्या अवसर उपलब्ध हैं ; और

(ख) कार्मिक कार्यालयों के अतिरिक्त सैनिक आयुध कोर में विभिन्न स्टैटिक/फील्ड आर्डनेंस और मूनिशन डिपुओं में विभिन्न श्रेणियों में काम कर रहे लिपिक कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उन्हें राजपत्रित पदों पर पदोन्नति के लिये क्या क्या अवसर उपलब्ध हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

ट्रेलर ट्रकों का उत्पादन

1684. **श्री वी० मायावन :**

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ट्रेलर ट्रकों के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उनके उत्पादन में कितनी वृद्धि की अनुमति दी जायेगी ; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) ट्रेलर ट्रकों का और अधिक इस्तेमाल करके सड़क से ढुलाई करने की क्षमता बढ़ाने की संभाव्यता की विस्तार से जांच की जा रही है। आशा है कि इससे उतनी ही माल ढुलाई की क्षमता के लिये ईंधन की खपत में कुछ बचत होगी।

एल्यूमिना और तांबे के निर्माण में रूसी तकनीकी सहायता

1685. **श्री वी० मायावन :**

आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार देश में बौक्साइट और तांबा अयस्क के भारी निक्षेपों से ऐल्युमिना और तांबे के निर्माण के लिए सहायता देने को सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो सहायता का स्वरूप क्या है तथा वह कब दी जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) अक्तूबर, 1973 में रूसी एजेंसियों के साथ (i) मध्य प्रदेश के बौक्साइट निक्षेपों पर आधारित, जिनमें निम्न ऐलूमिना अंश के निक्षेप भी सम्मिलित हैं, निर्यात-प्रवण एलुमिना संयंत्र की स्थापना के लिए प्रोद्योग-आर्थिक साध्यता रिपोर्ट तथा (ii) मध्य प्रदेश के मालंजखण्ड ताम्र निक्षेपों पर आधारित खनन और संकेन्द्रण संकुल के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रिपोर्टों की प्राप्ति और जांच के बाद इन परियोजनाओं की स्थापना हेतु आवश्यकता पड़ने पर और अधिक सहायता के लिए रूसी अधिकारियों से संपर्क किया जाएगा।

विदेशी स्रोतों से इस्पात का आयात

1686. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**

श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले आदि की कमी के कारण इस्पात के उत्पादन में हुई कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार का विदेशी स्रोतों से अधिक इस्पात आयात करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां तो गत वर्ष देश में इस्पात का उत्पादन कितना कम हुआ और कितनी मात्रा में इस्पात का आयात करने का प्रस्ताव है तथा इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी और किन-किन देशों से इस्पात के आयात की व्यवस्था की जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) वर्ष 1973-74 के लिए 71.28 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तथापि वर्ष 1973-74 में लगभग 61.7 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है। अनुमान है कि वर्ष 1973-74 में आयात किए जाने वाले इस्पात की मात्रा लगभग दस लाख टन होगी, जिसका मूल्य लगभग 200 करोड़ रुपये होगा। किन देशों से आयात की व्यवस्था की जाएगी, यह अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में आवश्यक श्रेणियों के इस्पात की उपलब्धि तथा उपयुक्त विदेशी मुद्रा की उपलब्धि पर निर्भर है।

बोनस का नक़द भुगतान

1687. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष बोनस का नकद भुगतान करने से परिचालन में आने वाली राशि का अनुमान सरकार ने लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेलम इस्पात कारखाना

1688. **श्री सेझियान :**

श्री ई०आर० कृष्णन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में सेलम इस्पात कारखाने के निर्माण-कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह कार्य निश्चित समयानुसार चल रहा है ; और

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं और यह कार्य पूरा करने का पूनरीक्षित कदम क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हसंदा) : (क) सेलम इस्पात कारखाने का रूपांकन 70,000 टन बेदाग इस्पात, 75,000 टन बैद्युतिक इस्पात तथा 50,000 टन अन्य प्रकार के विशेष इस्पात की चादरों तथा स्ट्रिप के वार्षिक उत्पादन के लिए किया जा रहा है । इस कारखाने का विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है । इसके साथ-साथ इस प्रायोजना के प्रथम चरण का इंजीनियरी कार्य आरम्भ कर दिया गया है । इस चरण में आयातित गर्म बेलित स्टाक से 30,000 से 35,000 टन प्रतिवर्ष ठंडी बेलित बेदाग इस्पात की चादरों/स्ट्रिप के उत्पादन की परिकल्पना की गई है।

कारखाने विशेष के लिए आवश्यक भूमि अर्जित कर ली गई है और स्थल तैयार करने का काम हो रहा है । अवस्थापन सुविधाओं के विकास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय मजूरी नीति संबंधी रिपोर्ट

1689. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

श्री डी० डी० देसाई :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राष्ट्रीय मजूरी नीति पर अपनी रिपोर्ट श्रम मंत्रालय को दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस पर श्रमिक संघों के साथ विचार करने का है, यदि हां, तो कब ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) योजना आयोग के सदस्य, प्रो० एस० चक्रवर्ती के नेतृत्व में एक समिति ने मजूरी नीति पर एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार की है । इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, एक मजदूरी सेल स्थापित करने की सिफारिश की गयी है और उसमें मजूरी नीति के लिए सुझाव दिये गये हैं ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केन्द्रीय श्रमिक संघों द्वारा अपनी सदस्यता के सत्यापन के लिए सूचियां भेजना

1690. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय श्रमिक संघों से अपने सदस्यों की सूचियां वर्ष 1972 के लिए सदस्यता के सत्यापन हेतु भेजने को कहा है, यदि हां, किन-किन संघों ने ये सूचियां भेज दी हैं और उन्होंने कितनी-कितनी सदस्यता का दावा किया है ;

(ख) यह सत्यापन कब आरम्भ किया जाएगा ;

(ग) क्या सरकार सत्यापन के परिणाम प्राप्त होने तक विभिन्न त्रिपक्षीय समितियों में प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विचाराधीन प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ख) चार केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों को तथा चार अन्य संगठनों को जिनका यह दावा है कि वे अखिल भारतीय स्वरूप के हैं, अपनी-अपनी सदस्य-संख्या के दावों को, जैसी कि स्थिति 31-12-72 को थी, भेजने के लिए कहा गया है। उनके द्वारा दावा की गई सदस्यता के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

1. राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस	22,21,810
2. अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस	दावा प्रस्तुत नहीं किया है
3. हिन्द मजदूर सभा	यथोक्त
4. संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस	3,62,087
5. भारतीय मजदूर संघ	6.27,968
6. भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र	9,12,328
7. संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस (लेनिन सारणी)	2,48,594
8. राष्ट्रीय श्रम संगठन	1,80,416

(ग) और (घ) त्रिपक्षीय समितियों में प्रतिनिधित्व होने की वर्तमान कसौटी में परिवर्तन करने के प्रश्न पर सदस्यता के सत्यापन के नतीजों के उपलब्ध होने के बाद विचार किया जायेगा।

नियोजकों पर भविष्य निधि की बकाया राशि

1691. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1973 को नियोजकों से भविष्य निधि की कितनी बकाया राशि वसूल की जानी थी ;

(ख) इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भुगतान न करने के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों में भावष्य निधि की बकाया देय राशि के सम्बन्ध में सूचना, जैसी कि 30 सितम्बर, 1973 को थी, अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि, जैसा कि स्थिति 30-6-1973 को थी, भविष्य निधि के अंशदानों के सम्बन्ध में छूट-न-प्राप्त चूककर्ता प्रतिष्ठानों से 19.56 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न है।

(ग) चूक कर्त्ताओं के खिलाफ निम्नलिखित कार्यवाहियां की जाती है :—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत अभियोजन चलाया जाता है।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अन्तर्गत राजस्व वसूली कार्यवाहियां आरम्भ की जाती है ।

(3) उपयुक्त मामलों में, भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत पुलिस/न्यायालयों के पास शिकायतें दायर की जाती है ।

(4) चूक को, नियोजकों एवं ट्रेड यूनियनों सहित श्रमिकों के संगठनों, के ध्यान में लाया जाता है।

(5) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 4-ख के अन्तर्गत दंडनीय हरजाने लगाये जाते हैं ।

(6) कुछ मामलों में प्रतिष्ठानों को देय राशियों का उपयुक्त किश्तों में, पर्याप्त गारंटी, जमानत आदि प्रस्तुत करने की शर्त पर, भुगतान करने का मौका दिया जाता है ।

(7) उन कपड़ा मिलों के मामले में, जो कि दिवालिया हो गई है, उनके द्वारा बनाई गई पुन: निर्माण योजनाओं की गुण-दोष के आधार पर जांच की जाती है।

विवरण

छूट-न-प्राप्त प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में भविष्य निधि अंशदानों (प्रशासनिक खर्चों/दंडनीय हरजानों को छोड़कर) की बकाया राशि को जैसी कि स्थिति 30-6-1973 को थी, दर्शाने वाला क्षेत्रवार विवरण :—

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	क्षेत्र	भविष्य निधि अंशदानों की बकाया राशियां
(1)	(2)	(3)
1.	आन्ध्र प्रदेश	66.26
2.	असम	25.69
3.	बिहार	85.43
4.	दिल्ली	12.85
5.	गुजरात	63.03
6.	केरल	64.71
7.	मध्य प्रदेश	226.75
8.	महाराष्ट्र	623.69
9.	कर्नाटक	31.62
10.	उड़ीसा	17.99

(1)	(2)	(3)
11.	पंजाब और हरियाणा	16.43
12.	राजस्थान	28.92
13.	तमिल नाडू (पांडिचेरी सहित)	166.24
14.	उत्तर प्रदेश	216.24
15.	पश्चिम बंगाल	310.28
	जोड़ ..	1956.47

गुजरात में कोयले की कमी

1693. **श्री वेकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में और विशेषकर गुजरात में कोयले की कमी के क्या कारण है ; और

(ख) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कोयले की मांग में, विशिष्टतया बिजली घरों और इस्पात संयंत्रों की मांग में अपार वृद्धि होने के कारण, जिन्हें वैगनों के आवंटन में उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त है, अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता वाले उपभोक्ताओं को, जिसमें गुजरात भी सम्मिलित है, देश भर में हाल ही के महीनों में कोयले की कमी का सामना करना पड़ा था।

(ख) रेलवे तथा कोयला उत्पादक संगठन कोयले और कोक की ढुलाई में वृद्धि करने के लिए उपाय कर रहे हैं । सरकार ने भी विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोयले की परिवहन और वितरण संबंधी समस्याओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। लघु उद्योगों, ईट भट्ठों और घरेलू उपभोक्ताओं को कोयले की पूर्ति के लिए महत्व-पूर्ण उपभोक्ता केन्द्रों में, जिनमें गुजरात भी सम्मिलित है, अस्थायी टालें खोलने की योजनाओं का व्यापक रूप से अनुसरण किया जा रहा है । अधिकतम कोयला पूर्ति हेतु उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए रेलवे और कोयला उत्पादक एजेंसियों के प्रतिनिधियों का कलकत्ता में एक संयुक्त सैल स्थापित किया गया है।

गुजरात की स्टीम सौफ्ट और हार्ड कोक की आवश्यकता

1694. **श्री वैकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने 1973-74 के लिए अपनी स्टीम, सौफ्ट और हार्ड कोक की आवयश्यकता सूचित की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मदवार आवश्यकता कितनी है ; और

(ग) 31 अक्तूबर, 1972 तक कुल कितनी मात्रा में इनकी सप्लाई की गई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

एशिया की सुरक्षा के बारे में सोवियत प्रस्ताव

1695. **श्री डी० के० पण्डा :**
श्री भान सिंह भौरा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया की सुरक्षा के बारे में सोवियत संघ द्वारा किये गये प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव के बारे में पड़ोसी देशों के साथ चर्चा की है और यदि हां तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) सोवियत संघ ने कुछ सामान्य सिद्धान्त प्रस्तुत किए हैं जिनके आधार पर एक एशियाई सामूहिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित की जा सकती है, लेकिन उनको क्रियान्वित करने के लिए उनकी ओर से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आए हैं। हमारे विचार से इस क्षेत्र के देशों को इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करना चाहिए और एक दूसरे के परामर्श से अपनी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता की रक्षा करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को सुदृढ़ करने के उपाय ढूढ़ने चाहिए।

श्रीलंका से लौटे विस्थापितों का पुनर्वास

1696. **श्री एम० कत्तामुतु :**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रीलंका से लौटे बहुत से विस्थापितों को सरकार द्वारा उचित राहत और पुनर्वास सम्बन्धी सुविधायें प्रदान न किये जाने के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) भारत में ऐसे विस्थापितों की वर्तमान कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) उनको राहत तथा पुनर्वास की क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) भारत सरकार ने भारत-श्रीलंका करार, 1964 के अन्तर्गत श्रीलंका से भारत आने वाले प्रत्यावासियों के राहत और पुनर्वास की जिम्मेदारी को मान लिया था। श्रीलंका से लौटने पर प्रत्यावासियों को पर्याप्त राहत देने के लिए तमिलनाडु सरकार के सहयोग से विभिन्न उपाय किए गए हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपों में बागान, कृषि में पुनर्वास तथा उद्योगों में रोजगार जैसे पुनर्वास के लिए विशिष्ट योजनाएं मंजूर की गई हैं। ये सभी योजनाएं राज्य सरकारों और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों के मुख्य आयुक्त द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों

तथा मुख्य आयुक्त को आवास ऋण को छोड़कर कुछ निर्धारित सीमाओं के अन्दर व्यापार/व्यवसाय के लिए ऋण मंजूर करने के अधिकार दिए गए हैं। भारत सरकार विभिन्न राहत उपायों और पुनर्वास योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को अनुदानों और ऋणों के रूप में आवश्यक धन देती है।

(ख) अब तक श्रीलंका से भारतीय मूल के 1,20,023 व्यक्ति (28,584 परिवार) आ चुके है।

(ग) श्रीलंका से लौटे प्रत्यावासियों के राहत और पुनर्वास के लिय योजनाओं के ब्यौरों को दिखाने वाला एक विवरण सभा की मेज पर रखा है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी० 5769/73]

भागने का प्रयास करते हुए मारे गये पाकिस्तानी युद्ध बन्दी

1697. **श्री एम० कत्तामुतु :**
श्री सरजू पाण्डे :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भागते अथवा शिविरों में गड़बड़ी पैदा करने का प्रयास करते हुए कितने पाकिस्तानी युद्धबन्दी मारे गये ; और

(ख) उनमें से कितने युद्धबन्दी अपने शिविरों से गायब हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सोलह पाकिस्तानी युद्धबन्दी निकल भागने की कोशिश में मारे गये और 35 युद्ध बन्दी शिविरों में गड़बड़ी पैदा करते हुए मारे गये।

(ख) 22 युद्ध बन्दी, जो युद्ध बन्दी शिविरों से निकल भागे थे, अभी भी फरार हैं।

पूर्वी क्षेत्र में कोयले की सप्लाई की स्थिति

1698. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पूर्वी क्षेत्र में कोयले की सप्लाई की स्थिति तेजी से बिगड़ी है;

(ख) क्या कोयले के थोक और खुदरा भावों में भी तेजी से वृद्धि हुई है और अनेक क्षेत्रों में कोयला खुले बाजार से गायब ही हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) स्थिति सुधारने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है या की जा रही है तो वह क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां, मई 1973 से पूर्वी क्षेत्र में कोयले की पूर्ति में कमी हुई है। मई 1973 और उसके पश्चात्वर्ती महीनों में कोयले का प्रेषण निम्न प्रकार से था :–

	(लाख टनों में)
मई	16.79
जून	15.23

	(लाख टनों में)
जुलाई	15.08
अगस्त	14.01
सितम्बर	14.25
अक्तूबर	13.65

(ख) और (ग) कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड के पूर्वी प्रभाग के कतिपय क्षेत्रों में अभिभावी विगत 55 रुपए और 48 रुपए के आधार पर, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कीमतों के समरूप 1-11-73 से साफ्ट कोक की कीमत 60 रुपए प्रति टन समान रूप से नियत किए जाने के अतिरिक्त कोयले की गर्तमुख कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं । यह पश्चिमी बंगाल सरकार के अनुमोदन से किया गया था जिस राज्य में कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड के पूर्वी प्रभाग का अधिकांश साफ्ट कोक खपत होता है। कोयले की पूर्ति में कमी का लाभ उठाते हुए यह संभव है कि कुछ अनैतिक तत्वों ने वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए कोयले की कीमतें बढ़ा दी हो।

(ग) कोयले के उत्पादन और ढुलाई को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मानसून के समाप्त होने पर और बिजली की पूर्ति में आशायित सुधार होने से नवम्बर 1973 से उत्पादन में सुधार होने की आशा है घरेलू उपभोक्ताओं को साफ्ट कोक ठीक कीमतों पर उपलब्ध करने के लिए कोयला खान प्राधिकरण ने कलकत्ता में एक टाल स्थापित करने की व्यवस्था की है। कोयला खानों के समीप पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं को सड़क द्वारा कोयला प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कोयला के वास्तविक उपभोक्ताओं को उदारता से सड़क परमिट दिए जा रहे हैं । यह आशा की जाती है कि इन उत्पादों से स्थिति में सुधार होगा । तथापि, सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है।

कैन्टीन स्टोर विभाग (भारत) द्वारा टायलट सामग्री का क्रय

1699. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सेना के लिये कैन्टीन स्टोर विभाग (भारत) द्वारा कुल कितने मुल्य का सामान खरीदा गया ;

(ख) इस में (1) विदेशी कम्पनियों, (2) बड़े व्यापार-समूहों के नियंत्राधीन कम्पनियों, और (3) लघु उद्योगों का अंश कितना है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को दिये गए एक अभ्यावेदन में टायलट सामग्री उत्पादक कुछ लघु फर्मों ने मांग की है कि उक्त विभाग को विदेशी एकाधिकार-वादी फर्मों और समूहों की कम्पनियों की अपेक्षा केवल उन्हीं से यह सामान खरीदना चाहिये ; और

(घ) यदि हां तो इस अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

1700. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुले बाजार में इस्पात की प्रत्येक किस्म के वर्तमान मूल्य क्या हैं ;

(ख) पिछले वर्षों की इस अवधि में ये मूल्य क्या थे ; और

(ग) वर्तमान मूल्य-वृद्धि किन कारणों से हुई है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :(क) और (ख) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के इस्पात के कुल उत्पादन की बहुत कम प्रतिशत मात्रा खुले बाजार में बेची जाती है । एक विवरण संलग्न है ।

(ग) बाजार में विभिन्न श्रेणियों के इस्पात की आमद के अनुसार बाजार के भावों में समय-समय पर घटबढ़ होती रहती है । सितम्बर 1973 में हमारी परिवहन व्यवस्था पर विभिन्न प्रकार के दबाव होने के कारण कारखानों में तैयार इस्पात का स्टाक इकट्ठा हो गया था। कारखानों से अधिक प्रेषण करने के उपाय किए जा रहे हैं।

विवरण

सितम्बर, 1972 और सितम्बर, 1973 में विभिन्न कन्द्रों के खुले बाजार मूल्य

(रु० प्रति टन)

मद का नाम और केन्द्र	सितम्बर, 1972	सितम्बर, 1973
(1)	(2)	(3)
12 एम० एम० की छड़े तथा गोल छड़े		
दिल्ली	1600	1700
बम्बई .	1700	1740
कलकत्ता	1600	1600
मद्रास .	1900	1825
जोयस्ट 175 × 85		
दिल्ली	2500	2300
बम्बई .	2600	2200
कलकत्ता	2200	2000
मद्रास	2300	2300
चैनल्स 125 × 65		
दिल्ली .	2000	2400
बम्बई .	2500	3080
कलकत्ता . .	2100	2400
मद्रास . .	2300	3000
एन्गिल्स 100 × 75 × 10		
दिल्ली . .	1600	2000
बम्बई . .	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कलकत्ता .	1700	1800
मद्रास . .	2200	2500

(1)	(2)	(3)
6 एम० एम० की एम० एस० प्लेट		
दिल्ली .	1900	3200
बम्बई .	2300	3800
कलकत्ता	1800	3100
मद्रास	2350	3600
14 गज की गर्म बेलित चादर		
दिल्ली	1900	2600
बम्बई .	2100	2900
कलकत्ता	1825	2600
मद्रास	2150	2500
20 गेज की ठंडी बलित चादरें		
दिल्ली	1900	3200
बम्बई .	2300	4500
कलकत्ता	1925	3200
मद्रास	2425	3800

"पासपोर्ट फार हैरेसमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1701. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 6 अक्तूबर, 1973 के 'ब्लिट्स' में 'पासपोर्ट फार हेरे समेंट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख) जी हां। बम्बई में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के लिए अच्छी इमारत की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया गया है और उसे अधिक समुचित स्थान पर ले जाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है।

हमारी जांच-पड़ताल से पता चला है कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बम्बई द्वारा पासपोर्ट जारी किए जाने में अनुचित देरी नहीं होती है। लेकिन, जिन कुछ मामलों में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अन्य अधिकारियों द्वारा विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है, उनमें आवेदनकर्ता को यह आभास होने लगता है कि उसे पासपोर्ट देने में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खुद देरी कर रहा है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के बाहर एक पुलिस गार्ड तैनात करना पड़ा था क्योंकि हाल में अवांछनीय तत्वों ने कार्यालय में घुस कर कुछ गड़बड़ी की थी।

स्कूटरों का उत्पादन बढ़ाना

1702. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन:** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में स्कूटरों का उत्पादन बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन कारखानों को विस्तार की अनुमति दी गई है ; और

(ग) उन्हें कितनी सीमा तक विस्तार की अनुमति दी गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) निम्नलिखित तालिका में आवश्यक जानकारी दी गई है :—

फर्म का नाम जिसे विस्तार हेतु अनुमति दी गई	विस्तार की सीमा
1. मै० बजाज आटो लिमिटिड ।	प्रतिवर्ष 24,000 से 48,000 स्कूटर
2. मै० आटोमोबाइल प्रॉडक्टस आफ इंडिया लिमिटेड ।	—वही—
3. मै० एस्कार्टस लिमिटेड ।	प्रतिवर्ष 6,000 से 24,000 स्कूटर और मोटर साइकिलें

जवानों को अधिकारी संवर्ग के लिए प्रशिक्षण

1703. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना में अधिकारी संवर्ग के लिये पात्र जवानों को प्रशिक्षण देने हेतु एक नया 'प्री-सलेक्शन' बोर्ड कोर्स आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या आर्मी केडिट कालेज में प्रवेश के लिये पहले आवेदन पत्र देने वाले अभ्यार्थियों में से बहुत बड़ी संख्या में अभ्यार्थियों ने लिखित परीक्षा पास कर ली थी लेकिन विकसित व्यक्तित्व न होने अथवा भाषा पर नियन्त्रण न होने के कारण उन्हें सलेक्शन बोर्ड में असफल कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो नये कोर्स से उक्त कमियों में कहां तक सुधार होगा?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) पाठ्यक्रम की अवधि 4 से 6 सप्ताह तक होगी और इसे मुख्यालय कमानों के स्तर पर केवल अफसरों द्वारा चलाया जायेगा । यह पाठ्यक्रम प्रयोग के आधार पर चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य जवानों में पहल, निश्चयात्मकता, साधनसम्पन्नता, नेतृत्व तथा अफसरों की क्षमता पैदा करना है ताकि वे अफसर संवर्ग के लिए अर्ह हो सकें । अब तक एक पाठ्यक्रम चलाया जा चुका है ।

(ग) जी हां श्रीमन्, बहुत बड़ी सीमा तक ।

(घ) आशा है पाठ्यक्रम जवानों को अपनी व्यक्तित्व-सम्बन्धी कमियों को दूर करने में मदद देगा। जवानों पर इस पाठ्यक्रम के प्रभाव के संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी सेवा प्रवरण बोर्ड के सभी परिणाम नहीं निकले हैं ।

भारत और जर्मन जनवादी गणतन्त्र के बीच तकनीकी-आर्थिक समझौता

1704. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जर्मन जनवादी गणतन्त्र के बीच अक्तूबर, 1973 में एक तकनीकी आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे ; यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या जर्मन जनवादी गणतन्त्र भारत को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सहायता देने के लिये सहमत हो गया है; और

(ग) क्या उक्त समझौते से इन दो देशों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :(क) जर्मन जनवादी गणतंत्र तथा भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए जर्मन जनवादी गणतंत्र की मंत्रीपरिषद् के उपाध्यक्ष एवं राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष श्री गेरहार्ड श्यूरेर और योजना मंत्री श्री दुर्गाप्रसाद धर ने 17 अक्तूबर, 1973 को एक संलेख पर हस्ताक्षर किये थे। इस पर सहमति हुई कि मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ किया जायेगा:--मशीन निर्माण उद्योग, हल्का उद्योग एवं धातु सामग्री, जहाज निर्माण उद्योग, इलक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रोनिक उद्योग, खनन, रसायन उद्योग एवं कृषि, पशु पालन तथा खाद्य उत्पाद ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विशिष्ट सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) आपसी विचार-विमर्श से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों के विकास में सहायता मिलनी चाहिये।

बर्न एण्ड कम्पनी, हावड़ा का अधिग्रहण

1705. श्री रानेन सेन : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा स्थित बर्न एण्ड कंपनी का अधिग्रहण करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की मोटी रूपरेखा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) और (ख) इस संबंध में सरकार ने निर्णय ले लिया है ।

इम्फाल के मध्य में सैनिक प्रतिष्ठान

1706. श्री रानेन सेन :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल के मध्य में एक बड़े क्षेत्र पर सैनिक प्रतिष्ठान जिनमें बैरकें भी शामिल हैं, स्थित हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि लोगों ने यह मांग की है कि नगर के मध्य से इन सैनिक प्रतिष्ठानों को हटाया जाना चाहिये जिससे नगर का विकास किया जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इन मांगों के संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

खेतड़ी तांबा परियोजना के "कन्सेन्ट्रेटर प्लांट" का निर्माण

1707. श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी और कोलिहान खानों में अयस्क का नियमित उत्पादन आरंभ हो गया है ;

(ख) उक्त दो खानों में से प्रत्येक में अयस्क का प्रतिदिन कुल कितना उत्पादन होता है ;

(ग) क्या खेतड़ी तांबा परियोजना के 'कंसन्ट्रेटर प्लांट' का निर्माण हो गया है और उसमें परीक्षण कार्य आरम्भ हो गया है; यदि हां, तो उस में नियमित उत्पादन कब से आरंभ हो जायेगा; और

(घ) खेतड़ी तांबा परियोजना में प्रद्रावक संयंत्र के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय अयस्क का उत्पादन खेतड़ी की खान में लगभग 700 टन प्रतिदिन तथा कोलिहान में लगभग 500 टनप्रति दिन है, इस प्रकार कुल उत्पादन 1200 टन प्रतिदिन है।

कच्चे लोहे का निर्यात

1708. **श्री एस० ए० मुरुगप्पतम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि फिलहाल कच्चे लोहे के निर्यात में कोई नए सौदे न किए जाएं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) कच्चे लोहे की वर्तमान कमी को देखते हुए यह फैसला किया गया है कि जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता तब तक कच्चे लोहे के निर्यात के लिए नए करार न किए जाएं।

दुर्गापुर स्थित 'माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन' को समाप्त न करने का निर्णय

1709. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्गापुर स्थित 'माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरशन' को समाप्त न करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस नये तथ्य के कारण सरकार ने यह निर्णय किया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । संभवत: यह संदर्भ सरकारी उपक्रमों की समिति द्वारा अप्रैल, 1970 में संसद में प्रस्तुत की गई 65वीं रिपोर्ट से संबंधित है, जिसमें माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरशन लि० को हो रही भारी हानि और इसके निराशाजनक भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसको बन्द कर देने की सिफारिश की है । सरकार ने इस सिफारिश पर सावधानी पूर्वक विचार किया और 1971 में कंपनी को बंद न करने का निश्चय किया । निम्नलिखित कारणों से इस निश्चय पर पहुंचना पड़ा :—

(1) कंपनी में लगभग 6,500 व्यक्ति काम कर रहे थे और कंपनी को बंद कर देने से वे बेरोजगार हो जाते, जिसका दुर्गापुर क्षेत्र में औद्योगिक शांति पर विपरीत प्रभाव पड़ता ।

(2) कंपनी में लगी मशीन और उपकरण ठीक काम कर रहे थे और यदि उनका ठीक ढंग से उपयोग किया गया होता तो कोई कारण नहीं था कि कंपनी को लगातार हानि सहन करनी पड़ती ।

(3) बहुत सी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये उपकरणों का उत्पादन कंपनी कर रही थी, कंपनी को बंद करने का प्रभाव इन परियोजनाओं पर बहुत बुरा पड़ता ।

(4) कंपनी को बन्द करने के परिणामों से यूनियनों और उसके नेताओं को अवगत करा दिया गया था, और इससे श्रमिक संबंधों के सुधरने की आशा थी ।

सरकार की ये आशाएं कि किये गये उपचारी अभ्युपायों के परिणामस्वरूप माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि० के कार्यों में सुधार होगा, इस तथ्य से यह सिद्ध हो जाता है कि वित्तीय वर्ष 1972-73 में कंपनी को 12.42 लाख रुपये (अनंतिम) का लाभ हुआ । आशा है कि यह प्रवृत्ति बनी रहेगी ।

आर्मी आर्डिनेंस कोर में लोअर डिवीज़न क्लर्क

1710. **श्री सतपाल कपूर :**
श्री नवल किशोर सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्मी आर्डिनेंस कोर में 1944 में जिन मैट्रिक पास व्यक्तियों को लोअर डिवीजन क्लर्क भर्ती किया गया था वे अभी तक लोअर डिवीजन क्लर्क हैं जब कि उसी वर्ष जिन नान-मैट्रिक/मिडिल पास व्यक्तियों को स्टोरमैन भर्ती किया गया था, वे राजपत्रित अधिकारी के पदों पर पदोन्नत हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के स्पष्ट भेदभाव का सेना के इस महत्वपूर्ण विंग के दक्षतापूर्ण कार्य संचालन पर प्रभाव पड़ने की संभावना है और इस प्रकार की स्थिति को रोकने के लिए रक्षा मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) : (क) जी हां श्रीमन्। केवल 5 नान-मैट्रिक पास स्टोरमैनों को, आर्डनेंस अफसरों (सिविलियन) (स्टोर्स) के रूप में पदोन्नत किया गया है।

(ख) चूंकि आर्मी आर्डिनेंस कोर के लिपिक और भंडार-रक्षण कर्मचारियों को अलग संवर्गों में बांट दिया गया है और प्रत्येक संवर्ग में पदोन्नति के अपने अवसर हैं, अतः किसी से भेदभाव का प्रश्न नहीं उठता। आर्डनेंस अफसरों (सिविलियन) (स्टोर्स) के पद पर पदोन्नति/विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा कर्मचारियों के भंडार रक्षण संवर्ग में निष्पादन को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर की जाती है। इससे कोर के कार्य पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं पड़ा।

आर्डिनेंस कोर में सिविलियन स्टाफ़ आफिसर

1711. **श्री सतपाल कपूर :**
श्री आर० के० सीन्हा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्मी आर्डिनेंस कोर के दो संवर्गों क्लैरिकल और स्टोरकीपिंग में 1962 में दोनों संवर्गों द्वारा रखे गये राजपत्रित पदों के आधार पर सिविलियन स्टाफ आफिसर (आर्डिनेंस) के 12 पद नियत किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो आर्डिनेंस डिपों में श्रेणी दो के राजपत्रित पदों को अराजपत्रित पदों की संबद्ध संख्या के हिसाब से दो संवर्गों में नियत न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) आर्डिनेंस डिपुओं में श्रणी 2 के राजपत्रित पदों का निर्धारण काम की प्रकृति और आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। चूंकि डिपुओं कम संबंध मुख्यतया भंडारों को संभालने से हैं इसलिए क्लेरिकल संवर्ग की उपेक्षा स्टोर संवर्ग में निरीक्षणात्मक पदों की संख्या अधिक होती है।

आर्मी आर्डिनेंस कोर के सेवा निवृत यू० डी० सी०/आफिस सुपरिन्टेंडेंट

1712. **श्री सतपाल कपूर :**
श्री नवल किशोर सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्मी आर्डिनेंस कोर से गत तीन वर्षों में कितने यू०डी०सी० आफिस सुपरिनटेंडेंटस् बिना पदोन्नति पाए सेवा निवृत्त हुए; और

(ख) उन्हें पदोन्नति न किये जाने के क्या कारण थे ?

रक्षा मं लय में उप-मंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) : (क) चूंकि उच्च श्रेणी लिपिक/कार्यालय अधीक्षक के संवर्ग में सीधी भर्ती नहीं होती ; अतः कोई व्यक्ति इन संवर्गों में एक पदोन्नति पाए बिना सेवा निवृत्त नहीं हो सकता। इस अवधि के दौरान सेवा निवृत्त हुए सभी व्यक्तियों ने निम्न श्रणी लिपिक के रूप में सेवा में प्रवेश किया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अरब- ज़राइल युद्ध

1713. **श्री समर गुह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले अरब-इजराइल युद्ध को मिश्र तथा सीरिया द्वारा शुरू किया गया था और यदि हां, तो भारत सरकार के प्रवक्ता द्वारा पिछले अरब-इजराइल युद्ध को शुरू करने के लिए इजराइल को दोषी ठहराये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) भारत-रूस संधि के अनुसार रूस ने अरब-इजराइल युद्ध के प्रति आपसी नीति तथा रवैये को निर्धारित करने के बारे में भारत से परामर्श किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या अमरीका ने भी इस बारे में भारत से परामर्श किया था ;

(घ) क्या अरब-इजराइल युद्ध समाप्त करने के लिए रूसी-अमरीकी युद्ध विराम की शर्तों को अंतिम रूप देने से पूर्व भारत से परामर्श किया गया था ; और

(ङ) अरब-इजराइल संघर्ष के बारे में भारत की मूल नीति क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार के पास ऐसे कोई स्वतन्त्र साधन नहीं हैं जिनसे यह निश्चित किया जा सके कि संघर्ष कैसे शुरू हुआ। विदेश मंत्रालय के सरकारी प्रवक्ता द्वारा 7-10-73 को दिया गया वक्तव्य संलग्न है। सरकार के विचार से इस क्षेत्र में इस बार लड़ाई होने तथा इससे पहले की लड़ाइयों का मूल कारण इज़रायल का आक्रमण तथा अरब क्षेत्रों पर उसका बराबर कब्ज़ा बनाए रखना है।

(ख) से (घ) इस संबंध में भारत ने सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमरीका दोनों देशों से राजनयिक माध्यम से बराबर संपर्क बनाए रखा है। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच उस मसौदा-प्रस्ताव पर हुए समझौते की भी भारत को सूचना मिली थी जिसे उन्होंने 21-10-1973 को रक्षा परिषद में रखा था।

(ङ) अरब इज़रायल संघर्ष के संबंध में सरकार की नीति कई बार दुहराई गई है और यह सुविदित है। हमारा विश्वास है कि इस क्षेत्र में तनाव का मूल कारण इज़रायल द्वारा अरब भूमि पर अधिकार करना तथा इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को मानने से इंकार करना है। भारत का यह पक्ष है कि अक्तूबर 1973 के सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अविलम्ब क्रियान्वयन द्वारा न्यायसंगत और स्थायी निपटारा हो तथा फिलिस्तीनी जनता को उसके अधिकार मिलें।

विवरण

7-10-1973 को पश्चिम एशिया संकट पर सरकारी प्रवक्ता का वक्तव्य

पश्चिम एशिया में लड़ाई भड़क जाने से भारत सरकार अत्यधिक चिंतित हो गई है। सरकार ने बराबर यही कहा है कि इस क्षेत्र के तनाव का कारण इज़रायल का आक्रमण तथा सेना द्वारा अधिकार किए गए क्षेत्रों को खाली करने से इन्कार करना है। इज़रायल का दुराग्रह स्पष्ट रूप से वर्तमान संघर्ष का मूल कारण हैं।

हमारी पूर्ण सहानुभूति अरबों से है जिनकी पीड़ाएं विस्फोटक स्थिति को पहुंच चुकी हैं। उनका पक्ष न्यायसंगत है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का उस पर शीघ्र ध्यान देना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र के 1967 के प्रस्ताव सं० 242 के इज़रायल द्वारा शीघ्र क्रियान्वयन में एक ऐसा समाधान है जिससे इन भयंकर घटनाओं को रोका जा सकता है जिनके कारण इस क्षेत्र तथा पूरे विश्व की शांति को खतरा हो गया है।

भारी उद्योगों पर बिजली संकट का प्रभाव

1714. **श्री समर गुह :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न भारी उद्योगों पर हाल के बिजली संकट का कितना और क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) इन उद्योगों को बिजली सप्लाई की वर्तमान स्थिति क्या है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) यद्यपि सही मात्रा में अनुमान लगाना संभव नहीं है कि देश के विभिन्न भागों में की गई बिजली में कटौती के कारण भारी उद्योगों के उत्पादन में कितनी हानि हुई है, फिर भी बिजली की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में कुल मिलाकर हानि उतनी अधिक नहीं हुई है जितनी की आशंका थी। एक कारण, जिससे बिजली की कटौती का प्रभाव कम होने में सहायता मिली है, यह है कि उद्योगों में बहुत से प्रमुख निर्माताओं के पास आपत्तिकाल में बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध (केप्टिव) जनित्रण सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) विद्युत संभरण स्थिति काफी सुधर गई है और सरकार को किसी भी भारी उद्योग में इस समय हो रही भारी कमियों के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

उत्तर प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में खनिज विकास सम्बन्धी गतिविधियां

1715. **श्री नरसिंह नरायण पांडे :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "डायमंड ड्रिलिंग यूनिटों" और "पैंड प्रोस्पेक्टिव पार्टियों" की कमी के कारण उत्तर प्रदेश के उत्तर काशी, चमोली, गढ़वाल, अलमोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में खनिज विकास संबंधी गतिविधियों में विलम्ब हो रहा है ; और

(ख) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में खनिजों की संभावनाओं और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस संबंध में आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी नहीं। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का कार्य लगातार चलता रहता है और विभिन्न राज्यों के कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष केन्द्रीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम बोर्ड की बैठक में तय किए जाते हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश के हिमालयवर्ती क्षेत्रों में खनिजों के पूर्वेक्षण तथा इस संबंध में पांचवीं योजना के दौरान शुरू की जाने वाली प्रायोजनाओं से संबद्ध विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5770/73]**

गोरखपुर लेबर संगठन

1716. **श्री नरसिंह नारायण पाण्डे :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय श्रम नियोजन कार्यालय के लिये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर श्रम संगठन को एक प्रभावकारी माध्यम बनाने का विचार है और यदि हां, तो प्रस्ताव की रूप-रेखा क्या है; और

(ख) क्या सरकार गोरखपुर श्रम संगठन के किसी गैर सरकारी अथवा सरकारी क्षेत्र के उद्योग में विलय के प्रश्न पर विचार कर ही है और यदि हां, तो तत्संबंधी मख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) इस प्रकार का काई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) गोरखपुरी श्रमिकों में बेरोजगारी देश के सम्मुख विद्यमान विश्वव्यापी बेरोज़गारी की समस्या का केवल एक अंश है। चौथी पंचवर्षीय योजना और केन्द्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार की वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्यक्रमों तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित कार्यक्रमों द्वारा बेरोज़गार व्यक्तियों को खपाने के लिए अधिकाधिक रोज़गार अवसर जुटाने की आशा है। राज्य सरकार किसी विशिष्ट क्षेत्र की विकट समस्याओं की ओर ध्यान देने और उन पर काबू पाने हेतु कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

'नाइटमेअर इन बहरीन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1717. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 27 अप्रैल, 1973 के 'फ्री प्रेस जनरल' में 'नाइटमेअर' इन बहरीन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) बहरीन में हमारे राजदूतावास ने रिपोर्ट दी है कि भारतीय आवास अधिनियम 1922 की व्यवस्थाओं में हेराफेरी बनाकर कोई एजेंट श्रीमती फास्टिन एन्थोनी डी सूज़ा को घरेलू नौकरानी के रूप में काम कराने के लिए इस वर्ष के शुरू में बहरीन ले गया था। बहरीन में उसके मालिक ने उसके प्रति दुर्व्यवहार किया और उसे मालिक द्वारा व्लातकार करने का भय हो गया। इसलिए वह उसके घर से भाग निकली और भारतीय राजदूतावास की मदद से भारत वापस भेज दी गई।

(ग) संबद्ध अधिकारियों से कह दिया गया है कि वे ऐसी घटना फिर न होने देने के लिए सभी संभव कदम उठाया करें।

मज़दूर संघों की सदस्य-संख्या का सत्यापन

1718. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री सरजू पाण्डे :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार मजदूर संघों की सदस्य-संख्या का सत्यापन कर रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो उद्योगों में संघों को किन आधारों पर मान्यता दी जाती है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में ए०आई०टी०यू०सी०, आई०एन०टी०यू०सी०, यू०टी०यू०सी० और सी०आई० टी०यू० की सत्यापित कुल सदस्य संख्या कितनी-कितनी थी ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत सत्यापन-कार्य 31-12-68 को हुआ था और वह उन चार केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों तक सीमित था जिनकी सत्यापित सदस्य-संख्या के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस	1326152
अखिल भारत मजदूर संघ कांग्रेस	634802
हिंद मजदूर सभा	463772
संयुक्त मजदूर संघ कांग्रेस	125754

मद्रास स्थित क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय द्वारा जारी किये गये पारपत्र

1719. श्री सी० जर्नादनन :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास स्थित क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय ने 1970-71 और 1971-72 में कुल कितने पारपत्र जारी किए; और

(ख) इसमें से अन्य विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों को कितने पारपत्र जारी किये गये तथा उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : **(क) और (ख)** 1970, 1971 और 1972 के वर्षों के दौरान, क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, मद्रास द्वारा जारी किये गये पारपत्रों की कुल संख्या और उनका राज्यवार विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	तमिल नाडु	पांडुचेरी	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	केरल	कुल संख्या
1970	14,021	420	5,791	3,651	12,703	36,586
1971	13,068	450	5,230	4,854	14,220	37,822
1972	10,354	324	4,247	4,362	10,617	29,904

बंगाल की खाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कथित जासूसी

1720. श्री सी० जर्नादनन :
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसी पड़ोसी देश से इस आशय की जानकारी प्राप्त हुई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बंगाल की खाड़ी में छिपे तौर पर जासूसी कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक पूंजी निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदित विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र

1721. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक पूंजी निवेश बोर्ड ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जाने के इस्पात मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) सार्वजनिक पूंजी निवेश बोर्ड ने विशाखापत्तनम तथा विजयनगर इस्पात प्रायोजनाओं के लिए, जिनमें प्रत्येक की वार्षिक क्षमता अन्ततः लगभग 30 लाख टन पिण्ड की परिकल्पना की गई है, विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने की सिफारिश की है। अब स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कार्यवाही करेगी। इस बीच इन प्रायोजनाओं के लिए अपेक्षित भूमि अर्जन तथा अवस्थापन सुविधाओं के विकास कार्य चलते रहेंगे।

'कॉपर कन्सेन्ट्रेट' का पेरू से आयात

1722. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**
श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में तांबा संयंत्रों के लिए पेरू से 'कापर कंसेंन्ट्रेट' आयात करने हेतु एक करार हुआ है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : जी, नहीं।

मेसर्स आर्थर बट्लर एण्ड कंपनी, मुजफ्फरपुर का पुनः चालू किया जाना

1723. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स आर्थर बट्लर एण्ड कंपनी, मुजफ्फरपुर को पुनः चालू किये जाने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) मैसर्स आर्थर बट्लर एण्ड कंपनी के कार्यों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर इस कंपनी को अपने अधिकार में लेने के लिए 7 मई, 1973 को एक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी। किंतु कंपनी को अभी वास्तविक रूप से अधिकार में नहीं लिया गया है क्योंकि निदेशकों के एक दल ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक समादेश याचिका दायर की है।

Indian Territory shown as Chinese in Rumanian Maps

1724. **Shri Dhan Shah Pradhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government of Rumania have shown Indian Territory as part **of China** in their maps;

(b) the number of other countries which have similarly shown Indian Territory as a part of a foreign country in their maps; and

(c) the reaction of Government in the matter?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) A number of other countries also show the external boundaries of **India** incorrectly. The number includes some West European and some East European **countries.**

(c) the views of the Government of India regarding the maps which **show our** boundaries wrongly have been conveyed to the various Governments concerned **on several** occasions.

Proceeds from issue of Republic Day tickets

1725. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state the estimated income likely to be earned from issue of tickets for witnessing Republic **Day** Parade for the year 1974 ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : It is hoped that rupees three lakhs approximately may be earned.

Export of Coal, Pig Iron and Steel

1726. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have entered into agreements with some countries for the export of Coal, Pig Iron and Steel; and

(b) if so, the arrangements proposed to be made by Government to meet the domestic demand?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) :
(a) Yes, Sir. There are agreements for export of Coal, Pig Iron and Steel in Limited quantities.

(b) The quantities being exported now do not materially affect the domestic supply position. It has already been decided that no fresh commitments for export of Pig **Iron** would be entered into till the position of availability improves.

हाल ही में पश्चिम एशिया में हुये युद्ध के प्रति सरकार का दृष्टिकोण

1727. **श्री मधु लिमये :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में पश्चिम एशिया में हुए युद्ध के प्रति भारत सरकार ने क्या सरकारी दृष्टिकोण अपनाया था ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : हाल में युद्ध शुरू होने पर भारत सरकार का दृष्टिकोण 7 अक्तूबर, 1973 को विदेश मंत्रालय के अधिकृत प्रवक्ता के माध्यम से जारी किए गए वक्तव्य में बता दिया गया था। इस वक्तव्य की एक प्रति साथ लगी है।

विवरण

7-10-1973 को पश्चिम एशिया संकट पर सरकारी प्रवक्ता का वक्तव्य

भारत सरकार पश्चिम एशिया में लड़ाई शुरू हो जाने पर बहुत चिंतित है। सरकार ने निरंतर यह कहा है कि इस क्षेत्र में तनाव का कारण इसराईल का आक्रमण और शसस्त्र सेनाओं द्वारा अधिकृत प्रदेश खाली करने से इंकार करना है। इसराईल की यह हठधर्मी ही स्पष्ट रूप से इस लड़ाई के आरंभ होने का मूल कारण है।

हमारी सहानुभूति पूरी तरह से अरबों के साथ है, जिनके निरंतर कष्टों के कारण विस्फोटक स्थिति आ पहुंची है। उनका पक्ष न्याय का है और उस पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत ध्यान देना चाहिए। इसराईल द्वारा 1967 के संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव संख्या 242 के तत्काल अमल से समाधान हो सकेगा, जिससे वे दुखद घटनाएं रुक सकेंगी जिनसे क्षेत्र और विश्व की शांति खतरे में पड़ गई है।

कोककर और गैर-कोककर कोयले का उत्पादन

1728. **श्री मधु लिमये** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में कोककर और गैर-कोककर कोयले का, महीनेवार कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) इसी अवधि में रेलवे द्वारा और ट्रकों द्वारा किस हिसाब से कोयला ढोया गया ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के इन्हीं महीनों की तुलना में इन महीनों में कितना उत्पादन हुआ और खानों के मुहानों से कितना कोयला ढोया गया।

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) वर्ष 1971, 1972 और 1973 के अप्रैल-सितम्बर महीनों की अवधि में कोककर तथा अकोककर कोयले के उत्पादन तथा रेल और सड़क द्वारा किए गए प्रेषण के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। **दखिये** संख्या एल०टी० 5771/73] वर्ष 1970 के लिए यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

यात्री वाहनों के उत्पादन और क्षमता का विस्तार

1729. **श्री मधु लिमये :**

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोल की कमी तथा इसके मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यात्री वाहनों, स्कूटरों मोटरसाइकिलों और मोपेडों के उत्पादन और क्षमता के विस्तार संबंधी अपने कार्यक्रम पर सरकार पुनर्विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो चौथी योजना के अन्तिम वर्ष के लिए तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रायोजित क्षमता तथा उत्पादन क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) सामाजिक प्राथमिकताओं और ईंधन की खपत पर लगे प्रतिबंधों का उचित ध्यान रखते हुए मोटरगाड़ियों के लिए उत्पादन-योजना बनाई गई है। पुनर्विचार का कोई भी मामला अभी तक सामने नहीं आया है।

केन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट (इण्डिया) द्वारा टूथ पेस्ट की खरीद

1730. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनसे कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट (इण्डिया) सैनिकों के लिए टूथ पेस्ट आदि खरीदता है; और

(ख) इन वस्तुओं पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जिन कम्पनियों से कैन्टीन स्टोर डिपार्टमैंट (इण्डिया) टूथ पेस्ट तथा टूथ पाउडर खरीदता है उनके नाम निम्नांकित हैं :–

(1) सीवा आफ इण्डिया

(2) कालगैट पामाल्विं

(3) जियोफो मेनरस

(4) कलकत्ता कैमिकल्स

(5) हिन्दुस्तान लीवर

(6) विक्को लेवारेट्रीस;

(ख) 1972-73 में खर्च की गई धन राशि 182 लाख रुपए थी।

रक्षा कारखानों में असैनिक वस्तुओं का उत्पादन

1731. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**
श्री विक्रम महाजन :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा कारखानों में असैनिक वस्तुओं का भी उत्पादन किया जा रहा है ;

(ख) यदि ऐसा है तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या ये रक्षा कारखाने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग रक्षा सामग्री के उत्पादन के लिए कर रहे हैं ;

(घ) क्या ये कारखाने घाटे अथवा लाभ पर चल रहे हैं तथा इसके तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां श्रीमन् । फालतू उपलब्ध क्षमता का लाभ उठाने की दृष्टि से आर्डनेस कारखानों में कुछ सिविलियन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। आर्डनेंस कारखानों में बनायी जाने वाली सिविलियन वस्तुओं में गढ़ाई, ढलाई वैज्ञानिक और प्रकाशिक यत्र जैसी इंजीनियरिंग वस्तुएं, वस्त्रों की मदें , रसायन और शिकारी हथियार और बारूद शामिल हैं ।

(ग) आर्डनेंस कारखानों में कार्यभार रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है विशेषकर शान्तिकाल में आर्डनेंस कारखानों के पास फालतू क्षमता होती है, जिससे यथासम्भव रूप से सिविल ट्रेड की वस्तुएं निर्मित करने में लगाया जाता है।

(घ) आर्डनेंस कारखानों सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किये जाते जाते है और उनकी उत्पाद वस्तुओं को वास्तविक उत्पादन मूल्य के आधार पर सेनाओं को जारी किया जाता है। अतः इन वस्तुओं पर कोई लाभ या हानि नहीं होती।

जहां तक सिविल ट्रेड की मदों का संबंध है, विक्रय मूल्य को प्रतियोगी आधार पर रखना होता है। पूरी तरह से सिविल व्यापार को देखते हुए पिछले कुछ वर्षों में थोड़ा लाभ हुआ है।

कोककारी तथा गैर-कोककारी कोयले का उत्पादन

1732. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**

श्री राजदेव सिंह :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रबन्ध ग्रहण के पश्चात् कोककारी तथा गैर-कोककारी कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ था ;

(ख) सरकारीकरण से पूर्व उसी अवधि में कोककारी तथा गैर कोककारी कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ था ; और

(ग) कोककारी कोयला तथा गैर-कोककारी कोयला खानों के प्रबन्ध ग्रहण के पश्चात् कुल कितना-कितना कोयला भेजा गया, तथा अधिकार ग्रहण से पूर्व इसी अवधि के लिए कितना-कितना कोयला भेजा गया था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) कोककर कोयले के उत्पादन और प्रेषण के नवम्बर 1970 से लेकर तथा अकोककर कोयले के जनवरी, 1972 से लेकर आगे के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सरकार ने कोककर कोयला खानों का प्रबन्ध अक्तूबर, 1971 में तथा अकोककर कोयला खानों का प्रबन्ध जनवरी, 1973 में अपने हाथ में लिया था।

विवरण

(आंकड़े लाख टनों में हैं)

अवधि	उत्पादन	प्रेषण
कोककर कोयला		
नवम्बर 1970-अक्तूबर 1971	170.3	153.6
नवम्बर 1971-सितम्बर 1973	312.9	278.6
अकोककर कोयला		
जनवरी-सितम्बर 1972	402.1	395.3
जनवरी-सितम्बर 1973	462.7	411.2

विदेश मंत्री की अफगानिस्तान यात्रा

1733. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपनी काबुल यात्रा के दौरान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ उन्होंने जो बातचीत की थी, उसका क्या परिणाम निकला :

(ख) जो समझोते किये गये, उनका सारांश क्या है ; और

(ग) उक्त समझौतों से दोनों देशों को क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अफगानिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति, महामान्य श्री मोहम्मद दाऊद और अन्य अफगान नेताओं से मिले। इन मुलाकातों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर समान्य रूप से और क्षेत्र की घटनाओं पर विशेष रूप से विचारों का लाभकारी आदान-प्रदान हुआ। आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में भारत-अफगान सहयोग और उसे सुदृढ करने के उपयोग पर समीक्षा की गई।

(ख) किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। लेकिन भारत ने तीन लघु पनबिजली, प्रायोजनाओं में सहायता देने का जिम्मा लिया और अफगानस्तिान में सिंचाई तथा बाढ़-नियंत्रण प्रायोजनाओं के संबध में सर्वेक्षण और परामर्श के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं देने की पेशकश की। भारत, शिशु स्वास्थ्य संस्थान, काबुल में वर्तमान भारतीय अमले के स्थान पर और कर्मचारियों के भेजने की व्यवस्था करने पर भी सहमत हो गया है। इसके साथ ही भारत काबुल में एक राष्ट्रीय संग्रहालय खोलने के विषय पर बातचीत करने की दृष्टि से अफगानिस्तान से एक शिष्टमंडल बुलाने को सहमत हो गया है।

(ग) विगत की तरह भारत तथा अफगानिस्तान के बीच इस तरह के सहयोग से हमारी परम्परागत निकट मित्रता और सुदृढ़ होगी तथा उससे दोनों देशों को आर्थिक तथा अन्य लाभ होंगे।

श्री ब्रैजनेव का भारत का प्रस्तावित दौरा

1734. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री ब्रैजनेव शीघ्र ही भारत का दौरा करेंगे ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उनसे उन विशेष समस्याओं पर विचार-विमर्श करने का है जिन पर दोनों देश अभी तक चर्चा नहीं कर सके ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दोनों देशों के बीच ऐसी कोई विशिष्ट समस्याएं नहीं हैं जो समाधान की अपेक्षा रखती हों। बहरहाल इस तरह की उच्च स्तरीय यात्राएं आपसी हित के सभी मसलों पर विचार-विमर्श करने के लिए उपयोगी होती हैं।

राज्यों को इस्पात के रिजर्व कोटे में से अतिरिक्त मात्रा में इस्पात का आबंटन

1735. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा और इस्पात नियंत्रक को राज्यों को इस्पात के रिजर्व कोटे में से अतिरिक्त मात्रा में इस्पात का आवंटन करने की शक्ति और विशेषाधिकार प्राप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब सरकार लोहा और इस्पात नियंत्रक से रिज़र्व कोटे में से राज्य निगमों को उचित मात्रा में इस्पात आवंटित करने का हमेशा अनुरोध करती रही है; और

(ग) क्या राज्य अधिकारियों के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) प्रत्येक तिमाही में विभिन्न प्रकार के इस्पात की कुछ मात्रा सुरक्षित रखी जाती है ताकि अनपेक्षित और अत्यावश्यक मांगों तथा नियमित आवंटनार्थ विचार के लिए देरी से प्राप्त हुई मांगें पूरी की जा सकें। इस प्रकार सुरक्षित रखी गई मात्रा का एक भाग मेचिंग स्टील के भण्डार के रूप में अलग से रखा जाता है जिससे उत्पादकों के स्टाकयार्डों की मार्फत प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ताओं की अत्यावश्यक जरूरतों की पूर्ति की जाती है ।

(ख) और (ग) कलकत्ते में इस्पात प्राथमिकता समिति की प्रारंभिक बैठकों में भाग लेने के लिए आने वाले पंजाब सरकार के प्रतिनिधि प्रायः प्रत्येक तिमाही में आरक्षित भण्डार से अतिरिक्त आवंटन के लिए अनुरोध करते रहे हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि उनकी प्रार्थना सदा अस्वीकार ी गई है। पंजाब लघु उद्योग निगम को समय-समय पर आरक्षित भण्डार में से यथासंभव मात्रा में अतिरिक्त आवंटन किए गए हैं ।

पटसन उद्योग समिति के आयोजन का प्रस्ताव

1736. **श्री समर मुखर्जी**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पटसन उद्योग समिति का आयोजन किये जाने के बारे में सरकार को कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या वाणिज्य मंत्रालय की ओर से प्रस्ताव की स्वीकृति के बारे में सरकार को कोई पत्र मिला है; और

(ग) क्या सरकार प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और यदि हां, तो कब तक बैठक बुलाए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) जूट सम्बन्धी औद्योगिक समिति की एक बैठक निकट भविष्य में बुलाने का प्रस्ताव है।

अधिकारियों की भर्ती

1737. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार का विचार अधिकारियों की भर्ती के कार्य को सर्विस सलेक्शन बोर्ड से लेकर संघ लोक सेवा आयोग को सौंपने का है;

(ख) यदि हां तो प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है;

(ग) क्या इस समय कुछ क्षेत्रों के व्यक्तियों तथा पब्लिक स्कूलों में पढ़े छात्रों को बहुत अधिक संख्या में अधिकारियों के पदों पर भर्ती किया जाता है; और

(घ) इस विषमता को हल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) अक्तूबर 1974 से केवल सेना में शार्ट सर्विस कमीशन (गैर-तकनीकी) संवर्ग में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से एक खुली प्रतियोगिता द्वारा नियमित किया जाएगा जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाएगी और उसके पश्चात् सर्विस सलेक्शन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार (इन्टरव्यू) लिया जाएगा। ऐसा ही नेशनल डिफेंस अकादमी अथवा आई०एम०ए० के माध्यम से स्थायी प्रवेश के लिए किया जाता है।

(ग) जी नहीं श्रीमन्। सेना में अफसर संवर्ग की भर्ती के लिए एक मात्र मापदंड सर्विस सलेक्शन बोर्डों द्वारा अफसर जैसे गुणों का मूल्यांकन करना ही है और क्षेत्र अथवा वह किस प्रकार के स्कूल में पढ़ा है इस जैसी कोई रियायत नहीं दी जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल के पटसन मजदूरों द्वारा हड़ताल की सूचना

1738. श्री समर मुखर्जी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल के पटसन मजदूरों ने प्रबन्धकों तथा सरकार को पूरे उद्योग में सतत हड़ताल किये जाने की सूचना दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मांगें हैं तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल के जूट श्रमिकों ने जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण, कच्चे जूट के मूल्य के ऊपर की ओर संशोधन, कुछ बाकी विवादों के निपटान आदि से संबंधित अपनी मांगों के समर्थन में दिसम्बर 1973 में अनिश्चितकालीन और लगातार हड़ताल पर चले जाने की धमकी दी है। पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं और हाल ही में उन्होंने पक्षकारों से विचार-विमर्श किया है।

Foreign Tours by Prime Minister During 1971-72 and 1972-73

1739. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3991 on the 23rd August, 1973 regarding expenditure on Prime Minister's visits to foreign countries and state :

(a) the names and designations of the Officers who accompanied the Prime Minister in the tours during the years 1971-72 and 1972-73 indicating the names of their Departments; and

(b) the total amount of expenditure incurred on the travelling allowance of these Officers?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) A statement is attached. [Placed in Library. *See* No. L.T. 5772/73].

Payment of compensation to owners of coking and non-coking coal mines

1740. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether compensation has been paid to the owners of the coking and non-coking coal mines after their nationalisation;

(b) if so, the amount thereof; and

(c) if not, the reasons for delay and the amount of compensation due to the different companies of owners?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) to (c) No compensation as such is payable to the erstwhile owners. The amounts due to such owners for vesting in the Central Government, the right, title and interest in relation to such Coking Coal Mines or Coal Mines or Coke Oven Plants are specified in the schedules appended to the said Acts. The amounts have not so far been disbursed because the Commissioner of Payments has to consider claims against erstwhile owners under Section 23 of the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 and Section 20 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973. Moreover, the amounts cannot be disbursed on account of pending cases challenging the Acts.

Profit earned or loss suffered by Bharat Coking Coal Ltd. After Nationalisation of Coking Coal

1741. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state the extent of profit or loss to Bharat Coking Coal Limited after the nationalisation of coking coal?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : The provisional accounts of Bharat Coking Coal Limited reflect a loss of Rs. 2.57 crores from the date of nationalisation up to the end of December, 1972.

शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु योजना

1742. **श्री समर गुह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगारों के बारे में नवीनतम आंकड़ क्या हैं; और

(ख) चौथी योजना के अन्तिम चरण और पांचवीं योजना के दौरान रोजगारों की व्यवस्था करने हेतु सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के तथ्य क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5773/73]**

Export of ordnance factories production

1743. **Shri Shrikrishna Agrawal** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the success achieved in the export of goods produced by Ordnance Factories of the country after the 1971 war ;

(b) whether Government are making any special efforts for exporting these goods to friendly countries; and

(c) If so, the outlines thereof?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) Export orders of the value of over Rs. 10 crores have been booked by the Ordnance Factories after the 1971 war. It will not be in the public interest to disclose further details.

रूस द्वारा कन्टीन्यूअस स्टील कास्टिंग मशीनों की सप्लाई

1744. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस द्वारा कन्टीन्यूअस स्टील कास्टिंग मशीनों की सप्लाई के लिए भारत सरकार और रूस के बीच हाल ही में कोई समझौता हुआ है ताकि भिलाई में उत्पादन बढ़ाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड (भिलाई इस्पात कारखानों) तथा त्याजप्रोमेक्सपोर्त, मास्को ने 16 अक्तूबर, 1973 को एक करार किया था। यह करार भिलाई इस्पात कारखाने की 25 लाख टन क्षमता को बढ़ाकर 40 लाख टन इस्पात पिण्ड करने के लिए निरन्तर ढलाई कम्प्लेक्स के लिए त्याजप्रोमेक्सपोर्त द्वारा तकनीकी प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने और देने के बारे में था । इस कम्प्लेक्स में 4 स्लैब कास्टिंग मशीनें तथा एक ब्लूम कास्टिंग मशीन होगी। इनमें से 2 स्लैब कास्टिंग मशीनें तथा 1 ब्लूम कास्टिंग मशीन सोवियत संघ द्वारा दी जाएगी और अन्य 2 स्लैब कास्टिंग मशीनें प्रायोजना के आधार पर बनाई गई तकनीकी प्रायोजना तथा कार्यकारी ड्राइंग के अनुसार भारी इंजीनियरी निगम द्वारा निर्मित की जाएंगी। कार्यकारी ड्राइंग तैयार करने के लिए तथा सोवियत संघ से ली जाने वाली लगातार ढलाई मशीनों की आपूर्ति के बारे में एक अलग करार किया जाएगा।

2. इस करार के अन्तर्गत निम्नलिखित के लिए त्याजप्रोमेक्सपोर्त को कुल 76,16,435 रुपए दिए जायेंगे :—

(1) तकनीकी प्रायोजना की सप्लाई के लिए 37,08,185 रुपए। यह राशि एक किश्त में दी जाएगी । इस राशि का भुगतान करने के लिए करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 30 दिन के अन्दर साख-पत्र खोला जाएगा।

(2) 15,00,000 रुपए की राशि (शर्त यह है कि इस राशि में वास्तविक वाह्य निर्माण मूल्य के आधार पर संशोधन किया जा सकता है) जो भारी इंजीनियरिंग निगम द्वारा प्रत्येक लगातार ढलाई मशीन की सुपुर्दगी के पश्चात् 30 दिन के अन्दर दो समान किश्तों में दी जाएगी ।

(3) 24,08,250 रुपए की राशि जो भिलाई इस्पात कारखाने को दी जाने वाली पांच लगातार ढलाई मशीनों में प्रत्येक मशीन के चालू हो जाने के पश्चात् 30 दिन की अवधि के अन्दर 5 समान किश्तों में दी जाएगी।

कच्चे लोहे के उत्पादन पर कुप्रभाव

1745. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष कच्चे लोहे के उत्पादन में बहुत अधिक कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) चालू वर्ष में उत्पादन में कमी मुख्यत: कोयले की कमी के कारण हुई है और कोयले की कमी का मुख्य कारण बिजली की कम सप्लाई है ।

विदेशों द्वारा 'नेट' लड़ाकू विमान को पसन्द किया जाना

1746. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने हमारे 'नेट' लड़ाकू विमानों को पसन्द किया है ; और

(ख) क्या उन्होंने अब तक इसे खरीदा है अथवा इसके लिए क्रयादेश भेजा है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) कुछ देशों ने देश में बने 'नेट' विमानों के बारे में पूछ-ताछ की है और अपनी रुचि दिखाई है। तथापि अभी तक कोई बिक्री नहीं की गई है ।

अहमदाबाद टैक्सटाइल एसोसिएशन और मिल ओनर्स एसोसिएशन के बीच द्विपक्षीय समझौता

1747. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद टैक्सटाइल एसोसिएशन और मिल ओनर्स के बीच एक द्विपक्षीय समझौता हुआ है जिसमें अनेक औद्योगिक विवादों को हल करने की व्यवस्था है और जिससे 1.5 लाख कपड़ा श्रमिकों को लाभ पहुंचेगा; और

(ख) क्या इस समझौते के अन्तर्गत इस वर्ष बोनस के रूप में 3.75 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जायेगी और कार्य दिवसों में भी वृद्धि कर दी जाएगी और उत्पादन में भी वृद्धि हो जायेगी ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) यह मामला अनिवार्य रूप से राज्य के कार्य-क्षेत्र में आता है ।

"आई० एन० एस० गज" का उतारा जाना

1748. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महासागर में जाने वाले भारत निर्मित प्रथम टग "आई एन० एस० गज" को हाल ही में गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता में उतारा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के टग के पोत खेंचने, आग बुझाने और गहन सागर में बचाव-कार्य करने के अतिरिक्त अन्य लाभ भी हैं; और

(ग) क्या इसे स्वदेशी कल पुर्जो मे बनाया गया था अथवा इसमें कुछ आयात किये गये कल पुर्जे भी हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) बड़े जहाजों को खींचने और आग बुझाने तथा गहन सागर में बचाव कार्य करने के अतिरिक्त टग को लक्ष्यों के खींचने के लिए गोली चलाने का अभ्यास करने तथा समुद्र में सामान्य बचाव कार्य करने के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है।

(ग) टग का स्वदेश में ही निर्माण किया गया है परन्तु कतिपय मशीनरी तथा विशिष्ट उपकरणों का आयात भी करना पड़ा है। टग में कुल देशी अंश 60 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है।

अम्बेसेडर कारों के मूल्य में वृद्धि

1749. श्री के० मालन्ना : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अम्बेसेडर कार के कारखाने द्वारा मूल्य में संशोधन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं तथा इसका संशोधित मूल्य क्या है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल में इंजीनियरी मजदूरों के लिए त्रिपक्षीय मजदूरी समझौते के अंतर्गत, निर्माताओं द्वारा अपने मजदूरों को बढ़ायी गयी मजदूरी का भुगतान करने के कारण 10-9-1973 से एम्बासेडर कार का कारखाने से निकलते समय का संशोधित खुदरा मूल्य 17,350 रुपये हो गया है।

लापता भारतीय जवान

1750. श्री शंकर राव सामन्त : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 के भारत पाक युद्ध की समाप्ति वाले दिन कितने भारतीय जवान लापता थे;

(ख) उसके पश्चात् उन में से कितने जवानों का पता लगा लिया गया है;

(ग) उनमें से कितने अभी तक लापता है; और

(घ) उनका पता लगाये जाने की अब क्या संभावनायें हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) सेना तथा पैरा-सेना के कुल 1006 गुम हुए भारतीय कार्मिकों में से पाकिस्तान ने अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रास की समिति के माध्यम से 639 को युद्धबन्दी घोषित किया था। उनमें से 4 पाकिस्तान हिरासत में मर गये और 635 का भारत में प्रत्यावर्तन कर दिया गया है। गुम हुए शेष कार्मिकों की सूचियां पाकिस्तान प्राधिकारियों के साथ जांच-पड़ताल के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रास की समिति को दी गई थी। तथापि, जिस प्रकार से गुम हुए सैनिकों का रक्षा सेवाओं द्वारा वर्गीकरण किया जाता है उसके अनुसार गुम हुए कार्मिकों की संख्या बदलती रहती है। बहुत-से कार्मिकों को पहली बार ही खोया हुआ घोषित कर दिया जाता है क्योंकि युद्ध में मारे जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ऐसे भी मामले हुए हैं जहां व्यक्तियों को लड़ाई के दौरान खोया हुआ मान लिया गया था और वे पुनः यूनिटों में आ गये अथवा बाद में उनको जख्मी पाया गया। कुछ व्यक्तियों को मूलतः खोया हुआ सूचित किया जाता है परन्तु बाद में उनको शत्रु की हिरासत में युद्ध बन्दी के रूप में पाया जा सकता है। भारतीय सेना तथा पैरा-सेना के खोये हुए कार्मिकों की इस समय संख्या 275 हैं।

खोये हुए भारतीय कार्मिकों को ढूंढने का प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रास की समिति तथा भारत में स्वीडन के दूतावास के माध्यम से पाकिस्तान के साथ उठाया गया था। अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रास की समिति ने अब सूचित किया है कि इस समय कोई भारतीय सेना तथा पैरा-सैनिक कार्मिक पाकिस्तानी हिरासत में नहीं है। इस मामले पर भारत-पाकिस्तान विचार-विमर्श के दौरान पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के कर्मचारियों के साथ भी अनौपचारिक रूप से बातचीत की गई थी। पाकिस्तानी पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी हिरासत में और भारतीय सेना अथवा पैरा-सेना कार्मिक नहीं हैं। तथापि,

उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में एक और खोज करेंगे कि उनकी हिरासत में कोई और भारतीय सेना अथवा पेरा सेना कार्मिक नहीं है। उनके अन्तिम उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।

विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने की प्रगति

1751. **श्री शंकर राव सामन्त :**

श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम में इस्पात कारखाने की कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इसका काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम इस्पात प्रायोजना के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु शीघ्र ही कार्यवाही आरम्भ करेगी। इस बीच भूमि-अर्जन का कार्य तथा अवस्थापन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने विशाखापत्तनम इस्पात प्रायोजना के लिए महाप्रबन्धक नियुक्त कर दिया है जो प्रारम्भिक कार्यों की प्रगति के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

साधनों की उपलब्धि के अनुसार इस प्रायोजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

विभिन्न देशों द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई

1752. **श्री शंकर राव सामन्त :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के वे कौन-कौन से देश हैं जो इस समय पाकिस्तान की प्रतिरक्षा सेनाओं को आधुनिक साज-सामान और आधुनिकतम हथियारों से सहायता कर रहे हैं ;

(ख) इन आधुनिकतम हथियारों की घातक क्षमता क्या है ; और

(ग) पाकिस्तान को दिये गये हथियारों की विदेशी सप्लाई के जवाब में भारत-द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) सरकार इस बात से अवगत है कि पाकिस्तान ने चीन, अमरीका और कुछ पश्चिमी देशों सहित अनेक देशों से सैनिक हथियार प्राप्त किये हैं। लेकिन सरकार के पास उपलब्ध ब्यौरों को प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा। इस प्रकार की सप्लाई का हमारे सुरक्षा प्रबन्धों पर पड़ने वाला प्रभाव को सदा ध्यान में रखा जाता है।

देश में नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्रों के खोलने का प्रस्ताव

1753. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने के लिए कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है;

(ख) आगामी तीन वर्षों के दौरान ऐसे केन्द्रों को खोलने के लिए किन-किन स्थानों को चुना गया है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) चिलका, विशाखापत्तनम, बम्बई तथा गोआ में नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ग) इस प्रयोजन के लिए धन का नियतन प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिए जाने तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

गोरखपुर के निकट भारतीय वायु सेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना

1754. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 अक्तूबर, 1973 को गोरखपुर के निकट भारतीय वायु सेना के एक विमान की दुर्घटना हुई थी;

(ख) दुर्घटना का कारण क्या था; और

(ग) क्या कोई जांच की गई है और यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) भारतीय वायुसेना का एक विमान 11 अक्तूबर, 1973 को गोरखपुर के पास दुर्घटना-ग्रस्त हो गया था ।

(ख) और (ग) इस दुर्घटना के कारण (णों) का पता लगाने के लिए एक जांच-अदालत नियुक्त कर दी गई है । जांच-अदालत की कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है ।

औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की कमी के कारण जन-दिवसों की हानि

1755. **श्री जी० विश्वनाथन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 में बिजली की कमी के कारण औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितने जन-दिवसों की हानि हुई ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : सूचना एकत्र की जा रही है और यह प्राप्त होने के बाद सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

तांबे की मांग, उत्पादन और आयात

1756. **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, हर वर्ष, अलग-अलग कितने तांबे का आयात किया गया;

(ख) चालू वर्ष में तांबे की मांग कितनी है और उत्पादन कितना है;

(ग) देश में विभिन्न कारखानों में तांबे का कितना उत्पादन होता है ;

(घ) देश में तांबा अयस्क निकालने के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(ङ) खेतड़ी में उत्पादन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान तांबे के आयात के आंकड़े क्रमशः 68787, 56137 और 49702 मीट्रिक टन हैं ?

(ख) चालू वर्ष अर्थात 1973-74 के लिए 80,000 मीट्रिक टन की मांग होने का अनुमान है । चालू वर्ष के दौरान अब तक 6,380 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है ।

(ग) इस समय देश में तांबा धातु का उत्पादन करने वाला एकमात्र संयन्त्र हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड का भारती तांबा समूह, घटशिला है और उत्पादन आंकड़े ऊपर (ख) में दिए गए हैं।

(घ) खेतड़ी ताम्र परियोजना, दरीब ताम्र परियोजना, चांदमरी ताम्र परियोजना, राखा ताम्र परियोजना प्रावस्था-I, आदि जैसी चालू प्रायोजनाओं के अतिरिक्त समस्त ज्ञात नए, आशाजनक क्षेत्रों के सुमुपयोजन और कुछ विद्यमान खानों की क्षमताओं का विस्तार करने के उपाय किए जा रहे हैं । इनमें मध्य प्रदेश का मालंजखंड, ताम्र निक्षेप, बिहार की राखा ताम्र परियोजना प्रावस्था-II, और बिहार की सुरदा विस्तारण योजना सम्मिलित हैं । आशा है कि इन प्रायोजनाओं पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान काफी पूंजी निवेश किया जाएगा ।

(ङ) देरी के निम्नलिखित कारण हैं:—

(i) आयातित और कुछ देशी उपस्करों की पूर्ति में देरी,

(ii) विदेशी परामर्शदाताओं से विस्तृत रूप-रेखा प्राप्त होने में देरी,

(iii) सीमेंट, एसीटाइलिन गैस व आयात की कमी, और

(iv) बिजली में कटौती ।

कारों की कीमतों में वृद्धि

1757. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान मोटर्स के अलावा अन्य कार निर्माताओं की अपनी कारों की कीमत में वृद्धि करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि के कारण, जो पश्चिम बंगाल में इंजीनियरी मजदूरों के लिए त्रिपक्षीय मजदूरी समझौता के अधीन 1-5-1973 से निर्माताओं पर लागू की गयी है, 10-9-1973 से एम्बेसेडर कार के मूल्य में 180 रुपये की वृद्धि की अनुमति दी गई थी । यह समझौता पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है और इसलिए प्रीमियर प्रेसिडेन्ट और स्टैंडर्ड गज़ल कारों के मूल्यों में वृद्धि करनें का प्रश्न ही नहीं उठा । प्रीमियर प्रेसिडेन्ट तथा स्टैंडर्ड गजल कारों का मूल्य बढ़ानें की अनुमति उच्चतम न्यायालय के निर्णय में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार 1 जुलाई, 1973 को दी गई थी ।

Reports of consultants Re: Visakhapatnam and Vijayanagar Steel Projects

1758. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether steel projects are likely to be set up in Visakhapatnam and Vijayanagar in spite of the adverse Report of the Consultants in this regard;

(b) if so, the total expenditure likely to be incurred thereon; and

(c) whether the Consultants have reported that there will be substantial recurring losses and if so, the amount of recurring loss expected in each of these projects?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) to (c) In the Techno-economic Feasibility Reports prepared on the basis of 2 million tonne capacity for the steel plants to be located at Visakhapatnam and Vijayanagar, the Consultants had forecast substantial recurring losses. Several studies were carried out subsequently to obtain economies of scale and a capacity of about 3 million ingot tonnes is now being considered at each of these locations.

On this basis, both the Visakhapatnam and Vijayanagar Steel Projects are expected to generate some profits. The total capital outlay on these two projects is estimated to be about Rs. 1700 crores. An indication of the net profit would be available only after the project estimates are firmed up in the detailed project reports, preparation of which is expected to be taken up shortly.

Strike threat by workers of Bhilai Steel Plant

1759. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in daily "Hindustan" dated the 25th October, 1973 under the caption "The workers of Bhilai Steel Plant will go on strike";

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government to avoid the strike;

(c) whether the demand of workers for bonus is legitimate; and

(d) if so, whether Government propose to solve their problem?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) According to available information, the strike notice was withdrawn on November 13, 1973 following a settlement between the parties.

Losses suffered by Braithwaite and Company

1760. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether Braithwaite and Company has been constantly incurring loss since 1966; if so, the amount of loss suffered during the last three years;

(b) whether Government took over the management of this company and the situation has improved now as a result thereof, and if so, the extent thereof; and

(c) whether Government held certain officers responsible for the loss suffered by Braithwaite and Company (India) Limited since 1966 and, if so, the action taken by Government against them?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Dalbir Singh) : (a) No, Sir. The Company has been incurring loss since 1968 and not from 1966. The amount of loss during the last three years is as under :—

1970-71 (15 months) (January, 1970—March, 1971)	Rs. 409.28 lakhs
1971-72	Rs. 339.63 lakhs
1972-73	Rs. 355.24 lakhs

(b) Value of production figures since taken over of the Company in March, 1971, and target for the current year 1973-74 are as under :—

	(Rs. Lakhs)
1971-72 . .	490.89
1972-73	909.43
1973-74	1294.20 (target)

(c) No individual officer was held responsible by the Investigating Committee appointed by the Government to go into the affairs of the Company.

Unserviceable Cables

1761. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a Board of Officers gave its report in December, 1969 that 2.18,300 metre of cables have been rendered unserviceable;

(b) if so, the financial loss suffered by Govt. as a result thereof;

(c) the reasons for not utilising the cables in time or the reasons for not disposing them of; and

(d) whether Government have fixed responsibility and taken action against the officers responsible for negligence?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (d) Presumably, the Hon'ble Member is referring to the case of loss due to deterioration of cables mentioned in para 25 III of the Audit Report (Defence Services) 1967. These stocks formed part of cables brought to India in 1940-41 for the use of British and allied Forces and had fallen to the share of India on partition. The stocks had been retained as reserves for use during operations. Due to lack of covered accommodation, this was one of the category of stores which had been stored in the open, covered by tarpaulins.

2. During stock taking in October 1961, a part of the above cables were found to be unserviceable. The deterioration had been due to ageing and also due to the stores having, perforce, been kept in the open. After test and re-utilisation check, cables which were serviceable and those fit for training were retained. The balance measuring 238.622 KMs of cable (book value Rs. 10.04 lakhs) were disposed of through DGS&D realising an amount of Rs. 10.50 lakhs. There was thus no financial loss.

3. On account of the limited use in the intervening years and the fact that the stores were mainly kept as reserve for operational use the question of failure to utilise them in time did not arise. Though the shelf-life of the cable is 5 to 10 years, it has been retained for a much longer period based on the condition of the cable.

4. No court of Inquiry or Board of Officers was set up as the deterioration came about over the years for reasons such as ageing, lack of covered accommodation, etc. and no negligence on the part of any officer is involved.

5. The case was examined by the Public Account Committee. In pursuance of the recommendations of the Committee, instructions were issued to ensure that surplus stores are not kept in storage for long periods and active steps are taken to dispose them of in accordance with existing procedures.

कोलार सोना खानों में खनन कार्यों का विविधीकरण

1762. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार सोना खानों में खनन सम्भावनाओं की गुंजाइश धीरे-धीरे कम हो जाने के कारण सरकार खनन कार्यों का विस्तार करने और उनमें विविधता लाने का विचार कर रही है; और

(ख) क्या सरकार का विचार विसानाथन और आंध्र प्रदेश के विल्लूर जिले के आसपास के क्षेत्रों तक खनन कार्यों का विस्तार करने की सम्भावना का पता लगाने का है जहां मूल्यवान और दुर्लभ धातु अयस्क के निक्षेप होना सिद्ध हो चुका है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां । आन्ध्र प्रदेश के रामगिरी स्वर्ण क्षेत्रों में कार्य पुनः शुरू करने तथा नाडु के मामंदुर क्षेत्रों में सीसा जस्ता और तांबा निक्षेपों के लिए खनन समन्वेषी कार्यों में प्रगति हो रही है । निकट भविष्य में विसानाथन क्षेत्र में भी खनन कार्य किये जाएंगे ।

Scheme to provide employment to retrenched class IV employees of Central Government

1763. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether there is a scheme to provide employment to the retrenched Class IV employees of Central Government; and

(b) if so, the number of such employees who are still seeking employment and the reasons thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Bal Govind Verma) : (a) & (b) No. However, there is a Special Cell in the Directorate General of Employment and Training which arranges alternative employment for Class IV employees, rendered surplus as a result of the recommendation of the Staff Inspection Unit (Ministry of Finance) or the Administrative Reforms Commission. These surplus employees are accorded priority I and are absorbed in alternative employment through the Special Cell.

Of the 8,255 surplus Class IV employees so far reported to the Special Cell, 8,202 have already been placed in alternative employment and 53 are still on its rolls.

Survey for Rehabilitation of Ex-Servicemen

1764. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a survey was conducted for rehabilitation of the ex-servicemen;

(b) if so, whether the useful measures suggested by the survey team are being implemented; and

(c) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik) : (a) to (c) A Survey was carried out during 1971-72 by Directorate General Employment and Training to study the problems of resettlement of ex-servicemen. The Survey was undertaken to gather factual information about the various characteristics of ex-servicemen such as level of education and training, current activity, attitude towards work and training, etc., to facilitate a better appreciation of the problem of resettlement of ex-servicemen in civilian jobs. Some general recommendations were made in the Survey Report regarding allotment

of land to ex-servicemen, reservation of vacancies for ex-servicemen, adequate publicity among ex-servicemen before their release regarding benefits available to them and co-ordination between District Soldiers', Sailors' and Airmen's Boards and Employment Exchanges. Facilities extended to ex-servicemen were reviewed and appropriate measures taken based on these recommendations. All State Governments are extending concessions in some form or other to ex-servicemen for allotment of agricultural land. Reservations have been made in Class III and Class IV posts for ex-servicemen. Similar reservations have also been made by public sector undertakings and by the State Governments. A number of pre-release and Pre-cum-Post release training schemes have been formulated and started for training serving/ex-service personnel. A majority of service trades have been equated with civil trades taught and practised at ITIs. Steps have also been taken to ensure adequate publicity among service personnel immediately before their release regarding facilities available to ex-servicemen for rehabilitation in civil life.

Employment to Disabled Soldiers and their Dependants

1765. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is the policy of the Government of India to provide employment to the soldiers crippled in war and to their dependants; and

(b) if so, the number of such jawans and dependants, who have not been given employment so far, indicating the reasons of Government failure in this regard?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) In accordance with the orders of Government for the purpose of employment in Class I and II posts, recruitment to which is normally made through the U.P.S.C., otherwise than on the result of a competitive examination, cases of disabled defence personnel who possess the required qualifications and experience and age exceeding 45 years (50 years in case of scheduled caste/tribes will be considered by the U.P.S.C. on the basis of interview and such candidates will be entitled to first priority for appointment to these posts provided they are found suitable. In the case of posts filled through competitive examinations, conducted by the U.P.S.C., they are allowed relaxation of age upto three years in excess of the prescribed upper age limit.

2. In the case of appointment to Class III and IV posts, which are filled through Employment Exchange, disabled Defence persons are accorded Priority I. In the case of dependants of service severely disabled in action and are totally unfit for employment up to two members of their families may be appointed without the intervention of the Employment Exchange.

3. Rehabilitation assistance, required by every serviceman likely to be invalidated out of service due to injuries sustained in the 1971 operations, based on the assessment of the medical authorities, was individually ascertained by Government well before the treatment was completed. Out of 673, who desired employment, placement in jobs have been completed so far in 51 cases through the combined efforts of the Central and State Governments, co-ordinated by the Ministry of Defence. There at present, only 157 remaining who have completed medical treatment; most of them having completed their treatment only recently. They are expected to be placed in suitable employment expeditiously. It is not that jobs are not available for them, but it is being ensured that such jobs are available as near their homes as possible in view of their disabilities. These servicemen will continue to remain in service till job offers are made.

4. In regard to the employment of dependants of those crippled in war and who are unfit for any re-employment, there is only one case where there is a request for employment pending. Since he is not fit for any job, two of his dependants are being assisted to find employment.

5. There has been no failure on the part of Government in this regard. It may, however, be pointed out that such employment assistance being made available is supplementary to the main rehabilitation benefits admissiable to disabled soldiers. They are now

entitled to war injury pay consisting of a service element equal in amount to the normal retiring pension of the rank held at the time of their disablement and a disability element which for 100% disability is equal in amount to the emoluments last drawn minus the service element, limited to Rs. 500.

धार्मिक तथा परामर्थ संस्थानों के स्वामित्व वाली शिक्षा संस्थाओं, चाय बागानों के कर्मचारियों पर कर्मचारी भविष्य निधि को लागू करना

1766. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 धार्मिक तथा परमार्थ संस्थाओं के कर्मचारियों पर लागू होता है ;

(ख) क्या धार्मिक तथा परमार्थ संस्थाओं के स्वामित्व वाली शैक्षिक संस्थाओं तथा चाय बागानों के कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के लाभ पाने के अधिकारी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) धार्मिक परमार्थ और शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं के रूप में तो वे इस समय कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत नहीं आतीं । उन्हें शामिल करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं । असम की चाय सम्पदाओं को छोड़कर शेष चाय सम्पदायें पहले ही कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम 1952 के उपबन्धों के अन्तर्गत आई हुई हैं ।

परमार्थ संस्थाओं के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा नियंत्रित प्रतिष्ठानों को, जो कि केवल अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए कार्य करते हैं, 12 अगस्त 1975 तक अधिनियम के प्रवर्तन से छूट दी गई है, चाहे अन्य प्रकार से अधिनियम के अन्तर्गत आने योग्य हों ।

नई दिल्ली के रक्षा विभाग का नेशनल स्टेडियम सिनेमा

1767. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के रक्षा विभाग के नेशनल स्टेडियम सिनेमा को एक गैर-सरकारी व्यक्ति/संगठन द्वारा चलाया जा रहा था/जा रहा है ;

(ख) क्या वहां पर कार्य कर रहे सभी व्यक्तियों की उपस्थिति में सिनेमा के टिकटों को काले बाजार में खुलेआम अत्यधिक मूल्य पर बेचा जाता है ;

(ग) क्या वहां पर काम कर रहे व्यक्तियों का टिकटों की बिक्री पर कोई नियन्त्रण नहीं है और उक्त व्यक्तियों द्वारा स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा गैर-कानूनी तथा अनुचित प्रक्रिया अपनाई जा रही है ; और

(घ) रक्षा विभाग टिकटों की गैर कानूनी बिक्री को किस प्रकार रोकने जा रहा है और व्यक्ति संगठन को चलाने के लिए सिनेमा किस आधार पर दिया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) स्थानीय सैनिक अधिकारियों के ध्यान में ऐसी कोई शिकायत नहीं लायी गई है ।

(ग) और (घ) सिनेमा के अहाते में अनुशासन बनाये रखने के लिए रेजिमेंटल पुलिस के दो व्यक्ति तैनात किये गए हैं। जब कभी भी ऐसी शिकायत ध्यान में लायी जाएगी तो उस पर स्थानीय सैनिक अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रारम्भ में यह सिनेमा 1 जनवरी/1951 से 3 वर्ष की अवधि के लिए श्री ईश्वर दास साहनी एण्ड संस को पट्टे पर दिया गया था, 5 अप्रैल 1955 को पट्टेधारी को खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। लेकिन पट्टेधारी ने अदालत में इस नोटिस को चुनौती दी और स्थयन आदेश प्राप्त कर लिए। अन्त में एक समझौता हो गया, जिसके अनुसार पट्टेधारी को 1935.25 रुपये प्रतिमाह की अदायगी पर 31 अक्तूबर 1975 तक सिनेमा चलाने की आज्ञा दे दी गई।

बालासोर रक्षा प्रतिष्ठान में भूख हड़ताल

1768. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बालासोर में रक्षा प्रतिष्ठान में कोई श्रम विवाद चल रहा है और हाल में वहां पर भूख हड़ताल भी की गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) बालासोर प्रूफ तथा एक्सपेरिमेन्टल प्रतिष्ठान में कुछ समय के लिए अशान्ति रही है। 27 तथा 28 अक्तूबर 1973 को लगभग 15 व्यक्तियों द्वारा लगभग 24 घंटों तक भूख हड़ताल भी की गई थी।

(ख) इस मामले में उपयुक्त कदम उठाये गये हैं/उठाए जा रहे हैं।

राउरकेला इस्पात कारखाने में बोनस के मामले को लेकर श्रमिक अशान्ति

1769. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र**: क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनको पता है कि राउरकेला इस्पात कारखाने में बोनस के मामले को लेकर श्रमिक अशान्ति है जिसके कारण उत्पादन में कमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) और (ख) बोनस के प्रश्न पर कोई बड़ी श्रमिक अशान्ति नहीं हुई थी, कामगारों ने बोनस की राशि ले ली थी। यद्यपि कुछ गैर-मान्यता-प्राप्त यूनियनों की गतिविधियों के कारण उत्पादन की गति पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ा था तथापि यह बताना कठिन है कि इसके कारण उत्पादन की कितनी हानि हुई है।

अल्पावधि सेवा कमीशन

1770. **डा० हरि प्रसाद शर्मा**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्पावधि सेवा कमीशन प्राप्त तथा आपात सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों की सेवा अवधि कितने-कितने वर्ष की होती है और उन्हें स्थायी सेवा/स्थायी कमीशन में नियमित करने की प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या आर्मी मेडिकल कोर, इंजीनियर्स ग्रुपों तथा ई० एम० ई० जैसे विभिन्न तकनीकी व्यवसायों में चुने गये अल्पावधि सेवा कमीशन प्राप्त तथा आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, जिन्हें बहुत अधिक खर्च करके व्यापक कमीशन दिया जाता है स्थायी आधार पर पदोन्नति के लिये पैदल सेना आदि में चुने गये अधिकारियों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है; यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) जे० सी० ओ०, सिपाही, लांसनायक और हवलदार के दर्जे से कम के जो सैनिक कर्मचारी अल्पावधि सेवा कमीशन प्राप्त कर लेते हैं उनकी सामान्य सेवा अवधि के पूरा हो जाने के पश्चात् उन्हें यदि उनकी पदोन्नति वापस लेनी हो तो उन्हें सेवा के किस पद पर वापस भेजा जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अल्पकालीन सेवा कमीशन-प्राप्त अफसरों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है जिसे 5 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है । जिन आपातकालीन कमीशन-प्राप्त अफसरों को 1963 से 1965 के दौरान कमीशन दिया गया था उनका कार्यकाल आपातस्थिति की अवधि और उसके बाद जब तक आवश्यकता हो, तब तक के लिए था । अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अफसरों की स्थायी कमीशन के लिए उपयुक्तता का मूल्यांकन एक थल सेना मुख्यालय प्रवरण बोर्ड द्वारा उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों, विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के दौरान उनके प्रदर्शन तथा उनके द्वारा अर्जित पुरस्कारों व अलंकरणों के आधार पर किया जाता है । यह कार्यविधि जून, 1972 में अपनायी गयी थी । इससे पहले स्थायी कमीशन के लिए आपातकालीन कमीशन-प्राप्त तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन-प्राप्त दोनों अफसरों की उपयुक्तता का निर्धारण सेवा प्रवरण बोर्ड के साथ साक्षात्कारों के आधार पर किया जाता था ।

(ख) जी नहीं श्रीमान् । इन तकनीकी अफसरों को जो गहन प्रशिक्षण दिया जाता है उसका अभिप्राय केवल उन्हें अपने-अपने तकनीकी कोरों में, उन कोरों में भेजे गये अन्य स्थायी कमीशन-प्राप्त अफसरों के समान ही, सामान्य डिग्री कोर्स स्तर तक प्रशिक्षण देना होता है । इस प्रशिक्षण का अभिप्राय इन अफसरों को इन्फैन्ट्री अफसरों की तुलना में अपनी पदोन्नति की सम्भावनाओं को बेहतर बनाने में समर्थ बनाना नहीं होता ।

(ग) ऐसे अल्पकालीन सेवा कमीशन-प्राप्त अफसरों को जो पहले गैर-कमीशन-प्राप्त अफसर अथवा अन्य रैंक थे और जिन्हें स्थायी कमीशन के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, सेवा से मुक्त कर दिया जाता है और अपने मूल पद पर वापस नहीं भेजा जाता ।

ट्रैक्टरों के मूल्य में वृद्धि

1771. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**
श्री एम० कतामुतु :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों के मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की अनुमति दी गई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने अभी हाल ही में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, पिंजौर द्वारा निर्मित जीटर 2511 ट्रैक्टरों और इंटरनेशनल ट्रैक्टर कंपनी आफ इंडिया लि० द्वारा निर्मित दो माडलों के ट्रैक्टरों (बी० 275/276 और 434) के मूल्यों में वृद्धि करने की स्वीकृति दी है । स्वीकृत वृद्धि की राशि इस प्रकार है :—

जीटर 2511	2,300 रुपये
इंटरनेशनल बी 275/276	375 रुपये
इंटरनेशनल बी 434	1,635 रुपये

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में उत्पादन जब आरंभ हुआ तो जीटर 2511 का सबसे पहले का मूल्य अस्थायी रूप से निर्धारित किया गया था और उत्पादन लागत के बारे में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं था । कुछ महीनों तक एच० एम० टी० के ट्रैक्टर पुर्जे जोड़ कर तैयार करने के पश्चात् उत्पादन लागत का कुछ ब्यौरा उपलब्ध हुआ, जिसके आधार पर उन्होंने बिक्री मूल्य में 3,000 रुपये की वृद्धि करने को कहा । जब तक विस्तृत रूप से लागत पर विचार नहीं हो जाता तब तक सरकार ने अस्थायी तौर पर 2,300 रुपये की वृद्धि करने की अनुमति दी ।

इंटरनेशनल ट्रैक्टर कंपनी आफ इंडिया लि० द्वारा निर्मित ट्रैक्टरों के मामले में वृद्धि की यह स्वीकृति कुछ पुर्जों (क्रेंक केसिज) और टायर तथा ट्यूबों जिसे देशी सप्लाई को पूरा करने के लिए आयात करना पड़ता था जो कि उच्च उत्पादन स्तर को बनाये रखने के लिए फर्म की समूची आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी, पर बढ़ी हुई दरों में सीमा शुल्क के कारण अतिरिक्त लागत को पूरा करने के लिये दी गई है ।

Temporary Employees of Department of Supply

1773. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state the present number of temporary employees in Department of Supply who have completed more than five years service?

The Minister of Supply and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Allowance paid to employees of Ministry of Steel and Mines

1774. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether there has been a considerable increase in the financial year 1972-73 in payment of overtime allowance to the employees working in his Ministry as compared to the amount of overtime allowance paid in the years 1970-71 and 1971-72;

(b) if not, the year-wise amount of expenditure incurred on overtime allowance during the said financial years; and

(c) whether Government propose to make some reduction in the estimated amount of expenditure to be incurred during the financial year 1973-74 in view of the financial crisis and if so, how?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) and (b) There has been some increase in the amount of overtime allowance paid to

the employees of the Department of Steel and Department of Mines in 1972-73 as compared to the years 1970-71 and 1971-72. The year-wise expenditure is shown below :—

	Department of Steel	Department of Mines	Total
	Rs.	Rs.	Rs.
1970–71	1,38,084.11	1,27,835.25	2,65,919.36
1971–72	1,50,340.00	1,37,891.25	2,88,231.25
1972–73	1,85,660.00	1,38,763.65	3,24,423.65

(c) Yes, Sir. Every effort is being made to reduce expenditure on payment of over time allowance by tightening up of the procedures.

Indian and Foreign Nationals in Indian Embassy in U.S.A.

1775. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian as well as foreign nationals working in the Indian Embassy in U.S.A. at present;

(b) whether the pay-scales of Indian and foreign nationals for the same post are different; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The numbers of Indian nationals and foreign nationals who are working in our Missions & Posts in the U.S.A. are given in the attached statement.

(b) Each local post has the same pay-scale whether it is filled by an Indian national or a foreign national.

(c) Does not arise.

STATEMENT

The Number of Indian as well as Foreign Nationals Working as Local Employees in Indian Missions in U. S. A. at present

Sl. No.	Name of Mission	No. of India-based	Indian Nationals Local	Total	No. of Foreign Nationals	Remarks
1.	The Embassy of India, Washington . .	57	42	99	16*	*Excluding the India Supply Mission
2.	The Consulate General of India, New York .	18	32	50	2	
3.	The Consulate General of India, Sanfrancisco .	8	13	21	5	
4.	The Permanent Mission of India to the United Nations, New York .	36	18	54	1	

Temporary Employees in Ministry of Steel and Mines

1776. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number of employees in his Ministry who are temporary even after putting in five years of service; and

(b) the action being taken by Government to confirm these temporary employees?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) Three in the Department of Steel and eight in the Department of Mines.

(b) Insofar as the Department of Steel is concerned, while two persons could not be confirmed for want of permanent posts, the case of the third is being processed.

Regarding the Department of Mines, one person is on probation and his case will be considered on satisfactory completion of the probationary period. One person is not yet eligible for confirmation under the rules. Of the others, the confirmation of three persons is under consideration while the confirmation of the remaining three will depend on the availability of substantive vacancies.

यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भारतीय दूतावासों पर होने वाले खर्च में कमी करना

1777. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोप, अफ्रीका और एशिया के प्रमुख देशों में हमारे दूतावासों पर वार्षिक व्यय कितना होता है; और

(ख) क्या 400 करोड़ रुपये के बचत अभियान के रूप में व्यय-राशि में कोई भारी कमी किये जाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5774/73]

युद्ध बन्दियों को वापस भेजने में 'स्वयं-क्रियाशीलता के सिद्धान्त' का उल्लंघन करने के बारे में भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी आरोप

1778. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने भारत पर यह आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों को 28 और 29 सितम्बर, 1973 को ही वापस भेजे जाने का निर्णय किये जाने पर भी भारत ने दिल्ली समझौते में निहित तुरन्त कार्यवाही किये जाने के उस सिद्धान्त का उल्लंघन किया है, जिसके अनुसार पाकिस्तान में बन्दी बंगालियों तथा बंगलादेश में बन्दी पाकिस्तानियों को साथ ही साथ स्वदेश भेजा जाना चाहिए था; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस आरोप का औपचारिक तौर पर खण्डन किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पाकिस्तान ने यह गलत आरोप लगाया है कि भारत दिल्ली समझौते में निहित उस सिद्धान्त का पालन नहीं कर रहा है जिसके अनुसार सभी देश-प्रत्यावर्तियों की वापसी साथ-साथ होनी चाहिए ।

(ख) जी हां । सरकार ने पाकिस्तान को सही स्थिति से तुरन्त सूचित कर दिया था । भारत पाकिस्तानी युद्ध-बन्दियों और असैनिक नज़रबंदों के देश प्रत्यावर्तन से संबद्ध तथा पाकिस्तान और बंगलादेश के बीच क्रमशः पाकिस्तानियों और बंगालियों के देश-प्रत्यावर्तन से सम्बद्ध सिद्धान्त का भारत सख्ती से पालन कर रहा है ।

पाकिस्तान अधिकृत छम्ब क्षेत्र से आने वाले शरणार्थियों की शिकायतें

1779. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान अधिकृत छम्ब क्षेत्र से आने वाले शरणार्थियों की कोई शिकायतें सरकार के ध्यान में लाई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी हां, । माननीय सदस्य ने 26-10-1973 को छम्ब के विस्थापित व्यक्तियों की कुछ शिकायतों का एक ज्ञापन पुनर्वास मंत्री को भेजा था ।

(ख) इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाही को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(i) पुराने तम्बुओं को बदलना

पुराने तम्बुओं को बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा जुलाई, 1973 में 2037 तम्बू दिए गए थे । इसके अलावा वर्तमान तम्बुओं में बढ़ोतरी करने के लिए सितम्बर, 1973 में 3000 त्रिपाल सप्लाई किए गए थे । इस सम्बन्ध में और बदलने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 4000 नए तम्बुओं को खरीदने तथा सप्लाई करने के प्रबन्ध पहले ही किए जा चुके हैं ।

(ii) शिक्षा

24 स्कूलों को, जो छम्ब नियाबत में चलाए जा रहे थे, अब किशनपुर मनवल शिविरों के तम्बुओं में चलाया जा रहा है । उचित व्यवस्था को सुनिश्चित बनाने के लिए 17 स्कूल भवन उपलब्ध कराने का सुझाव है तथा दो प्रोटो टाइप स्कूल भवनों पर कार्य शीघ्र ही शुरू होने की आशा है ।

(iii) छम्ब के विस्थापितों द्वारा छोड़ी गई खड़ी फसलों के लिए मुआवजा

राज्य सरकार छम्ब के विस्थापितों को रबी 1972 की फसल में हुई क्षति हेतु अनुग्रह पूर्वक सहायता के भुगतान के लिए आवश्यक कदम उठा रही है ।

(iv) छम्ब के विस्थापितों का स्थायी पुनर्व्यवस्थापन

भारत सरकार ने 1-5-1973 को पूर्ण समस्या का अध्ययन करने तथा इन विस्थापित व्यक्तियों के शीघ्र पुनर्व्यवस्थापन के लिए उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए जम्मू और काश्मीर तथा केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त दल बनाया था। दल की रिपोर्ट सितम्बर 1973 के अन्त में प्राप्त हुई थी तथा यह सक्रिय विचाराधीन है ।

इसके अलावा शिविरों में सफाई, पीने के पानी की सप्लाई तथा चिकित्सा प्रबन्धों में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं । इन विस्थापित व्यक्तियों को फिल्टर्ड पानी की नियमित सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में लगभग 11-25 लाख रुपये के लागत की एक पानी की सप्लाई की योजना स्वीकृत की जा चुकी है (9-11-1973) ।

नारियल जटा से बनी वस्तुओं की खरीद

1780. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा उद्योग को जिसमें अत्यधिक श्रमिक काम करते हैं, संकट से बचाने के लिए सरकार के प्रयोग हेतु नारियल जटा से बनी अधिक वस्तुओं की खरीद करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) पूर्ति विभाग खरीद के लिए स्वयं कोई प्रस्ताव नहीं करता; वह तो सरकारी मांगकर्त्ताओं के लिए, जब कभी अपेक्षित होता है, खरीद करता है ।

नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों को प्रशासन द्वारा सताया जाना

1781. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नारियल जटा बोर्ड स्टाफ एसोसिएशन से उनको प्रशासन द्वारा सताए जाने के बारे में कोई शिकायत मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है ।

Contribution of Mini-Steel Plants in Production of Steel

1782. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the State-wise contribution of Mini-Steel Plants in the production of steel;

(b) whether there is a scheme for giving incentive to these plants; and

(c) if so, the broad outlines thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) While the total production of liquid steel by the electric furnace units in the country was over one million tonnes during 1972-73, the contribution of these units in terms of ingots and finished castings was as indicated below :

State	Ingots (in '000 tonnes)	Castings (in '000 tonnes)
Andhra Pradesh	8.3	—
Bihar	16.8	57.0
Gujarat	13.8	1.3
Haryana	73.2	1.2
M.P.	15.0	5.2
Maharashtra	138.7	16.6
Karnataka	20.6	1.5
Punjab	19.6	0.8
Rajasthan	14.0	1.5
Tamil Nadu	8.0	15.6
Uttar Pradesh	178.1	5.1
West Bengal	129.4	32.3
	635.5	138.1

(b) and (c) There is no specific scheme for incentives to these plants. The entrepreneurs can avail themselves of assistance from public financial institutions on the basis of techno-economic viability of the projects.

वर्ष 1972 के लिए 8.33 प्रतिशत बोनस की अदायगी

1783. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश के नियोजकों द्वारा मजदूरों को वर्ष 1972 के लिए 8.33 प्रतिशत बोनस की अदायगी कर दी गई है ;

(ख) ऐसे औद्योगिक तथा अन्य एककों की संख्या क्या है जिन्होंने उक्त अवधि के लिए 8.33 प्रतिशत से अधिक बोनस बांटा और बांटे गए बोनस की प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) क्या उक्त अतिरिक्त बोनस नकद दिया गया था अथवा अन्य किसी रूप में ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1972 में किसी भी दिन से शुरू होने वाले लेखा वर्ष के बारे में 8⅓ प्रतिशत की बढ़ी हुई दर पर, न्यूनतम बोनस का भुगतान सांविधिक अपेक्षा है और इसका उल्लंघन एक अपराध है । बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 का सीमा-क्षेत्र बहुत विस्तृत है और प्रत्येक वैयक्तिक प्रतिष्ठान द्वारा किए गए बोनस भुगतानों के बारे में सूचना एकत्रित नहीं है । तथापि, यदि बोनस के भुगतान न करने के किसी मामले की सूचना दी जाती है तो उस पर 'उपयुक्त सरकार' द्वारा कार्यवाही की जा सकती है ।

(ग) 15 सितम्बर, 1973 को नियोजकों के संगठनों से पूरे बोनस का नकद भुगतान करने के लिए प्रार्थना की गई थी। इस प्रयोजन के लिए अधिनियम को संशोधित करने हेतु एक विधेयक अब तक राज्य सभा में रखा जा चुका है ।

कोयले की कम सप्लाई

1784. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कोयले की अत्यावश्यक मांग और आवश्यकताओं की तुलना में कोयले की सप्लाई बहुत ही कम हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो कोयले की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) खानों से काम के स्थानों तक कोयले की द्रुत और समान्वित ढुलाई के लिए सरकार ने क्या प्रशासनिक व्यवस्था की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां। कोयला पूर्ति स्थिति संतोषप्रद नहीं है जिसका तथ्य यह है कि कोयले के उत्पादन में समग्रतः बढ़ोतरी होने के बावजूद, विशिष्ट-तया बिजली घरों और इस्पात संयंत्रों की कोयला संबन्धी जरूरतों में अपार वृद्धि के कारण, जिन्हें वैगनों के आवंटन में उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त है, अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता वाले उपभोक्ताओं को देश भर में हाल ही के महीनों में कोयले की कमी का सामना करना पड़ा था।

(ख) और (ग) रेलवे तथा कोयला उत्पादन संगठन कोयले और कोक की ढुलाई में वृद्धि करने के लिए उपाय कर रहे हैं ।

सरकार ने भी विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोयले की परिवहन और वितरण संबन्धी समस्याओं की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है । समिति ने विभिन्न सेक्टरों, विशिष्टतया लघु उद्योगों, ईंट भट्ठों और घरेलू उपभोक्ताओं को कोयले की ढुलाई में वृद्धि करने का निश्चय किया है । लघु उद्योगों, ईंट भट्ठों और घरेलू उपभोक्ताओं को कोयले की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण उपभोक्ता केन्द्रों में, जिनमें गुजरात भी सम्मिलित है, अस्थायी टालें खोलने की योजनाओं का व्यापक रूप से अनुसरण किया जा रहा है । अधिकतम कोयला पूर्ति हेतु उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए रेलवे और कोयला उत्पादक एजेंसियों के प्रतिनिधियों का कलकत्ता में एक संयुक्त सैल स्थापित किया गया है ।

राष्ट्र संघ महासभा के 28वें वार्षिक अधिवेशन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल

1785. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूयार्क में राष्ट्र संघ महासभा के 28 वें वार्षिक अधिवेशन में जिन भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उक्त भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा अब तक प्राप्त ठोस उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रतिनिधिमंडल के लिए चयन किस आधार पर किया गया है; और इस बारे में अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 28वें वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधियों के नाम अनुबन्ध 'क' में दिये गये हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5775/73]**

(ख) महासभा का 28वां अधिवेशन 18 दिसम्बर, 1973 को समाप्त होने वाला है । अतः हमारे प्रतिनिधिमंडल की उपलब्धियों के आंकलन के लिए हमें अधिवेशन की समाप्ति तक प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

फिर भी, इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि हमारे प्रतिनिधिमंडल ने कार्य सूची के अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार-विमर्श में सक्रिय भूमिका अदा की है, जिनमें निरस्त्रीकरण, समुद्र-विषयक कानून, नवोदित राज्य गिनी-बिसाऊ पर पुर्तगाल का आक्रमण, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, मानवाधिकार, उपनिवेशवाद की समाप्ति एवं जातीय पृथग्वासन से संबद्ध प्रश्न भी शामिल हैं; इसके अतिरिक्त महासभा द्वारा लिए गये उपयोगी निर्णयों में भी हमारे प्रतिनिधिमण्डल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।

(ग) संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं । अतः उनके चयन का मुख्य आधार यही है कि वे सरकार की नीतियों से सहमत हों।

महासभा के 28वें अधिवेशन को भेजे गए प्रतिनिधिमंडल पर हुए खर्च का ठीक-ठीक हिसाब लगाया जा रहा है और तैयार हो जाने पर सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

फील्ड मार्शल मानेकशा को विशेष भत्तों का भुगतान

1786. **श्री पी० जी० मावकंलर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फील्ड मार्शल मानेकशा को दिल्ली अथवा अन्यत्र स्थानों पर विशेष भत्ते तथा सुविधायें दी जाती हैं और क्या उन्हें सशस्त्र सेवाओं की सक्रिय सूची में माना जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) 28 फरवरी, 1973 को जारी किए गये सरकारी आदेशों के अनुसार सेनाध्यक्ष का पद छोड़ देने के पश्चात् फील्ड मार्शल मानिकशा को सेवानिवृत्त सूची में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा, परन्तु आजीवन सक्रिय सूची पर रहेगा और 1600 रुपये प्रति मास विशेष वेतन दिया जाएगा जिसमें सेनाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त होने पर मिलने वाली 1200 रुपये प्रतिमास की पेंशन भी सम्मिलित है । उन्हें अन्य कोई भत्ता अथवा परिलब्धियां ग्राह्य नहीं हैं ।

अधिक माल ढोने वाले ट्रकों का निर्माण करने के लिए जबलपुर व्हीकल्स फैक्टरी को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना

1787. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर व्हीकल्स फैक्टरी को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ताकि अधिक माल ढोने वाले ट्रकों का निर्माण करने के लिए इसकी क्षमता में विस्तार किया जा सके; और

(ख) क्या टाटा तथा अशोक लेलैंड अपने उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सके हालांकि उन्हें अतिरिक्त क्षमता बनाने की अनुमति दी गई थी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) अधिक माल ढोने वाले ट्रकों के निर्माण के लिए जबलपुर व्हीकल्स फैक्टरी के विस्तार के लिए अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है परन्तु इसके विस्तार के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है । मैसर्स टाटा तथा अशोक लेलैंड को हाल ही में मंजूर की गई अतिरिक्त क्षमता अपेक्षित संयंत्र तथा उपकरण लगा दिए जाने के पश्चात् ही कार्यान्वित की जाएगी। तथापि जबलपुर व्हीकल फैक्टरी के प्रस्तावित विस्तार से, वर्तमान यूनिटों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए, देश में वाणिज्यिक मोटरगाड़ियों की कुल कमी को पूरा किया जाना है ।

गोरखपुर पुलिस द्वारा भारतीय वायु सेना के कर्मचारी की गिरफ्तारी

1788. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर पुलिस ने हाल ही में अन्तर्राज्यीय डकैतियों से सम्बद्ध भारतीय सेना के 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस स्थान पर इन गिरफ्तार व्यक्तियों को कितनी देर रखा गया ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) डकैती के एक मामले में सम्बन्धित होने के कारण 29-30 सितम्बर, 1973 की रात्रि की सिविल पुलिस ने भारतीय वायुसेना के तीन कार्मिकों और एक सिविलियन ड्राइवर को गिरफ्तार किया ।

(ख) भारतीय वायु सेना के तीन कार्मिकों में से दो कार्मिक मई, 1972 से और तीसरा दिसम्बर 1970 से उस स्थान विशेष पर सेवा कर रहे हैं । जहां तक सिविलियन ड्राइवर का संबन्ध है, वह अपनी नियुक्ति की तारीख से अर्थात् 22 जुलाई, 1966 से वहां सेवा कर रहा है ।

कोयले की राज्य-वार मांग और सप्लाई

1789. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में कोयले की चल रही कमी संबन्धी शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कोयले की राज्य-वार मांग और सप्लाई की स्थिति क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी हां ।

(ख) 1972-73 के दौरान राज्य-वार कोयले की मांग और पूर्ति संबन्धी प्राक्कलनों का ब्यौरा संलग्न है ।

विवरण

1972-73 के दौरान, कोयला, कोक और उपोत्पाद आदि की प्राक्कलित मांग और पूर्ति/उपभोग संबंधी विवरण

(आंकड़े लाख टनों में)

क्रम सं०	राज्य	1972-73 के प्राक्कलन	
		उपभोक्ताओं की मांग	पूर्ति/उपभोग (अन्तिम)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र	29.40	28.90
2.	असम	03.10	02.10
3.	वैस्ट बंगाल	153.80	149.10
4.	बिहार	216.60	172.10
5.	गुजरात	31.20	27.70
6.	केरल	00.20	00.10
7.	जम्मू और कश्मीर	00.10	00.10
8.	गोवा	00.10	00.10
9.	महाराष्ट्र	40.80	39.40
10.	मध्य प्रदेश	85.20	80.10

1	2	3	4
11.	तमिलनाडु	22.70	13.50
12.	मैसूर	09.60	07.00
13.	उड़ीसा	44.00	32.90
14.	पंजाब	32.10	17.60
15.	हरियाणा	06.20	02.70
16.	उत्तर प्रदेश	110.60	73.00
17.	राजस्थान	13.10	10.20
18.	दिल्ली	25.70	17.30
19.	हिमाचल प्रदेश	00.60	00.10
20.	त्रिपुरा	00.10	00.10

ध्यान दें :— उपर्युक्त आंकड़ों में कोक आदि के उत्पादन में प्रयुक्त मात्रा को छोड़कर प्रक्षालनशालाओं को दुहरे लदान की मात्रा सम्मिलित है । किन्तु कोयला खानों व लोको के निजी उपभोग तथा निर्यात की मात्रा सम्मिलित नहीं है क्योंकि इसका राज्य-वार आवंटन नहीं किया जा सकता ।

पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते का उल्लंघन

1790. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **विदेश** मंत्री पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते के उल्लंघन के बारे में 26 जुलाई, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 66 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान ने इस बीच शिमला समझौते का उल्लंघन किन-किन रूपों में किया है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) विद्वेषपूर्ण प्रचार की समाप्ति से संबद्ध समझौते का उल्लंघन किए जाने की घटनाएं हुई हैं । इसके अतिरिक्त हाल ही में पाकिस्तान के नेताओं ने कुछ ऐसे वक्तव्य भी दिये हैं जो शिमला समझौते के अनुकूल नहीं है । सरकार ने जब-कभी आवश्यक समझा है इन उल्लंघनों की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ।

स्कूटरों की कमी

1791. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्कूटरों की आत्याधिक कमी है;

(ख) 1 अक्तूबर, 1973 को कितने व्यक्ति स्कूटर प्राप्त करने वालों की प्रतीक्षा सूची में थे; और

(ग) देश में स्कूटर उत्पादन में वृद्धि करने तथा उचित अवधि के दौरान मांग पूरी करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस समय देश में स्कूटरों का उत्पादन मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है ।

(ख) 5,69,000 के लगभग ।

(ग) सरकार प्रतिवर्ष 1,00,000 की क्षमता में स्कूटरों का निर्माण करने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित कर रही है । कुछ राज्य औद्योगिक विकास निगमों को स्कूटरों का निर्माण करने के लिये आशय-पत्र जारी किये गये हैं जो मे० स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाए जाने वाले उसी आकार और प्रकार के स्कूटरों के आधार पर पुर्जे जोड़कर स्कूटर तैयार करने के लिए मै० स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के साथ लाइसेंसीकरण का प्रबन्ध करेगा । तीन विद्यमान स्कूटर निर्माताओं को स्कूटरों का उत्पादन करने के लिये अपनी क्षमता बढ़ाने हेतु मंजूरी दी गई है । इसके अतिरिक्त, स्कूटरों का निर्माण करने के लिये बहुत से नये उद्यमियों को आशय-पत्र जारी किये गये हैं ।

लेह स्थित कृषि अनुसंधान एकक

1792. **श्री अशोक बाकुला** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेह स्थित कृषि अनुसंधान एकक ने आलू, मटर, बन्दगोभी, फूलगोभी तथा अन्य सब्जियों की किस्में तैयार की हैं;

(ख) कृषि अनुसंधान के लाभों को स्थानीय किसानों में वितरित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) रक्षा सेवाओं द्वारा उपलब्ध की गई सहायता के परिणामस्वरूप लद्दाख क्षेत्र में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) कृषि अनुसंधान यूनिट के अनुसंधान कर्मचारियों और किसानों के बीच समीप का सम्पर्क रखा जाता है । लेह के लिए बहुत अधिक उपयुक्त बीजों की किस्मों के संबन्ध में जानकारी करने, फसलों को उपजाने के लिए ठीक समय तथा तरीकों का पता लगाने और कृषि अनुसंधान यूनिट द्वारा समुन्नत नई तकनीक से अपन आपको परिचित करने के लिए किसान प्रायः इस यूनिट में आते रहते हैं । कृषि अनुसंधान यूनिट के वैज्ञानिक भी आंकड़े एकत्र करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए स्थानीय किसानों के पास जाते हैं । कृषि के क्षेत्र में हमारे अनुसंधान की उपलब्धियों से उच्च तुंगता पर स्थानीय जनता को लाभ पहुंचाने के लिए और स्थानीय कृषि समस्याओं के बारे में भी जानने के लिए एक समिति बनी हुई है जिसमें विकास आयुक्त अध्यक्ष हैं और रक्षा कृषि अनुसंधान यूनिट के प्रतिनिधि और स्थानीय सहकारी सोसायटी तथा किसान सोसाइटी के प्रतिनिधि सदस्य हैं । उपर्युक्त समिति के माध्यम से यह फार्म स्थानीय किसानों और वहां स्थित विभिन्न सेना यूनिटों को हर वर्ष काफी मात्रा में बीजों की पूर्ति करता है ।

(ग) लद्दाख क्षेत्र में लगभग गत 10 वर्षों में शाक-सब्जियों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है । यह इस तथ्य से पता चलता है कि स्थानीय किसानों के माध्यम से 1972-73 में सेना को उपलब्ध ताजी सब्जियों की मात्रा 1963 में उपलब्ध मात्रा से लगभग 40 गुणा है । इस बारे में, रक्षा कृषि अनुसंधान यूनिट, लेह का अंशदान महत्वपूर्ण रहा है ।

कारों, जीपों, स्कूटरों तथा मोटर साइकिलों का उत्पादन

1793. **श्री को० केडंडा रामी रेड्डी :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में कारों, जीपों, स्कूटरों तथा मोटर साइकलों का कारखाना-वार कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) इस समय उपरोक्त वाहनों की मांग कितनी है और पांचवीं योजना के अन्त तक अनुमानतः यह मांग कितनी होगी ; और

(ग) सरकारी, गैर-सरकारी तथा संयुक्त क्षेत्र में क्षेत्रवार कितनी पार्टियों को आशय-पत्र दिये गये, कितने वाहन श्रेणीवार बनाये जायेंगे तथा उनका उत्पादन किस अवधि तक आरम्भ होने की संभावना है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क)

एकक का नाम	निर्माण की वस्तु	उत्पादन संख्या में	
		1971	1972
1	2	3	4
1. मै० हिन्दुस्तान मोटर्स लि०, जिला हुगली (पश्चिम बंगाल)	यात्री कारें	25,657	25,757
2. मै० प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि०, बम्बई .	यात्री कार	12,821	13,703
3. मै० स्टैंडर्ड मोटर प्राडक्ट्स आफ इंडिया लि०, मद्रास .	यात्री कार	847	579
4. मै० महीन्द्रा एण्ड महीन्द्रा लि०, बम्बई	जीपें	11,053	12,589
5. मै० बजाज आटो लि०, पूना . .	स्कूटर	39,798	40,332
6. मै० आटोमोबाइल प्राडक्ट्स आफ इंडिया लि०, बंबई	स्कूटर	24,504	20,857
7. मै० एस्काट्र्स लि०, फरीदाबाद	स्कूटर	2,860	3,468
	मोटरसाइकिल	12,806	17,043
8. मै० एनफील्ड इण्डिया लि०, मद्रास	स्कूटर	50	80
	मोटरसाइकिल	10,904	12,808
9 मै० आइडियल जावा (इंडिया) प्रा० लि०, मैसूर .	मोटरसाइकिल	16,020	17,706

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक (1973-74) यात्री कारों, स्कूटरों और मोटर साइकिलों की अनुमानित मांग निम्नलिखित है :—

1. यात्री कारें .	75,000
2. जीपें	15,000
3. स्कूटर, जिनमें मोटर साइकिलें, मोपेडें और तीन पहिए वाले स्कूटर भी शामिल हैं	2,10,000

पांचवीं योजनावधि के लिए विभिन्न श्रेणियों की गाड़ियों की मांग के अनुमानों को सभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(क) यात्री कारों का निर्माण करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में ग्यारह पार्टियों को प्रतिवर्ष 1,56,000 की कुल क्षमता के लिए आशय पत्र मंजूर किए गए हैं, ये पार्टियां नये उद्यमी हैं और उनके लिए यह आपेक्षित है कि वे बिना किसी विदेशी सहयोग या विदेशी परामर्शदायी-प्रबन्ध के अपने स्वयं के डिजाइन विकसित करें ऐसा करने में समय अवश्य लगेगा। इसलिए इस अवस्था में यह बताना कठिन है कि कब तक उत्पादन प्रारम्भ होगा ।

जीपों का निर्माण करने के लिए किसी भी पार्टी को आशय पत्र नहीं दिया गया है ।

स्कूटरों का निर्माण करने के लिए आठ राज्य औद्योगिक विकास निगमों को प्रतिवर्ष 1,98,000 संख्या की कुल क्षमता और गर-सरकारी क्षेत्र में तेरह पार्टियों को प्रतिवर्ष 2,75,000 संख्या की क्षमता के लिए आशय पत्र दिए गए है, इनमें से राज्य क्षेत्र में एक एकक की और गैर सरकारी क्षेत्र में एक एकक को प्रतिवर्ष 24,000 संख्या प्रत्येक की क्षमता के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं । राज्य क्षेत्र के एकक ने थोड़ी सी मात्रा में उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है और गैर-सरकारी क्षेत्र के एकक में जनवरी, 1974 में उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है । सरकारी क्षेत्र के एक एकक को भी स्कूटरों का निर्माण करने के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 की क्षमता हेतु लाइसेंस दिया गया है और इसमें अगस्त, 1974 तक उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है । शेष पार्टियों के संबन्ध में उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि के बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में एक पार्टी को प्रतिवर्ष 24,000 की क्षमता से मोटर साइकिलों (छोटे स्कूटर सहित) का निर्माण करने के लिए आशय पत्र दिया गया है । इस पार्टी से बिना विदेशी सहयोग या विदेशी परामर्शदायी व्यवस्थाओं के पार्टी के स्वयं के डिजाइन विकसित करना अपेक्षित है । ऐसा करने में समय अवश्य लगेगा। इसलिए इस अवस्था में यह बताना कठिन है कि कब तक उत्पादन प्रारम्भ होगा। गैर-सरकारी क्षेत्र में एक दूसरी पार्टी को, जो पहले से ही पेड़ों का निर्माण कर रही है, प्रतिवर्ष 8,000 मोटर साइकिलों का निर्माण करने की अनुमति दी गई है । उन्होंने पहले ही उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है ।

स्वदेशी प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण

1794. **श्री वी० वी० नायक :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी प्रक्षेपणास्त्रों का निर्माण करने का कोई प्रयास किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या प्रगति हुई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) यह सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं हैं ।

बर्मा से स्वदेश लौटने वालों के लिए आन्ध्र प्रदेश में पुनर्वास की योजनायें

1795. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश में बर्मा से आयें शरणार्थियों का पुनर्वास करने के लिये इस समय कौन-कौन सी योजनायें चल रही हैं तथा निकट भविष्य में कौन-कौन सी योजनायें चालू करने का विचार है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : आन्ध्र प्रदेश में बर्मा से लौटे प्रत्यावासियों के पुनर्वास के लिए स्वीकृत योजनाओं के विवरण और पुनर्वास की प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

बर्मा से लौटे प्रत्यावासियों के पुनर्वास के लिए स्वीकृत योजनाएं और पुनर्वास की प्रगति

(i) व्यवसाय ऋण

व्यापार और व्यवसाय के लिए प्रति परिवार अधिक से अधिक 5000/–रु० तक ऋण मंजूर किए जाते हैं ।

(ii) आवास सहायता

प्लाट खरीदने तथा घर बनाने के लिए निम्नलिखित ऋण दिये जाते हैं :—

	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
	रु०	रु०
(क) प्लाट की लागत . .	600 (ऋण)	200 (ऋण)
(ख) गृह निर्माण की लागत	2000 (ऋण)	1250 (ऋण)
(ग) भूमि सुधार	1500 (ऋण)	600 (अनुदान)
(घ) कारोबार स्थल के लिए	500 (ऋण)	200 (ऋण)

(iii) शैक्षिक रियायतें

(क) दिन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 5/–रु० से लेकर 100 रु० प्रति वर्ष पुस्तक अनुदान।

(ख) अंकों संबन्धी कुछ शर्तों पर हाई स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 40 रु० से 60 रु० तक प्रति माह वजीफा यदि वे अपने परिवार से दूर होस्टल में रहते हों।

उपर्युक्त रियायतें तभी दी जाती है यदि मां-बाप की आय 250 रु० प्रति माह से अधिक न हो।

(iv) रोजगार सुविधाएं

(क) रोजगार कार्यालयों के जरिए केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्ति के मामले में अग्रता दी जाती है ।

(ख) रोजगार कार्यालयों के जरिए भर्ती के लिए अधिकतम आयु-सीमा में 45 वर्ष की छूट दी जाती है (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 वर्ष) ।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों में अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाती है । आयोग को उचित मामलों में परीक्षा शुल्क माफ करने का भी अधिकार दिया गया है ।

(घ) प्रत्यावासियों को रोजगार सहायता देने के लिए विशाखापट्टनम में विशेष रोजगार सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

(ङ) स्वदेश लौटने वालों को टैक्सटाइल टाउनशिप, रामागुन्दम, नेलोर और राजामुन्दरी कताई मिल जैसे पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष रूप से स्थापित उद्योगों में प्रशिक्षण तथा रोजगार सुविधाएं भी दी जाती हैं ।

(v) **स्वीकृत विशेष योजनाएं**

प्रत्यावासियों के लिए कंचरापालेय (आन्ध्र प्रदेश) में एक स्थायी दायित्व गृह स्थापित किया गया है ।

(vi) **प्रत्यावासी सहकारी वित्त और विकास बैंक**

आन्ध्र प्रदेश और अन्य दक्षिणी राज्यों में बसाये गए प्रत्यावासियों को लघु उद्योगों, व्यवसायों और अन्य योजनाओं के लिए ऋण की सुविधाएं देने के लिए प्रत्यावासी सहकारी वित्त और विकास बैंक की स्थापना की गई है जिसका मुख्यालय मद्रास में है ।

(vii) **आंध्र-प्रदेश में बर्मा से लौटे प्रत्यावासियों के पुनर्वास की प्रगति**

आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि 1-6-1963 से बर्मा से लौटे प्रत्यावासियों के लगभग 11,493 परिवार इस राज्य में आए हैं । जून, 1973 के अन्त तक दी गई सहायता के विवरण नीचे दिए गए हैं :—

(क) 10,618 परिवारों को, 1,44,05,730 रु० की राशि व्यवसाय ऋण के रूप में दी गई है । इनमें वे परिवार भी हैं जिन्हें आंशिक सहायता दी गई है और जिन्हें और सहायता दी जानी है ।

(ख) 1,091 परिवारों को 17,84,600 रुपये की राशि आवास ऋण के रूप में दी जा चुकी हैं। इसके अलावा 100 वर्ष प्रत्यावासी परिवारों को गोलापालेम कालोनी में मकान एलाट किए गए है ।

(ग) 1,001 प्रत्यावासियों को रोजगार दिया गया है ।

(घ) 5 बर्मा प्रत्यावासी परिवारों को कृषि भूमि एलाट की गई है ।

(ङ) **दूकानें तथा स्टालें**: बर्मा से लौटे प्रत्यावासियों में एलाट करने के लिए 8,65,000 रु० की लागत से 286 शायिकाओं तथा स्टालों का निर्माण किया गया है ।

(च) 1968 में एक बर्मा प्रत्यावासी आटोरिक्शा सहकारी समिति स्थापित की गई थी और समिति द्वारा खरीदे गए 15 वाहनों के साथ कार्य कर रही है ।

(viii) **अपेक्षित योजनाएं**

उपर्युक्त चालू योजनाओं के अन्तर्गत बर्मा से लौटे प्रत्यावासियों को मिलने वाली पुनर्वास सहायता के अलावा राज्य सरकार का 320 प्रत्यावासी परिवारों को कप्पाराड़ा आवासीय कालोनी में बसाने का प्रस्ताव है जिस पर कार्यवाही शुरू की जा चुकी है और 825 प्रत्यावासियों को आवासीय सुविधाएं देने के लिए आवासीय बस्तियों के निर्माण के लिए प्रस्ताव उसके विचाराधीन हैं ।

आंध्र प्रदेश, कडप्पा में एवेस्टोस उद्योग समूह

1796. श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में एक एवेस्टोस उद्योग समूह स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बात क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी मैसर्स आन्ध्र प्रदेश खनन निगम आन्ध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में एस्बेस्टोस उद्योग समूह स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) ब्यौरा अभी तैयार नहीं हैं ।

विशाखापटनम में ग्रैफाइट, बाक्साइट तथा बोलफ्रामाइट की जांच

1797. श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के विशाखापटनम जिले में ग्रेफाइट, बाक्साइट तथा बोलफ्रामाइट की जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) विशाखापत्तनम जिले में गोलीकोडा पठार में बाक्साइट के समन्वेषण से संबन्द्ध जांच कार्य लगभग पूरा हो चुका है । भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने विशाखापत्तनम जिले में ग्रेफाइट तथा बोलफ्रेमाइट के लिए व्यापक जांच कार्य अभी शुरू नहीं किया है ।

(ख) गोलीकोंडा पठार में किए गए जांच कार्य से पता चला है कि समन्वेषण किए गए तीन क्षेत्रों में विभिन्न ग्रेड का लगभग 9623 लाख टन बाक्साइट प्राप्त होगा।

आन्ध्र प्रदेश में हीरे की संभावनायें

1798. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर, कुरनूल तथा कृष्ण जिलों में हीरे खोजने का काम पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन जिलों में हीरे के उपलब्ध होने के निश्चित संकेत मिले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं प्राथमिक रूप से अब तक सक्षम क्षेत्रों के कुछ भागों की ही जांच-पड़ताल की गई है । आगामी कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) (1) अनन्तपुर जिले के बज्रकूर क्षेत्र (भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा 28.75 कैरट भार के अब तक 34 हीरे खोजे गए हैं, (2) कृष्णा जिले में कृष्णा नदी की रेतीली परत (भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण को 4.270 कैरट भार के 3 विवर्ण हीरे अब तक प्राप्त हुए हैं) की पाइप-चट्टानों तथा (3) कुरनूल जिले के रमल्लाकोटा क्षेत्र में वंगनपल्ली की कंकड़ीली भूमि में हीरे होने के प्रमाण मिले हैं ।

त्रिपुरा में सीमेंट तथा सी० आई० चादरों की कमी

1799. **श्री दशरथ देव :**

क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय त्रिपुरा में सीमेंट तथा सी० आई० चादरों की अत्यधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा को पूरे वर्ष सीमेंट तथा सी० आई० चादरों की अपेक्षित मात्रा की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) त्रिपुरा में सी० आई० चादरों का वर्तमान बाजार मूल्य क्या है तथा प्रति बंडल इसका फैक्टरी मूल्य क्या है ; और

(घ) त्रिपुरावासियों को उचित मूल्य पर सी० आई० चादरों की सप्लाई के लिए क्या कोई विशिष्ट कार्यवाही की जा रही है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ) यह मामला त्रिपुरा राज्य सरकार से संबन्धित है । इस संबन्ध में राज्य सरकार से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है, जिसे सभा पटल पर रखा दिया जायेगा ।

भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत निषिद्ध हड़तालें

1800. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत कुल कितनी हड़ताल निषिद्ध की गई , और

(ख) उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) अब तक कैलेन्डर वर्ष, 1973 के दौरान, भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 118 के अन्तर्गत, हड़तालों को निषिद्ध करने वाले आदेश निम्नलिखित के संबन्ध में जारी किए गए :—

(1) इडिक्की हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्राजेक्ट (केरल) ।

(2) नैवेली लिगनाइट कार्पोरेशन लिमिटेड (तमिलनाडु) ।

(3) भारत में रेल सेवाएं ।

(4) (क) बिहार, (ख) तमिल नाडु और (ग) केरल में जनसाधारण को विद्युत ऊर्जा के संभरण अथवा ऐसे संभरण के प्रयोजन के लिए विद्युत ऊर्जा के उत्पादन संचयन अथवा संचरण से सम्बद्ध सेवाएं ।

(5) भारत खाद्य निगम ; और

(6) कोमिनको बीनानी जिंक लिमिटेड (केरल) ।

Supply of Consumer Commodities to Low Paid Government Employees at Fair Price.

1801. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the total number of Central Government employees all over the country;

(b) the number of employees receiving the minimum salary indicating the amount thereof; and

(c) the arrangements made to make consumer commodities of daily use available to them at fair price?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) As per census of the Central Government Employees conducted by Directorate General, Employment and Training, the number of regular Central Government employees as on 31st March, 1971 was 26,98,657.

(b) Regular Central Government employees as on 31st March, 1971 in pay ranges below Rs. 150/- per month were 13,17,308.

(c) No exclusive arrangements for the supply of consumer commodities of daily use are made for Central Government employees. However, these are made available at fair prices through the net-work of Super Bazars and the Cooperative stores which are open to the general public.

कारों के आयात पर रोक

1802. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में निर्मित कारों के आयात पर पूरी-पूरी रोक लगाने का है और यदि हां, तो इस निर्णय को कब तक प्रभावी रूप दिया जायेगा ; और

(ख) क्या देश में बनने वाली कारों को विदेशों में बनी कारों के बराबर लाने के लिये उनकी किस्म में सुधार के लिये भी कोई कार्यवाही की जा रही है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कुछ विशेष रूप से अलग की गई श्रेणियों को छोड़कर विदेशों में बनी कारों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है । इस समय पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) सरकार ने कार निर्माताओं और जटिल प्रकार के सहायक सामान के सम्भरणकर्ताओं को निर्देश जारी किए हैं कि कारों की किस्म में सुधार करने के लिए वे मोटर कार किस्म जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करें। समय समय पर समीक्षा करके इन पर अनुवर्ती की कार्यवाही की जाती रही है । खराबियों को दूर करने और किस्म में सुधार करने का सुनिश्चय करने की दृष्टि से सरकार अब कारों का निरन्तर परीक्षण करने की योजना चालू कर रही है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

नौसेना अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक:) : नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:--

(1) नौसेना छुट्टी (पहला संशोधन) विनियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 258 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) नौसेना छुट्टी (दूसरा संशोधन) विनियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 13 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 283 में प्रकाशित हुए थे ।

(3) नौसेना छुट्टी (तीसरा संशोधन) विनियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 295 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए एल० टी० संख्या–5763/73]

उड़ीसा औद्योगिक प्रतिष्ठान (राष्ट्रीय तथा त्यौहार) अवकाश नियम, विवरण, कोयला, खान, श्रम, आवास तथा सामान्य कल्याण निधि (टेलीफोन आपरेटर) भर्ती नियम तथा अधिसूचनायें

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ:--

(1) (एक) उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 3 मार्च, 1973 की जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित उड़ीसा औद्योगिक प्रतिष्ठान (राष्ट्रीय तथा त्यौहार) अवकाश दिन अधिनियम, 1969 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उड़ीसा औद्यौगिक प्रतिष्ठान (राष्ट्रीय तथा त्यौहार) अवकाश दिन नियम 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो उड़ीसा राजपत्र, दिनांक 9 मार्च 1973 में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 157 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालम मे रखे गये देखिए एल० टी० संख्या–5764/73]

(2) (एक) संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन जारी किये गये कोयला खान श्रम, आवास तथा सामान्य कल्याण निधि (टेलीफोन आपरेटर) भर्ती नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 502 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिऐ एल० टी० संख्या–5765/73]

(3) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि और कुटम्ब पेन्शन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाएँ (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(क) सा० सां० नि० 1988 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा धागे को लपेटने तथा सूत की रीलें बनाने सम्बन्धी उद्योग को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में जोड़ा गया है।

(ख) सा० सां० नि० 503 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 मई, 1973 में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 'कत्था' बनाने वाले उद्योग को उक्त अधनियम की पहली अनुसूची में जोड़ा गया हैं ।

(ग) कर्मचारी कुटम्ब पेन्शन (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 940 में प्रकाशित हुई थी ।

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1039 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) उपर्युक्त (क) और (ख) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए एल०टी० संख्या—5766/73]

(4) (क) कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन तथा बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 की धारा 7 क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाएँ (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कोयला खान बोनस (संशोधन) स्कीम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 467 में प्रकाशित हुई थीं।

(दो) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान बोनस (संशोधन) स्कीम 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 468 में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) राजस्थान कोयला खान बोनस (संशोधन) स्कीम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 469 में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) आसाम कोयला खान बोनस (संशोधन) स्कीम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल, 1971 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 470 में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) कोयला खान भविष्य निधि (पहला संशोधन) स्कीम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1006 में प्रकाशित हुई थी ।

(छः) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (पहला संशोधन) स्कीम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 जुलाई, 1971 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1007 में प्रकाशित हुई थी ।

(सात) सा० सां० नि० 1451 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा अधिसूचना संख्या पी० एफ० 15 (5)/48 दिनांक 11 दिसम्बर, 1948 में कतिपय रुपभेद किये गये हैं ।

(आठ) कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1814 में प्रकाशित हुई थी ।

(नौ) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1815 में प्रकाशित हुई थी ।

(दस) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (पहला संशोधन) स्कीम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1816 में प्रकाशित हुई थी ।

(ग्यारह) नेवेली कोयला खान भविष्य निधि (पहला संशोधन) स्कीम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1817 में प्रकाशित हुई थी ।

(बारह) कोयला खान भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1989 में प्रकाशित हुई थी ।

(तेरह) कोयला खान भविष्य निधि (चौथा संशोधन) स्कीम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 52 में प्रकाशित हुई थी ।

(चौदह) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 53 में प्रकाशित हुई थी ।

(पन्द्रह) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 54 में प्रकाशित हुई थी ।

(सोलह) नेवेली कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 55 में प्रकाशित हुई थी ।

(सत्रह) कोयला खान भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 976 में प्रकाशित हुई थी ।

(अठारह) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1973 में भारत के राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 977 में प्रकाशित हुई थी ।

(उन्नीस) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 978 में प्रकाशित हुई थी ।

(बीस) नेवेली कोयला खान भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 979 में प्रकाशित हुई थी ।

(ख) उपर्युक्त मद (क) में (एक) से (सोलह) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए एल० टी० संख्या --5767/73]

Shri Madhu Limaye (Banka) : I want to say something about No. 3.

Mr. Speaker : You should give notice in advance.

Shri Madhu Limaye : Notices have never been given before in this regards. There is no such practice or rule to give such notices.

Mr. Speaker : It was decided earlier.

If you don't know about it, you can speak to-day but in future you would have to give notice to me.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, please see the case of notification No. 18 about Bonus and regarding Pension and Providend Fund. These have been delayed from 1 to 2 years. It has been told that it was done due to oversight.

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : क्या ऐसे मामलों को अधिनस्थ विधान सम्बन्धी समिति को भेजना पीठासीन अधिकारी का काम है अथवा क्या अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति भी इस दोष पर ध्यान दे सकती है । अधीनस्थ विधान संबंधी समिति इस दोष की ओर क्यों ध्यान नहीं दे रही है ? मेरी यही शिकायत है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : You cannot accept the statement of the Hon'ble Minister that there has been delay in laying the notification due to oversight This matter should be submitted to the Committee.

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बारे में निसित अनुदेश जारी किये हुये हैं कि जब भी विलम्ब किया जाये, तो माननीय मंत्री महोदय को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिये । मैंने इस बारे में भी अनुदेश जारी किये हुये हैं यदि कोई माननीय सदस्य बिलम्ब के लिये आपत्ति करता है, तो उसे सूचना देनी चाहिये, ताकि मैं मंत्री महोदय को बुला सकूं और उसे उत्तर देने के लिये तैयार होने के लिये कह सकूं ।

वर्तमान मामले में विलम्ब के लिये आपत्ति की गयी है । माननीय मंत्री को अवश्य ही सभा के समक्ष स्पष्टीकरण करना चाहिये ।

जहां तक अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का संबंध है, वह स्वयं ही इस ओर ध्यान दे सकती है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : पीठासीन अधिकारी को इन दोषों की ओर ध्यान न देने के लिये अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की भर्त्सना करनी चाहिये । इसके साथ ही मंत्री महोदय की भी भर्त्सना की जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष नियमों के अनुसार ही अधीनस्थ विधान संबंधी समिति को अनुदेश जारी कर सकते हैं । अधीनस्थ विधान संबंधी समिति स्वयं ही इस पर ध्यान दे सकती है ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : प्रक्रिया नियमों के नियम 317 के अनुसार अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का एक कार्य यह है कि वह संसद के समक्ष इसे रखने में अनावश्यक विलम्ब पर विचार करे। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया । अतः मैं आप के द्वारा इस समिति को अपील करता हूं कि वह अनावश्यक विलम्ब के संबंध में आंकड़ों को एकत्र करने के साथ-साथ कारण तथा की गयी कार्यवाही के बारे में बतायें ।

ऐसे अनेक मामले हैं जहां इन्हें प्रकाशित तो किया गया है, किन्तु इन्हें सभा के समक्ष नहीं रखा गया है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इस समिति को सतर्क रहना चाहिये । इस समिति का अध्यक्ष कौन है ?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्री विक्रम महाजन ।

Shri Madhu Limaye : Shri Sezhiyan may be appointed as Chairman of the Committee.

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रसन्न हूं कि माननीय सदस्य ने इस ओर ध्यान दिया है । मैं समिति के अध्यक्ष को अनुदेश जारी करूंगा कि भविष्य में कोई विलम्ब न हो ।

Shri Madhu Limaye : The Leader of the House has also got some responsibility in this regard. He should also do something in this matter.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बार-बार सभा के नेता का उल्लेख क्यों करते हैं । कुछ अन्य मामलों को भी लिया जाता है ।

भारतीय रेल (दूसरा संशोधन) विधेयक
Indian Railways (Second Amendment) Bill

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरशी) : मैं श्री एल० एन० मिश्र की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय रेल अधिनियम, 1890 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारतीय रेल अधिनियम, 1890 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : मैं विधेयक पुनः स्थापित करता हूं।

सदस्य द्वारा व्यैक्तिक स्पष्टीकरण
Personal Explanation by Member

(श्री अटल बिहारी बाजपेयी)

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I want to make a personal explanation yesterday while speaking on the motion of no-confidence, I had raised the question of the torch light procession organised by the Congress Party of Delhi on 14th August, 1972 on the eve of the Silver Jubilee of our Independence. I had said that Home Guards were asked by the Government to participate in it. I have now brought the Lok Sabha Debates of 15th November, 1972 and Rajya Sabha Debates of 16th November, 1972 to prove that what I said was correct. In both the Houses a question was asked as to whether it was a fact that a torch rally was organised by the Congress in Delhi on the 14th August and if so, the number of Home Guards who had participated in it and whether any expenditure was incurred on the rally by the Government. In reply to the questions, the Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs, Shri Mohsin had stated that 2,000 Home-Guards had participated in the rally and that the amount of about Rs. 7,100 was spent in that connection.

Mr. Speaker, Sir, I never tell a lie. Whenever I tell anything, I have got the proof for that.

मंत्री द्वारा व्यैक्तिक स्पष्टीकरण
Personal Explanation by Minister

(श्री डी० पी० धर) :

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि कल श्री ज्योतिमय बसु ने मेरे तथा योजना आयोग में मेरे सहयोगी श्री पाठक के संबंध में कहा था कि हम पेरिस गये थे। इस संबंध में तथ्य यह है कि फरवरी, 1971 से जब मैं बंगला देश संकट के संबंध में पेरिस गया था, तब से मैं पेरिस गया ही नहीं हूं। यह बात सच नहीं है कि मैंने वहां फ्रांस अथवा अन्य देश की किसी फर्म का आतिथ्य ग्रहण किया। यदि मुझे वहां अपने हृदय रोग के इलाज के लिये जाना पड़ता, तो मैं वहां न जाता और न ही किसी फर्म से दान मांगता।

जिस तार अथवा टेलेक्स का यहां उल्लेख किया गया है, यदि उसके आधार पर कोई संबंध जोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो यह बिल्कुल ही मनगढ़न्त है। यदि इसका संबंध मेरे माननीय मित्र श्री एम० एस० पाठक से जोड़ने का भी प्रयास किया जाता है, तो भी यह मनगढ़न्त ही है। मैं अध्यक्ष महोदय और दोनों सभाओं के सदस्यों से एक संसद सदस्य के प्रति इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग तथा चरित्र हनन के विरूद्ध सुरक्षा पाने की मांग करता हूं।

श्री ज्योतिमर्य बसु (डाममंड हार्बर) : क्या मैं बता सकता हूं .....

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता दक्षिण) : वह वादविवाद के अंत में उत्तर देते समय इसका उल्लेख कर सकते हैं।

श्री ज्योतिमर्य बसु ; मैंने तारों की फोटोस्टेट प्रतियां दी है जिनसे यह पता चलता है..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी बात कह दी है तथा मंत्री महोदय ने अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जहां तक मुझे ज्ञात है ये फोटों स्टेट मूल दस्तावेजों से ही लिये गये हैं। इस संबंध में पूरी संसदीय जांच की जानी चाहिये, ताकि सत्य का पता चल सके।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ उन्होंने कहना था, उन्होंने कल ही कह दिया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि यह बात असत्य प्रमाणित हो जाये, तो मुझे प्रसन्नता ही होगी। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि मैंने कोई द्वेषपूर्ण बात की है, तो मैं उचित दंड प्राप्त करने के लिये तैयार हूं।

श्री डी० पी० धर : मैं इस मामले पर वादविवाद की मांग नहीं करूंगा.....

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह स्वाभाविक ही है।

श्री डी० पी० धर : क्योंकि यह चर्चा किये जाने योग्य मामला नहीं है।

माननीय सदस्य इस मामले को मेरे पास भेज कर तथ्य की जानकारी प्राप्त कर सकते थे।

श्री ज्योतिर्मय बसु मैं किसी प्रकार भी वर्तमान मामले के बारे में संतुष्ट नहीं हुआ हूं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : सभा को तथ्य का पता कैसे लगे ?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : You can go into the whole case or it can be got examined by the Committee of the House, so that truth can be known.

श्री डी० पी० धर : मैं स्वयं को पूरी तरह आप के हवाले करता हूं तथा इन सभी बातों के संबंध में जांच आप पर छोड़ता हूं।

मंत्रि-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव

Motion of No-confidence in the Council of Ministers

Shri Chandrajit Yadav (Azamgarh) : I want to say one thing that we were celebrating silver Jubilee of our independence. There was no question of any specific political party. The whole nation was participating in these celebrations interruptions Congress Party had not acquired the services of Home Guards, Police and Army on that occasion. I had replied Mr. Vajpayee in the context, in which he had spoken. I want to tell with responsibility that if you think that I have said any thing wrong, I am prepared to resign from membership.

By the manner this no-confidence motion has been brought, it is proved that the parties, which have joined together to raise this motion, are demanding resignation from Govt. by raising only pretty and ordinary questions.

Yesterday, Shri Vajpayee had brought a tape recorder to prove something against an officer. I do not say that whatever recorded therein was false. But the question is if some officer has committed any offence, and if there is some convincing evidence to prove it, it is the duty of the Government to take action against him (*interruptions*).

But I want to ask that if there is some convincing evidence in this regard, why this case has not been brought to the notice of the Government earlier.

There is no doubt that our country is passing through a very difficult period. We are facing many problems and it would take quite a long time to solve all of them.

Inspite of all difficulties and problems, if we are well determined to face them and if we formulate programmes for the benefit of the people, we would surely solve them.

Shri Atal Bihari Vajpayee had alleged that democracy was in danger and Government was responsible for it. It had also been alleged that there was frustration in the minds of the people and the Prime Minister herself was creating an atmosphere of violence. All of us have seen the period of uncertainty in 1967 and 1971 and there was a search for an alternative to Congress Party. The opposition parties had challenged that the Prime Minister had lost confidence in people and she should seek the verdict of the people. The Prime Minister accepted the challenge and went to polls. It was alleged that the country was being sold out or mortgaged. The people of this country proved that they had full faith in our party and the democracy.

The existance of Central Reserve Police has been questioned. It has been asked us to why crores of rupees are spent on it. The people of the country have elected our party to govern the country and if there is lawlessness in any part of the country, it is the duty of the Central Government to see that peace is restored in that region and for that matter money is no consideration.

Our country is poor one but it commands respect all over the world because of its ideals and principles. We should not ignore our achievements. The question of Maruti car has been raised many times. It has been made clear more than once that the compensation for the land given by Haryana has been given. Our Ministers and even the Prime Minister have given clarifications about this project but opposition parties are not satisfied with the clarification. The Prime Minister is very much anxious to remove unemployment and poverty. The poor people of this country stood by our ideals and principles in 1971. We are trying to pursue our policies and mitigate the sufferings of the masses. In spite of difficult situation our country has prepared Fifth Five Year Plan of Rs. 53 thousand crores. We adhere to our earlier decision that we should not join any power block and will not compromise our national interests.

The Soviet Union have extended its helping hand in the hour of need without attaching any strings. Their friendship and cooperation has helped in maintaining peace not only in this subcontinent but in the whole world. It would be wrong to plead that this country has been sold out to Russia and it is turning communist. The great heritage of this country is that in spite of crisis in our own country we have been helping others. We have helped Bangla Desh refugees in spite of our difficult economic situation. These are the ideals and principles that we are pursuing. A great leader of the Soviet Union is coming to visit our country and we have to give him due honour. Moving such a Motion particularly at this juncture.....

श्री समर गुह (कंटाई) : मेरा एक निवेदन है। एक देश के सम्मानित नेता के भारत के दौरे के अवसर पर कांग्रेस दल के सदस्यों का विरोधी पक्ष के बारे में इस प्रकार की बातें करना बहुत ही अनुचित बात है... (**व्यवधान**)

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : उनके तर्क इतने खोखले हैं कि उन्हें बैठ जाना चाहिये।

श्री चन्द्रजीत यादव : वे बिना बात के सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और इसीलिये यह प्रस्ताव लाया गया है और उन्हें राजनीतिक उत्तर मिलना ही चाहिये।

श्री समर गुह : हमें विदेशों से आने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों के आगमन के संदर्भ को अपने आन्तरिक मामलों में नहीं लाना चाहिये।

Shri Chandrajit Yadav : The opposition parties should not oppose everything for the sake of opposition only. There are certain issues on which they should cooperate with the ruling party. They should not create an atmosphere of frustration otherwise they will lose their confidence in the people who are facing all the difficulties very boldly.

In view of this, I think that this no confidence motion is a political stunt and it should be rejected by the House.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बज कर तीन मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at three minutes past fourteen of the clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy-Speaker in the chair

मंत्री-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव—जारी

Motion of No-confidence in the council of ministers—Contd.

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : इस संबंध में कोई दो राय नहीं है कि इस सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है और इसने जनता को धोखा दिया है । प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को भारी बहुमत मिला था परन्तु इस सरकार ने जो कार्य किये हैं उनसे जनता निराश हो गई है । इस देश की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है । इसके साथ ही विरोधी पक्ष ने भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया । वर्तमान सरकार असफल रही है परन्तु क्या विरोधी पक्ष ने इसका विकल्प प्रस्तुत किया है ? इसका उत्तर नकारात्मक है । इसीलिये मैं कहता हूं कि विरोधी दल भी चाहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार बनी रहे । आज जनता भाषण नहीं चाहती, इस सरकार का विकल्प चाहती है । स्थिति यह है कि अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बारे में भी विरोधी पक्ष एकमत नहीं था । ऐसी हालत में क्या हम इस सरकार का विकल्प होने का दावा कर सकते हैं । हाल ही में मैं उत्तर प्रदेश गया था । वहां की जनता वर्तमान सरकार से असंतुष्ट है और वह नहीं चाहती कि यह सरकार एक दिन के लिये भी रहे । परन्तु इसका समाधान क्या है ? आज इस देश को एक स्वस्थ विरोधी पक्ष की आवश्यकता है। उसे जनता को बताना चाहिये कि सरकार किन-किन क्षेत्रों में असफल रही है । यदि सरकार का व्यवहार अच्छा नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम भी खराब व्यवहार करें। हमें अपने आचरण से सिद्ध कर देना चाहिये कि हम उनसे अच्छ आदमी हैं और इस सरकार का विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं । हमने ऐसा नहीं किया है । अविश्वास प्रस्ताव एक कारगर हथियार है और उसका प्रयोग केवल नाटक के लिये नहीं किया जाना चाहिए, अतः मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता । मैं जो कुछ करता या कहता हूं उसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार हूं । मैं किसी दल या व्यक्ति के कहने के अनुसार कोई काम नहीं करता ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप जिस हिसाब से वक्ताओं को अपने विचार व्यक्त करने के लिये बुलाते हैं उसमें कुछ असंगति है । श्री शमीम को विरोधी पक्ष के समय में से समय नहीं देना चाहिये था ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को समय देने का काम अध्यक्ष का है। इस काम में किसी का पक्ष नहीं लिया जाता। अब इस बारे में हमारी कुछ परम्पराएं हैं और हम ग्रुपों के अनुसार सदस्यों को समय देते हैं। श्री शमीम ने विशेष रूप से अनुरोध किया था और श्री सेझियान, जिन्हें बाद में बोलना है, इस बात पर सहमत हो गये थे।

श्री एस० ए० शमीम : निर्दलीय सदस्यों को भी अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। मैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व यह फिर कहना चाहूंगा कि इस सरकार में मेरा कोई विश्वास नहीं है। परन्तु मैं शून्य में नहीं रहना चाहता। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सरकार का विकल्प क्या है? इसका विकल्प यह है कि विरोधी दल परस्पर वैमनस्य को दूर करके वर्तमान सरकार का विकल्प प्रस्तुत करें और हमें भी निर्दलीय सदस्य के रूप में अपने साथ रखें ताकि मैं अपने विचार प्रस्तुत कर सकूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (कलकत्ता दक्षिण) **:** इस अविश्वास प्रस्ताव से पूर्व स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान शासक दल ने स्वीकार किया था कि जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और वे मूल्य-वृद्धि की समस्या का तुरन्त समाधान चाहते हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव से जनता को कोई नई दिशा नहीं मिलेगी। फिर यदि सभा यह प्रस्ताव स्वीकार भी कर लेती है और वर्तमान सरकार त्यागपत्र भी दे देती है तो जनता विरोधी पक्ष से जानना चाहेगी की ऐसी स्थिति में उनका क्या कार्य-क्रम है, क्या नीति है। अथवा कौन-सी नई दिशा है या केवल भाषण ही हैं।

भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) जानता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के रहते उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। अतः उन्होंने मारूति लिमिटेड पर आरोप लगाने आरंभ कर दिये हैं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने दो वर्ष तक पुलिस को अपने प्रयोजन के लिये उपयोग किया और अन्त में जनता को उनकी चालों का पता चल गया? श्री ज्योतिर्मय बसु ने सरकार को लोकतंत्र विरोधी बताया है। इस बारे में सरकार ने यह गलती जरूर की है कि उसने लोकतंत्र विरोधी भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की रक्षा की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि सरकार जमाखोरों और चोरबाजारी करने वालों को संरक्षण प्रदान कर रही है ताकि और भी गंभीर स्थति पैदा हो। इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि कल पश्चिम बंगाल में तीन या चार जमाखोरों और चोरबाजारी करने वालों को गिरफ्तार किया गया था और इन्हीं के दल के एक प्रमुख नेता उनको रिहा करवाने के लिये न्यायालय में गये थे। अतः यह दल भ्रष्टाचार का वातावरण बनाने वालों के साथ है। वे वसूली और वितरण की समुचित व्यवस्था में गड़बड़ पैदा करना चाहती हैं। इस काम में जनसंघ भी इनके साथ है और श्री ब्रेजनेव के आगमन से पहले वातावरण को दूषित करने में लगे हैं। अब प्रश्न यह है कि यदि सरकार इस प्रस्ताव के आधार पर त्यागपत्र देती है तो जनता के सामने क्या विकल्प है? क्या श्री ज्योतिर्मय बसु जनसंघ के साथ मिलकर सरकार बनायेंगे? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में उन्होंने क्या किया है। यह ठीक है कि हमें बड़ी कठिन स्थिति का मुकाबला करना पड़ रहा है और हमें सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से काम करना चाहिये। हमें पता है कि लोगों के पास काला धन बहुत अधिक है। परन्तु क्या ऐसी स्थिति लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी केवल शासक दल या सरकार पर ही है? क्या जनसंघ या भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का यह कर्तव्य नहीं कि वे वसूल और वितरण की व्यवस्था को सफल बनाने में सहयोग दें। वे सरकार पर केवल आरोप ही लगाते हैं जब वह सत्ता में थे तो क्या उन्होंने चावल की वसूली के सरकारीकरण का निर्णय किया था अथवा उतनी मात्रा की वसूली की थी जितनी मात्रा की आज की सरकार द्वारा की जा रही है। आज आसाम और बंगाल में लगभग 30 लाख

टन का उत्पादन हो रहा है और सरकार ने उसमें से 6 लाख टन की वसूली का निर्णय किया है, परन्तु उन्होंने कितनी वसूली की थी ? वह तो इस बारे में पूर्णतया असफल रहे थे। परन्तु फिर भी वे सारे वातावरण को दूषित करना चाहते हैं। चरित्र हनन की दृष्टि से गन्दी भाषा तथा अपमानजनक टिप्पणियों का प्रयोग किया जा रहा है। सरकार की गलतियां निकालने का यह तरीका नहीं है। (अंतर्बाधाएं)

अतः मेरा अनुरोध है कि यह अविश्वास प्रस्ताव राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित है । आज के संकट में यह लोकतंत्र के हित में नहीं है। मुझे विश्वास है कि जो भी उपाय किये गये हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं परन्तु शीघ्र ही पर्याप्त कार्यवाही की जायेगी। आज उन शक्तियों से समझौते नहीं किये जा सकते जो लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र को नष्ट कर रही हैं। ऐसी शक्तियां एक ओर तो औद्योगिक प्रगति की बात करती हैं और दूसरी ओर उद्योगपतियों की समर्थक हैं। देश संकट का सामना कर रहा है । इसी के परिणामस्वरूप क्रांति होगी। उस अवसर पर श्री ज्योतिर्मय बसु के दल और जनसंघ के अतिरिक्त सभी लोकतंत्री शक्तियां हमारे साथ होंगी। ये शक्तियां तो कभी भी हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगी चाहे सरकार नेहरू की हो, शास्त्री की अथवा इन्दिरा गांधी की। जनता हमारे साथ है। यह ठीक है कि यदि जनता को खाद्यान्न न मिले अथवा पेय जल न मिले तो वे सरकार का चाहे सरकार किसी भी दल की हो, समर्थन नहीं कर सकते। परन्तु मेरे दल के सदस्य तथा मंत्री जनता के पास जाकर यह बताने को तत्पर हैं कि यह स्थिति किस कारण से है। मुझे विश्वास है कि हम विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हमें इस ओर दृष्टिपात करना चाहिए कि 1967-68 के दौरान हम कितनी विदेशी सहायता ले रहे थे और आज कितनी ले रहे हैं। पश्चिमी शक्तियों पर निर्भर रहने के कारण हमारी अर्थ व्यवस्था को 1969 में गंभीर संकट का सामना करना पड़ा। हमने जनता के सामने स्पष्ट किया कि यह सब गलत है और इस स्थिति को बदला जायेगा। इसके लिए 2 वर्ष का समय पर्याप्त नहीं है। उसके लिए सरकार को सभी प्रगतिवादी राजनैतिक शक्तियों के सहयोग की अपेक्षा है।

हम जानते हैं कि आज हमारे प्रशासन में भ्रष्टाचार है। हम यह भी जानते हैं कि कुछ मामलों में राजनीतिज्ञ भी ठीक कार्य नहीं करते। 1971 के संसद् के चुनाव के समय हमने सम्पूर्ण परिवर्तन का नारा दिया। यह केवल चुनाव जीतने के लिए ही नहीं था। यह आरोप ठीक नहीं है कि सरकार का सारा कार्यक्रम चुनावों पर आधारित है न कि उत्पादन बढ़ाने पर।

श्री ज्योतिर्मय बसु और श्री बाजपेयी ने इस प्रस्ताव के अवसर का चुनाव भी गलत किया है। पांचवी योजना 1974 से प्रारम्भ की जा रही है। उसके लिए सरकार समाजवादी देशों के साथ आर्थिक सहयोग संबंधी बातचीत प्रारंभ करने वाली है। इस बारे में जनसंघ और मार्क्सवादी दल पर सहयोग सैद्धांतिक नहीं है। यह सहयोग उन शक्तियों के बीच में है जिनके साथ 1971 में हमने मुकाबला किया और अंत तक मुकाबला करते रहेंगे ।

आज यदि हमारे भीतर भ्रष्टाचार है तो हमारा दल उसमें सुधार भी कर सकता है। आज यदि हमारे दल का कोई सदस्य अथवा मंत्री गलती करता है, तो उसे पदच्युत किया जाता है। परन्तु इनके दल का अपना इतिहास क्या है ? जब वह सत्ता में थे, तो उन्होंने हजारों लोगों की हत्या की।

इस अविश्वास प्रस्ताव से प्रकट होता है कि इन्हें जनता पर विश्वास नहीं है। उन्हें अपने कार्यकर्ताओं पर भी विश्वास नहीं है। इसी कारण से एक दूसरी अन्तर्विरोधी शक्तियां आपस में समझौता कर रही हैं। ये शक्तियां हमारे देश की प्रगति में रुकावटें नहीं डाल सकेंगी। इस सब को देखते हुए

मार्क्सवादी दल को अविश्वास प्रस्ताव से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। यदि इस दल द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो यह दुख की बात है। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ठीक नीति का पालन करती रहेगी। हमें पता है कि खतरा कहां पर है। हम उसका सामना करने को भी तत्पर हैं। उसके लिए हम बलिदान करने को भी तत्पर हैं। हमें अर्थ-व्यवस्था को स्व-नियंत्रित करना चाहिए और अपने आपको भी आत्म-निर्भर बनाना चाहिए। उसके लिए हमें सब के सहयोग की आवश्यकता है। हमारे मित्र हमें सहयोग न देकर लोगों की अशिक्षा का लाभ उठाकर उनके मन में भ्रम पैदा करने के प्रयास कर रहे हैं। जनता को बताया जा रहा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार गलत नीतियों पर चल रही है। यह नीति ठीक नहीं है। यदि ये दल हमारे साथ सहयोग नहीं करते और इसी प्रकार की नीतियों पर चलते रहेंगे तो हमारा कोई दोष नहीं है।

मुझे विश्वास है कि विपक्ष के जिन सदस्यों ने यह प्रस्ताव पेश किया है वह इसे वापस ले लेंगे। यदि वे इसे वापस नहीं लेते तो कम-से-कम उन्हें हमें सहयोग देना चाहिए।

श्री समर गुह : मुझे एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

श्री समर गुह : अन्य व्यक्तियों को इस संबंध में अनुमति दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मेरी बात सुन लें। मैं नियमों के अनुसार चलूंगा। यदि आप को कोई व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना है तो आप इसे लिख कर मुझे भेजें और तब उसे पढ़ेंगे। आप बिना किसी पूर्व सूचना के यहां पर बोल नहीं सकते।

श्री समर गुह : मैं आप के निर्देशों का उल्लंघन नहीं कर रहा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम व्यक्तियों की सूची में है। आप उस अवसर का उपयोग करके अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

श्री सेझियान (कुंबकोणम) : इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय प्रो० एच० एन० मुखर्जी ने कल यह कहा था कि एक मित्र देश के प्रतिनिधि द्वारा हमारे देश की यात्रा के अवसर यह एक पूर्व-निर्धारित प्रदर्शन है। अपने दल की ओर से मैं यह कहना चाहता हूं कि हम श्री ब्रेझनेव के स्वागत में सरकार एवं अन्य सभी के साथ हैं भारत-रूस मैत्री संधि संबंधी संकल्प का हमने इस सभा में स्वागत किया था। हमारे विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हम समझते हैं कि इस यात्रा से विश्व के इस क्षेत्र में शांति को और बल मिलेगा।

यह प्रस्ताव किसी घटना विशेष व किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध न होकर सरकार के कार्य-निष्पादन के विरोध में है। अतः इस प्रस्ताव को रूस-विरोधी अथवा रूस के पक्ष में नहीं माना जाना चाहिए।

हम कुछ सदस्यों से बार-बार यह सुनते हैं कि विपक्ष की अन्तर्विरोधी शक्तियां सरकार के विरो में अविश्वास का प्रस्ताव लाने का प्रयास कर रहीं हैं। हम यदि इस बारे में स्थिति का विश्ले षण करें तो प्रतीत होगा कि स्वयं सत्ताधारी दल में अनेक अन्तर्विरोधी शक्तियों का प्रतिनिधित्व है। फिर हम यहां पर सरकार के कार्यनिष्पादन पर चर्चा कर रहे हैं न कि विरोधी दलों की एकता के प्रश्न पर। तमिल नाडु में गैर कांग्रेस सरकार है वहां पर अनेक बार स्वतंत्रता पार्टी ने अविश्वास

का प्रस्ताव पेश किया है जिसे नई कांग्रेस सहित अन्य विरोधी दलों ने भी समर्थन दिया। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे सभी दल एक हो गये हैं।

इस अविश्वास प्रस्ताव के पेश किये जाने से पूर्व स्वयं प्रधान मंत्री ने मथुरा के अपने भाषण में विरोधी दलों के प्रति अविश्वास प्रकट किया है। मथुरा तेल शोधक कारखाने का शिलान्यास करते समय प्रधान मंत्री ने कहा था कि विरोधी दलों का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये दल गरीबों की दशा सुधारने के पक्ष में नहीं है और समाजवाद के विरुद्ध हैं। हम सरकार की बहुत-सी बातों से सहमत नहीं हैं। उसी प्रकार जरूरी नहीं कि सरकार भी विपक्षी दलों की हर बात से सहमत हो परन्तु केवल इसी आधार पर यह कहना भी उचित नहीं कि विरोधी दलों का कोई कार्यक्रम नहीं है व वे समाजवाद के विरोधी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 1962 से हमने सरकार के किसी भी समाजवादी प्रायास का विरोध किया है? मैं ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं जहां पर हमने सरकार को सम्पूर्ण समर्थन दिया है। हम समाजवाद में विश्वास रखते हैं। केवल इसी आधार पर हम आपके हर काम का समर्थन नहीं कर सकते। यदि हम किसी बात पर सरकार से सहमत नही हैं, तो इसका अर्थ कदापि नहीं कि हमारे ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाया जाये। 'दी हिन्दु' में एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसके अनुसार आज की भारतीय राजनीति की एक विशेषता यह है कि सरकार की हर असफलता के लिए प्रेस और विरोधी दलों को दोषी बता दिया जाता है। उसमें आगे लिखा है कि अनुशासन के नाम पर दल के भीतर से मत भिन्नता समाप्त करने, विपक्षी दलों को राष्ट्र विरोधी और लोक-विरोधी बताने, और प्रेस में छपी बातों को अभिप्रेरित बातें बताने से सत्ताधारी दल की प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं हुई है। इससे सरकार इस मत को फैलाने से भी नही रोक सकी कि सरकार आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण पाने में असफल है।

यदि सरकार आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण करने में असफल है तो उसके लिए विपक्षी दलों को दोष नहीं दिया जा सकता। क्या सरकार ने विपक्षी दलों से सहयोग मांगा जिससे उन्होंने इन्कार किया? आज राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था घोर संकट में है। मुद्रा स्फीति, बेरोजगारी, मूल्यों में वृद्धि हो रही है, आश्वासन दिये जा रहे हैं जिनकी पूर्ति नहीं की जाती।

श्रम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 1961 से वेतनों में वृद्धि हो रही है। निर्माण उद्योग में एक श्रमिक की औसतन वार्षिक आय वर्ष 1961 में 1540 रु० थी जो कि वर्ष 1962 में 2112 रु०, वर्ष 1969 में 2591 रु० और वर्ष 1970 में 2725 रु० हुई। वर्ष 1971 में यह 2642 रु० हो गई। यह वृद्धि बहुत अच्छी प्रतीत होती है परन्तु यदि हम उसकी वास्तविक मजूरी को देखें तो प्रतीत होगा कि वर्ष 1961 में 100 रु० के आधार के अनुसार वर्ष 1971 में यह 99 रु० हुई है इसका अर्थ यह है कि बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार आय में कमी हुई है। पिछले दो वर्षों में स्थिति में और भी गिरावट हुई है। इन गरीब लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या किया है?

पिछले सत्र में मूल्यों के बारे में स्थगन प्रस्ताव का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने सदन को सूचित किया था कि यह स्थिति शीघ्र ही परिवर्तित हो जायेगी। परन्तु अब यह कहा जा रहा है कि यदि मूल्य इस समय के स्तर पर भी स्थिर हो जायें तो बहुत अच्छा होगा। श्री सी० सुब्रह्मणयम ने 12 सितम्बर, 1973 को मद्रास में भाषण करते समय कहा था कि "कुछ ही महीनों" में मूल्य गिरने लगेंगे। परन्तु इसके विपरीत मूल्य तो बढ़ रहे हैं।

प्रधान मंत्री ने भी उत्तर कनारा में सूपा स्थान पर भाषण करते हुए 29 अक्तूबर, 1973 को यह कहा बताया जाता है कि देश की अर्थ-व्यवस्था का संकट दूर हो गया है और अगले मास से स्थिति में सुधार होने लगेगा। दुर्भाग्य से रिजर्व बैंक के उसी दिन प्रकाशित हुए प्रतिवेदन में कहा गया कि बढ़ चुके मूल्यों के कम होने की कोई संभावना नहीं है।

अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार की इस बारे में क्या नीति है। प्रतीत होता है कि प्रधान मंत्री भी इस बारे में हैरान हैं। रायबरेली में 27 अक्तूबर, 1973 को भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का कारण तो स्पष्ट है कि उत्पादन में कमी के कारण है परन्तु अन्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है।

मेरे विचार से यह सब मुद्रा स्फीति के कारण है। यही मत बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों का भी है कि मुद्रा स्फीति के कारण अभूतपूर्व एवं अचानक मूल्य वृद्धि होती है।

आरोप लगाया जाता है कि विपक्षी दल समाजवाद में विश्वास नहीं रखते। वास्तव में आज उत्पादन में कमी होते हुए भी व्यापारियों को अधिक लाभ कमाने की अनुमति दी जा रही है। वर्ष 1970-71 में चीनी मिलों का उत्पादन 37.4 लाख टन था जिस पर उन्हें 3.4 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। वर्ष 1971-72 में उत्पादन कम होकर 34.8 लाख टन रह गया परन्तु शुद्ध लाभ की राशी बढ़कर 9.63 करोड़ हो गई। क्या यही हमारे देश का समाजवाद है जिसमें विपक्षी दलों का विश्वास नहीं है ?

यह भी कहा जाता है कि मूल्य वृद्धि हमारे देश की ही विशेषता नहीं है। वास्तविकता यह है कि विश्व के अन्य देशों में मूल्य वृद्धि के साथ-साथ मजूरी में वृद्धि, अधिक उत्पादन, अधिक रोजगार, उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक उपलब्धता भी है परन्तु हमारे देश में सब इसके विपरीत है। बंगला देश के युद्ध और एक करोड़ शरणार्थियों के आगमन का भी उल्लेख किया जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस व्यय के बारे में ब्यौरा प्रकाशित करे। 1947 के पश्चात् देश में डेढ़ करोड़ व्यक्ति आकर यहां बसे परन्तु अर्थ व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव न पड़ा। अतः इस मूल्य वृद्धि का आधार इसे नहीं बताया जाना चाहिए।

राज्य की स्वायत्तता की मांग के कारण हमारे दल की टीका-टिप्पणी की जाती है। यह कहा जाता है कि हम विलगता के सिद्धांत को पुनर्जिवित कर रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे दल की यह मांग नई मांग नहीं है। हमने 1967 तथा 1971 के चुनाव इसी आधार पर लड़े थे। इस संबंध में हमारी स्थिति स्पष्ट रूप से हमारे चुनाव घोषणा पत्रों में बताई गयी थी। इस प्रकार की मांग करना कोई पाप नहीं है। स्वयं कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने 1946 में इस विषय पर एक संकल्प पास करके राज्यों की स्वायत्तता की मांग की थी। वास्तव में हमारा दल सुदृढ़ एवं संगठित भारत का विरोधी नहीं। हमारा दल सुदृढ़ केन्द्र के पक्ष में है। हम भारत का विघटन नहीं चाहते।

कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि हम अमरीकी पूंजी के पक्षपाती हैं। मेरा हमेशा से ही यह मत रहा है कि विदेशी पूंजी पर निर्भरता देश के लिए घातक है। हमें आत्म निर्भरता प्राप्त करनी चाहिए। वास्तव में विदेशी पूंजी आमंत्रित करने के विचार का प्रसार तो स्वयं श्री सी० सुब्रह्मणयम कर रहे हैं। उन्होंने एक स्थान पर विचार प्रकट करते हुए कहा कि सरकार जब भी किसी विदेशी कम्पनी द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति देती है तो व्यर्थ का बावेला खड़ा किया जाता है।

जहां तक इस अविश्वास प्रस्ताव का संबंध है सभी विपक्षी दलों ने इसे समर्थन दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अनौपचारिक रूप से इस अविश्वास प्रस्ताव की भावना को समर्थन दिया है।

सरकार को गरीबी हटाओं के नारे पर भारी बहुमत प्राप्त हुआ। सब लोग यह चाहते थे कि इस कार्यक्रम को सफलता मिले। इसके लिये आपको जो अधिकार चाहिये था देश ने उसके लिये कोई शिकायत नहीं की। यदि सत्तारूढ़ दल इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में असफल होता है, यदि वे अपने समाजवादी कार्यक्रम में असफल होता है तो यह हमारी गलती नहीं है। यही सरकारी गलती है। सरकार अपने गरीबी हटाओ कार्यक्रम में अपने समाजवादी कार्यक्रम में असफल हो चुकी है। 14 नवम्बर, 1973 को पैट्रियट में प्रकाशित हुआ कि नेहरू जी ने सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक स्वतन्त्रता के स्पष्ट दृष्टिकोण से योजनाओं की आधार शीला रखी थी। यदि यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका तो इसके लिये वे लोग उत्तरदायी हैं जो नेहरू जी के पश्चात सता में आए तथा जिन्होने देशी तथा विदेशी शक्तिशाली नीहित स्वार्थों द्वारा अपने को पथभ्रष्ट होने दिया। समस्त देश जानता है नेहरू जी के बाद सता जिसने संभाली। उन्हीं के बारे में ये शब्द कहे गये हैं।

वित्तमंत्री (श्री यशवन्तराव चवहाण) :–इस अविशसन प्रस्ताव में कुछ आर्थिक तत्वों तथा प्रस्ताव लाने के लिये कुछ आर्थिक कारणों का उल्लेख किया गया है। परन्तु प्रस्तावकर्त्ता के भाषण का मुख्य भाग राजनैतिक उद्देश्यों तथा हमारे दल के नेता के चरित्र पर लांछन लगाने में निहित है। नियमों के अन्तर्गत विपक्ष को ऐसा प्रस्ताव लाने का अधिकार है। इसमें कोई गलती नहीं है। परन्तु यह बहुत गम्भीर मामला है। इस प्रस्ताव का केवल यही उद्देश्य नहीं है कि सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगाये जायें अपितु इसका उद्देश्य यह भी है कि विपक्ष वैकल्पिक नीतियों तथा कार्यक्रम देने का दायित्व भी अपने पर ले। जिन लोगों ने यह प्रस्ताव पेश किया है क्या उनकी कोई वैकिल्पक नीतियां अथवा कार्यक्रम है।

प्रस्ताव पर बोलते हुये श्री ज्योतिर्मय वसु ने कहा कि मैं यह भारतीय जनता की ओर से बोल रहा हूं। इससे बड़ी उपहासप्रद बात और क्या हो सकती है। भारत में गत 25 वर्षों में तथा हाल ही में वर्ष 1971 में उनके नेतृत्व को ठुकराया गया है। अतः लोगों का इनसे क्या संबंध है, ये जनता को क्या समझ सकते हैं ?

देश में मुद्रास्फीति की स्थिति के बारे में कहा गया है। इस प्रश्न पर चर्चा हुई है। हमारे ही दल के सदस्यों ने भी सरकार की आलोचना की है। परन्तु जब हम इस समस्या पर गंभीर रूप में विचार करते हैं और चाहते हैं कि सरकार त्यागपत्र दे तब हमें यह अवश्य समझ लेना चाहिये कि वर्तमान आर्थिक स्थिति का वास्तविक रूप क्या है और इसके समाधान क्या हैं। सभी यह पूछते हैं की सरकार इस स्थिति का किस प्रकार सामना करेगी। हमने यह बात कई बार समझायी है कि हम इन समस्याओं पर बड़े धैर्य और विश्वास से विचार कर रहे हैं। वर्ष 1971 के अन्त तक अर्थव्यवस्था में कुछ कमियां थी पर उस समय स्थिति इतनी गंभीर नहीं थीं। वर्ष 1972 के आरम्भ से समस्या दुरूह होती चली गई और अब भी बहुत कठिन है। यह बात मैं स्वीकार करता हूं। दायित्व से दूर भागना उचित नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि स्थिति का समाधान क्या है ? सप्लाई में कठिनाईयां आने से आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। इतने बड़े देश में जहां जनता का बहुत बड़ा भाग गरीबी से नीचे के स्तर पर जीवन व्यापन करता है, जहां खाद्य सामग्री की व्यवस्था ही पारिवारिक बजट का मुख्य भाग है वहां कभी, वेतन, अधिक उपयोग वाली वस्तुओं की कमी जैसी बातें मुख्य हो जाती हैं। आर्थिक संकट क्या खाद्यान्न उत्पादन की कमी मुख्य कारण है।

इस समस्या को सुलझाने के लिये हमने बड़े साहसिक कदम उठाये । मुख्य कदम गैहूं के व्यापार का सरकारीकरण है । उस समय अन्य राजनैतिक दलों ने क्या दृष्टिकोण अपनाया ? जब सरकारीकरण करने पर विचार किया जा रहा था तब यह बात हमारे मस्तिष्क में थी कि इस समय व्यापार में लगी शक्तियां अपने संसाधनों को दूसरी ओर लगाकर दूसरे क्षेत्रों में दबाव उत्पन्न कर सकती हैं । परन्तु हमने सोचा था कि गैहूं तथा अन्य वस्तुओं का आयात करके स्थिति पर नियंत्रण कर लेंगे । परन्तु उस समय दुर्भाग्यवश विश्व के बाजारों में मूल्यों में वृद्धि तो नहीं हुई अपितु खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता पर तो प्रश्न चिह्न लग गया । यह बात पूर्वअनुमानित नहीं थी अतः कुछ समस्यायें स्थितिप्रद हैं और आज हमें उनका सामना करना है । इस स्थिति से निपटने के लिये हमने उत्पादन में वृद्धि करने की नीति अपनाई है । उत्पादन में तीन क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं । कृषि, दूसरा अधिक उपयोग वाली वस्तुओं का उत्पादन तीसरे इस्पात तथा उर्वरक जैसी वस्तुओं का उत्पादन । मांग की ओर हमें यह देखना है कि मुद्रा प्रसार नियंत्रित हो ।

उत्पादन बढ़ाने के लिये एवं आयोजन की आवश्यकता है, एक संगठन की आवश्यकता है । इस क्षेत्र में विपक्ष का कार्यक्रम क्या है ? देश को गतिशील बनाना है, लोगों में अनुशासन लाना है एकता लानी है । विपक्ष इस ओर सक्रिय होने की बजाय लोगों में निराशा की भावना भरने में लगा है । क्या समस्या का यही हल है । कल प्रत्येक भारतवासी को अपने प्रधान मंत्री पर नया इतिहास बनाने का गर्व था और आज आप जैसे लोग उनके लिये ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं । आपने निराधार आरोप लगाये हैं देश में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिये एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है । श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी ने ऐसा अनुरोध किया भी है । परन्तु इन्हें 'सहयोग' की परिभाषा ही नहीं आती है । ये सहयोग किस प्रकार दे सकते हैं । वे निराशा में डूबे हैं । उनसे केवल निराशा ही मिल सकती है । इस समस्या के समाधान के लिये देश में अनुशासन लाना अनिवार्य है । कहा गया है कि सरकार अपनी प्रगतिवादी नितियों से हट गई है । ऐसा क्यों है । हम प्रगतिवादी परिवर्तन चाहते हैं, समाजिक परिवर्तन चाहते हैं, आर्थिक ढ़ाचे में परिवर्तन चाहते हैं और उसी के अनुरूप हमने कार्य किया है । वर्ष 1971 के निर्वाचन के बाद भी सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनसे यह बात प्रकट होती है कि सरकार सामाजिक परिवर्तन चाहती है । जब हम ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो निहित स्वार्थों को निराशा होती है और वे आज जैसी स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हैं ।

श्रमिक संकट को दूर करने के लिये हमने कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण किया है । यह इसलिये किया गया है कि मिलों के बन्द हो जाने से बेरोजगारी न फैले । बोनस के मामले में भी हम कर्मचारियों की समस्याओं का पता लगाने तथा उनकी मांग पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं । बोनस के संबंध में हमने प्रगतिवादी कदम उठाये हैं । अन्ततः हर एक चीज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए करनी होती है । हमें इस पर राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर विचार करना है । क्या विपक्ष ऐसा कर रहा है ?

एकाधिकार गृहों के प्रति सरकारी नीति में परिवर्तन की बात कही गई है । यदि अधिक उपयोग वाली वस्तुओं का उत्पादन न्यूनतम समय से बढ़ाना पड़े तो उत्पादन बढ़ाने की बात पर ध्यान न देकर विपक्ष लोगों के मस्तिष्क में भ्रम पैदा करना है ।

विपक्ष के सदस्यों को हमारे दल की विदेश नीति ठीक प्रतीत होती है परन्तु आन्तरिक नीति उनके लिये स्वस्थ्य नहीं है । सिद्धांत रूप में विदेश तथा आन्तरिक नीति में अन्तर किया जा सकता है । परन्तु नीति का यह मामला सैद्धांतिक ही होता है । स्वस्थ्य आन्तरिक नीति के अभाव में विदेश नीति

कभी स्वस्थ्य नहीं हो सकती । यदि देश की नीति प्रगतिवादी नहीं है तो वह प्रगतिशील विदेश नीति का अनुसरण नहीं कर सकता । हमारी आन्तरिक नीति में एक दोष यही है कि हम कठिन समय से गुजर रहे हैं । इस दल के नेताओं ने स्वस्थ्य राष्ट्रीय नीति प्रदान की है , चाहे यह आन्तरिक हो चाहे वाह्य । मुझे विश्वास है कि एक दिन आयेगा जब वे लोग जो आज अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं आगे आकर कहेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव पेश करके उन्होंने जीवन में सबसे बड़ी गलती की है ।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० कर्ण सिंह ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : जिस प्रक्रिय का अनुसरण होता रहा है उसके अनुसार बोलने की मेरी बारी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री मिश्र जी से अनुरोध करता हूं कि वह क्रम पटल से देखें ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यदि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है तो मेरी ओर से कोई भी सदस्य बोल सकता है अन्यथा ऐसा नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री मिश्र जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस समय इस बात पर बल न दे । इसके पश्चात् हम इस विषय पर बातचीत कर लेंगे । डा० कर्ण सिंह ।

श्री समर गुह (कुन्टाई) : मुझे इसमें कोई आपति नहीं है कि श्री समरगुह को पहले क्यों बोलने दिया जाता है । मुझे कहना यह है कि पिछली लोकसभा में यह प्रक्रिया रही है कि निर्वाचन आयोग की मान्यता के अनुसार राष्ट्रीय दलों को सदन में प्राथमिकता दी जाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गोह ने जो कुछ कहा है उस पर विचार किया जायेगा । डा० कर्ण सिंह

श्री श्याम नन्दन मिश्र : परन्तु उपाध्यक्ष महोदय को इसकी जानकारी न हो यह बात समझ में नहीं आती ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अनुदारता है (व्यवधान)

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : देश बड़े संकट के समय से गुजर रहा है । इस संकट से तुरन्त छुटकारा पाने के लिये राष्ट्रीय संकल्प तथा राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है । जिस सहयोग की आवश्यकता है वह प्राप्त हो सकता है परन्तु इसके लिये केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की आवश्यकता है (व्यवधान)

मूल्य वृद्धि, खाद्य पदार्थों की कमी, अत्यावशक वस्तुओं की दुर्लभता, दूध के लिये बच्चों की चिल्लाहट जैसी बातों को छोड़ा नहीं जा सकता है । सरकार इसके लिये दोषी है । यह अविश्वास प्रस्ताव निरर्थक है परन्तु हम विपक्ष वालों को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जनता की विचारधारा केन्द्रित करनी होती है । इसके लिये और कोई विकल्प नहीं है । देश के लोगों ने वर्तमान सत्तारूढ़ दल को भारी बहुमत दिया परन्तु इस दल ने इस स्वर्ण अवसर को गंवा दिया है और आज देश बड़ी कठिनाइयों में है । कितना अच्छा होता यदि गरीबी हटाओ के नारे को साधारण व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिये क्रियान्वित किया गया होता । यह स्वप्न भंग हो चुका है ।

आज की दयनीय स्थिति के कई कारण हैं । मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूं परन्तु अच्छा होता यदि प्रधान मंत्री उठकर कहती कि देश साम्यवाद तथा लोकतंत्र दोराहे पर नहीं चलेगा । समय आ गया है

अब प्रधान मंत्री को यह निश्चय कर लेना चाहिये कि क्या भारत में साम्यवाद लाया जायेगा अथवा यह लोकतंत्र रहेगा । प्रधान मंत्री को साम्यवादियों से साठगांठ आज की स्थिति के लिये बहुत कुछ उत्तरदायी है ।

लोकतन्त्र और साम्यवाद एक साथ नहीं चल सकते । साम्यवादी देशों में लोकतान्त्रिक देशों की स्वतन्त्रतायें नहीं होती । चैकोस्लोवाकिया और हंगेरी के उदाहरण हमारे सामने हैं । प्रधानमंत्री जितना शीघ्र साम्यवादियों के चुंगल से अपने आप को निकाल लेती है देश के लिये उतना ही अच्छा है ।

मैं राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध नहीं हूं । परन्तु राष्ट्रीयकरण तभी किया जाना चाहिये जब आप अच्छी व्यवस्था प्रदान कर सकते हों ।

देश में राष्ट्रीय सहयोग की भावना समाप्त हो गई है । जितना अधिक सरकार लोगों के कार्यों को अपने हाथ में लेगी उतनी ही राष्ट्रीय सहयोग की भावना लुप्त होती जायेगी । आज आप किसी भी व्यक्ति से पूछें कि तुमने कांग्रेस के पक्ष में मतदान क्यों किया वह कहेगा कि उसने गलती की है ।

देश में भ्रष्टाचर की स्थिति देखिए । यहां सदन में बैठा हुआ प्रत्येक सदस्य कोई न कोई परमिट प्राप्त करना चाहता है । यदि आप कोई चीज लेना चाहते हैं तो उसके लिये चाय पानी देना पड़ेगा अथवा उसके लिये प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । क्या किसी विकसित देश में ऐसी स्थिति है । जिस दिन सरकार भ्रष्टाचार को दैनिक जीवन के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लेगी उस दिन लोकतन्त्र का अन्त हो जायेगा । सरकार प्रतिदिन गलत कानून बनाती है परिणामतः भ्रष्टाचार पनप रहा है । देश में कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है और न ही वृद्धावस्था के लिये बीमे की व्यवस्था है ।

वित्त विधेयक पर बोलते हुए मैंने वित्त मंत्री से पूछा था और आज प्रधान मंत्री से पूछता हूं कि क्या "काले धन" का राजनीति में उपयोग नहीं किया जाता। उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के निर्वाचनों में "काले धन" का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

राजस्थान सरकार ने एक कानून द्वारा एक ही भूमि को शहरी और ग्रामीण माना है। यह विचित्र कानून है। क्या सरकार इसके द्वारा और अधिक व्यक्तियों को जेल में डालना चाहती है। क्या सरकार अधिकाधिक जेलों का निर्माण करेगी? क्या 57 करोड़ के लिये जेलें बनायी जायेंगी। हड़तालों द्वारा देश का बड़ा विनाश हो रहा है। यदि गैर-सरकारी उद्योगों में हड़तालों का समर्थन आप करते रहेंगे तो सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में हड़तालें भी आप रोक नहीं सकते। हड़तालों के चलते हम आत्म-निर्भरता प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

जो नैतिकता का ढांचा इस देश में 25 वर्ष पूर्व विद्यमान था वह आज दृष्टिगोचर नहीं होता। कुछ कानून ऐसे बनाये गये हैं जिससे नैतिकता का और पतन होता है। ऐसा कानून बना है कि यदि किसी आय छिपाने वाले का कर्मचारी उसकी सूचना दे देता है तो ऐसे कर्मचारी को आयकर का 10 प्रतिशत दिया जायेगा। ठीक है आयकर छिपाना राष्ट्रीय अपराध है परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था से यदि आंख की शरम चली गई तो क्या रहा? इससे आप कुछ लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं परन्तु यदि एक कर्मचारी अपने नियोक्ता के विरुद्ध जाता है तो कल नियोक्ता भारत सरकार भी हो सकती है । इसलिये मैं समझता हूं कि यह भयानक विचार है।

छात्रों को राजनीति से पृथक रखते हुए पठन पाठन में लगने दीजिए। एक बार यदि वह राजनीति में आ जाते हैं तो उन्हें नियंत्रण में लाना कठिन हो जायेगा।

मैंने श्री जवाहर लाल नेहरू से भी कहा था कि यदि जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण न किया गया तो जीवन दुष्कर हो जायेगा। श्री शिन्दे ने पिछले वर्ष 30 नवम्बर, को कहा था कि जन संख्या में प्रतिवर्ष 14 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। सभी विकासशील देश स्वीकार करते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि हाईड्रोजन बम्ब से भी भयानक हो सकती है। आज चीन भी जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में है। जापान ने जन संख्या नियंत्रण द्वारा गरीबी हटाई है। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जो कि एशियाई देशों के नेता हैं, उनके उदाहरणों का अनुकरण करेंगे और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्राथमिकता देंगे।

मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह दृढ़ता से कार्य करें। यदि सरकार यह निश्चय करले कि भले ही उसे आगामी निर्वाचन मैं हारना पड़े वह देश के लोगों को गिरने नहीं देगी।

विरोधी सदस्य होने के नाते मेरा प्रयत्न है कि विरोध की सरकार का गठन हो। देश की परिस्थितियों के लिये विरोधी पक्ष उत्तरदायी है क्योंकि इन्होंने शासक दल को इतनी ढील दी है। हमारा कर्त्तव्य है कि एक नई समाजवादी पार्टी के रूप में संगठित होकर देश की जनता को बताएं कि विरोधी पार्टियां इस बारे में गम्भीर हैं।

Shri A.P. Sharma (Buxer): Painting out towards the comment of Dr. Karni Singh I would like to point out that our Government dissolved the Lok Sabha 14 months before it's time. The Government could very well have continued in office for 14 more months but our Prime Minister preferred to get fresh mandeli from the people.

In that very contest my friend has said that time has come that the Congress should dissolve the Lok Sabha and get fresh elections. If they do not understand the difference between the conditions of 1970-71 and 1973, it is not our fault. Since 1971 the Congress is commanding three fourth majority.

The statement the Congress can fight the elections while in office is wrong. The party has won elections at various places while not in office. In this connection I would like to draw the attention of Shri Vajpayee towards the legislation ,whereunder there is no provision for the Government to resign untill there is majority.

Shri Jyotirmoy Basu referred to the law and order situation. But what was the position when his party was in power in West Bengal. Not only the State but the whole country was fed up with them.

The primary object of a no-confidence motion is that if the question feels it is strong enough to replace the Government it brings such a motion. The second object is to appraise the Government of it"s for brings and the third is that it enables the opposition to give suggestions to rectify the mistakes. Dr. Karni Singh and other members led stated that they being adjournment motions to attract the attention of the people. I stress on these members to not bring such mentions in every session.

I am happy that these days Shri Hiren Mukherjee is supporting our foreign policy. I hope tomorrow he would like our other policies as well. He wants to support some of our policies and act as our associate but at the same time he wants to rise himself and do not want the strength of the Congress party to rise.

Shri Vajpayee has attributed certain statements of the Prime Minister for encouraging voilent activities. Does he not know that the policy of the Congress party is to mantain law and order in the country ?

Our party is very well aware of the poverty and the diffculties being faced by the people of our country. In her public statement. The Prime Minister has already stated that

Government are following the policies laid down by Mahatma Gandhi and Shri Jawahar Lal Nehru. Government are keenly interested in solving all the problems of the people in a peaceful manner.

I cannot support the statement of Shri Karni Singh that Government have encouraged the strikes launched by private sector employees. Government have never done this. At the same time we don't intend to deprive the workers of their genuine right to go on strike when no alternative is left to them. If their genuine demands made in a peaceful manner are not met by the management they have a right to go on strike in a proper was. But at the time when our country needs increased production of coal, iron, foodgrain and other so many things we cannot support strikes and agitations. The hon. Member could not quote any example which could prove that Congress party has encouraged strikes.

Opposition Parties have developed a habit to find an opportunity for maligning the Government and casting aspersion on the Members of the ruling party. I would like to say this is misuse of the privilege or the right of the Opposition Party.

Yesterday, Shri Vajpayee produced a tape recorder in the House drammatically. He wanted to justify this no-confidence motion through these petty things. Amongst thousands of Government employees, if any police inspector has done something wrong, it does not form a genuine cause for no-confidence motion against the Government. It is certainly a misuse of the provision of no-confidence motion.

I would like to appeal the opposition parties that they should extend their support in solving various national problems and try to achieve various targets and programmes laid down by the Government in the interest of the country. With these words I oppose this no-confidence motion.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बगुसराय) : महोदय, इस चर्चा से मैं केवल इतना अनुभव कर पाया हूं कि सरकार के पास कोई तर्क नहीं है । जो भी उत्तर दिये गये हैं उनमें कोई सार नहीं है तथा वे निष्प्रभाव हैं।

सबसे पहले श्री बलीराम भगत ने इस ओर से चर्चा में भाग लिया। उनको गत आम चुनावों में बली का बकरा बनाया गया है तथा मुझे उनसे पूरी सहानुभूति है। उनके भाषण में कोई शक्ति नहीं थी। श्री माव्वे ने सरकार को सचेत किया है कि यदि उसने यही रवैया अपनाए रखा तो जनता उसका समर्थन नहीं रहेगी । इससे सिद्ध होता है कि वे अपनी पार्टी का हित चाहने वाले सदस्य हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव के भाषण में भी कोई तर्क नहीं था और न उसमें कोई जान ही थी । वित्त मंत्री महोदय का तो कहना ही क्या! उन्हें आर्थिक मामलों में कोई ज्ञान नहीं है। अत: प्रधान मंत्री के इस कथन से मैं सहमत हूं कि देश को वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ की आवश्यकता है। वास्तव में श्री यशवन्त राव बलवन्त राव चव्हाण में इस समय न यश है और न बल ही।

विपक्षी दल के सदस्यों ने देश की अनेक समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है, किन्तु उनके दिमाग में कोई बात नहीं बैठी ।

उन्होंने हमें सुझाव दिया है कि हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाऐं। वास्तव में हमारा दृष्टिकोण तो वही है किन्तु प्रधान मंत्री का दृष्किोण केवल चुनावों को ध्यान में रखना है। वह राष्ट्रीय हितों की कोई परवाह नहीं करतीं। इसीलिये देश की स्थिति दिन-प्रति-दिन खराब होती जा रही है।

सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने अपने भाषणों में केवल इसी बात पर बल दिया है । इस प्रस्ताव को दुर्भावनाओं के कारण तथा चरित्रहनन के उद्देश्य से लाया गया है। क्या वे स्वंय को महात्मा समझते हैं ?

क्या दुर्भावनाएं उनके दिलों में नहीं हैं ? अतः यह कोई तर्क नहीं हुआ। सत्तारूढ़ दल की असफलताएं ही उसके विनाश का कारण होंगी। इन कृत्यों के लिये आने वाली पीढ़ी सरकार को कभी क्षमा नहीं करेगी।

मुझे ज्ञात नहीं है कि प्रधान मंत्री अपनी असफलताओं को किस प्रकार न्यायसंगत ठहराएंगी। प्रायः ऐसे अवसरों पर वह क्षोभ व्यक्त करती हैं। किन्तु आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जब विपक्षी दल को मौन नहीं करना चाहिए अन्यथा विपक्षी दल को गैर-जिम्मेदार और अल्पबुद्धि समझा जाएगा वास्तव में दुःखी जनता को हमें भी कुछ जवाब देना है।

कुछ माननीय सदस्यों को यह भी समझाया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को लाने का उद्देश्य विदेशी अतिथियों का देश में आना भी है। इस सन्दर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमने अविश्वास प्रस्ताव को उस समय स्थगित नहीं किया था जब प्रधान मंत्री को अल्जीरिया में सम्मेलन में भाग लेना था ? विशेषकर साम्यवादी दल के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव न लाए जाने का कोई न कोई कारण बना लेते हैं।

हम इस पार्टी से यह कहने का अपना राष्ट्रीय दायित्व समझते हैं कि अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने ही नहीं, पूरे देश ने अब यह कहना आरम्भ कर दिया है तथा लोक-सभा के कुछ उप-चुनावों ने इस बात की पुष्टि कर दी है। **(व्यवधान)** डिन्डीगुल में उनके दल के उम्मीदवार को 5,05,000 मतों में से केवल 11,000 मत मिले। एक उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई जबकि उन्हें स्वतंत्र पार्टी की ओर से खड़ा होने पर 150,000 मत मिले थे। अहमदाबाद में सातों सीटें उनकी पार्टी खो बैठी।

नित्य समाचार-पत्र पढ़ते समय पता नहीं प्रधान मंत्री क्या सोचती होंगी। उनमें सिवाय जनता की कठिनाइयों और दुर्दशा की व्याख्या के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। सरकार केवल झूठी आशाओं और आत्म-बेचना के सहारे जीना चाहती है जिससे सम्पूर्ण देश की जनता को अनेक समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में इस सरकार का नैतिक पतन हो चुका है।

मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने किस क्षेत्र में प्रगति की है। नैतिक, अथवा राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से आज देश को भारी क्षति पहुंची है। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार सत्ता त्याग दे देश स्वयं इन समस्याओं का कोई न कोई समाधान खोज लेगा। देश में यह तबाही कौन लाया है, स्वयं सरकार या विपक्षी। दल स्पष्ट विदित है कि सरकार ही ने यह स्थिति उत्पन्न की है। चूंकि कोई भी आपसे किसी प्रकार की सहानुभूति की अपेक्षा नहीं कर सकता, इसलिये मुझे भिन्न दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

देश को नष्ट करने में आपकी क्षमता बहुत अधिक लगती है। विश्व में कोई भी सरकार इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं करती। विरोधी दलों ने राष्ट्रीय मामलों पर सरकार का सहयोग कब नहीं किया। सरकार ने विरोधी दलों के साथ विश्वासघात किया है। हमने बंगला देश के मामले में पूरा-पूरा सहयोग दिया। बंगला देश के ठीक बाद क्या हुआ ? विरोधी दलों को दिये गये आश्वासनों के विरुद्ध आपने विधान सभा के चुनाव कराने की घोषणा की।

क्या श्रीमती गांधी देश पर शासन कर रही हैं अथवा मंहगाई और बेरोजगारी का शासन है ? यदि वह एक सीमा निर्धारित करें और कहें कि इस सीमा से अधिक मंहगाई और बेरोजगारी नहीं बढ़ने दी जायेगी तो वह वास्तव में देश की प्रधान मंत्री हैं।

वर्ष 1971-72 में अन्तर्राष्ट्रीय दबाव और भारत-पाक युद्ध होने के बावजूद भी मूल्य इतने नहीं बढ़े थे। इसके लिये क्या आपने विरोधी दलों को कोई श्रेय दिया? अब यदि आप सारा रोष विरोधी दलों पर डालते हैं तो इस पर कोई भी विश्वाव नहीं करेगा।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस गति से सत्तारूढ़ दल चल रहा है उससे वह लोकतंत्र और समाजवाद को नष्ट करने में शीघ्र ही सफल होगा। यदि महंगाई और बेरोजगारी समाजवाद है, तो हमें समाजवाद की परिभाषा बदलनी होगी।

लोकतंत्र की ओर देखिये, आज प्रातः यह कहा गया कि यह "राज्य" (स्टेट) नहीं है, "सम्पदा" (स्टेट) है। संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग दल के हित-साधन के लिये किया जाता है। आज राज्यों में राज्यपाल वही करते हैं जो सत्तारूढ़ दल चाहता है।

निर्वाचन आयोग भी, जिससे सोद्देश्य और निष्पक्ष चुनाव करवाने की आशा की जाती है, दूषित किया जा रहा है। श्री कमलापति त्रिपाठी को राज्य सभा में दूषित निर्वाचन से स्थान दिया जा रहा है। यह स्थान एक वर्ष पहले कर्नल मोहन का था। इसके लिए एक वर्ष तक निर्वाचन नहीं कराया गया। हमारे देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जैसी श्रीलंका में है।

आज प्रातः यह समाचार था कि समाचार-पत्र की सभी एजेन्सियों को एक निगम के अन्तर्गत रखा जायेगा। इस सरकार से ऐसा करने की अपेक्षा की जा सकती है।

यह सरकार ऐसी है जिसने कानूनी और व्यवस्था की खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर दी है।

आर्थिक क्षेत्र में क्या आर्थिक लोकवाद लाया गया है? बहुत से व्यक्तियों ने पहले सोचा था कि प्रधान मंत्री क्रांति लायेंगी। आज क्या स्थिति है? सत्तारूढ़ दल ने जो कुछ कहा वह अब शोर बन कर रह गया है। उन्हें भ्रम है कि लोग उन्हें चाहते हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार को आज यदि किसी बात का सबसे अधिक श्रेय है, तो वह मंहगाई और बेरोजगारी का है।

22 से 23 प्रतिशत तक मूल्य बढ़ गए हैं और वे कह रहे हैं कि यह विश्व-व्यापी है। परन्तु चिली और कुछ लैटिन-अमरीकी देशों को छोड़कर किसी भी देश में मूल्य इतने अधिक नहीं बढ़े हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से देशों की इस मंहगाई को आत्मसात करने की क्षमता भी है। परन्तु यदि आपकी 50 से 60 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी के स्तर से नीचे रहे तो आपकी क्षमता उस मंहगाई को आत्मसात करने की नहीं है।

देश में सामान्य बेरोजगारी 34 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है और शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी 43 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है। रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में लगभग 35 लाख शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं।

बढ़ती हुई असमानता का क्या होगा? आखिर, समाजवाद तो समानता के बारे में है और देश में असमानता लगभग 32-33 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया था कि एकाधिकार गृह अपनी आस्तियां प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा रहे हैं और गरीब लोग मंहगाई के कारण 22 से 23 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से नीचे जा रहे हैं।

हाल ही में लोक लेखा समिति ने यह बात प्रकट की कि कर-अपवंचकों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाता है। आय छिपाने वालों के विरुद्ध आय-कर विभाग ने 1968-69 में 23 और 1969-70 में 40 मामले दायर किये। यदि करापवंचकों की संख्या इतनी कम है तो कराधान निधियों की क्या आवश्यकता है। आर्थिक और राजनीतिक आसूचना विभाग प्रधान मंत्री के हाथ में है और करापवंचकों को मुक्त रहने दिया जा रहा है।

अन्तोगत्वा देश की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र में कम हो जायेगी। आर्थिक दृष्टि में भी कुल राष्ट्रीय लाभ के मामले में देश की हालत 6 से 7 तक कम हो गई है।

हम पूर्णतया इसी विचार के हैं कि हमारी विदेश नीति गुट-निरपेक्ष की नीति हो, परन्तु क्या सरकार ने इसे लोगों की निगाह में संदेह की बात नहीं बना दिया है? सोवियत संघ हमारा मित्र है, यह ठीक है परन्तु यदि हम मध्य एशिया में शांति स्थापित करने की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो क्या लाभ है ?

भ्रष्टाचार एक ऐसा कारण है जो लोकतंत्र को क्षीण कर रहा है और यह मामला हमारे लिये चिंता का विषय है। श्री हनुमन्तैया ने सितम्बर-अक्तूबर, 1972 में तीन सप्ताह के लिए अनशन किया और प्रार्थना की कि ईश्वर उनके दल के भ्रष्टाचार से मुक्त कर दे। (**व्यवधान**)

नियंत्रक और महालेखाकार ने हरियाणा सरकार के बारे में प्रतिवेदन दिया है परन्तु सरकार श्री बंसीलाल को साफ-साफ छोड़ने के लिये चिंतित है।

श्री एल० एन० मिश्र के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है क्योंकि उन पर आरोपों का भार है। श्री एल० एन० मिश्र के बारे में यह कहा गया है कि स्टेनलेस स्टील के लिये जो लाइसेंस दिया गया उसके सम्बन्ध में कुछ संदेह है। उनका कहना है कि लाइसेंस उनसे पहले वाले मंत्री महोदय ने दिया था। परन्तु बात यह है और मंत्री महोदय यह बतायें कि क्या उस लाइसेंस की शर्तें बदली गई थीं। यदि वे उनके समय में नहीं बदली गयीं तो कब बदली गई थी।

'गरीबी हटाओ' की बात कही गई थी, परन्तु आज हालत क्या है? यदि सरकार इस दिशा में धीमी गति से भी चलती तो भी कोई बात नहीं थी परन्तु कुछ वर्ष पहले 40 प्रतिशत लोग गरीबी के स्तर से नीचे रह रहे थे, अब वे 60 प्रतिशत हैं। देश में अनुशासनहीनता बढ़ गई है, काम करने की आदत नहीं बदली है। देश कठिनाई में है और इस सरकार का बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : During the debate many hon. Members said that the no-confidence motion by the opposition was a political stunt. The Government never claimed that the poverty has been removed, the standard of living of the countrymen has been elevated. We have been saying continuously that we have to fight these problems.

Everyone of you has said that the situation is serious. The Government did not allow the situation to deteriorate to the extent as it should have deteriorated and the Government should be credited for this.

One hon. Member said that we should honour the aspirations of the people so that we can continue to rule. In this connection, I have to say that our party is ruling because it honours the aspirations of the people.

Shri Jyotirmoy Bosu has explained the object of this no-confidence motion. He has used this sentence 'to demolish and annihilate the opposition.' He was afraid of the end

of the opposition in the coming days. An hon. Member has said that the Government should quit. But who will take our place? It is our experience that coalition Governments have not succeeded. After the experience of 1967, the people of the country found that there might be shortcomings in the Congress Party but it has the capacity to run the administration.

During the General elections held in 1971, the opposition formed a grand alliance but that alliance could not form Government.

[श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे पीठासीन हुए । / Shri N.K.P. Salve in the Chair.]

I was saying that it was true that there were difficulties. There is a ray of hope in darkness. The people of this country have the capacity to tide over this situation. You will have to appreciate that prices have gone up in many countries in the world. But we are a developing country. We want our country to develop and the standard of living of our people to elevate. We have centuries old poverty. A cool and calm thinking on the part of the Opposition will make them realise that the country has made tremendous advances in the field of agricultural and industrial production and various other fields during the last twenty-five years inspite of limited resources and the difficulties which a tradition-bound society inherits.

There is no doubt that the prestige of the country has enhanced. Despite our country being a developing one, our voice in international world has been honoured.

I want to assure Shri Jyotirmoy Bosu and his colleagues that a strong opposition is necessary for successful functioning of Parliamentary democracy.

I would like to say that it is not good for our national life and Parliamentary life to raise certain matters again and again. The Maruti issue has been raised a number of times and the position has been explained. The matter should end somewhere.

I want to present the other aspect of this issue. According to the Land Acquisition Act, the Haryana Government acquired this land for development purposes and later on it was allotted to the Maruti Ltd., alongwith certain other lands allotted to others.

Some members have complained that the given compensation is not adequate. Out of the 490 persons whose land has been acquired, only 120 have instituted legal proceedings claiming that the given compensation is not proper. As the matter is pending before the court, I don't want to say anything further.

As for the land released after acquisition, it had been decided in 1957 that the land not required by the Ministry of Defence shall be released.

I request the leaders of the opposition not to say or do anything which may aggravate the situation.

श्री एच० एम० पटेल (दंदुका) : मुझे रक्षा मंत्री का भाषण बड़ा ही रोचक लगा किन्तु इस अवसर पर ऐसे भाषणों द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोपों का उत्तर नहीं दिया जा सकता।

जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि हमें एक वैकल्पिक सरकार बनानी चाहिए अपितु इससे विरोधी दल को जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए भी अवसर मिले। केवल सत्तारूढ़ दल ही जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता, हम भी जनता द्वारा यहां निर्वाचित हो कर आए हैं।

अविश्वास का प्रस्ताव यह बताने के लिए लाया गया है कि सरकार वह नहीं कर सकी जिसकी कि एक अच्छी सरकार से आशा थी। एक अच्छी सरकार को कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे लोग अपने कार्यकलाप बिना किसी बाधा के कर सकें। एक अच्छी सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि जीवन यापन की सभी आवश्यक वस्तुएं जनसाधारण को बिना किसी कठिनाई के उचित मूल्य पर मिलें।

यह सरकार कानून और व्यवस्था कायम कर पाने में बिल्कुल असमर्थ रही है । आज कल दिल्ली में दिन छिपने पर बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। हर रोज़ हिंसात्मक घटनाएं होती हैं। रोज सुबह उठकर अखबार पढ़ने पर दंगे-फसाद और पुलिस द्वारा विद्यार्थियों पर गोली आदि चलाए जाने की खबरें मिलती हैं। इसका कारण यह है कि लोगों को यह विश्वास हो गया है कि जब तक वे हिंसात्मक आंदोलन नहीं करेंगे उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। जहां तक दिल्ली में सुरक्षा की स्थिति का सम्बन्ध है अभी पिछले सप्ताह कुछ बैंकों में लाकरों से लोगों की वस्तुएं गायब हो गईं ।

आज कानून और व्यवस्था की समस्या का सामना करने के लिए हमें एक ऐसे पुलिस बल की आवश्यकता है जिसकी भरती भिन्न प्रकार से हो, वह भिन्न प्रकार से गठित किया जाय और भिन्न प्रकार से सज्जित और प्रशिक्षित हो।

जहां तक मुद्रास्फीति का प्रश्न है, यह कहा जा रहा है कि यह विश्वव्यापी समस्या है पर क्या कभी किसी ने यह अनुमान लगाया है कि देश में कुल कितनी मुद्रास्फीति हुई है और इससे जनसाधारण को कैसी कठिनाईयां हो रही हैं। जब मुद्रा का मूल्य इतनी शीघ्रता से कम हो जाता है तथा जीवनावश्यक वस्तुएं मिलनी कठिन हो जाती हैं तो लोगों के दुख असहनीय हो जाते हैं। आज ऐसी कौनसी वस्तु है जो इस शहर में बिना कठिनाई के मिलती है। कपड़े को लीजिए, खाने के तेल को लीजिए, मिट्टी के तेल को लीजिए गैस को लीजिए कितना मुश्किल है इन्हें प्राप्त करना।

इन वस्तुओं की प्राप्ति में क्यों कठिनाई हो रही है इसके क्या कारण हैं। वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि हम उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उनमें से कुछ प्रयासों का उन्होंने उल्लेख भी किया है जिनमें से पहला है राष्ट्रीयकरण। सरकार ने कोयला खानों और कोककारी कोयलाखानों का राष्ट्रीयकरण किया है पर क्या इससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। उन्होंने कोयला खानों के अधिग्रहण से पूर्व के उत्पादन के आंकड़ों का उल्लेख किया है पर फरवरी 1973 में उत्पादन में निश्चय ही कमी हुई है। यदि ऐसा नहीं है तो रेलवे को क्यों कोयले के अभाव में सैकड़ों गाड़ियों को रद्द करना पड़ा। अगर उन्हें कोयले की कमी हुई वह इसलिए हुई कि कोयला उपलब्ध नहीं था। कोयले की अनुपलब्धता का कारण उत्पादन में कमी है।

सरकार ने गेहूं का थोक व्यापार अपने हाथ में लिया, उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा करने से उत्पादन कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। इससे तो बल्कि कृषकों के मन में भविष्य के लिए अनिश्चतता की भावना आ गई है। जहां तक गेहूं के आयात का प्रश्न है उन्होंने कहा कि विश्वमंडी में स्थिति कठिन है।

जहां सरकार सही नीतियां अपनाती है उन मामलों में भी उनके गलत क्रियान्वयन के कारण कोई सफलता नहीं मिल सकी है। उदाहरणतया बिजली का प्रश्न है। क्या बिजली की कमी का मुख्य कारण वर्षा की कमी है? ऐसा नहीं है। यह स्वीकार किया गया है कि बिजली घर 40 प्रतिशत कार्य-क्षमता पर कार्य कर रहे हैं। इस के लिए कौन जिम्मेदार है? विद्युत केन्द्रों को योजना के अनुसार स्थापित न करने के लिए कौन उत्तरदायी है? चौथी योजना समाप्त हो रही है और लगता है यह कमी पांचवीं योजना तक जारी रहेगी। बिजली की कमी से कृषि उत्पादन, ग्रामीण विद्युतीकरण, जिस पर कि ग्रामों का विकास निर्भर है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

रक्षा मंत्री कहते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्षों बाद जो हमें उपलब्धि हुई है उस पर हमें गर्व है। अगर हम अपने कार्यों को और कुशलता से निभाते तो निश्चय ही हमें उससे अधिक सफलता

प्राप्त होती जितनी आज हुई है। कार्यकुशलता के अभाव के लिए कौन जिम्मेदार है? यह सरकार या विरोधी पक्ष ? सरकार में हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की जानकारी होने पर भी इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? मंत्रियों पर लगाए गए आरोपों तथा प्रमुख लोगों द्वारा उनके सम्बन्ध में दिए गए ज्ञापनों के बाद क्या किया गया ? क्या समुचित कार्यवाही न किये जाने पर उसका जिक्र करना चरित्र का हनन है ? यदि सरकार ईमानदार प्रशासन बनाए रखने को उत्सुक है तो स्वतंत्र जांच का आदेश देने में उसे क्या आपत्ति है?

जब स्वर्गीय श्री कैरों के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए तो स्वर्गीय पंडित नेहरू ने उनकी जांच उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा कराई थी। अब आरोपों के लिए जांच क्यों नहीं कराई जा रही ?

तेल की कमी के बारे में बहुत चिंता है। हमारा अपना तेल-उत्पादन बहुत कम है। दस वर्ष पूर्व तेल के लिए तट-दूर छिद्रण सम्बन्धी प्रश्न उठा था। उस समय तट-दूर तेल की खोज के लिए सुविज्ञ प्रस्ताव थे। किन्तु सरकार ने जानबूझ कर उन प्रस्तावों को जो, इस देश के लिए बहुमूल्य थे, विचारधारा के आधार पर रद्द कर दिया? एक अमरीकी फर्म ने यह प्रस्ताव किया था। उसने छिद्रण कार्य का सारा खर्चा उठाने का प्रस्ताव किया था और तेल मिल जाने पर 20 प्रतिशत शेयर की मांग की थी किन्तु उस प्रस्ताव पर कभी विचार नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप इतनी अवधि गुजरने के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई है।

उर्वरकों का महत्व सर्वविदित है। उर्वरकों से ही हरित क्रांति आयेगी। देश में उत्पादित रसायनिक उर्वरकों से हमारी 50 प्रतिशत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होतीं। कृषि मंत्रालय कार्बनिक खाद से उत्पादन में सहायता के बारे में पता लगा रहा है। हरी खाद का भी अपना ही महत्व है। अच्छी सरकार का यह कर्त्तव्य है कि खादों की पर्याप्त सप्लाई और उनका उत्पादन सुनिश्चित करे और दीर्घकालिक मामलों और महत्वपूर्ण मामलों की ओर ध्यान दे।

देश में आर्थिक विकास के लिये निष्पक्ष और निःस्वार्थ विचारधारा की आवश्यकता है । लेकिन हमारी सरकार में इन सब बातों का अभाव है।

Shri H.K.L. Bhagat (East Delhi) : It is an important question as to why the opposition parties, either severally or collectively, could not provide an alternative Government, during the last 25 years, to the existing Congress rule inspite of its having followed wrong policies and having brought the Country to the present deplorable state of affairs. It is unfortinate that the opposition parties, instead of helping in their own way to face the challenging problems in the country, have increased the problems. They have condemned all the measures adopted by the Government to provide relief to the people in difficulty.

It has been said that the policies of the Congress are neither production-oriented nor distritbution oriented but they are election oriented. The fact is that Jan Sangha wants to exploit the situation by creating communal feelings. On the one hand the opposition parties condemn the Government for higher prices of foodgrains and on the other hand it exhorts the farmers not to give foodgrains to the Government. Thus the policies of the opposition parties are Chaos-oriented.

The opposition's failure in this case is that they have not been able to provide an alternative to the Government because they believe in stratigies and dramas they have not been able to have honesty and sincerity of purpose . Even today, in this difficult situation, they think that they will be able to deceive the people. No party can become an alternetve to this Government. No party can replace any party unless that party looks to the problems of the people.

Unfortunately, there is no responsible opposition in our Country.

The 'No-Confidence Motion' has been brought to get cheap popularty and it will not serve any fruitful purpose.

श्री समर गुह (कन्टाई) : कांग्रेस के महासचिव ने प्रधान मंत्री को लोकतंत्र का फरिश्ता बताया है। लेकिन हमें यह देखना है कि इस लोकतंत्र में चुनाव की तैयारियां कैसे चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अभी हाल ही में उल्लेख किया है कि उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले मिट्टी के तेल की मात्रा से सब प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं और 12 दिसम्बर के बाद उत्तर प्रदेश के लोग चाहें तो मिट्टी के तेल में स्नान कर सकते हैं।

सामान्य परिस्थितियों में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना निरर्थक है लेकिन जब सरकार ने देश को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया है तो हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव लाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है।

वे लोगों के आंदोलनों को दबाने के लिये अनेक उपाय काम में ला सकते हैं लेकिन हम जनता को कैसे बतायें कि देश विनाश की ओर जा रहा है ? हमें पता है कि अविश्वास प्रस्ताव का क्या परिणाम रहेगा लेकिन हम यह बताना चाहते हैं कि जनता का सरकार पर से विश्वास उठ गया है और हमने इसी उद्देश्य से यह अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

सत्ताधारी दल में भ्रष्टाचार के अनेक मामले हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जब श्री एल० एन० मिश्र ने विदेश व्यापार मंत्रालय का कार्यभार संभाला तो उन्होंने नेपाल की सीमा के अन्दर एक भारतीय राष्ट्रिक से सम्पर्क स्थापित किया और उसे खुलेआम और अवैध रूप से तस्करी का व्यापार जारी रखने की अनुमति दी थी। क्या उन्होंने उसे वहां से स्टेनलेस स्टील, कृत्रिम रेशों का कपड़ा और बने बनाये वस्त्रों को बड़े पैमाने पर भारत में भेजने की अनुमति दी थी? क्या श्री मिश्र ने बम्बई के एक व्यापारी को कपास की एक लाख गांठों का आयात करने का परमिट दिया था? श्री एल० एन० मिश्र के श्री संतोष कुमार तुलशन नामक व्यापारी से जो सरकार पर प्रभाव डालने के लिये सब प्रकार के अवैध तरीकों का प्रयोग करता था सम्बन्ध थे। यह भी कहा गया है श्री मिश्र ने उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में चुनावों के लिये धन एकत्र किया है। सरकार को इस सम्बन्ध में जांच करनी चाहिये और यह बताना चाहिये कि यह बात सच है अथवा नहीं।

लोगों पर अब आपके 'गरीबी हटाओ' नारे का पोल खुल गया है। वर्ष 1971 से 1973 के बीच उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में 21 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि खुदरा मूल्यों में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। काले बाजार में उक्त वृद्धि 300 प्रतिशत तक हुई है। सरकार द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं और अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिय कार्यवाही न किये जाने क क्या कारण ह ।

राष्ट्रीय आय 7.3 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत रह गई है। वर्ष 1969 में लगभग 1031 करोड़ रुपया काले धन के रूप में परिचलन में था जबकि अब यह 2833 करोड़ रुपये हो गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र को 38 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। वर्ष 1970-71 में 88 गैर-सरकारी कम्पनियों में से 76 कम्पनियों को घाटा हुआ है। समाजवाद का अर्थ राष्ट्रीयकरण लाना नहीं है, समाजवाद का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि करना और उसका समान वितरण करना।

योजना आयोग द्वारा नियुक्त कार्य दल के अनुसार कृषि पर खर्च हुए 27,000 करोड़ रुपयों में से 70 प्रतिशत सिंचाई सम्बन्धी लाभ बड़े बड़े और अमीर किसानों को हुए हैं तथा केवल 7,000 करोड़ रुपये का लाभ अन्य किसानों को मिला है।

जहां तक भूमि सुधार का सम्बन्ध है, देश में कुल उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का केवल 7 प्रतिशत छोटे किसानों को गया है। शेष उपलब्ध भूमि बेनामी पड़ी है। तीसरी योजना के अन्त में 42.7 प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता से नीचे के स्तर पर जीवन यापन कर रही थी । अब यह प्रतिशतता बढ़कर 49 प्रतिशत हो गई है।

वर्ष 1971 में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 50 लाख थी जबकि वर्ष 1973 में यह 81 लाख है। यह हमें 'गरीबी हटाओ' का उपहार मिला है।

बंगला देश संकट को हल करने के लिये मैं प्रधान मंत्री की प्रशंसा करता हूं।

वर्ष 1971 में कांग्रेस की चुनावों में विजय राजनीतिक विजय न होकर भावात्मक विजय थी।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair.]

सरकार ने गुजरात, मैसूर, बिहार, उड़ीसा, मनीपुर, उत्तर प्रदेश और आंध्र राज्यों में सरकारों को गिराया है। दल-बदल रोक अधिनियम को अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का खुले आम उल्लंघन किया जा रहा है और संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है।

सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त न कर बहुत गलत काम किया है। सर्वोच्च न्यायालय में 90 प्रतिशत मामलों में सरकार द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है। क्या अब सरकार के खिलाफ कोई निर्णय दिया जा सकता है? यदि सरकार यह समझती है कि संविधान प्रगति के रास्ते में बाधक है तो सरकार को एक नई संविधान सभा बुलाने का साहस रखना चाहिये। श्री ब्रेजनेव के स्वागत के लिये एक समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष हैं। उक्त श्रेय मेयर अथवा भारत के उप-राष्ट्रपति को न देने के क्या कारण हैं।

आज देश में शक्ति प्राप्त करने की होड़ लगी है। जितनी जल्दी यह सरकार अपदस्थ हो उतना ही अधिक देश का हित होगा।

श्रीमती माया राय (रामगंज) : विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपनी कुपडा से ग्रस्त होकर यह अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तथा इसके पीछे कोई न्यायसंगत कारण नहीं हैं। उन्हें वास्तविक स्थिति का भी ज्ञान नहीं है।

प्रधान मंत्री ने विपक्षी दलों के साथ अनेक बैठकें की हैं तथा उनसे विचार-विमर्श किया है इस स्थिति में भी वे उन्हें प्रजातंत्र विरोधी बताते हैं।

विपक्षी दलों का गठबन्धन देश व्यापी दिखाई देता है। मैं पूछना चाहती हूं कि इस गठबंधन से अब उन्होंने कौन सा नया मार्ग दिखाया है अथवा-कौनसी नई प्रगति खोज निकाली है ?

देश के समक्ष अनेक आर्थिक समस्यायें हैं तथा उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता है । ऐसी स्थिति में इससे बड़ी राष्ट्र विरोधी गतिविधि क्या हो सकती है कि बंद और हड़तालों को सहारा दिया जाए जिससे राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न हो? सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में, जहां मुनाफाखोरी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, उत्पादन को रुकवाना क्या राष्ट्र विरोधी नहीं है ?

जहां तक पश्चिम बंगाल के बारे में श्री ज्योतिर्मय द्वारा उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है मैं पूछना चाहती हूं कि जब भी पश्चिम बंगाल में जमाखोरों को गिरफ्तार किया गया है उनकी रक्षा के लिये कौन भागदौड़ करता रहा है ? यह वही व्यक्ति है जो श्री ज्योतिर्मय की पार्टी का एडवोकेट जनरल था। हाल ही में उनकी पार्टी के कोषाध्यक्ष पर गबन के मामले में मुकदमा चलाए जाने का समाचार मिला है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु की यह आदत रही है कि वह ऐसे व्यक्तियों पर झूठे आरोप लगाते हैं जो सभा में अपनी सुरक्षा के लिये कोई उत्तर नहीं दे सकते । मैं मानती हूं श्री ज्योतिर्मय बसु एक प्रतिष्ठित तथा कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं, किन्तु जब उनके पास कोई राजनीतिक तर्क नहीं रहता तो वह चरित्र दनन पर उतारू हो जाते हैं । अतः वे शय्य हैं ।

हमें उनसे यह पूछने की क्या आवश्यकता है कि उन्होंने ब्रिटिश आर्मी से क्यों इस्तीफा दिया तथा एक ब्रिटिश व्यापार गृह में नौकरी क्यों कर ली थी और फिर उन्होंने वहां से त्यागपत्र देकर राजनीति क्यों अपनाई थी। हमें अन्य अनेक कार्यों के बारे में सोचना है । मारुति संबन्धी मामला समाप्त हो गया था किन्तु वह अनावश्यक रूप से उसे उठाए जा रहे हैं ।

आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी पार्टी के सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके अन्तर्गत केवल समाज-विरोधी तत्वों को गिरफ्तार किया गया है । क्या माननीय सदस्य ऐसे व्यक्तियों को भी अपनी पार्टी के सदस्य मानते हैं ?

मैं सभा को यह बताना चाहती हूं कि 1970 में राजनीतिक हत्याओं की संख्या 357, 1971 में 1,009, 1972 में 101 और 1973 में केवल 55 थी तथा इन 55 राजनीतिक हत्याओं में से 24 हत्यायें हमारे दल के सदस्यों की की गई। य आंकड़े पहले नवम्बर 1973 तक क हैं तथा इनमें कलकत्ता से संबन्धित आंकड़े नहीं हैं ।

जहां तक दलगत झगड़ों का सम्बन्ध है पश्चिम बंगाल में 1970 में 664 बार, 1971 में 865 बार, 1972 में 588 बार और 1973 में 188 बार ऐसे झगड़े हुए। इसी प्रकार नक्सलवादी हिंसात्मक घटनाओं की संख्या 1970 में 1913, 1971 में 2602, 1972 में 82 और 1973 में पहली नवम्बर तक 43 थी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने एक यह प्रश्न भी उठाया कि मंत्रियों की सुरक्षा पर बहुत अधिक धनराशि खर्च की जाती है । क्या माननीय सदस्य उस समय को भूल गये जब पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी का बहुमत था तथा वहां के गृह मंत्री के आगे पीछे पुलिस की चार गाड़ियां चलती थी। उस समय पुलिस का बजट दो गुना हो गया था। इतना ही नहीं श्री बसु को अपनी नक्सलवादियों से खतरा रहता है ।

हमें जनता की कठिनाइयों का पता है । गत दो वर्षों में दो बार भयानक सूखा पड़ी है तथा एक बार भीषण बाढ़ आई है । मैं पूछना चाहती हूं कि विपक्षी दलों के सदस्यों ने कितनी बार सूखा या बाढ़ पीढ़ित क्षेत्रों का दौरा किया है ?

श्री समर गुह वहां गये किन्तु उन्हें यह जानकर बड़ा खेद हुआ कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने वहां का दौरा कर लिया है तथा आवश्यक कदम उठाए जा चुके हैं । **(व्यवधान)** विपक्षी दल कहीं तभी जाते हैं जब उन्हें वहां समस्यायें खड़ी करनी होती हैं ।

अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने का पहला कारण यह है कि कांग्रेस सरकार को अपदस्थ किया जाए। पश्चिम बंगाल में तथा केन्द्र में एक ही पार्टी की सरकारें हैं किन्तु आश्चर्य की बात है कि श्री ज्योतिर्मय बसु की पार्टी पश्चिम बंगाल में स्वयं को विपक्षी दल नहीं मानती और केन्द्र में मानती है । प्रजातन्त्र प्रणाली के बारे में उनके विचार हमारी समझ में नहीं आते।

इस प्रस्ताव का दूसरा उद्देश्य सरकार की आलोचना करना है । किन्तु प्रति क्षण इस व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है । अनर्गल आलोचना तथा चरित्र हनन का यह दृष्टिकोण नितान्त घातक है ।

इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले ने 'हत्या' शब्द का उल्लेख किया है । मैं पूछना चाहती हूं कि पश्चिम बंगाल में उस समय कितनी पार्टियों ने इस प्रकार के शब्द कहे थे जब वहां श्री ज्योतिर्मय की पार्टी ने ऐसे जघन्य अपराध किये थे ? **(व्यवधान)** 1973 में सी० पी० एम० के सदस्यों ने हमारी पार्टी के 71 सदस्यों की हत्या की थी। दिनांक 21 फरवरी, 1973 को रानीगंज में श्री दीपक भौमिक की हत्या की गई । दिनांक 18 अक्तूबर को सी० पी० एम० के समर्थकों ने एक अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता की हत्या की थी। इसी प्रकार श्री नीरेन घोष, आर० सी० शर्मा आदि कई कांग्रेसियों की हत्या की गई। इस पर भी श्री ज्योतिर्मय हत्याओं का उल्लेख करने की सामर्थ्य रखते हैं । **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु न किसी व्यक्ति का आदर करते हैं और न किसी वर्ग का और न किसी सिद्धान्त का। उन्होंने समाचारपत्रों पर यह आरोप लगाया है कि उनको भी खरीदा जा सकता है । वह सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भ्रष्ट मानते हैं । अर्थात् मानों वही ईमानदार हैं या उनकी पार्टी के सदस्य। ढाई वर्ष बाद फिर चुनाव होने हैं तथा देश की जनता पुनः सिद्ध कर देगी कि कौन खराब है और कौन खोटा ।

हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे हमें अपने ऊपर कोई ग्लानि हो। हमने अपने देश की जनता की चेतना को जगाया है तथा हमें अपनी नेता श्रीमती इन्द्रा गांधी पर गर्व है ।

अध्यक्ष महोदय : कल यह निर्णय किया गया था कि प्रधान मंत्री 7 बजे अपना भाषण देंगी । अब 7 बजकर 20 मिनट हो चुके हैं तथा दो-तीन सदस्यों के नाम अब भी शेष हैं ।

श्री पी० जी० ग्वालकर : महोदय मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी से श्री शमीम बोल चुके हैं । कल के निर्णय से पीछे नहीं हटना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : Reply can be given tomorrow.

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अब मैं प्रधान मंत्री को बुला रहा हूं । प्रधान मंत्री ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैंने अविश्वास प्रस्तावों का स्वागत किया है क्योंकि उनसे हमें अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने का मौका मिलता है । उनसे यह भी पता चला है कि इन सभी वर्षों में विरोधी दल कोई नई बात नहीं रख सके हैं ।

जब चुनाव होने वाले होते हैं तो विरोधी दल अविश्वास प्रस्ताव लाया करते हैं । मैं माननीय सदस्य श्री श्यामनन्दन मिश्र और श्री समर गुह की बातों का उत्तर दे सकती हूं । हमने विरोधी दलों के साथ बैठकर बातचीत की थी कि जब युद्ध हो रहा है तो चुनाव करवाना उचित नहीं होगा परन्तु एक बार युद्ध समाप्त हो गया है तो शान्ति के समय अब चुनाव न करवाने के लिये क्या बहाना हो सकता है । **(व्यवधान)**

यह कहा गया था कि इस पक्ष की ओर से दिये गये भाषणों में कमियां थीं। मैंने सभी माननीय सदस्यों के भाषण सुने हैं । मैंने अपने कमरे से श्री वाजपेयी का भाषण सुना था। हमारे पक्ष की ओर से दिये गये भाषणों में विरोधी दलों द्वारा दिये गये भाषणों में उठाई गई आलोचना और प्रत्येक बात का उत्तर दिया गया था ।

मैं वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री को उनके भाषणों के लिये बधाई देती हूं ।

लोकतंत्र के बारे में काफी कुछ कहा गया है । श्रीमती माया रे ने थोड़े समय पूर्व पश्चिम बंगाल में अनुभव किये गये लोकतंत्र के दृष्टिकोण का उल्लेख किया। मैं नहीं समझती कि विरोधी दलों की ओर से कही गई बातों को गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिये। पश्चिम बंगाल सरकार के प्रति अत्यधिक उदार होने के आक्षेप लगाये गये हैं और कहा गया है कि उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये ।

अब सारे विरोधी दल मिलकर आवाज उठा रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा की जानी चाहिये। हमारे दल ने भारत में लोकतंत्र की नींव डाली और आज भी हम देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिये कृतसंकल्प हैं ।

परन्तु लोकतन्त्र दोषारोपण करने, मिथ्या आरोप लगाने और देश के विश्वास को कम करने का लाइसेंस नहीं है ।

केवल इस सभा में ही नहीं अपितु सभा के बाहर भी अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है । सरकार ने इस स्वतंत्रता को कम करने के लिये कुछ भी नहीं किया है और न ही भविष्य में उसका ऐसा कुछ करने का विचार है । परन्तु लोकतंत्र में कुछ उत्तरदायित्व आ जाते हैं । निश्चय ही बहुमत दल का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अल्पमत की आवाज न दबने पाये परन्तु साथ ही अल्पमत अर्थात् विरोधी दलों का भी कुछ उत्तरदायित्व है । लोकतंत्र में विरोधी दलों का उत्तरदायित्व होता है और विशेषकर संकट के समय उनका उत्तरदायित्व अधिक होता है कि वे संसद द्वारा स्वीकृत और पारित कार्यक्रमों में रुकावट न डालें। अत्यधिक आर्थिक संकट के समय विरोधी दलों के कार्य कितने उत्तरदायित्व पूर्ण रहे हैं इस बात से जनता भली-भांति विदित है ।

'फासिस्ट' शब्द का भी उल्लेख किया गया है । मैंने फास्टि देशों को देखा है । मैं नहीं समझती कि विश्व में कोई भी व्यक्ति इस बात का प्रतिकार करेगा कि हमारे दल का 'फासिस्ट' के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का अच्छा रिकार्ड है ।

एक माननीय सदस्य ने सुरक्षा का प्रश्न उठाया। मैं उनमें से एक हूं जो इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं ।

हम जनता की, उसकी कठिनाइयों से सदैव रक्षा नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ घटनायें हमारे वण की नहीं हैं अथवा कुछ हमारी अपनी कमियां हैं और असफलता है । मैं जनता के पास गई हूं

और जो गलतियां हुई हैं उनको मैंने माना है। हम जानते है कि विश्व में कोई भी बिना गलती किये इतने बड़े देश का शासन नहीं चला सकता। यहां तक कि विशेषज्ञों का यह कहना है कि उन्होंने इतनी बड़ी समस्या कभी नहीं देखी।

हम गलतियां तो करते हैं और चूंकि हम मानव हैं इसलिये गलतियां करते रहेंगे। हम जनता से केवल इतना वादा कर सकते हैं कि यदि हमने कोई गलती की हो तो उसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये।

ऐसा लगता है कि मेरे मित्र, श्री श्यामनन्दन मिश्र 'चरित्र-हनन' शब्द से चिड़ते हैं परन्तु उस पक्ष की ओर से की गई टिप्पणियों का हम और किस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं?

जो कुछ हमने कहा है वह यह कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रत्यक्षतः (प्राइमा फेसी) कोई मामला हो तो इसकी जांच होनी चाहिये। परन्तु प्रत्येक गैर-जिम्मेदार आरोप की जांच नहीं की जा सकती। श्री एच० एन० मुकर्जी ने आग्रह किया कि चूंकि जब आरोप लगाये गये हैं तो उत्तर दिये जाने चाहियें। बाबू जगजीवन राम जी इसे स्पष्ट कर चुके हैं।

यह दूषित वातावरण उत्पन्न करने का समवेत प्रयास है। यदि इसमें कोई सच्चाई नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं?

मैं मारुति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि जितने भी प्रश्न उठाये गये हैं उनका समय-समय पर उत्तर दिया जा चुका है। मैं सार्वजनिक बैठकों में कह चुकी हूं कि किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं किया गया है, नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है और किसी के प्रति अन्याय नहीं किया गया है। जो वेतन तथा परामर्श सेवा है, वह नियमों के अनुसार है।

जब एक माननीय सदस्य ने मुझसे प्रश्न किया "क्या आपका कहीं मकान है" तो मैंने उत्तर दिया "नहीं"। जैसा कि सभी जानते हैं कि मेरा विदेशों में भी खाता नहीं है।

यह भी कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में मेरे पास बड़े-बड़े भू-खंड हैं।

कुछ दलों ने राष्ट्रीय प्रतिभा को नष्ट करने का प्रयास किया है। और भी ऐसी बातें कहीं गई हैं जिन पर आपने गौर किया होगा।

मैं उनसे इस बात के लिये पूर्णतया सहमत हूं कि छात्रों को राजनीतिक या अन्य कार्यों के लिये अनुचित लाभ उठाने हेतु माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिये। आज क्या हो रहा है? आई० आई० टी० दिल्ली के बारे में मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक संदेश मिला है। उस संस्थान के प्रांगण में एक राजनीतिक दल बैठकें आयोजित कर रहा है। वह कर्मकारों को उकसा रहा है कि वे विभागाध्यक्षों को पीटें। क्या कानून और व्यवस्था का इसी प्रकार पालन किया जाना चाहिये? क्या देश में शिक्षा को इसी प्रकार प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

अभी दस मिनट पूर्व मुझे सूचना मिली है कि जनसंघ नियंत्रित वजीराबाद हैड वर्क्स की एक यूनियन द्वारा आज सुबह से हड़ताल हो रही है। (**व्यवधान**)। दो आदमी कहीं भी गड़बड़ कर सकते हैं।

हमने कभी न तो साम्यवादी दल और न ही किसी अन्य दल का समर्थन किया है । हम कांग्रेस के कार्यक्रमों का समर्थन कर रहे हैं । हम उस व्यक्ति का समर्थन करते हैं जो हमारी नीतियों का समर्थन करता है । कांग्रेस के अधिकांश कार्यक्रम नये कार्यक्रम नहीं हैं । हमारा मार्ग स्पष्ट है, चाहे वह औद्योगिक नीति के बारे में हो चाहे अन्य किसी नीति के बारे में हो ।

एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या कानून का मार्ग या गांधी जी द्वारा दर्शाया गया अनुनय का मार्ग अपनाया जाना चाहिये । मैं सभा को आश्वासन दे सकती हूं कि अनुनय के मार्ग को अपनाया जायेगा । कितने व्यापारी न्यासिता (ट्रस्टीशिप) के उस मार्ग को अपनाने को तैयार हैं जिससे गांधी जी का तात्पर्य था ।

मेरे मथुरा में दिये गये भाषण का उल्लेख किया गया है । बाबू जी 'द्रमुक' को इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं । मैंने अपने भाषण में जो कुछ कहा वह उस विशेष अवसर के लिये था।

हमें याद दिलाया गया था कि कांग्रेस में भिन्न-भिन्न विचारों वाले लोग हैं । हमें भिन्नता पर गर्व है । इस भिन्नता में भी बहुत अधिक एकता है । हम जानते हैं कि कुछ लोग कभी-कभी गुटबाजी में लग जाते हैं परन्तु एक बार जब कोई नीति निर्धारित कर ली जाती है तो उस पर हम अमल करते हैं ।

अधिकांश राज्यों ने उन्हें क्रियान्वित किया है । कभी-कभी किसी एक क्षेत्र में क्रियान्विति पूरी तरह नहीं भी होती तो, यह एक दुर्भाग्य की बात है । हमें यह सुनिश्चित करने के लिये कि उनके क्रियान्वयन में सुधार हो, उतना करना चाहिये जितना हम कर सकते हैं ।

मैं यह कह रही थी कि मुश्किल से ही विश्व में कोई ऐसा देश है जो वित्तीय संकट से बचा हुआ हो। इसका क्या कारण हो सकता है ? व्यवस्था में ही कुछ त्रुटि हो सकती है । आमूल परिवर्तन किये जाने चाहियें परन्तु हमारा सम्बन्ध कुछ सीमा तक विश्व की मुद्राओं से है ।

विश्व में जो कुछ होता है उसका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ता है । चाहे हम कितनी ही कोशिश करें हमारे देश पर उनका प्रभाव तो पड़ेगा ही ।

जब मैं इस बारे में बोल रही थी कि हालात सुधर रहे हैं तो मैंने यह नहीं कहा कि पूरी स्थिति बदल रही है । मैंने यह कहा था कि खाद्य स्थिति और बहुत सी अन्य वस्तुओं की स्थिति में सुधार हो रहा है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिन सरकारी उपक्रमों ने अच्छा कार्य नहीं किया उनमें काफी सुधार हुआ है ।

एक बात, जिसका मैं पहले उल्लेख करना भूल गई, वह यह है कि बंगला देश के संकट के समय मैंने विरोधी दलों की प्रशंसा नहीं की। मैं नहीं समझती कि यह सत्य है । मैंने अपनी आम सभाओं में यह कहा है कि विरोधी दलों तथा भारत के सभी लोगों ने मिलकर साथ दिया और हमें यह शानदार विजय प्राप्त हुई है ।

श्री एच० एम० पटेल ने तटदूर खुदाई के बारे में टेनेको की पेशकश का उल्लेख किया। इस प्रस्ताव को इसलिये स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि जितने तेल का उत्पादन होता उसका आधा तेल सहयोगी कम्पनी को देना पड़ता । इसके मार्ग में बाधा डालने में किसी विचारधारा की कोई बात नहीं थी।

भिन्न-भिन्न राज्यों में राष्ट्रपति-शासन की आलोचना की गई है । उत्तर प्रदेश में ऐसा एक विशेष स्थति के संदर्भ में हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सत्तारूढ़ दल का वहां बहुमत था परन्तु पुलिस की अनुशासनहीनता भी कोई साधारण बात नहीं थी। उस समय हमें उसके उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों पर होने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, ऐसा करना उचित लगा। वहां के मुख्य मंत्री ने सिरिफाश की कि अस्थायी आधार पर केन्द्रीय शासन लागू किया जाये। यह आलोचना राजनीति से प्रेरित है कि चुनाव आ रहे हैं इसलिये ऐसा किया गया।

जहां तक आन्ध्र प्रदेश का संबन्ध है, जिस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया वह पूर्णतया भिन्न थी। वहां कानून तथा व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। उसके लिये सभी दल उत्तरदायी हैं । प्रशासन लगभग ठप्प हो गया था। हमें आशा है कि वहां शीघ्र ही लोकप्रिय सरकार स्थापित हो जायेगी। यद्यपि चुनाव होते नजर नहीं आ रहे हैं ।

उड़ीसा में उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया गया है । मैं इतना कहना चाहती हूं कि विरोधी दलों के बहुमत पर राज्यपाल की आशंका युक्तिसंगत थी।

यह भी कहा गया है कि बजट पारित नहीं किया गया था। अस्थिर सरकार के माध्यम से ऐसा करना संभव नहीं था ।

न तो किसी ने और न मैंने कभी यह कहा कि सभी कठिनाइयां बंगला देश या युद्ध के कारण से हुई हैं । परन्तु इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि एक यह बड़ा संकट था जिसका प्रभाव प्रशासन के सभी भागों पर पड़ा और यह भार इतना अधिक था जिसे एक दो वर्ष में समाप्त नहीं किया जा सकता ।

जो लोग जाति व्यवस्था में विश्वास रखते हैं वे हरिजनों की हालत पर हमें भाषण दे रहे हैं । हम स्वयं हरिजनों के बारे में चिन्तित हैं और मुझे दुःख है कि हम अपने कानूनों के बावजूद भी हरिजनों के प्रति लोगों के रवैये में परिवर्तन नहीं कर सके हैं ।

विरोधी दल के सदस्य लोगों से कह रहे हैं कि वे मुझे अस्वीकार कर दें। यदि ऐसा होता है तो इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं होगा ।

अतः मैं माननीय सदस्यों से अपील करती हूं कि वे इस अविश्वास के प्रस्ताव को अस्वीकार करें जो राजनीतिक उद्देश्य से लाया गया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया सभा में व्यवस्था स्थापित कीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : सभी सदस्य शान्ति से बैठे हैं ; आप उनको इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि वे आप को सुनें ।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : श्रीमान् जी, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपने एक पूर्व अवसर पर यह निर्णय दिया था कि दूसरी सभा के किसी सदस्य का उल्लेख नहीं किया जायेगा। बेशक मंत्री उत्तर देते समय उनके नाम का उल्लेख कर सकते हैं

मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप श्री बसु को कहें कि वह दूसरी सभा के किसी सदस्य के नाम का उल्लेख न करें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि आप अनुमति दें तो मैं इस संदर्भ म आप से प्रार्थना करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, मेरे विचार में यह उचित नहीं है। कृपया दूसरी सभा के सदस्य का झगड़ा न खड़ा करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप कृपया सभा की कार्यवाही को पढ़ें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात की ओर ध्यान दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने सभा में अन्य सभा के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया है।

श्री ए० पी० शर्मा : निस्संदेह आप ने सदस्य के नाम का उल्लेख नहीं किया है। आपने 'राज्य सभा का सदस्य' कहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिये कि इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने का संबन्ध इस देश में कामरेड ब्रेझनेव के आने से बिल्कुल भी संबन्धित नहीं है। उन्होंने 26 को आना है और इस प्रस्ताव पर चर्चा 22 तारीख को हो रही। यह एक तरीका है जिसके द्वारा सरकार शरण ले सकती है।

राजनीतिक मतभेद होते हुये भी कम से कम आम लोगों के सामान्य हित के मामलों पर उनके द्वारा हमारा साथ दिया जा सकता था। मैं ऐसे सदस्यों की सूची प्रस्तुत कर सकता हूं जो वास्तव में अवसरवादी हैं परन्तु अब समाजवाद के समर्थक बने हुए हैं।

प्रधान मंत्री महोदया ने उठायी गयी मुख्य बातों का ठीक प्रकार से उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने अधिकतर प्रत्येक वाक्य में अपने, अपनी सरकार तथा दल के बारे में प्रशंसापूर्वक शब्द ही कहे हैं। उन्होंने खाद्यान्नों, बेरोजगारी तथा अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में कुछ भी नहीं कहा।

उन्होंने चुनावों के बारे में कहा। विश्व भर के लोग इस बात को जानते हैं कि इस देश में चुनाव हास्यास्पद बात बनकर ही रह गये हैं। और इस देश में लोकतंत्र रहा ही नहीं है।

प्रधान मंत्री महोदया ने गलतियों को करने की बात कही है। क्या यह गलती हुई है अथवा यह जानबूझ कर एकाधिकारियों के समक्ष झुका गया है। मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों से यह पता चलता है कि गत वर्ष में एकाधिकारों में वृद्धि हुई है। सभी वित्त संस्थाओं तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उन्हें धन दिया है। मफतलाल नाम की एक विशेष कम्पनी ने दो वर्षों के भीतर ही अपनी परि-सम्पत्तियों को 254 प्रतिशत बढ़ा लिया है। एकाधिकार फर्मों को बड़े बड़े लाभ उठाने दिये गये हैं। ऐसा श्रीमती इन्दिरा गांधी की सुरक्षा के अन्तर्गत निर्धन व्यक्तियों को हानि पहुंचा कर किया गया है।

मैं वांचू समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन के आधार पर विमुद्रीकरण का सुझाव देता रहा हूं। इस प्रकार की मांग सरकार के समर्थकों ने भी की थी। कुछ दिन पूर्व छः अर्थशास्त्रियों ने एक ज्ञापन के द्वारा यह मांग की है कि विमुद्रीकरण किया जाये। किन्तु विमुद्रीकरण नहीं किया जायेगा, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं।

अभी अभी उन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल, श्री जेदी का उल्लेख किया है और उड़ीसा में श्री जेदी प्रधानमंत्री का एक महा-एजंट है। जब उच्च न्यायालय एक राज्यपाल के आचार के संबन्ध में गंभीर

टिप्पणियां देता है, तो न्याय यही है कि उसे वापिस बुला लिया जाये तथा बर्खास्त किया जाये। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि इसे असंसदीय समझा जायेगा।

जहां तक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का संबन्ध है, हम जानना चाहते हैं कि हिस्सेदारों को कितनी राशि मुआवजे के रूप में दी गयी है। 32 करोड़ रुपये के स्थान पर 80 करोड़ रुपये दिया गया। समाज के कमजोर वर्गों को इससे क्या लाभ हुआ है ? वार्षिक प्रतिवेदनों को संसदीय समिति के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत क्यों नहीं लाया जा रहा है ? ऐसा करके उनके लिये बहुत ही असुविधाजनक हो जायेगा।

सामान्य बीमा के बारे में सरकार द्वारा 15 मास के लिये प्रति मास 32 लाख रुपये की राशि प्रबन्ध कमीशन के रूप में दी गयी।

निजी थैलियों के बारे में, 4 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष ले रहे थे। अब सरकार उन्हें साक्रांतिक भत्ते के रूप में 10.75 करोड़ रुपया दे रही है। यह है सरकार का समाजवाद।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि नगरीय संपत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का क्या हुआ। इस बारे में कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। आप की सरकार जैसा कि हरियानवी भाषा में कहा गया है कि भेड़ की खाल में भेड़िया है (**व्यवधान**) मैं कई बार हरियानवी भाषा भी बोलता हूं।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): It is very hard. We are wolf in the grab of sheep ?

श्री ज्योतिर्मय बसु: मैं इन शब्दों को वापिस लेता हूं। आप भेड़ें नहीं हैं, आप भेड़िये हैं। समाचार पत्रों के स्वामित्व के विकेन्द्रीयकरण का क्या हुआ। श्री गुजराल बहुत ही चालाक हैं। वह नहीं चाहते कि यह दोष उन पर डाला जाये और उन्हें मंत्री पद से हटाया जाये। तब तक.....(**व्यवधान**) वह इन सभी बातों को जानते हैं।

दल बदल को रोकने वाले विधेयक का क्या हुआ। प्रधान मंत्री महोदया द्वारा 1971 के चुनावों के दौरान किये गये वादों का क्या हुआ। हावड़ा--आमटा लाईट रेलवे लाईन का वचन दिया गया था। इस पर 5 से 10 लाख रुपये व्यय किया जाना था। तीन वर्ष बीत चुके हैं, परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (कलकत्ता दक्षिण): आप को केन्द्रीय आरक्षण पुलिस से सहायता लेनी चाहिये। आप वहां यात्रा नहीं कर सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु: मैं उनकी सहायता नहीं लेता।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी: मैंने आपको देखा है.....

श्री ज्योतिर्मय बसु: यह एक है*.....मैंने इस प्रकार की सहायता कभी नहीं ली। यह मत बताइये*.....

अध्यक्ष महोदय: यह असंसदीय है।

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही को वृतान्त से निकाल दिया गया।

*Expunged as ordered by the chair.

श्री ज्योतिर्मय बसु : औद्योगिक नीति संकल्प का क्या हुआ ।

श्री सी० एम० स्टीफ़न (मुवत्तु पुजा) : व्यवस्था का प्रश्न है । नियमों के अनुसार.....

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । मैंने उन्हें बता दिया है कि संसदीय नहीं है । इसे सभा की कार्यवाही का भाग नहीं बताया जाएगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बिल्कुल ठीक है। मैं इस के स्थान पर 'गलत' शब्द का प्रयोग करता हूं ।

श्री सी० एम० स्टीफ़न : मैं यह बात नहीं कहना चाहता था । माननीय सदस्य उत्तर के रूप में अपना दूसरा भाषण देने के अधिकारी हैं। किन्तु इस दूसरे भाषण में वह मूल भाषण की बातों को उठा रहे हैं जिनका हमें उत्तर देना पड़ेगा । दूसरा औचित्य का प्रश्न भी है नियम के अनुसार निश्चित समय पर इस प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा जाना था । किन्तु सदस्य को बोलने दिया जा रहा है । हम जानना चाहते हैं कि कितने समय तक और किन विषयों पर उन्हें बोलने की अनुमति दी जायेगी । मूल बातों को उठाया जा रहा है । क्या इसकी अनुमति दी जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : जब सदस्य दूसरी बार बोलने के लिए उठता है, तो उससे केवल वाद विवाद के उत्तर देना ही अपेक्षित होता है । वाद विवाद काफी लम्बा था । मैं हर समय यही सोचता रहा कि क्या वह नयी बातों को उठा रहे हैं अथवा पुरानी बातों को । मैं जब इस विषय पर बोलूंगा, तो आप को बताऊँगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इसे शीघ्र समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ । मैंने औद्योगिक नीति संकल्प के वर्ग 'ए' में एक मद लोहा तथा इस्पात को देखा है जिसे अनिवार्य रूप से सरकारी क्षेत्र में होना चाहिये । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सरकार अब टाटा बन्धुओं के साथ संयुक्त क्षेत्र में कार्य किस प्रकार करेगी ?

प्रधान मन्त्री ने पैट्रोल तथा मिट्टी के तेल के बारे में कहा है । वास्तविक वृद्धि तो केवल 7 पैसे की हुई है परन्तु सरकार ने पैट्रोल पर एक रुपया उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया है । मिट्टी के तेल के बारे में यही बात हुई है । सरकार को चाहिये कि वे लोगों को धोखा न द तथा उन्हें साफ-साफ बता दें ।

सरकार चुनावों में प्राप्त भारी बहुमत की बात करती है, किन्तु उसमें अनुचित तरीके अपनाये गये हैं । इस बारे में हमने कुछ ठोस सुझाव दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : समय समाप्त हो चुका है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान् जी, यह 12 घंटे का वाद-विवाद हुआ है । मुझे अनिवार्य रूप से उत्तर देने का अधिकार है । कृपया घंटी न बजाइये ।

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तर देने की बजाय नई बातें कह रहे हैं । यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे सरकार से उन बातों का उत्तर देने क लिए कहना पड़ेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने प्रधान मन्त्री को लिखित रूप में सुझाव दिया था कि सिंचित क्षेत्र में 12 एकड़ से अधिक भूमि के मालिकों को उनके परिवार की सभी आवश्यकताओं तथा खेती के लिये फसल देकर समूची फसल की वसूली की जानी चाहिये । गैर सिंचित क्षेत्रों में 15 एकड़ भूमि से अधिक के मालिकों से बेचने योग्य फालतू फसल की वसूली की जानी चाहिये । संयुक्त मोर्चे के सरकार ने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वसूली की थी ।

जहां तक मूल्य वृद्धि का सम्बन्ध है, संयुक्त राष्ट्र के 1973 के सर्वेक्षणक अनुसार भारत में यह वृद्धि विश्व भर के सभी देशों की वृद्धि से अधिक है । यह थोक सूचकांक के स्तर पर 115 प्रतिशत

हुई है (**व्यवधान**) । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इस देश में 121 प्रतिशत की दर से बढ़ा है । यह आप के 27 वर्ष के "एतिहासिक" शासन के पश्चात हुआ है । इस देश में प्रति व्यक्ति आय विश्व भर में कम है ।

मैंने कहा था कि जनता का दमन किया जा रहा है । उन्होने कहा कि ऐसा नहीं हो रहा है । मुझे इस उद्देश्य के तार मिले हैं । कि एम्मू जल विद्युत् परियोजना हिमाचल प्रदेश में पुलिस की सांठ गांठ से कम्पनी के प्रबन्धक श्रमिकों की हत्या कर रहे हैं । अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार की घटनाएँ हुई हैं ।

श्रीमती माया राम द्वारा कही गयी कुछ बातों का उत्तर दूंगा । वह जानती हैं कि श्री एस० के० आचार्य किसी समय मेरे दल के एक प्रमुख कार्यकर्त्ता थे । अब वह मेरे दल के सदस्य नहीं हैं ।

श्री सी० एम० स्टीफ़न : श्रीमान् जी, इस मामले में निश्चित समय बीत चुका है । अतः मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रस्ताव पर मतदान लिया जाये... (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री आचार्य ने कलकत्ता के जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । वह एक विख्यात वकील हैं । वह हमारे दल के सदस्य नहीं है । उन्हें इस बात की स्वतन्त्रता है कि वकील के रूप में किसी की भी वकालत कर सकते हैं । इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती । यदि कोई अनुचित बात हुई है, तो उसे विधिज्ञ परिषद में उठाया जा सकता है । मैं श्रीमती राय से यह पूछना चाहता हुँ कि क्या यह बात सच नहीं है कि क्या वह बिड़ला बन्धुओं की न्यू एश्याटिक कम्पनी की उच्च न्यायालय के सामने वकालत नहीं की है ।

श्रीमती माया राय (रायगंज) : मैं जब से इस सभा की सदस्या बनी हूँ, तब से मैंने एक भी मुकदमे की वकालत नहीं की है । आप को यह प्रमाणित करना होगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं तो केवल आप से पूछ रहा हूँ । कार मूल्य सम्बन्धी आयोग के बारे में क्या है... (**व्यवधान**)

श्रीमती माया राय : मैं जब से इस सभा की सदस्या बनी हूँ, तब से किसी भी एक बिड़ला कर्म द्वारा मुझे भुगतान नहीं किया गया । ये सभी आरोप गलत हैं । इतनी बातें बढ़ा चढ़ा कर मत कीजिये । अन्यथा आप के बारे में इतनी बातें कहीं जा सकती हैं... (**व्यवधान**)

मैं भूसी कांड के बारे में यह कहना चाहती हूँ कि इसकी न्यायिक जांच क्यों नहीं करायी जा रही है ? श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने कल कहा था कि वह मुझे बचाना चाहते हैं । आज भी उन्हें यही कुछ कहना चाहिये ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैं इसके बाद पश्चिम बंगाल की सरकार के काम से सन्तुष्ट नहीं हूँ । मैं ने आपके अनेक मित्रों को उसके साथ सहयोग करते हुये पाया है... (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपको बता दूं कि मैंने किसी समय भी अपने घर पर सुरक्षा गार्ड को नहीं रखा है । उन्हें दस्तावेजी प्रमाण देना चाहिये । (**व्यवधान**) गत वर्ष मैं बहरामपुर में एक सभा को सम्बोधित करने गये थे पुलिस के सिपाहियों ने हमारी कार को तोड़ फोड़ डाला था और उन्होंने गुंडों को माचिस फटाके तथा बम दिये थे । आज स्थिति यह है कि जहां कहीं भी हम सभा का आयोजन करते हैं लोग सुनने के लिए आते हैं, किन्तु धारा 144 लगा दी जाती है तथा उन्हें भगा दिया जाता है ।

प्रधान मन्त्री ने भ्रष्टाचार की बात की है । सन्यानम समिति ने 1964 में कुछ सिफारिशों की थीं । दस वर्ष बीत चुके हैं , परन्तु उसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है । यह बड़ी

विचित्र बात है कि हरियाणा के मुख्य मन्त्री, श्री बंसी लाल के विरुद्ध बड़ी संख्या में विधायक तथा संसद सदस्य भ्रष्टाचार के विशेष आरोप लगा रहे हैं, किन्तु उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जा रहा है । इससे यह आशंका होती है कि उन्हें किन्हीं कारणों से बचाया जा रहा है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : वह सम्बद्ध भाग को छुपा रहे हैं। यह केवल राज्य विद्युत् बोर्ड के सम्बन्ध में है। हमारे प्रतिवेदन का विषय वस्तु वह आरोप नहीं था।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : तो उन्हें आरोपों से बरी क्यों कर दिया गया ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसा दबाव में आ कर किया गया है ।

श्री एल० एन० मिश्र ने श्री दरबारी को अपनी सुविधा के लिए रल मन्त्रालय में ले गये, क्यों कि वह करंसी नोटों को गिनने में होशियार हैं । (**व्यवधान**) अतः मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या श्री दरबारी की वार्षिक गुप्त रिपोर्ट में श्री एल० एन० मिश्र तथा विभाग द्वारा हेर फेर नहीं किया गया ? क्या यह गम्भीर मामला नहीं है ? हमें एक लाख गांठों के बारे में जांच करनी चाहिये कि क्या श्री तुलसियां कभी पटसन के निर्यातक रहे हैं । उन्होंने 'गरीबी हटाओ' कार्यक्रम के लिये 75 लाख रुपये की सलामी दी थी (**व्यवधान**)

मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने देश को नष्ट कर दिया है । इसे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है । मेरे अविश्वास प्रस्ताव को इस सभा द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मन्त्री परिषद में अविश्वास व्यक्त करती है

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में 53 विपक्ष में 247

Ayes 53 Noes 247

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब हमें घर जा कर आराम करना चाहिये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker, Today no water is available. Hon'ble Prime Minister says that Jan Sangh is inciting for the strike in this regard. The Government have no guts. (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति रखिये । अब सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई है ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 23 नवम्बर, 1973 /2 अग्रहायण 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till elven of the clock on Friday, the 23rd November, 1973/Agrahayana 2, 1895 (Saka).

MGIPRRND—Sec-VI—41LSS/73—1-3-74—490